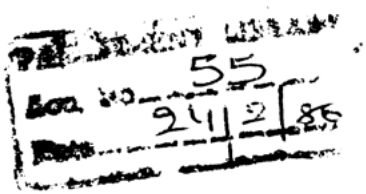
अष्टम माला, खंड 15, अंक 23

मंगलवार, 25 मार्च, 1986
4 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)





(खंड 15 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 23, मंगलवार, 25 मार्च, 1986/4 चैत्र, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—31
*तारांकित प्रश्न संख्या : 429, 430, 432, 436 से 438 और 440	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	31—235
*अतारांकित प्रश्न संख्या : 431, 433 से 435, 439, 441 442 और 444 से 449	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4044 से 4075, 4077 से 4098, 4100 से 4102, 4104 से 4118, 4120 से 4156, 4158 से 4161, 4163, 4165 से 4190, 4192 से 4201, 4203 से 4212, 4214, 4215 और 4217 से 4260	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	235—237
राष्ट्रपति से संदेश	237
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ... ... पन्द्रहवां प्रतिवेदन	238

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 238—242

(एक) दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क लगाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने की आवश्यकता

श्री मनफूल सिंह चौधरी 238

(दो) हज यात्रियों के लिए जलपोतों की संख्या बढ़ाने और विमान द्वारा हज करने जाने वाले यात्रियों को राजसहायता देने की आवश्यकता

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीद 239

(तीन) बैंकों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री शान्ति धारीवाल 239

(चार) पंजाब के जिन किसानों की फसलें हाल की ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गई हैं उन्हें वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 240

(पांच) बिहार के सिंहभूम जिले में उड़िया भाषी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव को रोकने के लिए बिहार राज्य सरकार को निदेश देने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 240

(छः) रेयन ग्रेड पल्प के आयात सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता

श्री सी० जंगा रेड्डी 241

(सात) कन्नौज की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने, इसके इत्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने और वहां अन्य उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती शीला दीक्षित 241

(आठ) देश में न्यायालय शुल्क समाप्त करने की आवश्यकता

श्री जयप्रकाश अग्रवाल 242

विषय					पृष्ठ
रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक					
विचार करने के लिए प्रस्ताव—(जारी)	...	...	...	...	243—295
श्री के० राचन्द्र रेड्डी		...	...	...	243
राव बीरेन्द्र सिंह		...	...	...	246
श्री वृद्धि चन्द्र जैन		...	...	...	263
श्री बीरेन्द्र सिंह	...	...	...	...	267
श्री सैफुद्दीन चौधरी		...	...	...	272
श्री के० एस० राव		...	...	...	276
श्री चिरंजी लाल शर्मा		...	...	...	278
श्री पी० कुलनदईवेलु		...	...	...	285
श्री विष्णु मोदी	...	...	...	...	287
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति पन्द्रहवां प्रतिवेदन			...		295
चुनाव-सुधारों संबंधी संकल्प—(जारी)	...		...	...	295—332
श्री राजमंगल पांडे		...	...	...	296
श्री रामप्यारे पनिका			...	...	299
श्री सैयद शाहबुद्दीन			...		304
श्री बल्लभ पाणिग्रही					313
श्री हरीश रावत	...		...		318
श्री सी० जंगा रेड्डी		...	...	...	322
श्री अब्दुल रशीद काबुली		...	...	...	330

लोक सभा

रविवार, 25 मार्च, 1986/4 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, ऐसा लगता है मंत्री होली मनाने के मूड में हैं। उनमें से बहुत से उपस्थित नहीं हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, आज तो आपको सबसे गले मिलना चाहिए। मंत्री जी भी होली के मूड में लग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, आपको नजर आता है। आप कहें तो वहां भी होली मनवा देते हैं। आपके कहने की जरूरत है सरकार।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कुछ सरकारी बड़ी परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव

*429. **श्री सुरेश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में कुछ सरकारी बड़ी परियोजनाओं की स्थापना की जाए;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और

(ग) इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग)। अपेक्षित विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ प्रमुख सरकारी परियोजनायें निम्नलिखित हैं, जिनके लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें से प्रत्येक के सामने वर्तमान स्थिति का ब्यौरा भी दिया गया है—

क्र० सं०	प्रस्ताव का ब्यौरा	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० 730 करोड़ रुपये की लागत से औनला, बड़ौदा में नाइट्रोजन परियोजना।	यांत्रिक रूप से समापन की अनुमानित तारीख जनवरी, 1988 है। यह सहकारी क्षेत्र में है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए सरकारी अंशदान के रूप में 502.29 करोड़ रुपये के परिव्यय की अनन्तिम रूप से व्यवस्था की गई है।
2.	टेहरी बांध-चरण-II (4×250 मेगावाट) अनुमानित लागत 421.3 करोड़ रुपये।	इस योजना में चरम ऊर्जा के बाद की उपलब्धता तथा पम्प टर्बाइन संस्थापित करने की आवश्यकता की जांच करने के लिये उत्तरी क्षेत्र का एकीकृत परिचालन संबंधी अध्ययन करना शामिल नहीं है। इसलिए इस योजना का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के परामर्श से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है।
3.	कोटेश्वर बांध परियोजना (3×50 मेगावाट) अनुमानित लागत 250.2 करोड़ रुपये।	जून, 1985 में राज्य ने सूचित किया था कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार अधिकाधिक क्षमता के लिये परिशोधित प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

4.	बेलका लघु पन बिजली योजना (3×1 मेगावाट) अनुमानित लागत 7.3 करोड़ रुपये ।	केन्द्रीय विद्युत प्राधिरकण/केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं तथा उनके उत्तरों की प्रतिक्षा की जा रही है ।
5.	बाबेल लघु पन बिजली योजना (3×1 मेगावाट) अनुमानित लागत 7.8 करोड़ रुपये ।	
6.	कोसी गैस टर्बाइन योजना (3×120 मेगावाट) अनुमानित लागत 85.8 करोड़ रुपये ।	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ईंधन की उपलब्धता की पुष्टि अभी प्रमाणित की जानी है ।
7.	औरैया गैस टर्बाइन (5×120 मेगावाट) अनुमानित लागत 182.8 करोड़ रुपये ।	इसकी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जा रही है; क्योंकि नेशनल थर्मल पावर कारपो० की औरैया गैस आधारित संयुक्त साइकिल परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित की जानी है ।
8.	केन्द्रीय क्षेत्र :	
	8.1 नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपो० की धौली गंगा पन बिजली परियोजना-चरण-I (5×65 मेगावाट) अनुमानित लागत 473.8 करोड़ रुपये ।	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इसका मूल्यांकन किया जा रहा है ।
	8.2 नेशनल थर्मल पावर कारपो० की औरैया गैस पर आधारित संयुक्त साइकिल परियोजना (4×100 मेगावाट + 2×100 मेगावाट) अपशिष्ट ऊष्मा अनुमानित लागत 422.2 करोड़ रुपये	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2.9.1984 को इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है । इसे सरकारी निवेश मण्डल द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है ।

क्र० सं०	प्रस्ताव का ब्यौरा	वर्तमान स्थिति
1	2	3
9.	गाजीपुर में 12.00 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश से कोल्ड फार्म्ड सेक्शनों के विनिर्माण तथा वेल्डिड बीम शाप के लिए परियोजना ।	इस परियोजना को संसाधनों की कठिनाइयों, इस्पात विभाग के अधीन उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के कारण शुरू नहीं किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार इस परियोजना को राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत लेने की सम्भाव्यता का पता लगाये ।
10.	जौनपुर में हिन्दुस्तान केबल लि० की संचार केबल परियोजना ।	सरकार के विचाराधीन है ।
11.	झांसी में आयुध सामग्री निर्माण कारखाने की स्थापना ।	इसकी जांच की जा रही है । राज्य सरकार से कहा गया है कि इस परियोजना के लिये राज्य सरकार के खर्च पर पानी, बिजली और अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जाये ।
12.	सिने कलर पोजिटिव फिल्म परियोजना और पोलिएस्टर पर आधारित एक्स-रे तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म की ग्राफिक आर्ट फिल्म परियोजना ।	सरकार सिने कलर पोजिटिव फिल्म परियोजना की जांच कर रही है । जहां तक पोलिएस्टर पर आधारित एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट फिल्म परियोजना का प्रश्न है, सरकारी निवेश मण्डल ने ऊटी में इसकी स्थापना की मंजूरी दे दी है ।
13.	80,000 टन अखबारी कागज की वार्षिक उत्पादन क्षमता की हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० की कागज परियोजना ।	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने 280 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नैनीताल में जैब गैल पर आधारित अखबारी कागज परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव किया है । वित्तीय कठिनाइयों के कारण सातवीं योजना में कोई निधि आवंटित नहीं की गई है ।

यह निर्णय किया गया है कि इस परियोजना के सम्बन्ध में
प्रारम्भिक कार्यवाही नेपाल सेक्टर एण्ड पेपर लिमिटेड नेपी नगर
द्वारा की जानी चाहिए, जो इसी विभाग परियोजना की होगी
से जोड़ने के लिए आवश्यक वैधानिक और तकनीकी विधियों
रखता है।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिए ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं जो केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी हुई हैं, उनके नाम बताने का कष्ट करें और साथ-साथ यह भी बताने का कष्ट करें कि इनमें से कितना और कौन-कौन सी योजनाएं ऐसी हैं, जिन पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काम प्रारंभ करना है ?

अध्यक्ष महोदय : सारा विवरण दिया हुआ है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अनेकानेक विभागों से संबंधित है । मैंने जो विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत किया है, उसमें सभी योजनाओं का उल्लेख है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी ऐसा ही पढ़ा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जो सूची मांगी गई है, उसके बारे में लगभग 12 प्रोजेक्ट हैं, उनकी सूची दी हुई है और उनमें क्या कार्यवाही हो रही है, यह सूची भी माननीय सदस्य के लिए इसमें दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : आप हरीश जी को कहिए कि जरा पढ़ें ।

श्री हरीश रावत : श्रीमन् के श्रीमुख से अच्छा लगेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहां तक सातवीं योजना का प्रश्न है, कुल केन्द्रीय औद्योगिक और अन्य सभी क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्र में कुल मिलाकर 757 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो कि 5 साल में अलग-अलग वर्षों में उपभोग होने की संभावना है । 757 करोड़ में मथुरा रिफाइनरी का प्रसार और छोटी मथुरा बामर लारी कंपनी का प्रसार, गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारपोरेशन का प्रसार और उसका जीर्णोद्धार के लिए 37 करोड़ रुपया, पाइराइटस प्रास्पेक्ट्स केमीकल लिमिटेड पर 2 करोड़ रुपया, फामर्स फर्टिलाइजर फैक्ट्री आंवला में 502 करोड़ रुपया···।

अध्यक्ष महोदय : यह तो इसमें सारा लिखा हुआ है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : बी०एच०ई०एल० हरिद्वार में 39 करोड़, भारत कंप्रेसर नैनी प्रसार में 14 करोड़, कुल मिलाकर तमाम योजनाएं हैं करीब 25-26 छोटी-बड़ी योजनाएं हैं, जिनकी सूची मैं माननीय सदस्य को प्रस्तुत कर दूंगा, जिनमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में 5 साल में यह रुपया खर्च होगा ।

श्री हरीश रावत :·····(**व्यवधान**) अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है

कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 757 करोड़ रुपया विभिन्न परियोजनाओं में खर्च होगा। उनके इस उत्तर से मेरी निराशा और बढ़ी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक पर-केपिटा इन्वेस्टमेंट इण्डस्ट्रीयल सैक्टर में सबसे कम है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी माननीय मंत्री जी के जवाब से ऐसा लगता है·····(**व्यवधान**)

श्री मूल चन्द डागा : बाहर से निराशा नहीं है, हंसते हुए कह रहे हैं !

श्री हरीश रावत : उसमें वृद्धि का कोई विशेष प्रयास उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है।·····(**व्यवधान**) मैं माननीय मंत्री जी से आग्रहपूर्वक यह पूछना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पर-केपिटा इन्वेस्टमेंट इण्डस्ट्रीयल सैक्टर में सबसे कम है और जो विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीच्युशन्स हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी कम है, वहां क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए और उस राज्य को इण्डस्ट्रीयल सैक्टर में और राज्यों के बराबर लाने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, जहां तक सारे देश का संबंध है, जो पबलिक इन्वेस्टमेंट आउट-ले होगा पब्लिक सैक्टर में, वह 15 हजार 46 करोड़ प्रावधानित है ; इसमें से जैसा मैंने कहा उत्तर प्रदेश का 757 करोड़ है जो 5.1 प्रतिशत है।···(**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत : देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रतिशत निकालते रहा करो और थोड़ा सा काम भी किया करो।

···(**व्यवधान**)

श्री नारायण दत्त तिवारी : इसमें से जो अधिकतर धन है वह बड़े स्टील प्लान्ट्स में जो बड़ी परियोजनाएं हैं·····(**व्यवधान**) उनके लिए है। जैसे विशाखापत्तनम स्टील प्लान्ट, नालको एल्युमिनियम फैक्ट्री सारे देश के लिए है उसी-प्रकार सिंगरौली का पावर प्लान्ट जो उत्तर प्रदेश में लग रहा है, वह चार राज्यों के लिए है। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो राज्य में लगती हैं लेकिन उनका लाभ देश के विभिन्न भागों को मिलता है। यह राष्ट्रीय नीति पर आधारित है। जहां तक औद्योगिकरण का प्रश्न है पब्लिक सैक्टर में सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान कम रखा गया है, लेकिन हमारा प्रयास यह रहेगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विनियोजन हो ताकि असन्तुलन कम हो सके।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष जी, हमें याद है जब हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो विभिन्न अवसरों पर स्वयं उत्तर प्रदेश के साथ एलोकेशन के मामले में जो सेन्टर से अन्याय होता रहा है, उसके लिए लड़ते रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को केवल 17 हजार 298 करोड़ प्वाइंट तेरह करोड़ रुप्या मिला है जो 5.6 परसेंट आता है जबकि पश्चिम बंगाल को 8.3

परसेंट, बिहार को 8.8 परसेंट, उड़ीसा को 14.9 परसेंट, मध्य प्रदेश को 15.2 परसेंट और आन्ध्र प्रदेश को 23.8 परसेंट है।.....(व्यवधान) इस तरह से धनराशि वितरीत हुई है तो क्या माननीय मंत्री जी यह देखेंगे कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश का इण्डस्ट्रीयल इन्फास्ट्रक्चर नही बना क्योंकि संसाधन कम मिले और सेन्टर से प्रोजेक्ट भी कम लगे। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में आश्वासन देंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ ऐसी नीति अपनायेंगे जिससे वह दूसरे राज्यों के सामने खड़ा हो सके, उसकी आबादी और उसके आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका।

श्री राम प्यारे पनिका : उत्तर प्रदेश तो बाढ़-सूखा और सब तरह से पिछड़ा हुआ है। .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए उन्होंने सोचा है कि मनुष्योत्पादन में सबसे अधिक कार्य करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, यह बात सही है कि मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्य सेवक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अपने वर्तमान पद के दृष्टिकोण से काम न करूं। मेरे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और इसके लिए उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक विख्यात है...

श्री राम प्यारे पनिका : मैं कहना चाहता हूं कि जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो आप जिस दृष्टिकोण को अपने सामने लेकर चले थे, कम-से-कम यहां भी उसी दृष्टिकोण से चलिए...

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, इस सदन की परम्परा रही है कि हम राष्ट्र-हित, प्रदेश हित, क्षेत्र-हित, ग्राम हित सब का समन्वय करके आगे चलें। इसी संदर्भ में मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि हमारी हमेशा से यही चेष्टा रही है कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय असन्तुलन को संतुलित करने का प्रयास किया जाए। वह प्रयास उत्तर प्रदेश के संबंध में भी जारी रहेगा। जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है, जैसा मैंने उल्लेख भी किया, विशाखापट्टनम में जो स्टील प्लांट लगाया जा रहा है, उसके लिए हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया है और उसी की वजह से आंध्र प्रदेश का प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका लाभ किसी एक प्रदेश को होगा, उसका लाभ सारे देश को मिलेगा। इसी प्रकार उड़ीसा में भी हमने नालको एल्यूमीनियम प्रोजेक्ट के लिए प्रावधान किया है, और उसका लाभ भी सारे देश को मिलेगा।

श्री जगदीश अवस्थी : जैसा मान्यवर, मंत्री जी ने यहां कहा कि हम राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपने वहां कुछ जिलों को

उद्योग-शून्य जिले घोषित किया था, जैसा आपने अभी उत्तर में जो कुछ बताया, क्या आप बतायेंगे कि कानपुर क्षेत्र के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां सार्वजनिक क्षेत्र का अभी तक कोई उद्योग नहीं लगा है, क्या आप उत्तर प्रदेश के उन उद्योग-शून्य जिलों में, और खास-तौर से कानपुर जनपद में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग लगाने की कोशिश करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जितने भी उद्योग-शून्य जिले घोषित हुए हैं, वे केन्द्र से हुए हैं और वे जिले केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं हैं, बल्कि सारे देश में, जहां-जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग नहीं हैं, वहां उद्योग-शून्य जिले घोषित हुए हैं और उनकी संख्या सारे देश में लगभग 112 है। इसके अलावा कई प्रदेश ऐसे हैं जहां कोई उद्योग नहीं है, जैसे नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, वे सारे प्रदेश ही उद्योग-शून्य प्रदेशों की श्रेणी में आते हैं। उनके लिए केन्द्रीय सरकार ने विशेष योजना चालू की थी और उसमें कानपुर जिला भी शामिल है। यह बात भी सही है कि प्रत्येक जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लगाना सम्भव नहीं है या वहां सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई स्थापित नहीं की जा सकती और माननीय सदस्य शायद मुझसे सहमत भी होंगे, हां, औद्योगीकरण की दृष्टि से हमने इण्डस्ट्रीयल डैवलपमेंट ऑफ इण्डिया के सहयोग से एक योजना बनाई है जिससे कि प्रत्येक उद्योग-शून्य जिले में दो-दो विकास केन्द्र बनाए जाएं और उन विकास-केन्द्रों में उद्योग लगाए जाएं। उसमें कानपुर देहात भी उसी श्रेणी में आता है।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनवई वेलू : विवरण के क्रम संख्या 12 में अपने सिने कलर फिल्म परियोजना और पालिएस्टर पर आधारित एक्स-रे और हिन्दुस्तान फोटो फिल्म की ग्राफिक आर्ट फिल्म परियोजना का जिक्र किया है। शुरू में ये दोनों इकाईयां तमिलनाडु में ऊटी में लगायी जानी थी किन्तु अभी दिए गए विवरण में मैंने देखा कि पी०आई०बी० ने एक्स-रे इकाई ऊटी में तथा सिने कलर फोटो फिल्म परियोजना उत्तर प्रदेश में लगाए जाने की अनुमति दी है। आम-तौर पर यह धारणा बन गयी है कि जो भी व्यक्ति उद्योग मंत्री बनता है, वह उद्योग अपने निर्वाचन क्षेत्रों या अपने राज्यों में ले जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि दक्षिण के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है। इसके अलावा ऊटी में दोनों इकाइयों के लिए जलवायु अनुकूल है और वही उपयुक्त स्थान है। आप सिने फोटो फिल्म परियोजना उत्तर प्रदेश में क्यों ले जाना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं माननीय सदस्य या माननीय नेता को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि शायद..... **(व्यवधान)**

श्री पी० कुलनवई वेलू : मैं एक मामूली सदस्य हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, मैं ऊटी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के बराबर ही महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि हम समझते हैं कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों का विकास करने

की जरूरत है और मैं समझता हूं कि उस विशेष क्षेत्र से माननीय सदस्य के हित तब तक सुरक्षित हैं जब तक इस सभा में राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान रखा जाएगा। किसी समय दक्षिण से शंकराचार्य आए और 4 धामों—उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की स्थापना की। मैं यह भी समझता हूं कि यदि भारत के किसी भाग के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में कुछ किया जाता है तो माननीय सदस्य शंकराचार्य की भावना से प्रेरित होंगे। (व्यवधान) उत्तर प्रदेश में दो परियोजनाएं पहले से ही हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह अध्यात्मिक उद्योग है।

प्रो० मधु दंडवते : उद्योग मंत्री भावी शंकराचार्य हैं।

श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम : वह शंकराचार्य का उद्योगीकरण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न, संख्या 430—श्री बैरवा।

[हिन्दी]

लोक अदालतों की स्थापना

*430. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक अदालतों की स्थापना करने के परिणामस्वरूप न्यायालयों में छोटे विवादों से सम्बन्धित मामलों का कार्यभार कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लोक अदालतों की शीघ्र स्थापना सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) जनसाधारण को लोक अदालतों के महत्व से अवगत कराने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किए हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां। यह सही है कि बहुत से लघु विवाद लोक अदालतों के समक्ष निपटाए जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि यदि उनके कार्य की गति तेज हो जाती है तो उससे न्यायालयों का कार्यभार भविष्य में पर्याप्त रूप से कम हो जाएगा।

(ख) संघ सरकार विधिक सहायता और सलाह बोर्डों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लोक अदालतों की स्थापना को प्रोत्साहित और उसके लिए सहायता प्रदान कर रही है। सरकार का इस निमित्त अधिक व्यापक कदम उठाने का इरादा है।

(ग) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों ने लोक अदालतों के कार्य और महत्व को जनसामान्य में लोकप्रिय बनाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। सरकार उस दिशा में और अधिक प्रभावकारी कदम उठाए जाने पर भी विचार कर रही है।

श्री बनवारी लाल बेरवा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि जो केसेस लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं, वे किस-किस नोइयत के हैं यानि किस-किस प्रकार के हैं तथा जो निशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श देने वाली संस्था है वह कौन सी है और इन लोक अदालतों के अन्दर जो केसेस रखे जाते हैं, वे कौन-सा एजेंसी द्वारा रखे जाते हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन में धारा 39(ए) लीगल-एड के लिए दिशा-निर्देश करती है। उसके तहत केन्द्रीय कानूनी सलाह बोर्ड, जिसके चेयरमैन श्री पी० एन० भगवती थे और आजकल श्री रंगनाथ मिश्र हैं, उसने तमाम राज्यों में लीगल सलाहकार बोर्ड स्थापित किए हैं और वे ही इन लोक अदालतों का आयोजन करते हैं। इन लोक-अदालतों में ज्यादातर कानूनी केसेस, ऐसे लोगों के लिए जाते हैं जो आपस में राजीनामा करना चाहते हैं, मेल-मिलाप से अपने केसेस का निपटारा करना चाहते हैं। उनको जो केन्पेन्सेशन और रिलीफ मिलनी होती है, वह मौके पर, ऑन दि स्पॉट दी जाती है। इनमें मोटर एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत से निपटाए गए हैं जिनमें कोई व्यक्ति इन्जर हुआ है और उनके केसेस काफी दिनों से पेंडिंग पड़े थे। इस प्रकार के केसेस में दो करोड़ रुपए के लगभग बाम्बे में, डेढ़ करोड़ रुपए के लगभग राजस्थान में और दिल्ली में लगभग 60-70 लाख रुपए के केसेस पिछले महीनों में निपटाए गए हैं जो कि सालों से पेंडिंग पड़े थे। दूसरे इन लोक अदालतों में मेट्रीमोनियल के केसेस हैं जैसे मियां-बीबी के झगड़े का केस है। बहुत सारे केसेस किसानों के छोटे-मोटे म्यूटेशन के, पार्टीशन के झगड़े हैं। उन सबका राजीनामा वहां कराया जाता है और ये सब जुडीशियरी के माध्यम से होता है जिसमें सुप्रीमकोर्ट, हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज और कलेक्टर वगैरह सब जाते हैं और सब शामिल होते हैं। इनके जरिये निपटारा किया जाता है और ये कंसीलिएटरी प्रोसेस के जरिये निपटारा होता है।

श्री बनवारी लाल बेरवा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने अभी विस्तार से लोक-अदालत की व्यवस्था के बारे में बताया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो प्रचलित कानूनी व्यवस्था किसी विवाद के सम्बन्ध में है, वह ज्यादा खर्चीली और लम्बा टाइम लेने वाली है। उससे गरीब आदमी को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोक-अदालत के माध्यम से हमें काफी राहत मिली है इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से एक बात तो यह जानना चाहूंगा कि क्या वे लोक-अदालत के क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं और दूसरी बात यह जानना चाहूंगा कि इससे बाद में कड़ुवाहट और पक्षपात नाम की चीज नहीं रहती है, इसमें न कोई हारता है और न जीतता है। हरिजन आदिवासियों के जमीन सम्बन्धी मामलात जो बरसों से हजारों, लाखों की तादाद में अदालतों में विचाराधीन है, क्या उन सभी मामलात को आप इन लोक अदालतों के द्वारा निपटाने का विचार रखते हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : इसका महत्व इसी बात में है कि जो गरीब हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के हैं जिनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, वहां पर जजेज जायें, वहां उनकी हौसला अफजाही भी हो और उनके मामलात का निपटारा भी हो। इस पर कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही इसे विस्तार में कह चुके हैं।

श्री हरूभाई मेहता : लोक अदालतें गुजरात में बहुत लोकप्रिय हैं, ये गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर बनाई गई है जिसमें न किसी कि जीत होती है और न ही किसी की हार होती है।

हमारे यहां 100 लोक अदालतें थी, हमने 1 मार्च को एक शतक पूरा किया जब 101वीं लोक अदालत बनाई गई। मैं समझता हूं लोक अदालतों में 15,000 मामलें निपटाए गए हैं। अब मैं एक बात जानना चाहता हूं क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां हैं। उदाहरण के लिए जब सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का सम्बन्ध होता है, जब वे लोक अदालत में एक पार्टी के रूप में जाते हैं तो इन मामलों को कभी-कभी इस वजह से नहीं निपटाया जा सकता क्योंकि जो अधिकारी लोक अदालत में विभाग की सहायता करने के लिए नियुक्त होता है उसे इन मामलों को निपटाने की पूरी शक्तियां प्रत्याजित नहीं की जाती।

दूसरे उन्हें कुछ प्रोत्साहन भी मिलने चाहिए। उदाहरण के लिए लोक अदालतों द्वारा निपटाए जाने वाले विवाद के सभी मामलों में अदालती फीस पूरी माफ होनी चाहिए, इस बात को नजर अन्दाज करते हुए कि मामले का निपटान उसके दायर किये जाने के तुरन्त बाद किया जाता है अथवा गवाही आदि लेने के बाद, और गुजरात सरकार ने भी इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए। आप इसके विस्तार में जा रहे हैं। हमें प्रश्न को बढ़ाने की आदत पड़ती जा रही है। अनुपूरक प्रश्न पूछने का यह कोई तरीका नहीं है।

श्री हरूभाई मेहता : गुजरात में समझौता कराने वाले एक स्थायी तन्त्र की स्थापना की गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री हरूभाई मेहता : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाएगी कि विभागों को समुचित शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी ताकि बीमा और बिजली बोर्डों आदि से सम्बन्धित मामले लोक अदालतों में अविलम्ब निपटाए जा सकें और क्या पूरी अदालती फीस माफ करने पर भी विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : और आगे, क्या ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मुझे खुशी है कि श्री मेहता ने यह बताया है कि गुजरात आगे रहा है और चूंकि महात्मा गांधी की भूमि है। पहल गुजरात ने की है किन्तु देश के अन्य भाग भी पीछे नहीं हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान अब लोक अदालतों के मामले में सबसे

आगे है। वहां अब तक 40,000 मामले निपटाए जा चुके हैं और देश के अन्य क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली और यहां तक कि अन्य स्थानों में भी अब लोक अदालतों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है देश में न्यामालिक के रुख में परिवर्तन होना जिसके कारण लोक अदालतें सही ढंग से काम करने में सफल हुई है।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं मन्त्रालय में अपने अन्य सहयोगियों का आभारी हूं; उन्होंने हर तरह से सहयोग दिया है। उदाहरण के लिए वित्त मन्त्री जी ने बीमा कम्पनियों को निर्देश दिए और अब मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर लोक अदालत में दुःखी पक्ष को चैक दिए जाते हैं। रुख में यह परिवर्तन आया है और मुझे आशा है कि हमारे प्रयासों तथा सभी सम्बन्धित लोगों के सहयोग से समझौते आदि की प्रक्रिया की ओर पूरा ध्यान दिया जाएगा। मैं शीघ्र ही यहां आंकड़े प्रस्तुत करूंगा कि लंबित मामलों की संख्या में कितनी कमी हुई है।

श्री जी० एम० बनातवाला : प्रश्न लोक अदालतों की स्थापना से न्यायालयों के कार्यभार में कमी से सम्बन्धित है। आपकी अनुमति से मैं प्रश्न को दूसरे पहलू से पूछना चाहता हूं वह यह कि क्या यह सच है कि इन लोक अदालतों का कार्यभार बहुत अधिक है और वे इस कार्य भार को निपटाने की स्थिति में नहीं है। यदि हां, तो इन लोक अदालतों को मजबूत बनाने और विशेष रूप से यह देखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत बनाकर इनके कार्य को सरल और कारगर बनाया जाए ? कुछ लोक अदालतें मामले उस समय शुरू करती हैं जब दोनों पक्ष उपस्थित नहीं होते और अन्य लोग दोनों पक्षों के उपस्थित होने का दबाव डालते हैं इस बारे में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जाने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत लम्बा है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं उत्तर दूंगा। यह लोक अदालत के भार का प्रश्न नहीं है बल्कि लोक अदालतें न्यायालयों के उनके भारी बकाया मामलों के भार को कम करने की कोशिश कर रही हैं। लोक अदालतों की प्रक्रिया के माध्यम से 40,000 मामलों का हल कर लिया गया है। वास्तव में यह बोझ नियमित न्यायालयों पर से कम हो गया है। वे शनिवार और रविवार को कार्य करती हैं। चूंकि न्यायपालिका के विरुद्ध यह शिकायत रही है कि वह छुट्टियों की अधिक आदी है इसलिए उसने अपनी छुट्टियां अर्थात् सप्ताह में दो दिन की छुट्टियां त्याग दी हैं। यह होती कितनी हैं ? फिर यह पहल न्यायपालिका की ओर से ही तो की गई है। हम केवल उसे सहयोग दे रहे हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जनता के पास जाते हैं और उनके मामलों को हल करते हैं। जहां तक मार्गदर्शी सिद्धांतों का सम्बन्ध है, हम लोक अदालत के माध्यम से कभी भी इस समय तक मामलों का निर्णय नहीं करते हैं जब तक कि दोनों पक्ष इसके लिए सहमत न हों क्योंकि वह पक्षों पर निर्णय को लादने के समान होगा। आप कोई मामला लें। यदि एक पक्ष उपस्थित नहीं है तो हम मामले को स्थगित करते हैं और अन्य तारीख नियत करते हैं जबकि अन्य पक्ष आने के लिए

अभिप्रेरित हो । यदि वे नहीं आते हैं तब वे अपने मामलों को नियमित अदालतों में चलाने की कोशिश करते हैं ।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति : अध्यक्ष महोदय, आज देश में हरिजनों की हत्या और उनके भूमि सम्बन्धी विवाद के हजारों लाखों केसिज पेंडिंग में पड़े हैं। क्या इन मामलों को निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का कोई प्रयोजन सरकार के विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : आप स्पेशल कोर्ट वगैरह छोड़िए । सारी बात पहले आ गई है ।

[अनुवाद]

कागज उद्योग की क्षमता

*432 **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी**
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग को फालतू भंडार, कीमतों में कटौती और बीस प्रतिशत निर्माण एककों के बन्द रहने से उत्पन्न स्थिति का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग की सक्षमता को बढ़ाने और कच्चे माल की उपलब्धता को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार बड़ी कागज मिलों के पास तैयार माल का स्टॉक अनुमानत: 15 दिन के उत्पादन के बराबर है जिसे अधिक नहीं समझा जाता । इस उद्योग द्वारा विभिन्न प्रकार के कागज और गत्तों का उत्पादन तथा विपणन किया जाता है तथा उनकी कीमतें भिन्न-भिन्न वजन (ग्रामेज) और क्षेत्र के लिए अलग-अलग होती है । अत: इस समय पूरे देश में सभी प्रकार के कागजों और गत्तों की कीमतों के विषय में सामान्य प्रवृत्ति के विषय में कुछ भी कह पाना सम्भव नहीं होगा । फिर भी उपलब्ध जानकारी के अनुसार विभिन्न बड़ी मिलों द्वारा घोषित सूचीकृत मूल्यों में पिछले कुछ महीनों के दौरान परिवर्तन नहीं हुए हैं । इस समय बड़ी और छोटी 25 कागज मिलें बन्द पड़ी हैं ।

(ग) कागज उद्योग की आर्थिक जीव्यता सुधारने और कच्चे माल की कमी को दूर करने हेतु इस उद्योग को दी गई विभिन्न राहतों और रियायतों को दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कागज उद्योग को दी गई राहतें और रियायतें

1. लुगदी और रद्दी कागज का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कर दिया गया है और इस पर सीमा शुल्क नहीं लगता।

2. लकड़ी के लट्ठों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस पर हो सकता है और इस पर सीमा शुल्क रियायती दर से लगाया जाता है।

3. लिखाई और छपाई के ऐसे कागज के विनिमाण पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता जिसमें खोई से बनी लुगदी का भ्रंश भार के अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक हो।

4. गैर पारम्परिक कच्चे माल से बने कागज और गत्ते पर उत्पादन शुल्क की रियायती दरें लागू होती हैं।

5. क्रमबद्ध खण्डों (सक्सेसिव स्लैब्स) के लिए वृद्धिगत (इंक्रिमेन्टल) आधार पर उत्पादन शुल्क के भुगतान की सुविधा छोटी कागज मिलों को 1.4.1986 से दी जा रही है।

6. कुल लाइसेंसीकृत क्षमता के भीतर पेपर बोर्ड/स्ट्रा बोर्ड सहित सभी किस्म का कागज और कागज ग्रेड की लुगदी बनाने के लिए उद्योग को छूट दी गई है।

7. कृषि के अवशिष्ट पदार्थों, कचरे और खोई से लिखाई, छपाई तथा लपेटने का का कागज बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

8. 1.4.79 और 31.3.87 के बीच स्थापित होने वाले नये एककों को पांच वर्ष के लिए औद्योगिक शुल्क में 50 प्रतिशत तक छूट देने की व्यवस्था है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कागज उद्योग में केवल 15 दिन के उत्पादन को अधिक नहीं समझा जाता है और अन्य स्थान में वह कहते हैं कि इस समय बड़ी और छोटी 25 कागज की मिलें बन्द पड़ी हैं। इससे पता चलता है कि वह एक ही सांस में गर्म और ठण्ड की परस्पर उलट बात कह रहे हैं। जो भी हो, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या ये मिलें कागज के आयात और छोटे उद्योग पर भारी उत्पाद शुल्क के कारण बन्द हैं? यदि हां, तो सरकार कागज उद्योग को कारगर ढंग से चला सकने में सहायता देने के लिए क्या कार्रवाई कर रही हैं?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : माननीय सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि अब बसन्त मौसम है। यह न तो गर्म है न ही ठण्डा। इसलिए, मैं सममता हूं कि हमें बसन्त

मौसम के बारे में सोचना चाहिए। हमें कागज तथा अन्य उद्योगों के उत्तम भविष्य की बात सोचनी चाहिए।

माननीय सदस्य ने इस समय बन्द पड़ी मिलों की संख्या के बारे में बताया है। इसके बहुत कारण हैं जो पता लगा लिये गयेहैं और जो कभी कभी स्थानीय प्रकार के हैं तो कभी-कभी क्षेत्रीय प्रकार के हैं। ऐसा कच्चे सामान की लागत में वृद्धि या हड़ताल के कारण हैं। कभी-कभी कई कागज मिलों ने पुरानी मशीनों का आयात कर लिया है जिसमें गैर-परम्परागत कच्चा सामान उपयोग न कर सकने के कारण तकनीकी समस्याएं पैदा हो गई हैं कभी-कभी सिलिका अधिक होने के कारण कई कागज मिलें रसायम उपलब्ध प्रणाली को अपनाने में तकनीकी रुकावटों का सामना करती है जिससे उनका उत्पादन घट जाता है। कभी-कभी, विद्युत सप्लाई जैसी आधारभूत संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के अपर्याप्त होने के कारण जैसे कि कई राज्यों में बार-बार बिजली की कटौती होने के कारण समस्या पैदा हो जाती है। इन सभी के कारण ये मिलें बन्द हुई पड़ी हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार को मिल की समस्याओं की जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य दी गई राहतों और रियायतों की सूची और वित्तीय संस्थानों द्वारा बीमार एककों को राहत देने के लिए उठाए गये कदम देखें तो मैं समझता हूं कि वह उनसे सन्तुष्ट होंगे।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : महोदय, प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर यह है "लिखाई और छपाई के ऐसे कागज के विनिर्माण पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता जिसमे खोई से बनी लुगदी का अंश भार के अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक हो।" मेरा प्रश्न यह है कि खोई से कागज बनाने की केवल एक मिल है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि वह उन्हीं सुविधाओं का उन मिलों को क्यों नहीं देते जो घासफूस आदि जैसे कृषि उत्पाद से कागज बनाते है। खोई को दी गई कही छूट उन मिलों को दी जा सकती है जो घासफूस तथा अन्य कृषि उत्पादन में से कागज बनाते है। क्या मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : हम इस सुझाव पर निश्चित रूप से विचार करेगें और हमने छोटे एककों की वित्तीय समस्याओं के प्रश्न पर विचार करने के लिए हाल ही में औद्योगिक विकास सचिव की अध्यक्षता में एक एक समिति का गठन किया है। इस समिति को उत्पादन शुल्क के पूरे ढांचे की तथा कागज उद्योग की दीर्घकालीन वृद्धि में उसकी भूमिका की जांच करने के लिए बनाया गया है। हमने इस समिति को ऐसे व्यवहारिक उपाय सुझाने के लिए कहा है कि जिससे मिलें स्वयं अपने बागान लगायें तथा यह भी जांच करने के लिए कहा है कि रूढ़िगत कच्चे सामान के विकल्प के रूप में खोई का किस हद तक उपयोग सम्भव है। मैं समझता हूं यह समिति माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव की भी जांच कर सकती है।

डा० गौरी शंकार राजहंस : महोदय, मैं उत्तर के भाग (ग) का उल्लेख करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री को इस तथ्य की जानकारी है कि रद्दी कागज का एक बड़ा भाग जिसका आयात किया जा रहा है उसे कागज बनाने के लिए कच्चे सामान के रूप में

को पूरा करने में बहुत वर्ष लग जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वे पारिवारिक समस्याओं को निपटाने के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना करने जा रहे है और साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जिनके साथ समाज के दूसरे वर्गों द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इस देश में पारिवारिक समस्याएं और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को निपटाने के लिए विशेष न्यायलयो की स्थापना करने जा रहे हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि 1984 में ही पारिवारिक न्यायालय विधेयक पास कर दिया गया था। अब हमने सभी राज्य सरकारों से परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। आप जानते है कि परिवार न्यायालयों की स्थापना करना मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है। यदि यह मेरे कार्यक्षेत्र में होता तो मैं इसे तुरन्त ही कर देता। लेकिन हमें सभी राज्यों से उत्साहवर्धक जवाब नहीं मिल रहा है हम इस पर बार-बार जोर दे रहे है। मैं स्वयं पत्र लिख चुका हूं। सभी राज्य, आपके राज्य सहित, आगे नहीं आए हैं। केवल राजस्थान राज्य ने परिवार न्यायालयों की स्थापना की है।

डा० वी० वेंकटेश : कर्नाटक पहले ही घोषणा कर चुका है कि वे परिवार न्यायालयों को स्थापना करने जा रहे हैं।

श्री एच०आर० भारद्वाज : अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि कुछ राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जातियों पर अत्याचार किये जाते है। लेकिन आप जानते हैं प्रश्न यह है कि यदि हरिजनों पर अत्याचार किया जाता है और स्थानीय सरकार इन मामलों पर ध्यान देती है तो इन अत्याचारों को बन्द किया जा सकता है। विशेष अदालतें इसका कोई हल नहीं हैं।

रेयन ग्रेड की लकड़ी की लुगदी का आयात

*437. **श्री एस० जी० थोलप** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन ग्रेड की लकड़ी की लुगदी का आयात कुल आवश्यकता का 33 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या रेयन ग्रेड की लकड़ी की लुगदी देश में आवश्यकता की केवल 40 प्रतिशत ही उपलब्ध है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने तथा इसका 33 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत तक आयात करने की अनुमति देने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) रेयन ग्रेड की लकड़ी लुगदी, जो कि खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमत वस्तुओं की सूची में शामिल थी, वर्तमान आयात और निर्यात नीति के अनुसार 10.9.85 से सीमित अनुमत वस्तुओं की सूची से अन्तरित कर दी गई है। तद्नुसार रेयन ग्रेड की लड़की की लुग्दी के आयात के लिए लाइसेंसों का विनियमन निम्नलिखित प्रकार किया जाता है :

(1) रेयन टायर कोर्ड उद्योग और हाई वेट मोडुलस फाइबर उद्योग की पूरी आवश्यकता के लिए मात्रा संबंधी बिना किसी प्रतिबन्ध के अनुमति दी जाती है।

(2) विसकोस फिलामेंट यार्न और विसकोस स्टेपल फाइबर उद्योग के मामले में, एक कैलेण्डर वर्ष में कुल आवश्यकता के $\frac{1}{3}$ तक रेयन ग्रेड की लकड़ी की लुग्दी के आयात की अनुमति दी जाती है और शेष स्वदेशी उत्पादकों से प्राप्त करनी होती है।

(ख) यह कदम उद्योग में स्वदेशी अधिष्ठापित क्षमता के कम उपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।

(ग) 2.00 लाख मी० टन रेयन ग्रेड की लकड़ी की लुग्दी की अनुमानित मांग की तुलना में 1985 के दौरान 1.20 लाख मी० टन स्वदेशी उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) और (ङ) : वर्तमान व्यवस्था की सितम्बर, 1986 में समीक्षा की जानी है।

श्री एस० जी० घोलप : श्रीमन्, यह बात मान्य है कि 40 प्रतिशत लकड़ी लुगदी की कमी है और इसलिए इसका आयात करना होगा, यह भी आवश्यक है 50 प्रतिशत मिश्रित का आयात करना है और 50 प्रतिशत देशी माल की आवश्यकता है।

लकड़ी की लुगदी का आयात सीमित करने की नई नीति की घोषणा की गई है, इसे देखते हुए क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि तब से लकड़ी की लुगदी का आयात करने के लिए कितने लाइसेंस दिए गए है और उसकी मात्रा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : जब से इस मद के संबंध में आयात और निर्यात संबंधी नीति में संशोधन किया गया है तब से लगभग 78,500 टन रेयन लुगदी का आयात करने की अनुमति दी गई है। लेकिन यह मालूम नहीं कि वास्तव में इतना माल आया है या नहीं, वास्तव में इतना माल आयात किया गया या नहीं।

श्री एस० जी० घोलप : श्रीमन् क्या यह सच है कि नई नीति की घोषणा के पश्चात् कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : ऐसा केवल नीति में संशोधन करने के बाद ही किया जा सकता है क्योंकि पहले यह खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन था।

श्री के० एस० राव : श्रीमन उत्तर से ऐसे लगता है कि देश में रेयन लुगदी की कमी है और इसके आयात पर विदेशी मुद्रा बेकार खर्च की जा रही है मैं माननीय मन्त्री से केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ए० पी० रेयन लिमिटेड, वारंगल जो इसी प्रकार की लुगदी बना रही है, के ठीक प्रकार से कार्य न करने के बारे में तथा उसके कार्य करने की असफलता के कारणों के बारे में पूछताछ की है। अगर ऐसा है तो क्या वे शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय ढूंढेंगे जिससे यह सुचारू रूप से कार्य करें और विदेशी मुद्रा कोष पर कम भार पड़े।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन ए० पी० रेयन लिमिटेड उन पार्टियों में से एक थी जिन्होंने यह प्रतिवेदन दिया था कि अगर उदारत से आयात करने की छूट दी तो स्वदेशी उद्योग बिल्कुल नष्ट हो जायेगा। यह इस कारखाने तथा दूसरे कारखानों के प्रतिवेदन पर निर्णय लिया गया था कि इस लुगदी का आयात ओ० पी० एल० से सीमित अनुमत मदों की सूची में डाल दिया गया। इस पर हमें विदेशी मुद्रा कोष से खर्च न करना पड़े इसलिए इस मद को ओ० जी० एल० से निकाल कर 'सीमित अनुमत मदों' के अंतर्गत रखा गया। चूंकि मांग के अनुसार स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए हमें आयात की अनुमति देनी पड़ी। उत्तर में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एक कलैण्डर वर्ष में कुल आवश्यकता का एक तिहाई, जो होने वाली मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, आयात करना पड़ा। हम न तो उदार हैं और न ही अनुदार।

श्री एस० जी० घोलप : श्रीमन मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न का क्या हुआ ? मैंने दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे क्यों नहीं पूछा ? श्री चार्ल्स।

कैथामुक्कु (केरल) में टेलीफोन एक्सचेंज

*438. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम टेलीफोन मंडल के अन्तर्गत कैथामुक्कु टेलीफोन एक्सचेंस कब चालू किया गया था;

(ख) उक्त एक्सचेंज में कितनी नई लाइनें चालू करने का विचार था और वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान वस्तुतः कितनी लाइनें चालू की गई;

(ग) क्या नई लाइनों की संख्या के अनुरूप लिपिक और लेखा कर्मचारियों के पदों के सृजन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) उक्त एक्सचेंस को चालू करने के बाद इसमें कितने नये लिपिक और लेखा कर्मचारी नियुक्त किये गये ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कैथामुक्कु एक्सचेंजों को 5000 लाइनों की क्षमता के साथ 14.11.85 को चालू किया था।

इस एक्सचेंस का 1.3.86 को 5000 लाइनों में आगे विस्तार किया गया।

(ख) 1984-85 के दौरान कैथामुक्कु एक्सचेंज से 4550 लाइनें प्रदान की गई। 18.3.1986 की स्थिति के अनुसार इस एक्सचेंस से 2821 अतिरिक्त कनेक्शन दिये गये। कनेक्टेबल क्षमता 9400 है।

(ग) जी हां।

(घ) इस एक्सचेंस के लिए लिपिकीय और लेखा कर्मचारियों के किसी नए पद का सृजन नहीं किया गया। इस कार्य के लिए त्रिवेन्द्रम टेलीफोन जिले के मौजूदा कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को इस काम के लिए भेजा गया है।

श्री ए० चार्ल्स : माननीय मन्त्री जी के उत्तर को पढ़ने से कुछ भ्रान्ति होती है :

(क) "कैथामुक्कु एक्सचेंज को 5000 लाइनों की क्षमता के साथ 14.11.85 को चालू किया गया था। इस एक्सचेंस का 5000 लाइनों में आगे विस्तार किया गया।" यह 10,000 होने चाहिए।

(ख) "1984-85 के दौरान केथामुक्कु एक्सचेंज से 4,500 लाइनें प्रदान की गई।" यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें पहली 5000 लाइनें भी शामिल हैं। ऐसा लगता है ये भी इसमें शामिल होगी। "18.3.86 की स्थिति के अनुसार इस एक्सचेंस से 2,821 अतिरिक्त कनेक्शन दिये गये।" कुल 12,821 होने चाहिए। कुल कनेक्टेबल क्षमता केवल 9400 है। इसलिए यह संदेहयुक्त है कि जब कि 9,400 कनेक्शन की क्षमता है तो 12,821 कनेक्शन कैसे दिये जा सकते हैं।

मैं माननीय मन्त्री को यह बताना चाहता हूं कि कनेक्शन देने की क्षमता राजधानी शहर त्रिवेन्द्रम की आवश्यकता के अनुसार बहुत कम है। 1983 में पंजीकृत किए गए आवेदन भी अभी तक लम्बित हैं।

क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए 1986-87 में कदम उठाये जायेंगे कि 1984 के अन्त तक पंजीकृत सभी आवेदकों को त्रिवेन्द्रम एक्सचेंज से कनेक्शन मिल जाये।

श्री रामनिवास मिर्धा : त्रिवेन्द्रम टेलीफोन जिला में तीन एक्सचेंस हैं जिनकी क्षमता 20,200 लाइनों की है और 16,400 कनेक्शन काम कर रहे हैं और प्रतिक्षा सूची लगभग 5,500 लाइनों की है। हमने त्रिवेन्द्रम की क्षमता बढ़ाने के लिए जो कर सकते थे वह सब किया है और जैसा कि मैंने अपने उत्तर के भाग (क) में उल्लेख किया था हमने 5000 क्षमता की लाइनें इसमें जोड़ी हैं। जो कि 1984 में चालू की गई थी और हमने इसके तुरन्त बाद मार्च,

इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है परन्तु उसे कहीं और भेजा जा रहा है तथा हाल ही में क्या इस बारे में सी० बी० आई० ने कुछ छापे मारे थे और यदि हां तो इन छापों के क्या परिणाम निकले ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, जब तक मेरे पास तथ्य नहीं हैं तब तक यह मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं सी०बी०आई० की ओर से उत्तर दूं। परन्तु, हम इस पहलू को ध्यान में अवश्य रखेंगे और यह देखेंगे कि रद्दी कागज का जब कभी छपाई के कागज के उत्पादन में उपयोग करने के लिए आयात किया जाये तो उसका उचित रूप से उपयोग हो तथा उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए यह बना है हम इस विशेष पहलू पर भी विचार करें।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पेपर इण्डस्ट्री में जो हाथ से बनने वाला कागज है वह आज संकट की स्थिति में पहुंच गया है। सांगानेर और मन्त्री जी के प्रदेश के कालपी में हाथ से बनने वाला कागज काफी तादाद में बनता है और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जो नयी एक्साइज ड्यटी लगी है उसका परिणाम यह होगा कि यह उद्योग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो क्या मन्त्री जी इस संबंध में विचार करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : अवश्य श्रीमन्। जहां तक हाथ के कागज के उद्योग का संबंध है, विद्वान सदस्य ने जो कहा वह प्रश्न महत्व का है, चाहे सांगानेर हो, कालपी हो या किसी प्रदेश का कोई अन्य भाग हो, जहां भी यह समस्या है वहां खादी ग्रमोद्योग कमीशन हाथ से बने कागज से सम्बन्धित प्रश्नों के समाधान करने का प्रयास करता रहा है। खादी कमीशन ऐक्ट के शेड्यूल, अनुक्रमणिका में भी इसका उल्लेख है। ऐसा हमारा प्रयास होगा और जो समिति सचिव, औद्योगिक विकास के संयोजकत्व में बनी है, उससे भी कहेंगे कि इस प्रश्न पर वह विचार करे और शीघ्रातिशीघ्र आख्या दे। खादी कमीशन से भी कहा जायेगा और जहांतक एक्साइज ड्यूटी का सम्बन्ध है, सामान्यतः हाथ से बने कागज पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती है परन्तु यदि एक्साइज के प्रावधानों का हाथ से बने कागज पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो में अवश्य इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री परामर्श करूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जब मंत्री जी यहां उद्योग मन्त्री थे तब खोई से कागज बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में मेरे जिले में कागज को बनाने के लिए एक लाइसेंस लम्बित था। बाद में जब माननीय मन्त्री उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री होकर चले गए थे तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण में उन्होंने बहुत मदद की। वहां खोई से कागज बनाने की उपेक्षा क्यों की गई है ?

मेरे प्रश्न का भाग (ख) भी है। स्वर्गीय प्रधानमन्त्री के कार्यालय से अनुदेश थे कि कार्यालयों में हस्तनिर्मित कागज का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या इस आदेश को अभी भी क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहां तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जिनमें देवरिया शामिल है खोई कागज संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव का संबंध है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के लिए संभाव्यता रिपोर्ट हिंदुस्तान कागज निगम ने तैयार की थी परन्तु संसाधनों की विवशता के कारण इन प्रस्तावों को सातवीं योजना में सरकारी क्षेत्र में नहीं लिया जा सकता। अब हमने खोई पर आधारित कागज के उत्पादन के लाइसेंस देने बंद कर दिए हैं। खोई पर आधारित कागज संयंत्र की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। हमने उसके लिए प्रोत्साहन दिया है और यह देखने की हमारी कोशिश होगी कि जब कहीं भी खोई का उत्पादन है चाहें महाराष्ट्र हो या आंध्र या पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसका उपयोग किया जाए। हम इस बारे में उदार हैं ताकि इसका उपयोग किया जा सके। समस्या यह है कि कोयले सप्लाई कम होने के कारण चीनी मिलें अपने बोयलरों के लिए खोई का उपयोग करना चाहते हैं। यह मुख्य समस्या है इसलिए कागज उत्पादन के लिए खोई उपलब्ध नहीं है। श्रीवास्तव समिति जिसका गठन पहले ही किया जा चुका है निश्चय ही इस मामले को भी देखेगी।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में क्या उत्तर है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : वह प्रश्न लेखन सामग्री की सप्लाई के बारे में है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह मेरे विभाग से सीधा सम्बन्धित नहीं है।

श्री सुरेश कुरुप : बिड़ला के स्वामित्वाधीन ग्वालिर रेयन की केरल स्थित हिन्दुस्तान न्युजप्रिंट लिमिटेड के लिए नियत कच्चा माल बेचने का तथा हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि० आयातित लुगदी के आधार पर चलाने का केरल सरकार ने जो प्रस्ताव किया है वह बहुत गंभीर बात है। यह समाचार स्थानीय समाचार पत्रों में छपा है। जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ यूनियनों ने वहां माननीय मन्त्री के कुछ ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं इस बारे में एक विशेष नोटिस चाहूंगा। यह प्रश्न अलग से है।

न्यायिक सुधार

*436. **श्री लो० माधव रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक सुधार के मामले में, विधि आयोग को सौंपे गये अध्ययन के अतिरिक्त सरकार का विचार जन-हितकारी संस्थाओं और विधिज्ञ परिषदों आदि को भी अपने-अपने विधि क्षेत्रों में सहायता करने के लिये सहबद्ध करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) (क) और (ख) विधि आयोग को न्यायिक सुधार सम्बन्धी कार्य का अध्ययन करने और उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित विषय सौंपे गये हैं :

(i) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायायय में कार्यभार की मात्रा घटाने के लिए न्याय प्रशासन प्रणाली में उचित उपांतरण करके, अर्थात, न्याय पंचायतें स्थापित करके, भागीदारी न्याय पद्धति आरंभ करके और सोपानबद्ध न्यायिक प्रणाली में अन्य पंक्ति/तंत्र की स्थापना करके न्यायिक प्रशासन प्रणाली के पुनर्विलोकन और विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता।

(ii) विलंब और अनावश्यक मुकदमेबाजी समाप्त करने के लिए प्रक्रियात्मक विधियों का सरलीकरण।

(iii) मुकदमेबाजी के खर्च को कम करना ; और

(iv) ऐसे अन्य विषय, जैसे, विभिन्न अधिकरणों (सेवा अधिकरणों को छोड़कर) की स्थापना की आवश्यकता, अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति के ढंग, न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, विधि-वृत्ति की भूमिका, सरकारी मुकदमे और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन।

आयोग निस्संदेह विधिज्ञ परिषदों और बार एसोसिएशनों जैसे प्रतिनिधि निकायों, बार और जनता के प्रतिष्ठित सदस्यों तथा न्यायालयों और विधि के शैक्षिक कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के विचारों की समीक्षा करेगा और उन्हें अभिनिश्चत करेगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, पिछले कुछ समय से न्यायिक सुधारों की समस्या की ओर सरकार ध्यान दे रही है। और इसके लिए एक अलग आयोग, एक न्यायिक सुधार आयोग, बनाने का प्रस्ताव था। लेकिन अब यह कार्य विद्यमान, विधि आयोग को सौंप दिया गया है। इस आयोग पर पहले ही अन्य कार्यों का, जिनके लिए इसका गठन हुआ था, बहुत बोझ है। इन तथ्यों को देखते हुए कि कचहरीयों में काम का बहुत बोझ है और न्यायिक सुधारो की अविलम्ब बहुत आवश्यकता है, मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा यह देखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ? कि यह आयोग जिस पर दूसरे काम का अधिक भार है, अपना अध्ययन पूरा करे और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और यह देखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हे कि इस आयोग को और अधिक कर्मचारी दिए जाएं है। क्योंकि वर्तमान कर्मचारीगण अतिरिक्त काम को निपटाने के लिए पर्याप्त नहीं है और क्या आयोग द्वारा पहले ही जनता के सुझाव व टिप्पणीयां आमन्त्रित करने के लिए कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, न्यायिक सुधारो का काम विधि आयोग को सौंपा गया है। ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि न्यायिक सुधारो के कार्य को ताक पर रख दिया गया है। हमने न्यायिक सुधारों को प्राथमिकता दी है और हमने न्यायमूर्ति श्री डी० ए० देसाई

से, जो विधि आयोग के अध्यक्ष है, न्यायिक सुधारों का अध्ययन करने का भी अनुरोध किया है। विधि आयोग न्यायिक सुधारो का काम पहले ही शुरू कर चुका है और यह ठीक नहीं है कि विधि आयोग पर किसी काम का अधिक बोझ हो। कुछ विशिष्ट विषय ही विधि आयोग को दिए जाते हैं। और उन विषयों की प्राथमिकता में हमने न्यायिक सुधारो को प्राथमिकता दी है और यदि मैं सही हूं तो न्यायिक सुधारो का काम पहले ही शुरू हो चुका है उन्होंने इसका गंभीर अध्ययन किया है और मैं सोचता हूं न्यायमूर्ति डी० ए० देसाई पहले ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में चार या पांच कार्यशालाएं लगा चुके हैं। कम से कम राजस्थान विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और एक दूसरा विश्वविद्यालय जहा मैं स्वयं उपस्थित था के बारे में मैं जानता हूं और मैं सोचता हूं कि जहां तक प्रारम्भिक काम की बात है उन्होंने अच्छी प्रगति की है। जहां तक इसके दूसरे पहलुओं का प्रश्न है उन्होंने अधिक कर्मचारियों की मांग की थी और हम तुरन्त ही कर्मचारी दे रहे हैं और हम देश में न्यायिक सुधारों का सूत्रपात करने में उनका सहयोग देंगे क्योंकि हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया था।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या इस आयोग के विचारार्थ विषयों में लोकहित मुकदमों के तथाकथित बढ़ते हुए निर्णय कानून भी आते हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, इसके विचारार्थ विषय मैं विस्तार से पढ चुका हूं। इसके विभिन्न पहलू हैं। न्यायिक प्रणाली का विकेन्द्रीकरण स्वयं एक विस्तृत विषय है प्रश्न यह है कि इस स्तर पर हम कितनी अनुमति दे सकते हैं क्योंकि बड़ी समस्या निम्न स्तर पर मुकदमेबाजी की है। आप न्यायालयों में जाइए वहां बहुत भीड़ होती है।

इस प्रकार हमें यह देखना है कि कैसे इस भीड़ को कम किया जाए और यदि निचले स्तर के न्यायालयों में बकाया काम कम हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से अपील और दूसरी बातों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार इस पहलू पर एक आवश्यक उपाय के रूप में विचार किया जा रहा है।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि मैथ्यू आयोग ने उच्चतम न्यायालय की एक अलग संविधान पीठ की स्थापना की सिफारिश की थी यदि हां तो क्या यह सिफारिश भारत सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गई है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैथ्यू आयोग ने इस प्रकार का एक सुझाव दिया था और मैं विभिन्न अवसरों पर पहले भी कह चुका हूं कि इस मामले को भारत के मुख्य न्यायधीश को भेजा गया था और आरम्भ में भारत के मुख्य न्यायधीश कुछ अनिच्छुक थे। अब हमने इस पर विचार करने के लिए फिर उनसे अनुरोध किया है।

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, माननीय मन्त्री जी विभिन्न अवसरों पर कह चुके हैं कि न्यायालयों के कार्यों में प्रभावशाली ढंग से सुधार किया जायेगा। मैं माननीय मन्त्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। वास्तव में समस्या यह है कि न्यायालयों में भीड़ होती है और मुकदमों

1986 में, 5000 लाइन और जोड़ी जो इस थोड़े से समय में बहुत बड़ा सुधार है। जैसा कि मैंने कहा है कि एक प्रतीक्षा सूची है मैं नही समझता पूरी प्रतीक्षा सूची निकट भविष्य में पूरी की जा सकती है।

श्री ए० चार्ल्स : भाग (ग) का उत्तर 'हां' है और भाग (घ) का उत्तर भाग (ग) के उत्तर के विपरीत है।

जब नया कैथामुक्कु एक्सचेंज चालू किया गया तब निश्चय ही नई लाइनों की अनुमति दी गई थी लेकिन इसके अनुरूप कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं दी गई। यह निर्धारित मानदण्डों के विपरीत था। यह शिकायत प्राप्त हुई है कि कर्मचारियों के पास अधिक काम है और पूरा प्रशासन इससे प्रभावित है और टेलीफोन बिल उचित समत पर नहीं भेजे गये। और टेलीफोन निर्देशिका भी आधुनिकतम नहीं की गई।

क्या मैं—माननीय मन्त्री से जान सकता हूं मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त कर्मचारियों को उपलब्ध करवाने के लिए कौन से उपाय किये हैं अगर ऐसा संभव नहीं है तो इसके विकल्प में कम से कम माननीय मन्त्री को यह आश्वासन देना चाहिए कि त्रिवेन्द्रम एक्सचेंज के उचित प्रशासन में कर्मचारियों की कमी बाधा नहीं बनेगी।

श्री रामनिवास मिर्धा : इन लिपिकीय पदों और व लेखापालों के पदों के सृजन हेतु मानदण्ड उपलब्ध हैं और इन मानदण्डों के अनुसार इस एक्सचेंज में इन अतिरिक्त लाइनों के चालू हो जाने के बाद लिपिकीय और लेखापालों के कुछ और पदों का सृजन न्यायसंगत था। लेकिन अब नये पदों की भर्ती पर प्रतिबन्ध है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हमारे कर्मचारी दूसरे एक्सचेंजों में बंटे रहे हैं और स्टाफ की कमी होने पर भी काम वैसा ही हो रहा है।

मैं फिर से इस पूरे मामले को देखूंगा और कम से कम आवश्यक सेवाएं जैसा कि बिल आदि उचित प्रकार से बनें और कर्मचारियों की कमी की वजह से बिना कारण उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।

रामसिंह यादव : एस० टी० डी० कालेस का अधिक बिल आने की बहुत सी शिकायतों को देखते क्या माननीय मन्त्री महोदय बिजली के मीटर की तरह टेलीफोन का भी अपना-अपना अलग मीटर लगाने के बारे में विचार करेंगे ? क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन्होंने कोई ऐसी योजना तैयार की है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह प्रश्न सदन में पहले भी उठाया गया है और मैंने बताया है कि कुछ तकनीकी कारणों और लाइनों की कमी के कारण ग्राहकों को व्यक्तिगत मीटर देना संभव नहीं है लेकिन बाजार में कुछ यन्त्र उपलब्ध हैं जिन्हें हमारे विभाग ने ग्राहकों के उपकरण से साथ लगाने के लिए मंजूरी दे दी है और उनका वे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उन्हें पता लगे कि एक विशेष एस० टी० डी० काल में वह कितना समय लगा रहे हैं।

दूर संचार सेवाओं के लिए मशीनों का आयात

*440. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से दूर संचार सेवाओं के लिए मशीनों का आयात किया जा रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश से हर वर्ष (एक) किस प्रकार की मशीनों का आयात किया गया तथा (दो) मशीनों के आयात पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या दो विभिन्न देशों से एक ही प्रकार की मशीनों का आयात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिछले तीन वर्षों से विभिन्न देशों से जो उपस्कर आयात किए जा रहे हैं, उनकी किस्म और उनके मूल्य को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

(ख) जी हां।

(ग) अपेक्षित उपस्कर आमतौर से प्रतियोगी मूल्यों के अलावा अन्तरराष्ट्रीय ऋण मिल जाने, द्विपक्षीय क्रेडिट और स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखकर अत्यधिक लाभप्रद स्रोतों से प्राप्त किया जाता है ।

विवरण

आयातित उपस्करों का ब्यौरा

देश : जापान

एफ० ओ०बी० राशि (मिलियन) येन

क्र० सं०	उपस्कर की किस्म	1983-84	1984-85	1985-86
1.	टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपस्कर	40.8	1386.92	3100.42
2.	लम्बी दूरी के मीडिया के लिए उपस्कर	26.42	3962.80	670.01
3.	उपग्रह प्रणाली के लिए उपस्कर	577.5	103.74	326.51
4.	जांच उपस्कर	147.0	70.69	412.24
5.	भूमिगत टेलीफोन केबिल	49.25	61.69	—
	योग	840.97	5585.84	4509.18

देश : संयुक्त राज्य अमरीका

(यू० एस० ए० एफ० ओ०बी० अमरीकी मिलियन डालर में)

	1983-84	1984-85	1985-86
1. टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपस्कर	0.90	—	0.03
2. लंबी दूरी के मीडिया के लिए उपस्कर	1.06	0.68	—
3. उपग्रह प्रणाली के लिए उपस्कर	—	—	0.41
4. जांच उपस्कर	0.62	0.97	3.15
5. भूमिगत टेलीफोन केबिल	—	—	—
योग :	2.58	1.65	3.59

देश : स्वीडन

(एफ० ओ० बी० राशि स्वीडन मिलियन क्रोन में)

1. टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपस्कर	—	3.07	—
2. लंबी दूरी के मीडिया के लिए उपस्कर	0.03	—	—
3. जांच उपस्कर	—	0.06	—
योग :	0.03	3.83	—

देश : फ्रांस

(एफ० ओ० बी० राशि फ्रांस मिलियन फ्रैंक में)

1. टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपस्कर	381.68	148.24	24.15
2. लंबी दूरी के मीडिया के लिए उपस्कर	18.80	42.14	1.96
3. जांच उपस्कर	0.02	1.06	—
योग :	400.50	191.44	26.11

देश : यू० के०

(एफ० ओ० बी० राशि मिलियन पौंड स्टरलिंग में)

	1983-84	1984-85	1985-86
1. टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपस्कर	0.05	—	0.27
2. लंबी दूरी के मीडिया के लिए उपस्कर	—	—	0.02
3. जांच उपस्कर	0.08	0.01	0.43
योग :	0.13	0.01	0.72

देश : हालैंड

(एफ० ओ० बी० मिलियन एच०एफ०एल० में)

1. टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपस्कर	—	—	15.4
2. लंबी दूरी के मीडिया के लिए उपस्कर	—	14.09	2.4
3. जांच उपस्कर	0.12	—	—
4. भूमिगत टेलीफोन केबिल	—	0.58	—
योग :	0.12	14.67	17.8

देश : स्वीटजरलैंड

(एफ० ओ० बी० राशि मिलियन स्विटजरलैंड फ्रैंक में)

1. टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपस्कर	—	—	0.04
2. लंबी दूरी के मीडिया के लिए उपस्कर	0.03	0.08	0.15
3. उपग्रह प्रणाली के लिए उपस्कर	0.93	—	—
योग :	0.96	0.08	0.19

देश : जर्मन संघीय गणराज्य (पश्चिमी जर्मनी)

(एफ० ओ० बी० मिलियन डी० एम० में)

	1983-84	1984-85	1985-86
1. टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपस्कर	—	0.70	14.00
2. लंबी दूरी के मीडिया के लिए उपस्कर	2.75	0.09	0.97
3. जांच उपस्कर	0.83	0.13	—
4. भूमिगत टेलीफोन केबिल	5.75	6.00	0.18
योग :	9.33	6.92	15.15

देश : हंगरी

(एफ० ओ० बी० राशि मिलियन अमरीकी डालर)

1. लंबी दूरी के मीडिया के लिए उपस्कर	0.14	—	—
योग :	0.14	—	—

देश : कनाडा

(एफ० ओ० बी० राशि मिलियन कनाडा डालर में)

1. लंबी दूरी के मीडिया के लिए उपस्कर	0.04	—	—
योग :	0.04		

देश : यूगोस्लाविया

(एफ० ओ० बी० राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

1. भूमिगत टेलीफोन केबिल	1.12	—	—
योग :	1.12	—	—

देश : डेनमार्क

(एफ० ओ० बी० राशि मिलियन डेनमार्क के आर में)

	1983-84	1984--85	1985-86
1. भूमिगत टेलीफोन केबिल	—	0.86	—
योग :	—	0.86	—

देश : दक्षिण कोरिया

(एफ० ओ० बी० राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

1. भूमिगत टेलीफोन केबिल	—	—	11.5
योग :	—	—	11.5

देश : बेल्जियम

(एफ० ओ० बी० राशि मिलियन बेल्जियम फ्रैंक में)

1. टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपस्कर	—	—	99.54
योग :	—	—	99.54

देश : इटली

(एफ० ओ० बा० राशि मिलियन लीरा में)

1. लंबी दूरी के मीडिया के लिए	—	—	3340.00
योग :	—	—	3340.00

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : समय कम रह गया है इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं। ...(व्यवधान) आप मेहरबानी करके यह बताने का कष्ट करें कि इन्टरनेशनल लोन के आधार बाइ-लेटरल क्रेडिट्स के आधार पर और फ्री फारेन एक्सचेंज के आधार पर किन-किन देशों से आपने मशीनें आयात की हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो लिखा हुआ है।

श्री राज निवास मिर्धा : जो स्टेटमेंट मैंने सभा पटल पर रखा है, उसमें लिखा है कि

हर देश से कितना-कितना सामान किस-किस प्रकार का आयात किया गया। इसका पूर्ण विवरण सभा पटल पर रखा है।...(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि किस आधार पर। आपने जो क्वेश्चन का जवाब दिया है, वह जवाब नहीं है। यूं तो आप हाऊस को तो गुमराह करेंगे नहीं।..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ डागा जी को करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह था कि इन्टरनेशनल कम्पीटीटीव प्राइसेस पर, इन्टरनेशनल लोन पर, बाइ-लेटरल क्रेडिट्स पर और फ्री फारेन-एक्सचेंज पर किन-किन कंट्रीज से आपने यह सौदा किया है। मैं, यह नाम पूछना चाहता हूं। सीधा सा मेरा पहला प्रश्न है।

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने प्रश्न "सी" के भाग में यही कहा है कि तीन-चार तरीके से हम बाहर से सामान मंगाते हैं। एक तो इन्टरनेशनल टेन्डर करके, दूसरा बाइ-लेटरल एग्रीमेंट किसी देश के साथ हो तो उससे करके और तीसरा फ्री-फारेन एक्सचेंज हमारे पास है। हर देश का मैंने बताया है। माननीय सदस्य, इससे ज्यादा और क्या जानना चाहते हैं। इन्हीं तीन-चार तरीकों से विशेष रूप से हम सामान मंगाते हैं और सब तरीके से सबके सामने बात जाती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आइन्दा डागा जी से पूछकर मंगा लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : और क्या जवाब दे सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : विदेशों से जो आप मशीनें मंगाते हैं क्या उनके साथ अलग-अलग देशों से अलग-अलग टैक्नोलाजिस्ट्स भी यहां पर आते हैं और अलग-अलग मशीनों को आपरेट करने के लिए आपको किन कंट्रीज की सेवाएं लेनी पड़ती हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कार उद्योग में विदेशी सहयोग संबंधी आवेदन-पत्र

*431. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार निर्माताओं द्वारा विदेशी सहयोग संबंधी कोई आवेदन-पत्र बहुत समय

से सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन आवेदन-पत्रों को इतने लम्बे समय तक स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन आवेदन-पत्रों को यथाशीघ्र उन मान्य सिद्धान्तों के आधार पर जिन पर हाल ही में कुछ आवेदन-पत्रों की स्वीकृति दी गई है, स्वीकृति दी जायेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। कुछ आवेदन अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) और (ग) विदेशी सहयोग के मानदंडों और मोटरगाड़ी क्षेत्र से संबंधित अन्य पहलुओं पर सरकार विचार कर रही है।

"सोडा एश" का असीमित आयात

*433. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में "सोडा एश" की अप्रत्याशित भरमार हो गई है;

(ख) क्या फरवरी, मार्च, 1985 में किसी समय "सोडा एश" का अनियंत्रित आयात किए जाने के कारण देश में "सोडा एश" के भंडार में असामान्य वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या आयातित "सोडा ऐश" सस्ता है; और

(घ) यदि हां, तो कितना सस्ता है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में सोडा ऐश के भंडार में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यायालय कार्यवाही की भाषा

*434. **श्री चम्पन थामस** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों की कार्यवाही में भाषा के प्रयोग के संबंध में उच्च न्यायालयों तक विभिन्न न्यायालयों में कोई कठिनाई महसूस की गई है;

(ख) इन न्यायालयों में प्रयोग की गई मुख्य भाषा कौन सी है; और

(ग) क्या कोई ऐसी तारीख निश्चित करने का प्रस्ताव है जिस तक वे न्यायालय अपना कार्य अपने राज्य की भाषा में करना आरम्भ कर देंगे ?

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 348(1) में यह कथित है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। संसद ने इस शक्ति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम, 1963 अधिनियमित किया, इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा परन्तु यदि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है तो उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा। अनुच्छेद 348 के खंड (2) की रूपरेखा वैसी ही है जैसी कि उक्त अधिनियम की धारा 7 के पहले भाग की है। यह किसी राज्य के राज्यपाल को, उक्तअनुच्छेद के खंड (1) (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह शक्ति देता है कि वह राज्य उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा से भिन्न, उसकी किन्हीं कार्यवाहियों में हिन्दी या किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। अभी तक, चार उच्च न्यायालयों को, अर्थात्, इलाहाबाद, पटना, राजस्थान और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को, अपनी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी में करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। सभी अन्य न्यायालय अपनी कार्यवाहियां अंग्रेजी में करते हैं।

जहां तक कि निचले न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का संबंध है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 137 और धारा 138 सिविल न्यायालयों में और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 272 दांडिक न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में है। ये समर्थकारी उपबंध हैं, जो राज्य सरकार को, इन न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा अवधारित करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

(ग) उपरोक्त विधिक उपबंधों से प्रकट होता है कि इस विषय में पहल सम्बद्ध राज्यों को करनी होती है। अतः विभिन्न राज्यों के न्यायालयों की भाषा में परिवर्तन करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित करना साध्य नहीं है।

[हिन्दी]

विंड टर्बाइनों (वायु चक्रों) की स्थापना

*435. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलिफोर्निया की तरह भारत में विंड टर्बाइन (वायु चक्र) स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो क्या इन्हें हमारे देश के लिए उपयुक्त पाया गया है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में देश में कितनी विंड टर्बाइन (वायु चक्र) स्थापित करने का विचार है और उन पर कितनी लागत आएगी;

(ग) इन टर्बाइनों की क्षमता कितने मेगावाट की होगी; और

(घ) क्या अनेक गैर-सरकारी कम्पनियां ऐसे टर्बाइनों का निर्माण कर रही हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गुजरात में मांडवी (1 मे० वा०) और ओखा (550 कि०वा०) तथा तमिलनाडु में तूतीकोरिन (550 कि० वा०) के तीन पवन फार्म पहले ही कार्यचालन में हैं और ये संबंधित राज्य ग्रिडों को विद्युत प्रदान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देवगढ़ तथा ओखा में पुरी में प्रत्येक 550 कि० वा० क्षमता के दो और पवन फार्म शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे।

पहले से चल रही परियोजनाओं की क्षमता को बढ़ाने के अलावा कई और परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है तथा सातवीं योजना में पूरे कार्यक्रम को पर्याप्त मात्रा में विकसित करने का प्रस्ताव है। परियोजनाओं की संख्या और क्षमता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

कुछ कम्पनियां निर्माण को शीघ्र ही शुरू करने के लिए प्रस्ताव कर रही हैं; पवन जनित्रों सहित अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे।

[अनुवाद]

सातवीं योजना के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनायें

*439. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई नई योजना आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सातवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र के लिए कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लागू किए जाने वाले खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम निरन्तर चल रहे वाले कार्यक्रम हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का देश के 20 चुने हुए जिलों में सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन चुने हुए जिलों के प्रत्येक ब्लाक में कम से कम 2 नए माडल चरखा सेट और 200 ग्रामोद्योग एकक स्थापित करना है। जिलों के चुनाव का आधार गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सूखा से प्रभावित होने वाले जिले, राजस्थान में रेगिस्तानी जिले, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातियों वाले जिले, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में पिछड़े जिले तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र होंगे।

इसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डिप्ड लेटक्स उत्पादन बनाने तथा सुपारी के परिष्करण हेतु नई योजनाएं हाथ में लेने और लागू करने का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए सहायता के प्रकार आदि को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

नमक बनाने वाली छोटी इकाइयों में संकट

*441. **श्री तारिक अनवर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नमक ले जाने के लिए रेल वेगनों की कमी के कारण कच्छ में नमक बनाने वाली 130 छोटी-छोटी इकाइयां जबरदस्त संकट में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इन इकाइयों के लिए रेल वैगनों की शीघ्र व्यवस्था करने के लिए रेल विभाग से अनुरोध किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन इकाइयों के बन्द होने से कितने व्यक्तियों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है और वर्षा के दौरान इनको कितना नुकसान होने की सम्भावना है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, कि इन एककों में कार्यरत मजदूर बेरोजगार न हों ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार ने एक समाचार-पत्र में छपा इस आशय का समाचार देखा है कि गुजरात के अन्दर कच्छ में नमक बनाने वाले कुछ छोटे उत्पादक नमक उठाने के लिए रेल के वेगन न मिलने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए नमक आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से रेलवे के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखती है कि देश के सभी क्षेत्रों में नमक लाने ले जाने का काम भलीभांति चल रहा है। हाल ही के वर्षों में कच्छ क्षेत्र मे रेल द्वारा भेजे जाने वाले नमक की मात्रा में वृद्धि हुई है। यह मात्रा वर्ष 1983-84 की 4.3 लाख मी० टन से बढ़कर वर्ष 1984 85 में 5.5 लाख मी० टन हो गई जो 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1986 तक 5.0 लाख मी० टन नमक पहले ही भेजा जा चुका है

जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में 4.6 लाख मी० टन नमक भेजा गया था। फिर भी, नमक आयुक्त ने रेलवे बोर्ड से यह अनुरोध किया है कि संचित भंडार को यथासंभव सीमा तक भेजने के लिए पश्चिमी रेलवे के क्षेत्रीय कोटे को बढ़ा दिया जाए।

(ग) और (घ) वर्ष 1985 में नमक का उत्पादन मांग से कहीं अधिक हुआ है। प्रचलित प्रक्रिया ऐसी है कि कुछ बड़ी पार्टियां छोटे उत्पादकों के उत्पादन को पहले ही खरीद लेती है। इस प्रकार वर्षा हो जाने की स्थिति में लघु उत्पादकों को सीधे ही हानि होने की सम्भावना नहीं रहती।

छोटे नमक उत्पादकों को नमक के उत्पादन के लिए लाइसेंस लेने या उस पर कर देने से छूट प्राप्त है। गुजरात सरकार से अलाभप्रद उत्पादन को प्रोत्साहन न देने के बारे में कहा जा रहा है। छोटे उत्पादकों को भी सहकारी समितियां बनाने नमक की विनिर्माण की पद्धति और किस्म में सुधार करने की सलाह दी जा रही है ताकि उनके उत्पाद के लिए बड़े बाजार की व्यवस्था की जा जा सके।

[अनुवाद]

बम्बई में खाना पकाने की गैस का वितरण

*442. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में खाना पकाने की गैस के वितरण पर समुचित निगरानी रखने के लिए इस समय क्या व्यवस्था विद्यमान है;

(ख) क्या सरकार को गैस की सप्लाई में विलम्ब होने तथा उपभोक्ताओं के अनुरोधों पर उचित कार्यवाही न किए जाने के कारण बम्बई में उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं; और

(च) वर्ष 1985 के दौरान बम्बई में खाना पकाने की गैस से संबंधित दोषी व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) स्थानीय स्तर पर पूर्ण रूप से एल० पी० जी० का काम देखने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त एल० पी० जी० विपणन के पर्यवेक्षण के लिए तेल कम्पनियों के डिवीजनल/रीजनल स्तर के अधिकारियों के अलावा कार्पोरेट स्तर पर पूर्वकालिक महाप्रबंधक भी हैं।

(ख) वैकलाग उत्पन्न होने के कारण बम्बई में एल० पी० जी० उपभोक्ता असुविधा का सामना करते रहे हैं।

(ग) 1985 में तेल कम्पनियों द्वारा प्राप्त 1090 शिकायतों में से 316 सप्लाई में देरी से संबंधित थी।

(घ) (1) दो डिस्ट्रीब्यूटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को अस्थाई तौर से निलंबित किया गया।

(2) 21 डिस्ट्रीब्यूटरों को सचेत/चेतावनी पत्र जारी किए गए और उन्हें अपनी सेवाओं में सुधार लाने को कहा गया है।

पश्चिमी तट पर तेल की खोज

*444. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में इस समय कितनी मात्रा में कच्चा तेल निकाला जा रहा है;

(ख) क्या भारत के पश्चिमी तट पर तेल की खोज के लिए कोई और विस्तार कार्यक्रम हैं; और

(ग) यदि हां, तो नये खोज कार्य किन-किन स्थानों पर किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह): (क) चालू वर्ष (1985-86) के दौरान बम्बई हाई अपतट से 20.61 मिलियन मी० टन क्रूड ऑयल का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) पश्चिमी तट पर तीन बेसिनों यथा बम्बई हाई, कच्छ, सौराष्ट्र और केरल-कोंकण में खनन कार्य को तेज करने का प्रस्ताव है।

सातवीं योजना में छठी योजना के 39 कुओं के मुकाबले 161 अन्वेषी कुओं की खुदाई की योजना है।

पश्चिमी अपतट के 9 ब्लाकों को विदेशी तेल कम्पनियों को अन्वेषण के लिए देने का का प्रस्ताव है।

तपेदिक-रोधी औषधियों का उत्पादन

*445. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तपेदिक-रोधी औषधियों का उत्पादन करने वाली बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता के अनुसार औषधियों का उत्पादन न किये जाने

और कुछ कम्पनियों द्वारा उसका तनिक भी उत्पादन न किए जाने की जानकारी सरकार को है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) तपेदिक-रोधी औषधियों की, जो एक अत्यावश्यक औषधि है, मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :(क)और (ख) फेरा कम्पनियों में से केवल फाईजर को दो तपेदिक निवारक औषधों, पी०ए०एस० और इसके लवण तथा आई०एन०एच० का उत्पादन करने का लाइसेंस प्राप्त है। मैसर्स फाईजर द्वारा 1984-85 में आई०एन०एच० के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया। तथापि, फाईजर द्वारा पी० ए० एस० और इसके लवणों का उत्पादन लाइसेंस प्राप्त क्षमता से कम था जो मुख्यत: इथमबुटोल तथा रिफेम्पिसिन जैसी नयी तपेदिक निवारक औषधों के द्वारा पी० ए० एस० और इसके लवणों के प्रतिस्थापन से उत्पन्न मांग बाधाओं के कारण थी।

(ग) तपेदिक निवारक औषधों की कोई कमी नहीं हुई है। इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने रिफेम्पिसिन, आई० एन० एच०, थियासिटाजोन, पी० ए० एस०, इथमबुटोल और पिराजिनामाइड जैसी अनेक तपेदिक निवारक औषधें गैर-एम० आर० टी० पी०/गैर फैरा-कम्पनियों के लिए लाइसेंस मुक्त कर दी हैं।

सातवीं योजना के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग सुविधा का विस्तार

*446. **श्री चित्त महाता** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत की किन-किन देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध हैं ; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किन-किन देशों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग सुविधा के साथ जोड़े जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग सुविधा भारत के चार महानगरों अर्थात बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली से 11 देशों के लिए सुलभ है। ये देश हैं आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, हांगकांग, इटली, जापान, मलेशिया, नीदरलैण्ड, सिंगापुर और ब्रिटेन।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इस सुविधा (अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायलिंग) को 17 और देशो के साथ शुरू करने का प्रस्ताव है। ये देश हैं बहरीन, ग्रीक, इण्डोनेशिया,

इराक, कुवैत, न्यूजीलैण्ड, नाइजीरिया, ओमान, फिलीपीन्स, कतार, सऊदी अरब, स्पेन, स्विटजरलैण्ड, थाईलैण्ड, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमरीका और जर्मनी (संघीय गणतंत्र)।

सातवीं योजना में तेल शोधक कारखाने

*447. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर**
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ और तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित तेल शोधक कारखानों का (करनाल और मंगलौर के कारखानों सहित) ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) छठी योजना में करनाल तथा मंगलौर में दो ग्रास रूट रिफाइनरियां स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव था।,सातवीं योजना में इनके वित्त पोषण के लिए किए गए प्रयासों से यह पता लगा है कि इन रिफाइनरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में साधनों की कमी आड़े आ रही है। अत: संयुक्त क्षेत्र में इन रिफाइनरियों को लगाने पर अब विचार किया जा रहा है तथा ऐसी संयुक्त भागीदारी के लिये विभिन्न निजी पार्टियों से प्राप्त आफरों की जांच की जा रही है।

2. असम समझौते के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ सरकार "असम में तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए सहमत थी। सरकार निजी क्षेत्र में रिफाइनरी स्थापित करने के लिए संस्थागत तथा बैंक से वित्त पोषण के रूप में सभी सम्भव सहायता देगी।" ऐसी रिफाइनरी की स्थापना की सम्भाव्यता पर किया गया टेक्नो-इकनामिक अध्ययन की रिपोर्ट की सरकार जांच कर रही है।

सौराष्ट्र में खाना पकाने की गैस की कमी

*448. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के अनेक भागों और विशेषकर सौराष्ट्र में खाना पकाने की गैस की कमी है ;



(ग) गुजरात को खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की नियमित पूर्ति को करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित कारणों से सौराष्ट्र के कुछ बाजारों सहित गुजरात के 17 बाजारों में हाल ही में एल० पी० जी० रिफिल की सप्लाई में कुछ बैकलाग आया :

1. सर्दियों के कारण मांग में मौसमी वृद्धि।
2. बी० पी० सी० एल० बम्बई रिफाइनरी में अन्यावश्यक अनुरक्षण कार्य ।
3. एच० पी० सी० एल० की बम्बई रिफाइनरी से सिलिण्डरों के लाने-ले-जाने से संबंधित कभी-कभार होने वाली परिवहन संबंधी समस्याएं।
4. कोयाली और सूरत भरण संयंत्रों पर अपर्याप्त रूप से भरण।
5. कुछ डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा अपर्याप्त इंडेण्ट भेजना।

(ग) बम्बई से एच०पी०सी०एल० की सप्लाई में वृद्धि होने और बी०पी०सी० एल० के अनुरक्षण कार्य के पूरा होने से स्थिति के शीघ्र सामान्य होने की आश है।

बिजली की चोरी के कारण हो रही बिजली की हानि

*449. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की चोरी के कारण हो रही बिजली की हानि की प्रतिशतता का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की चोरी रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली की चोरी की समस्या के निराकरण के लिए अब तक गठित किए गए विशेष आयोगों की रिपोर्टें सभा पटल पर रखने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) पारेषण और वितरण की समूची हानियों में से चोरी के कारण होने वाली बिजली की हानि को अलग करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(ख) पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को

मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बिजली की चोरी को रोकने के लिये आकस्मिक छापे मारने के लिए सतर्कता दलों का गठन करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष आयोग गठित नहीं किया है। इसलिए, विशेष आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दक्षिणी राज्यों में बिजली की चोरी

4044. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों से वर्ष 1985 में बिजली की चोरी संबंधी कोई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) दक्षिणी राज्यों में इस प्रकार कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की बिजली का गैर कानूनी तौर पर उपयोग किये जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) 1985 के दौरान दक्षिणी राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों से केन्द्रीय सरकार को विद्युत की चोरी से संबंधित किसी प्रकार की घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों को पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के साथ-साथ बिजली की चोरी को रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु सतर्कता दलो का गठन करने के लिए भी सुझाव दिया गया है।

पॉलिस्टर फिलामेंट धागे का उत्पादन

4045. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पॉलिस्टर फिलामेंट धागे के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) उन वर्षों में पॉलिस्टर फिलामेंट धागे के उत्पादन में वास्तविक उपलब्धि क्या रही;

(ग) पॉलिस्टर फिलामेंट धागे की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) वर्ष 1986 में पॉलिस्टर फिलामेंट धागे का कुल कितना उत्पादन होने की संभावना है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह):(क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान पोलिस्टर फिलामेंट यार्न का लक्ष्य तथा उत्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन
	(टन)	(लगभग टन)
(i) 1983-84	28,000	48,500
(ii) 1984-85	45,000	55,700
(iii) 1985-86	50,000	65,000 (अनुमानित)

(ग) अलग-अलग राज्यों में 1,35,000 टन की क्षमता के नए संयंत्रों के लिए 8 आशय पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 24.9.1985 की उदारीकृत, नीति के अनुसार, पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के चालू एककों को 15,000 टन/वर्ष के व्यवहार्य आकार तक क्षमता विस्तार की अनुमति दी जाएगी।

(घ) लगभग 75,000 से 80,000 टन।

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० का कार्य-निष्पादन

4046. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० का वर्ष 1985-86 के दौरान बेहतर श्रमिक संबंध तथा प्रबंध व्यवस्था में सुधार के फलस्वरूप कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है ;

(ख) क्या कम्पनी को इस वर्ष अपना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) आगामी वर्ष के दौरान कम्पनी का उत्पादन लक्ष्य कितना होगा और इस प्रयोजन हेतु कितने पूंजीनिवेश (केन्द्रीय सहायता) की योजना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी के अपना 1985-86 का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लेने की संभावना है।

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० का उत्पादन लक्ष्य 18 मिलियन टन निश्चित किया गया है। वर्ष 1986-87 में केन्द्र सरकार द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में रु० 105.59 करोड़ के निवेश की योजना है।

अखबारी कागज के लिए विद्युत शुल्क और वनाधारित कच्चे माल पर रायल्टी बढ़ाना

4047. **श्री एम० डेनिस** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी अखबारी कागज उद्योग ने विद्युत शुल्क में तीव्र वृद्धि और राज्यों द्वारा वनाधारित कच्चे माल पर रायल्टी को चौगुना किए जाने के बारे में शिकायत की थी;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार को कुछ नए एककों द्वारा अखबारी कागज का निर्माण करने से इन्कार करने, और इस तर्क के आधार पर कि अखबारी कागज का निर्माण लाभदायक नहीं है, वे सफेद कागज का निर्माण करने लगे हैं, की समस्या का भी सामना करना पड़ा है, जैसे कि तमिलनाडु में जहां 200 टन प्रतिदिन की क्षमता थी, अखबारी कागज बनाने वाले कारखाने बिजली शुल्क और कच्चे माल की लागत के बढ़ जाने पर अपना उत्पादन क्षेत्र बदल लिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वदेशी अखबारी कागज की किस्म से, जो निरन्तर खराब चली आ रही है, सरकार सन्तुष्ट नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई तकनीकी अध्ययन कराने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम):(क) राज्य सरकारों द्वारा वन पर आधारित कच्चा माल प्राप्त करने के लिए विद्युत प्रशुल्क, रॉयल्टी और कार्यशील लागत में समय-समय पर काफी वृद्धि होती रही है और यही वे विशिष्टि कारक हैं जिनके कारण स्वदेशी अखबारी कागज की उत्पादन लागत बढ़ी है।

(ख) देश में अखबारी कागज बनाने के लिए स्वीकृत की गई अतिरिक्त क्षमता के कार्यान्वयन में विभिन्न कारणों से संतोषजक प्रगति नहीं हुई है। तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड और मैसूर पेपर मिल्स को अखबारी कागज की अपनी क्षमता के अलावा, अन्य किस्म के कागज बनाने के लिए भी लाइसेंस दिए गए हैं और ये मिल अखबारी कागज की अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता का उपयोग नहीं कर रही हैं और अन्य मदों का उत्पादन नहीं कर रही हैं।

(ग) और (घ) अखबारी कागज के विद्यमान एककों द्वारा बनाए जा रहे अखबारी कागज की किस्म संतोषप्रद समझी जाती है। एककों द्वारा किस्म को उन्नत बनाने के लिए स्वयं ही प्रौद्योगिकीय अध्ययन किए गए हैं। अखबारी कागज की प्रमुख विशेषताएं स्याही सोखने की, आरपार न दिखाई देने की क्षमता और छपाई की मशीन पर सुगमता से चल पाना है और ये आवश्यकतानुसार की जाती है।

[हिन्दी]

न्यायालयों में कम्प्यूटर प्रणाली लागू करना

4048. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री लोढा ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में यूरोप, अमरीका, जापान आदि देशों की न्यायिक प्रणाली में प्रचलित कम्प्यूटर सेवा के आधार पर कम्प्यूटर प्रणाली लागू की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव कब दिए गए थे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) न्यायमूर्ति जी० एम० लोढा ने 6 मई, 1985 को कम्प्यूटरीकरण विषय पर एक विनिबंध (मोनोग्राफ) की एक प्रति भेजी थी। यह विनिबंध यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, और जापान न्यायपालिका में कम्प्यूटरीकरण की बाबत उनके अध्ययन पर, आधारित था। इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटर प्रणाली आरम्भ करने की परिकल्पना की गई है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटर प्रणाली आरंभ करने का प्रश्न सरकार के ध्यान में है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के कलाहंडी जिले में केसिंगा कागज परियोजना (केसिंगा पेपर प्रोजेक्ट) को मंजूरी

4049. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा के कलाहंडी जिले में उस क्षेत्र के विशेष रूप से पिछड़े होने और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण वहां प्राप्त की जाने वाली केसिंगा कागज परियोजना के लिए स्वीडन से पुरानी मशीनों के आयात के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गये मामले को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) मेसर्स केसिंगा पेपर मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, की स्वीडन से कागज बनाने वाली पुरानी मशीनों को

आयात करने की प्रार्थना मंजूर नहीं की गई है, क्योंकि सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत कागज बनाने की पुरानी मशीनों के आयात की अनुमति नहीं है।

टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए "इन्सटेंट" योजना आरंभ करना

4050. **श्री आर० एम० भोये** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने प्रयोक्ताओं द्वारा 25,000 रु० जमा कराये जाने पर एक महीने के भीतर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने की एक "इन्सटेंट" योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल की खोज में नार्वे द्वारा सहयोग

4051. **श्री अन्नत प्रसाद सेठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि नार्वे ने तेल की खोज के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई करार किया गया है;

(ग) क्या अन्य देशों ने भी इस क्षेत्र में अपना सहयोग देने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : तेल और गैस हेतु नार्थ कैम्बे तथा कावेरी तटवर्ती बेसिनों में गहन तथा एकीकृत अन्वेषण के लिये सोवियत संघ के साथ एक करार किया गया है। भास्कों का बी/ओ टेक्नोएक्पोर्ट निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार टर्न-की के आधार पर काम करेगा।

	नार्थ कैम्बे	कावेरी
भूकम्पीय सर्वेक्षण	(3100 लाइन कि०मी०)	(4000 लाइन कि०मी०)
खनन कार्य :		
(क) कुओं की संख्या	38	37
(ख) मीट्रेज	81,500	1,22,000
अवधि	1986-92	1986-95

अन्वेषण कार्य की लागत का 70 प्रतिशत भाग सोवियत ऋण से पूरा किये जाने की संभावना है।

पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन

4052. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन के कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उनसे क्या लाभ होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा कोयले की सप्लाई

4053. **श्रीमती विमा घोष गोस्वामी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स भारत कोकिंग कोल लि० के प्रमुख उपभोक्ताओं के नाम क्या है;

(ख) क्या भारत कोकिंग कोल लि० सप्लाई की शर्तों के अनुसार कोयले की सप्लाई नहीं कर रहा है;

(ग) पिछले पांच वर्ष के दौरान भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किए जाने के कारण उपभोक्ताओं द्वारा कितनी रकम की कटौती की गई; और

(घ) अपने उपभोक्ताओं को उचित किस्म के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० के मुख्य उपभोक्ता इस्पात कारखाने और उत्तरी भारत के बिजली घर हैं।

(ख) भा०को०को०लि० सप्लाई की शर्तों के अनुसार कोयला सप्लाई कर रहा है। कभी-कभी ऊपरी सतहों पर बेहतर किस्म की सीमों के क्रमशः समाप्त होते जाने के कारण कोयले की किस्म में कुछ कमी रही है। परन्तु कोयला सप्लाई की किस्म को बेहतर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) पिछले पांच वर्षों में उपभोक्ताओं द्वारा की गई कटौतियां नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	(आंकड़े करोड़ रुपयों में)
1980-81	9.12
1981-82	6.64
1982-83	10.87
1983-84	20.97
1984-85	27.12

(घ) सही किस्म निश्चित करने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं—

(1) कोयला रख-रखाव संयंत्र पूरे करना।

(2) लदान बिन्दुओं पर कड़ी पर्यवेक्षी कार्यवाई।

(3) जहां तक संभव हो रात में लदान नहीं करना।

(4) साईडिंगों पर प्रकाश की बेहतर व्यवस्था।

(5) वाशरियों को अप-ग्रेड करना।

(6) उपभोक्ताओं को कोलियरी में लदान स्थल पर ऐसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना जिससे वे कोयले के प्रेषण के पहले लदान का प्रबंध देख सकें।

ऊर्जा की मांग और पूर्ति की स्थिति

4054. **श्री सी० गंगा० रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के अंत तक विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की अनुमानित मांग और पूर्ति की स्थिति क्या होगी;

(ख) क्या ऊर्जा की मांग की तुलना में कोयला पैट्रोलियम परमाणु पन बिजली आदि विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की उत्पादन की भागीदारी का अल्प/दीर्घकालिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए व्यापक ऊर्जा संयंत्र तैयार किए गए हैं; और

(ग) मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए क्या प्रशासनिक और वित्तीय कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) संसद के पटल पर रखे गए सातवीं योजना संबंधी दस्तावेज में योजना आयोग द्वारा शताब्दी के अन्त तक की अवधि के लिए ऊर्जा कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों को शामिल किया गया है। 1989-90 में, कोयला प्रतिस्थापन की मिलियन टन मात्रा के सन्दर्भ में कोयले, तेल तथा बिजली का संबंधित हिस्सा 17.7%, 45.6% तथा 36.7% होगा।

(ग) प्रशासनिक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं—पहले से प्रतिष्ठापित क्षमताओं तथा उपयोग किए जाने वाले उपस्करों की उत्पादन कार्य-कुशलता में वृद्धि कराना, ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण सहित ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपाय करना। वित्तीय उपायों के संबंध में यह महसूस किया गया है कि आठवीं योजना में वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए विद्युत, कोयला आदि जैसे क्षेत्रों में नयी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक हो सकता है। अर्थव्यवस्था में प्रगति को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना तथा समीक्षाओं और सातवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय इस संबंध में निर्णय किया जा सकता है।

विवरण

सातवीं योजना संबंधी दस्तावेज के अनुसार सातवीं योजना के अन्त में ऊर्जा के विभिन्न रूपों के संबंध में मांग तथा सप्लाई की अनुमानित स्थिति

	मांग	सप्लाई
विद्युत	223.23 बिलियन यूनिट	223.23 बिलियन यूनिट
कोयला	227 मिलियन टन	226 मिलियन टन (उत्पादन) (+)11 मिलियन टन (आयात भण्डारों में परिवर्तन)
पेट्रोलियम पदार्थ	52.00-52.67 मिलियन टन	45.06-45.47 मिलियन टन (उत्पादन) (+) 6.94—7.20 मिलियन टन (आयात)

उड़ीसा में नए टेलीफोन एक्सचेंज, डाक घर और तार घर खोलना

4055. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर उड़ीसा के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में नए टेलीफोन एक्सचेंज, इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर और तारघर खोलने के लक्ष्य क्या हैं; और

(ख) उड़ीसा में सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में, कितने टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर और तारघर खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा के जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में कम क्षमता वाले एक्सचेंज तथा तारघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इनके लिए मांग दर्ज हो तथा टेलीफोन एक्सचेंज और तारघर खोलने के लिए निर्धारित शर्तें पूरी होती हों। एक्सचेंज और डाकघर खोलने के लक्ष्य वर्ष प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) सातवीं योजना के पहले वर्ष में 25 नए एक्सचेंज तथा 92 तारघर खोलने का प्रस्ताव है। पदों के सृजन पर लगी रोक के कारण 52 नए डाकघर खोलने संबंधी प्रस्ताव को कार्यरूप नहीं दिया जा सका।

सातवीं योजना में कोयले का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव

4056. **श्री पूर्ण चंद्र मलिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना में कोयले के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1984-85 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 152 मिलियन टन था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 226 मिलियन टन है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की योजना बनाई गई है :—

(1) वर्त्तमान खान का नवीकरण

(2) विशाल भंडारों वाली खानों का बृहत पुनर्निर्माण

(3) नई खानें खोलना।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं का आयात

4057. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में कुछ ऐसे मामले आए हैं कि आयात नीति को उदार बनाने के पश्चात् सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों ने विदेशी कम्पनियों को पूंजीगत माल का आर्डर देना आरम्भ कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत माल बनाने वाली स्वदेशी कम्पनियों को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और **(ख)** सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा पूंजीगत सामान का आयात किए जाने की अनुमति सामान्यतः स्वदेशी प्रस्तावों और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की विशिष्ट तकनीकी और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने की स्वदेशी निर्माताओं की क्षमता को ध्यान में रखने के बाद ही दी जाती है।

डाक और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास

4058. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था करने हेतु कोई विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक डाक मण्डल दूरसंचार मण्डल और जिला के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए कितना आबंटन किया गया है;

(ग) इस समय प्रत्येक प्रशासनिक एकक में आज तक कितने लोगों को मकान आबंटित कर दिए गए हैं और योजना के अन्त तक कितने लोगों को मकान आबंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) डाक : सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1985-86 में डाक कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने के उद्देश्य से जो धनराशि आबंटित की गई है, वह

संलग्न विवरण-एक में दी गई है। प्रत्येक डाक सर्किल को 1986-87 में जो धनराशि आबंटित की जानी है, उसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दूरसंचार : 1985-86 के लिए आबंटित राशि संलग्न विवरण तीन में दी गई है। सभी दूरसंचार सर्किलों और टेलीफोन जिलों के लिए 1986-87 में अस्थायी तौर पर 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) **डाक** : इस तारीख तक प्रत्येक डाक सर्किल में क्वार्टरों का "सैटिस्फेक्शन लैवल" प्रतिशत में संलग्न विवरण दो में दिया गया है। डाक कर्मचारियों के लिए "सैटिस्फेक्शन लेवल" को सातवीं योजना के अन्त तक 10 प्रतिशत तक पहुंचाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि योजना आयोग से धनराशि मिलती रहे।

दूरसंचार : प्रत्येक यूनिट में मौजूदा "सैटिस्फेक्शन" प्रतिशत संलग्न विवरण-चार में दिया गया है। सभी यूनिटों में सैटिस्फेक्शन का प्रतिशत को 15 प्रतिशत तक पहुंचाने का प्रस्ताव है बशर्ते धनराशि उपलब्ध रहे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण एक

डाक स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए सर्किल वार आबंटित धनराशि

क्रम संख्या	डाक सर्किल	1985-86
1.	आन्ध्र प्रदेश	37.7 लाख
2.	बिहार	25.2 ,,
3.	दिल्ली	...
4.	गुजरात	65.1 ,,
5.	जम्मू एवं काश्मीर	25.0 ,,
6.	कर्नाटक	53.0 ,,
7.	केरल	7.2 ,,
8.	मध्य प्रदेश	28.5 ,,
9.	महाराष्ट्र	34.7 ,,
10.	उत्तर-पूर्वी	68.1 ,,
11.	उत्तर-पश्चिम	33.6 ,,
12.	उड़ीसा	44.1 ,,

क्रम संख्या	डाक सर्किल	1985-86
13.	राजस्थान	58.4 ,, लाख
14.	तमिलनाडु	61.8 ,,
15.	उत्तर प्रदेश	52.0 ,,
16.	पश्चिम बंगाल	53.8 ,,
	योग :	648.2 लाख

विवरण दो

इस तारीख तक क्वार्टरों का सर्किलवार "सेटिस्फेक्शन लेवल" प्रतिक्षा सूची।

	डाक सर्किल	संतुष्टि प्रतिशतता
1.	आन्ध्र	2.4
2.	बिहार	5.8
3.	दिल्ली	9.4
4.	गुजरात	3.3
5.	जम्मू एण्ड कश्मीर	3.8
6.	कर्नाटक	5.1
7.	केरल	3.6
8.	मध्य प्रदेश	6.8
9.	महाराष्ट्र	7.6
10.	उत्तर-पूर्व	6.7
11.	उत्तर पश्चिम	6.6
12.	उड़ीसा	6.2
13.	राजस्थान	6.3
14.	तमिलनाडु	6.8
15.	उत्तर प्रदेश	6.3
16.	पश्चिम बंगाल	4.3

विवरण—तीन

सर्किल का नाम	कुल रुपए हजारों में
आन्ध्र	9820
बिहार	5938
गुजरात	4147
जम्मू और काश्मीर	171
कर्नाटक	14301
केरल	10351
मध्य प्रदेश	4094
महाराष्ट्र	4027
उत्तर-पूर्वी	3136
उत्तर-पश्चिम	5077
उड़ीसा	5425
राजस्थान	13763
तमिलनाडु	14250
उत्तर प्रदेश	6650
पश्चिम बंगाल	11982
तकनीकी एवं विकास सर्किल	20
टेलीफोन जिले	
आगरा	1443
अहमदाबाद	11810
इलाहाबाद	120
अमृतसर	शून्य
बंगलौर	6116
बड़ौदा	शून्य
बम्बई	5125
कलकत्ता	13752
कालीकट	384
कानपुर	220

सर्किल का नाम	कुल रुपये हजारों में
कोयम्बटूर	1895
दिल्ली	4201
एर्नाकुलम	1948
हैदराबाद	1397
इंदौर	2696
जयपुर	287
जालंधर	279
कानपुर	5395
लखनऊ	4576
लुधियाना	शून्य
मद्रास	6917
मदुरई	1201
नागपुर	828
पटना	1606
पूना	1829
राजकोट	296
सूरत	1261
वाराणसी	3200
विजयवाड़ा	700
त्रिवेन्द्रम	केरल सर्किल सहित

विवरण चार

दूरसंचार सर्किल	प्रतिशत
आन्ध्र	4.11
बिहार	9.6
गुजरात	2.44
जम्मू और काश्मीर	6.3
कर्नाटक	4.32

दूर संचार सर्किल	प्रतिशत
केरल	4.49
मध्य प्रदेश	7.15
महाराष्ट्र	4.06
उत्तर-पश्चिम	12.10
उत्तर-पूर्व	8.26
उड़ीसा	9.78
राजस्थान	7.31
तमिलनाडु	5.18
पश्चिम बंगाल	8.7
उत्तर प्रदेश	6.33
तकनीकी और विकास (जबलपुर)	33
टेलीफोन जिले :	
आगरा	14.2
इलाहाबाद	6.28
अहमदाबाद	6
अमृतसर	3
बेंगलूर	2.38
बड़ौदा	3.05
बम्बई	4.25
कलकत्ता	4.30
कालीकट	3.52
चण्डीगढ़	15.19
कोयम्बटूर	12.36
दिल्ली	3.63
एर्नाकुलम	3.99
गुवाहटी	6
हैदराबाद	7
इन्दौर	9.3

दूरसंचार सर्किल	प्रतिशत
जयपुर	11
जालंधर	9.10
कानपुर	3.92
लखनऊ	5·1
लुधियाना	4.7
मद्रास	5.3
मदुरै	1.89
नागपुर	4.49
पटना	9.6
पुणे	9
राजकोट	5
सूरत	0.50
त्रिवेन्द्रम	8.51
विजयवाड़ा	5.46
वाराणसी	5.53

[हिन्दी]

घरेलू उपभोक्ताओं और हलवाइयों को समान दर पर खाना पकाने की गैस की सप्लाई किया जाना

4059. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घरेलू उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए खाना पकाने की गैस के 14 किलोग्राम के प्रति सिलेण्डर पर सरकार को लगभग 10 रुपये का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा, जो केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, हलवाइयों को भी देने के क्या कारण हैं, जो प्रतिदिन 15 से 20 सिलेण्डर तक प्रयोग करते हैं;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस के कनैक्शन प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं, सरकार ने हलवाइयों द्वारा गैस के सिलेण्डरों के प्रयोग को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि कोई कार्यवाई नहीं की जा रही है तो, उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) एक एल० पी० जी० के सिलिण्डर पर 13.05 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ख) से (घ) हालांकि एल० पी० जी० की सप्लाई मुख्यत: घरेलू क्षेत्र में उपयोग के लिए की जाती है फिर भी हलवाइयों सहित अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, होटलों, रेस्टोरेंटों तथा ऐसे ही अन्य आहार गृहों को वाणिज्यिक कनैक्शन दिए जाते हैं। ऐसे आहार गृह साधारण लोगों की सेवा करते हैं और वहां प्रयुक्त एल०पी०जी० मिट्टी के तेल पर दबाव को कम करती है जिसे भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। कार्यात्मक कारणों से अस्थायी प्रतिबंधों को छोड़ कर वाणिज्यिक कनैक्शनों को जारी करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव नहीं है। वर्ष में जारी किए जा रहे 15 से 16 लाख कनैक्शनों की तुलना में हलवाइयों को जारी कनैक्शनों का अनुपात नगण्य है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता सहकारी भंडारों द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योगों से बिक्री योग्य मदों की खरीद

4060. **श्री अनादिचरण दास** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों से सरकारी खरीद के लिए आरक्षित ग्रुप-चार के मदों और अन्य मदों की सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ख) लघु उद्योगों से बिक्री योग्य मदों की खरीद उपभोक्ता सहकारी भंडारों के लिए यथासंभव आवश्यक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) लघु औद्योगिक एककों, हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों से खरीद के लिए आरक्षित ग्रुप-चार की मदों तथा अन्य मदों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2495/86]**

(ख) लघु उद्योगों से बिक्री योग्य मदों की खरीद के लिए उपभोक्ता सहकारा भडारों के लिए सरकार ने कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा खाना पकाने की गैस की सप्लाई करने में विलम्ब

4061. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के "भारत गैस" के उपभोक्ताओं को अपने सम्बन्धित डीलरो एजेन्सियों से खाना पकाने की गैस के भरे सिलेण्डर 8 से 10 दिन के बाद मिल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है कि उपभोक्ताओं को गैस भरे सिलेण्डर मांग दर्ज कराने के दिन अथवा कम से कम उससे अगले दिन निश्चित रूप से मिल जायें ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली/नई दिल्ली में रिफिलों की सप्लाई में कुछ बैकलाग था जिसका कारण सर्दी में मांग में तेजी से वृद्धि तथा कुछ कार्यात्मक समस्याओं का होना है, जिसमें दिल्ली स्थित भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के बाटलिंग संयंत्र की फिलिंग मशीनों तथा मापतौल प्रणालियों का सही ढंग से कार्य न करना शामिल है।

(ग) कारपोरेशन तत्काल इन मशीनों का अनुरक्षण करवा रहा है तथा इन्दौर और बम्बई से सप्लाई लेकर गैस की उपलब्धता को बढ़ा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्राथमिक गैस पावर जेनरेटर की स्थापना

4062. **श्री सी० सम्बु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन से आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्राकृतिक गैस पावर जेनरेटर की आवश्यकता पूरी हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड को प्राकृतिक गैस पावर जेनरेटर स्थापित करने की कब तक अनुमति दे दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) चूंकि तटवर्ती तथा अपतट क्षेत्रों का अभी तक पूरी तरह पता नहीं लगा है तथा उत्पादन सम्भाव्यता का निर्धारण नहीं दिया गया है इसलिए गैस की सप्लाई के लिए दीर्घावधिक वचनबद्धता इस समय नहीं की जा सकती है।

औषधों और फार्मास्यूटिकल्स का स्वास्थ्य मंत्रालय को अंतरण

4063. **डा० टी० कल्पना देवी**
श्री पी० आर० कुमारमंगलम } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों और फार्मास्यूटिकल्स विषय को उसी प्रकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अन्तरित करने की सरकार की योजना है जिस प्रकार की उर्वरकों संबंधी विषय को इसके प्रयोक्ता कृषि मन्त्रालय को अन्तरित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयवन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार के पूर्णिया जिले में डाकघर

4064. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पूर्णिया जिले में 1 जनवरी, 1986 को कितने डाकघर थे;

(ख) उस जिले में 1 जनवरी, 1986 को कितने चलते-फिरते डाकघर थे;

(ग) उस जिले में 1 जनवरी, 1986 को कितनी संस्थाओं/व्यक्तियों को कमीशन के आधार पर डाक सम्बन्धी कार्य करने के लिए लाइसेंस दिए हुए थे;

(घ) उस जिले में 1 जनवरी, 1986 को कितनी ग्राम पंचायतों में कोई डाक सुविधा नहीं थी; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उस जिले में डाक सुविधाओं के विस्तार के लिए अनुमोदित कार्यक्रम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) ग्रामीण डाकघर खोलने का सर्किलवार (एक सर्किल में) और मंडलवार कार्यक्रम प्रतिवर्ष आधार पर तैयार किए जाते हैं जिसके लिए प्रत्येक वर्ष योजना बजट में उपलब्ध निधि को ध्यान में रखा जाता है। फिर भी, पदों के सृजन पर लगी रोक को देखते हुए सातवीं योजना के दौरान अभी तक कोई नया डाकघर नहीं खोला गया है और न ही 1986-87 के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा सका है।

रिफेम्पीसिन की कमी तथा अधिक मूल्य

4065. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तपेदिक-रोधी एक प्रभावी औषधि रिफेम्पीसिन की कमी है और उसका मूल्य अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या किसी फर्म ने रिफेम्पीसिन बनाने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में रिफेम्पीसिन के आयात के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) रिफेम्पिसिन एवं उसके सूत्रयोगों की कोई कमी नहीं है। रिफेम्पिसिन प्रपुंज औषध का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमेय है। रिफेम्पिसिन सूत्रयोगों के मूल्य सांविधिक रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अन्तर्गत निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस औषध के निर्माण के लिए 7 निर्माताओं को पहले ही आशयपत्र जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

वर्ष	रिफेम्पिसिन के आयात का सी० आई० एफ० मूल्य (रु०/करोड़)
1982-83	15.89
1983-84	15.94
1984-85	21.30

औषधों को लाइसेंस मुक्त करने का प्रस्ताव

4066. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च और जून, 1985 में औषधों को लाइसेंस मुक्त करने का योजना लक्ष्य की

उपलब्धि और मूल्य कम करने पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र और लघु क्षेत्र के लिए इस समय आरक्षित किन्हीं औषधों को लाइसेंस मुक्त करने की कोई योजनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेटो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) अब तक लाइसेंस मुक्त करने की योजना के अधीन औषधों तथा भेषजों के निर्माण के लिए लगभग 80 पंजीकरण जारी किए गए हैं। योजना लक्ष्यों की उपलब्धियों तथा मूल्यों की कमी के प्रभावों को इतनी जल्दी बताना कठिन है।

(ख) और (ग) औषध नीति पुनरीक्षणाधीन है।

तामलुक (मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल) में एस० टी० डी० लाइन

4067. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नेटवर्क में तामलुक (मिदनापुर जिला, पश्चिमी बंगाल) को एस०टी०डी० से जोड़ने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, तो उसमें देरी होने के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्री में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) फिलहाल तामलुक (जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल) एस०टी० डी० सेवा की दृष्टि से राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ नहीं जुड़ा है।

(ख) और (ग) सीमित संसाधनों के कारण केवल जिला मुख्यालयों तथा 1000 लाइनों से अधिक की क्षमता के बड़े टेलीफोन एक्सचेंजो (1-4-1985 की स्थिति के अनुसार) को एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। तामलुक, जहां इस समय मैनुअल एक्सचेंज हैं, वहां एस० टी० डी० सेवाएं प्रदान करने पर प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद विचार किया जा सकता है।

पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट

4068. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थों में बहुत बड़ी संख्या में मिलावट के मामले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कम्पनी वार ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इस स्थिति की तुलना 22 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4973 के उत्तर में दिये-गये आंकड़ों से किस प्रकार की जा सकती है ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं ; और

(ङ) क्या सुधारात्मक उपाय के रूप में सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण नियमों की तरह डीलर्स के लिये भी आचार संहिता दबाने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, हां। तेल उद्योग ने खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए विपणन अनुशासन पर 1982 में मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद के क्वालिटी नियंत्रण से सम्बन्धित मामलों से निपटने और दोषी पाये गये खुदरा बिक्री केन्द्रों/डिस्ट्रीब्यूटरों के विरूद्ध उठाए जाने वाले कदम भी शामिल हैं।

(ङ) जी, नहीं। यह इसलिए कि डीलरशिप अनुबंध और विपणन अनुशासन के मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों में यह पहले से ही उपबंधित है।

विवरण

1980 से 1982 के पिछले वर्षों के आंकड़ों के मुकाबले 1983 से 1985 के दौरान मिलावट और दुराचार के पकड़े गये मामले और इनके विरुद्ध (कम्पनीवार) की गई कार्रवाई

तेल मम्पनी का नाम	वर्ष	मामलों की संख्या और वदले में की गई कार्रवाई			
		मामलों की संख्या	स्पष्टीकरण आदि सहित जारी चेतावनी	सप्लाई को बंद करना	डीलरशिप समाप्त करना
1	2	3	4	5	6
एच०पी०सी०एल०	1980	133	23	109	1
	1981	7	1	5	1
	1982	21	5	14	2
	1983	72	27	42	3

1	2	3	4	5	6
	1984	113	25	86	2
	1985	94	30	64	—
आई०ओ०सी०एल०	1980	497	273	218	6
	1981	285	157	125	3
	1982	245	156	78	11
	1983	194	65	127	2
	1984	182	59	122	1
	1985	149	21	128	—
वी०पी०सी०एल	1980	98	शून्य	96	2
	1981	25	शून्य	25	—
	1982	15	1	14	—
	1983	152	84	67	1
	1984	184	80	102	2
	1985	129	58	70	1
आई०वी०पी०कं० लि०	1980	111	27	82	2
	1981	62	19	43	—
	1982	61	15	45	1
	1983	189	105	84	—
	1984	201	116	85	—
	1985	315	192	123	—

केरल में शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

4069. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1986-87 में केरल में किसी शाखा डाक घर का दर्जा बढ़ाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुड़गांव में खाना पकाने की गैस का बिक्री मूल्य

4070. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और गुड़गांव में गैस सिलेण्डरों की बिक्री दरें क्या है ;

(ख) मूल्यों में इस असमानता के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गुडगांव में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का बिक्री मूल्य कम करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) दिल्ली में 14.2 कि० ग्रा० के सिलिण्डर का खुदरा बिक्री मूल्य 57.61 रुपये है तथा गुड़गांव में यह 63.27 रुपये है ।

(ख) बाटलिंग संयंत्र से भाड़े तथा उन स्थानों पर लागू स्थानीय शुल्कों के कारण अलग अलग स्थानों पर कीमतें भिन्न-भिन्न होती हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

केरल के जिलों को एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली से जोड़ना

4071. **श्री टी० बशीर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के कौन-कौन से जिले इस समय नई दिल्ली के साथ एस० टी० डी० से जुड़े हुए हैं ; और

(ख) वर्ष 1986 के दौरान किन जिलों को जोड़ने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केरल के ऐसे जिला मुख्यालय जो दिल्ली के साथ एस० टी० डी० द्वारा जुड़े हैं वह इस प्रकार हैं :—

1. अलेप्पि 2. कालीकट 3. कन्नानोर 4. एर्नाकुलम

5. इदुक्की 6. कालपेट्टा 7. कोट्टायम 8. मालापुरम

9. पालघाट 10. क्यूलॉन 11. त्रिचुर 12. त्रिवेन्द्रम।

(ख) शेष दो जिला मुख्यालयों अर्थात् कसरगड़ तथा मत्तनमथिट्टा को दिल्ली के साथ 1986 के दौरन एस० टी० डी० द्वारा जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

4072. **श्री पत्लाकोंडायुडू** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये हैं ;

(ख) उनके अनुपात में कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं ;

(ग) क्या सार्वजनिक टेलीफोन कालों का कार्य शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है ;

(घ) आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन के कितने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ;

(ङ) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के राजमपेट कुड्डापाह, मदनपल्ली में और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो वे कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगें ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 19.3.1986 तक आंध्र प्रदेश में 5281 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन तथा 2825 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन खोले गए।

(ख) 316 अतिरिक्त स्टाप नियुक्त किया गया।

(ग) जी हां। कुछ पी० सी० ओ० विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

(घ) लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० के लिए 73 तथा स्थानीय पी० सी० ओ० के लिए 243 विकलांग व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) पर दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

4073. **श्री सुरेशधर माने** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 के दौरान महाराष्ट्र में कितने उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाए जाने की संभावना है तथा यह डाक घर कहां स्थित है ; और

(ख) सातवीं योजना के दौरान कुछ कितने उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख) नए पदों के सृजन तथा पदों के भरने पर सरकार द्वारा लगाई गई पाबन्दी को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 1986-87 अथवा सातवीं योजना अवधि के दौरान उस अवधि तक जब तक कि उपरोक्त पाबन्दी हटा नहीं दी जाती किसी उप डाकघर का दर्जा बढ़ाने जाने की संभावना नहीं हैं।

[हिन्दी]

कालीबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली पर डाकतार विभाग की भूमि पर अनधिकृत रूप से बनी झुग्गियां

4074 **श्री राजकुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली पर डाक-तार विभाग की भूमि पर डाक-तार विभाग के टाइप-I और टाइप-II के क्वाटरों के बीच के क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बनाई गई लगभग 1000 झुग्गियों के बारे में जानकारी देने के लिए वहां पर डाकतार विभाग के क्वार्टरों के निवासियों के कल्याण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल 31 जनवरी, 1986 को उन से मिला था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और कब तक इन झुग्गियों को हटा दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, वस्तुस्थिति यह है कि जिस स्थान पर झुग्गियां बनी है वह भूमि सी०पी० डब्ल्यू बी/एल० बंड डी०ओ० की है तथा इसकी जानकारी उन्हें करा दी गई है।

टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड द्वारा कच्चे चमड़े की खरीद और इसमें कार्यरत कर्मचारी

4075. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड में काम करने वाले

अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनके वेतन पर प्रतिमाह कुल कितनी धनराशि खर्च होती है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कितना और कितने मूल्य का कच्चा चमड़ा खरीदा और यह कहां से खरीदा गया ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 2378 है, जिससे 113 अधिकारी, 434 मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी और 1831 औद्योगिक श्रमिक शामिल हैं। भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान सहित इनका कुल वेतन बिल 24.76 लाख रु० होता है।

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

1. **कच्चा चमड़ा खालों की खरीद** :—

वर्ष	संख्या	लागत (रु०)
1983-84	42637	5145029
1984-85	39071	5758377
1985-86 (फरवरी, 1986 तक)	16880	3331745

2. **प्राप्ति के स्त्रोत** :—

1. मै० एस० मौहम्मद सलीम एंड कंपनी, कानपुर।
2. मै० माइर्न हाईड्स कारपोरेशन, कानपुर।
3. मै० यांसी हाईड कंपनी, कानपुर।
4. मै० एम० जेड हाईड कारपोरेशन, कानपुर।
5. मै० भारत इंडस्ट्रीज, कानपुर।
6. मै० एम० आर० एंटरप्राइसिज, कानपुर।
7. मै० भारत टैनर्स, कानपुर।
8. मै० मदीना हाइड कंपनी, बुलन्दशहर।
9. मै० ऐनीमल प्रोडक्ट सप्लायर्स, कानपुर।

10, मै० मौहम्मद शरीक एण्ड कंपनी कानपुर।

11. मै० पैरापाउंट लैदर प्रोडक्ट, कानपुर।

12. मै० हाईड एण्ड कंपनी, कानपुर।

13. मै० मौहम्मद मोइन एण्ड कंपनी, कानपुर।

14. मै० जाजमाओं इंटर नेशनल टैनर, कानपुर।

15. मै० एम० एस० कारपोरेशन, कानपुर।

16. मै० हसन ट्रेडरस कानपुर।

17. मै० उनांव टैनिंग इंडस्ट्रीज, कानपुर।

18. मै० हाईड एण्ड स्किन प्रोसेसिंग कंपनी कानपुर।

[अनुवाद]

हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन परियोजना के लिये पाईपों की सप्लाई के येन समझौता

4077. **श्री वी० तुलसीराम**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
प्रो० रामकृष्ण मोरे
श्री बी० वी० देसाई } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृति गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि सरकार हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन परियोजना के लिये पाइपों की सप्लाई हेतु येन समझौता के परिणामस्वरूप जापान कन्सोर्टियम (संकाय) को 25 करोड़ रुपये की अधिक राशि का भुगतान करेगी;

(ख) यदि हां, तो रुपये/डालर समझौते के बजाए येन समझौता करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या येन समझौता इस बात को अच्छी तरह जानते हुए किया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये के मूल्य की तुलतना में येन का मूल्य बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बात की फिर भी सम्भावना है कि इसके पूर्ण भुगतान किए जाने तक यह राशि और बढ़ जाएगी यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) 19 जुलाई 1985 को जब संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे, आर्डर का कुल मूल्य 22.704

विलियन येन था जो 95.37 अमरीकी डालर या 114.55 करोड़ रुपये के बराबर है। इसके बाद येन के मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप अब संविदा का कुल मूल्य 139.58 करोड़ रुपये हो गया है।

(ख) संविदा के अन्तर्गत पूर्ति का वित्त पोषण जापान के ओवरसीज इकनामि को-आपरेशन फण्ड (ओ०ई०सी०एफ०) द्वारा किया जा रहा है तथा फण्ड की शर्तों के अनुसार संविदा केवल येन में ही होगी।

(ग) और (घ) लाइन पाइपों की सप्लाई के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार को रुपया देगा। भारत सरकार को ओईसी-एफ को येन क्रेडिट 30 वर्षों की अवधि में वापस करनी है जिसमें ग्रेस के 10 वर्ष शामिल हैं। अतः वापस की जाने वाली वास्तविक राशि इस संपूर्ण अवधि में येन के विनिमय मूल्य पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पन बिजली अथवा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

4078. **श्री कमोदी लाल जाटव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुरैना जिले में ननियों के पानी का प्रचूर और तेज बहाव है, सरकार वहां पन बिजली अथवा ताप बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थाना करने पर विचार कर रही है; और यदि हां, तो वहां कौन-कौन से संयंत्र लगाए जायेंगे और इन्हें कब तक लगाए जाने की संभावना है; और

(ख) क्या सरकार मुरैना जिले के सबलपुर तहसील में रनदुका गांव में चम्बल नदी पर पर पन बिजली संयंत्र लगाने की दृष्टि से इस नदी के बहाव का कोई सर्वेक्षण करने का बिचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) मुरैना जिले में साबलगढ़ के समीप चम्बल नहर पर चम्बल मिनी जल चम्बल विद्युत परियोजना (3 × 310 मेगावाट) के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है। परियोजना को अनुमति निर्माणाधीन अवधि, कार्य के आरम्भ होने से लगभग तीन वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त, चम्बल की एक सहायक कुन्नु नदी पर कुन्नु जल विद्युत-परियोजना (2 × 250 किलोवाट) के संबंध में अन्वेषण कार्य भी चल रहे हैं।

[अनुवाद]

गोवा, दमण और दीव के लिए अपर जिला न्यायाधीशों के पद सृजित करने की मांग

4079. **श्री शांताराम नायक** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) गोवा, दमण और दीप में न्यायिक जिलों की संख्या क्या है ;

(ख) इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश के कितने पद मंजूर किए गए हैं ;

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने उनके मन्त्रालय से संघ राज्य क्षेत्र के लिए अपर जिला न्यायाधीश के पद का सृजन करने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या विनिश्चिय किए हैं ?

विधि और न्याया मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) दो।

(ख) से (घ) दो न्यायिक जिलों के लिए जिला और सेशन न्यायाधीशों के विद्यमान दो पदों के अतिरिक्त, 11.2.1986 को अपर जिला और सेशन न्यायाधीशों के दो और पदों का अनुमोदन कर दिया गया है।

नेल्लोर जिले में सुल्लारपेट में ग्रेनाइट संसाधन संयंत्र के लिए जान मेयर्स ग्रेइनाट्स लिमिटेड को लाइसेंस

4080. **श्रीमती वसवराजेश्वरी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेल्लोर जिले में सुल्लारपेट में एक ग्रेनाइट संसाधन संयंत्र के लिए जान मेयर्स ग्रेनाइट्स का हाल ही में लाइसेंस दिया गया ;

(ख) यदि हां तो इस संयंत्र की कुल क्षमता कितनी है;

(ग) आधुनिकतम मशीनों से निष्कर्षण प्रौद्योगिकी में उपर्युक्त कम्पनी को सहायता देने वाली अन्य फर्में कौन-सी हैं;

(घ) क्या देश में इस प्रकार की कोई और कम्पनियां है; और

(ङ) यदि हां; तो वे किस स्थान पर हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। 19.2.83 को मैं० जान मेयर्स ग्रेनाइट्स लि० (पहले श्री टी०टी० जान) को 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना के अंतर्गत नेल्लोर जिले की सुल्लारपेट में एक ग्रेनाइट संसाधन संयंत्र की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई थी।

(ख) संयंत्र की कुल स्वीकृत क्षमता 60,000 वर्ग मीटर प्रतिवर्ष है।

(ग) पश्चिमी जर्मनी के तकनीकी सहयोगी मैं० कार्य मेयर के० जी० एकक स्थापित करने में मैं० जान मेयर्स ग्रेनाइट्स लि० की सहायता कर रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) स्थापना-स्थल सहित कंपनियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना के अंतर्गत ग्रेनाइड स्लेबों, टाइलों, आदि के उत्पादन के लिए कंपनियों को दी गई स्वीकृति की सूची

क्र०सं०	कंपनी का नाम	स्थापना स्थल
1	2	3
1.	मै० खमाम ग्रेनाइट लि०	खमाम, आन्ध्र प्रदेश
2.	मै० ए० वी० आर० एण्ड डांग ग्रेनाइट्स कंपनी	टकुला, नागावीर जिला चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश
3.	मै० बासु ग्रेनाइट लि०	तलुका, उदयगिरि, जिला नेल्लोर आन्ध्र प्रदेश
4.	श्री ई० विजय कुमार राव (मै० डेकन ग्रेनाइट्स प्रा० लि०)	जिला बरंगल, आन्ध्र प्रदेश
5.	मै० मैसूद मिनर्लस लि०	तहसील और जिला हसन, कर्नाटक
6.	मै० चमुंडी ग्रेनाइट्स प्रा०लि०	तलुका, अनेकल जिला बंगलौर, कर्नाटक
7.	मै० इंगरीज मशीन्स एण्ड कंसट्रेक्शन प्रा० लि०	जिला मैसूर, कर्नाटक
8.	श्री सुधीर एस गुप्त (मै० एम० एम०बी० कान्टिनेटल एन्टर-(प्राइज)	जिला बंगलौर, कर्नाटक
9.	मै० भूमि जल प्रा० लि०	जिला बंगलौर अथवा मैसूर कर्नाटक
10.	मै० इण्डियल फर्नीचर वर्क्स	जिला बंगलौर, कर्नाटक
11.	मै० पृथ्वी ग्रेनाइट एक्समोर्ट्स प्रा० लि०	तलुका, अनेकल जिला बंगलौर, कर्नाटक

1	2	3
12.	मै० शबरी ग्रेनाइट प्रा० लि०	जिला बंगलौर कर्नाटक
13.	श्री के० सुभाष शैट्टी	अनेकल बंगलौर, कर्नाटक
14.	मै० तमिन ग्रेनाइट्स	ग्राम मनाली, तकुला सेदापेट, जिला चिंगलपुर तमिलनाडु
15.	मै० याक ग्रेनाइट इण्डस्ट्री प्रा०लि०	तलुका, श्रीपरुपबुधुर, जिला चिंगलपेट तमिलनाडु
16.	श्री एल० आर० शिवप्रसाद	तहसील गुम्मिदीपूनदी, जिला चिंगलपेट, तमिलनाडु
17.	मै० गेम ग्रेनाइट्स	ग्राम इनजामपक्काम, तलुका सेदापेट, जिला चिंगलपेट, तमिलनाडु
18.	मै० ब्राइट स्टोन्स लि०	कंदाचवेदी इण्डस्ट्रियल एरिया, मद्रास के निकट, तमिलनाडु
19.	श्री पी० रविचन्द्रन	तहसील पुन्नेरी, जिला चिंगललेट, तमिलनाडु
20.	श्री एच०एम० सुधाकर रेड्डी	जिला चिंगलपेट, तमिलनाडु
21.	मै० एन्टरप्राईजिग एण्टरप्राइज	जिला चिंगलपेट, तमिलनाडु
22.	मै० अम्मान गेनाइट्स	तहसील हरूर, जिला धर्मपुरी, तमिलनाडु
23.	मै० साउथ इंडिया मोनुमेंट्स एक्सपोर्टस प्रा० लि०	तहसील डेनकनी तलुका कहा, जिला धर्मपुरी, तमिलनाडु
24.	श्री प्रकाश रेड्डी इलेटी	तहसील, नरसापुर जिला मेडक, आन्ध्र प्रदेश
25.	मै० राक कोपको लि०	तहसील, मेहबूबाबाद जिला वर्रंगल, आन्ध्र प्रदेश
26.	श्री के० राघव रेड्डी	तहसील नरसापुर, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश
27.	मै० एम०बी० एण्ड कंपनी लि०	तहसील टाडा जिला नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश
28.	मै० केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन	जिला कसार गोडे, केरल

1	2	3
29.	मैं० मान्यूमेंट्स इंडिया	तहसील हरूर, जिला धर्मपुरी, तमिलनाडु
30.	श्री ओ० प्रभाकर रेड्डी एण्ड एसोसिएट्स	मदी कोंदा तहसील घनपुरी, जिला वर्रंगल, आन्ध्र प्रदेश
31.	मैं० रसली ग्रेनाइट, प्रा० लि०	ग्राम पूनमली, जिला चिंगलपेट, तमिलनाडु
32.	मैं० अमैलगमेटेथ कोलफील्ड लिमिटेड ।	आन्ध्र प्रदेश ।

हिन्दुस्तान लीवर को रुग्ण डिटरजेंट यूनिट का अधिग्रहण करने की अनुमति

4081. **डा० जी० विजयराघवराव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का मंगलौर के रुग्ण डिटरजेंट यूनिट मैसर्स यूनिट होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड का अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) क्या इस प्रकार हिन्दुस्तान लीवर की देश में निर्मित कुल डिटरजेंट के लगभग 70 प्रतिशत डिटरजेंट का निर्माण करने की अधिकतम क्षमता हो जाएगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मैं० हिन्दुस्तान लीवर लि० को कर्नाटक में एक रुग्ण और बन्द एकक मैं० यूनियन होम प्रोडक्ट्स को पांच वर्षों के लिए पट्टे पर अभिग्रहण करने की अनुमति दी गई है ताकि डिटरजेंटों के इससे उत्पादन को, जो कि एक आवश्यक वस्तु है, फिर प्रारम्भ किया जा सके और कामगारों के रोजगार की निरन्तरता सुनिश्चित की जा सके ।

(ख) देश में संगठित और लघु क्षेत्र में 7 लाख मी०टन की कुल क्षमता में से हिन्दुस्तान लीवर लि० (पट्टे पर अभिग्रहण किए गए दो रुग्ण एककों की क्षमताओं सहित) का हिस्सा 1.347 लाख मी०टन अथवा लगभग 19% है ।

गोरेगांव और कांदिवली में नया टेलीफोन एक्सचेंज

4082. **श्री अनूप चंद शाह** : क्या **संचार** मंत्री गोरेगां, मलौड, और कांदिवली में अतिरिक्त टेलीफोन एक्सचेंजों के बारे में 30 अप्रैल, 1985 के तारांकित प्रश्न सं० 664 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब वर्ष 1989-90 की बजाय वर्ष 1987 के अंत तक गोरेगांव

और कांडिवली में 10,000-10,000 लाइनों की क्षमता वाले दो नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन एक्सचेंजों पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) गोरेगांव तथा कांडिवली के लिए क्रमश: 6000 लाइनों तथा 14,000 लाइनों के दो एक्सचेंज यूनिट अलाट किए गए हैं। इनके 1988-89 तक चालू होने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

तथापि, 1986-87 के दौरान मरोल इलेस्ट्रानिक एक्सचेंज से रिमोट लाइन यूनिट द्वारा मलाड टेलीफोन क्षेत्र में 4000 लाइनें बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

दुर्गापुर में शीर्ष प्रबन्धकीय अधिकारियों सहित केन्द्रीय परियोजनायें

4083. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 फरवरी, 1986 के "स्टेट्समैन" में "प्रोब्लम्स इन दुर्गापुर यूनिट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दुर्गापुर स्थित केन्द्रीय परियोजनाओं में शीर्ष पदों को ग्रहण करने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) दुर्गापुर में उन एककों के नाम क्या है जिनमें शीर्ष प्रबन्धकीय अधिकारी नहीं हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का बिचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार दुर्गापुर स्थित केन्द्रीय परियोजनाओं में से माईनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन में ही केवल अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पद खाली है। यह पद पूर्व पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर खाली हुआ है।

(ङ) सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने माईनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पद भरने के लिए अपनी संस्तुति भेज दी है।

उड़ीसा में बायोगैस संयंत्र

4084. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं और उनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या उड़ीसा में आगामी तीन वर्षों के दौरान बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) उड़ीसा राज्य में, 1974-75 से 1985-86 तक (फरवरी, 1986 तक) 10,100 से अधिक पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। बायोगैस संयंत्रों की क्षमता प्रतिदिन 1 से 25 क्यूबिक मीटर के बीच बायोगैस उत्पादित करने की होती है। हालांकि यह अनुमान लगाया है कि एक वर्ष में 300 दिनों के लिए प्रति संयंत्र प्रतिदिन 4 क्यूबिक मीटर की औसत क्षमता रखते हुए, उड़ीसा में अब तक स्थापित संयंत्रों की प्रतिवर्ष 12.12 लाख क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन करने की क्षमता है।

(ख) और (ग) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन० पी० बी० डी०) जो नवम्बर, 1981 में शुरू की गई थी। सातवीं योजना के दौरान जारी रखी जा रही है। उड़ीसा सहित, पूरे देश में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। राज्य सरकारों के साथ परामर्श से वर्ष से वर्ष के आधार पर बायो गैस संयंत्र स्थापित करने के वस्तुगत लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं। 1985-86 के लिए उड़ीसा के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य 2500 संयंत्र था बाद में 3500 संयंत्रों तक कर दिया गया।

राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का पुनर्विलोकन

4085. **श्री बाला साहब विखे पाटिल** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयोग ने कितने राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की है;

(ख) क्या सरकार का विचार है कि कुछ समय पूर्व छोटे और प्रादेशिक राजनीतिक दलों की संख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विद्यमान आचार संहिता पर्याप्त नहीं है और तदनुसार आचार संहिता का पुनर्विलोकन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय एकता के लिए इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए इस पर सभी राजनीतिक दलो के साथ चर्चा करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) निर्वाचन

आयोग से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल सात और प्रादेशिक दल बत्तीस हैं।

(ख) से (ग) और (घ) निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति के आधार पर आचार संहिता बनाई है। आचार संहिता संबंधी विषयों पर राजनीतिक दलों के परामर्श करना, निर्वाचन आयोग, न कि सरकार का, कार्य है। संहिता बन जाने से सरकार प्रसन्न है क्योंकि इसका निर्वाचन प्रक्रिया पर हितकर प्रभार पड़ा है। यदि नए दलों के गठित हो जाने के कारण या अन्य कारणों से संहिता में परिवर्तन या उपान्तरण करना आवश्यक हो जाता है तो इस पर विचार करने के लिए निर्वाचन आयोग को विनिर्दिष्ट सुझाव भेजे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

बिहार के खगरिया जिले में खाना पकाने की गैस की एजेन्सी का आबंटन

4086. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने बिहार के खगरिया जिले में खाना पकाने की गैस एजेन्सी की डीलरशिप के आबंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए 29 मई, 1983 को विज्ञापन दिया था;

(ख) क्या केवल दो ही प्रत्याशी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए थे क्योंकि अनुसूचित जातियों के अधिकांश लोगों को इस विज्ञापन का पता नहीं चला था;

(ग) क्या डीलरशिप ऐसे प्रत्याशियों को दी गई जिन्होंने पात्रता की शर्तें पूरी नहीं की थी;

(घ) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पेट्रोलियम मंत्री ने कुछ संसद सदस्यों की शिकायत पर डीलरशिप का आबंटन बन्द कर दिया था और नया विज्ञापन देने का आदेश दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नया विज्ञापन जारी करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) स्थानीय अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों के विज्ञापन के संदर्भ में दो व्यक्तियों ने आवेदन दिया था जिसमें 30 दिन के अन्दर आवेदन भेजने को कहा गया था। जबकि दोनों व्यक्तियों को निर्धारित साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था किन्तु उनमें से एक ही व्यक्ति उपस्थित हुआ।

(ग) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तेल चयन बोर्ड ने चयन कर लिया है।

(घ) और (ङ) वितरणशिप को आरम्भ करने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि दो संसद सदस्यों तथा बिहार विधान सभा के एक सदस्य से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। पुनः विज्ञापन देने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिए गए थे। चूंकि चयन नियमानुसार है इसलिए स्टे को समाप्त कर दिया गया है तथा वितरणशिप को खोलने के लिए कार्यवाही करने के लिए आई० ओ० सी० को सलाह दी गई है।

राजस्थान में तेल की खोज के लिए सर्वेक्षण

4087. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर जिलों में तेल और गैस की खोज के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष आयल इंडिया के बजट में भारी कटौती किए जाने के कारण तेल के कुओं की ड्रिलिंग के कार्य में देरी हो रही है और विदेशों से रेगिस्तानी रिगों का आयात स्थगित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या 6000 फुट तक ड्रिलिंग करने वाले रिगों का आयात करके तेल के कुओं की ड्रिलिंग का कार्य तेजी से करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 28.2.86 तक राजस्थान में 5215 लाइन कि०मी० का भूकम्पीय सर्वेक्षण किया है। तेल और गैस की संभावना का पता लगाने के लिए आंकड़ों को जोधपुर में ऑयल इंडिया लिमिटेड के कम्प्यूटर सेंटर में संसाधित किये जा रहे हैं और उनकी व्याख्या की जा रही है।

(ग) और (घ) योजना परिव्यय में कमी किए जाने के कारण राजस्थान में आयातित रिग द्वारा खुदाई करने के ओ० आई० एल० के प्रस्ताव में संशोधन करना आवश्यक होगा। राजस्थान में सर्वेक्षण का कार्य जारी है। 1986-87 में किसी प्रकार की खुदाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 1987-88 के लिए खुदाई योजना का पता केवल वर्ष के लिए परिव्यय को अंतिम रूप दिए जाने के बाद लगेगा।

[अनुवाद]

आयातित माल से निर्मित औषधों और फार्मास्युटिकल्स का निर्यात

4088. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से निर्यात की जाने वाली औषधियों और आगधे अधिकांशतः आयातित सामग्री से तैयार करके पुन-निर्यात की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और खर्च की गई और अर्जित विदेशी मुद्रा के शुद्ध हानि/लाभ का ब्यौरा क्या है तथा मूल्य वर्णित लाभ कितना है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

पब्लिक एण्टरप्राईजेज सेन्टर आफ कान्टीन्यूइंग एजूकेशन

4089. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 'पब्लिक एण्टर प्राईजेज सेण्टर आफ कान्टीन्यूइंग एजूकेशन' को बन्द करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ पक्षों द्वारा इस संस्थान का अलग अस्थित्व बनाये रखने का सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) पब्लिक एण्टरप्राईजेज सेन्टर फार कान्टिन्यूइंग एजूकेशन (पी०ई०सी० सी०ई०), सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटी है और इसके उपबन्धों के अनुसार, ऐसे मामलों में उपयुक्त फैसला स्वयं पी०ई०सी०सी०ई० की कार्यकारी परिषद द्वारा लिया जाना है। फिर भी, सरकार ने यह फैसला किया है कि पी० ई० सी० सी० ई० को और आगे बजट सहायता देना सम्भव नहीं होगा ।

[अनुवाद]

बांदा में फ्लोट ग्लास परियोजना की प्रगति

4090. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा में बरगढ़ स्थित फ्लोट ग्लास परियोजना की क्या प्रगति है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जिसके पास उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले में फ्लेट ग्लास के उत्पादन के लिए एक नए औधोगिक उपक्रम की स्थापना करने हेतु एक आशय-पत्र है, ने सूचित किया है कि आशय-पत्र के कार्यान्वयन के लिए उसने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) अप्रैल, 1985 में एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी "कान्टिनेन्टल फ्लेट ग्लास लिमिटेड" को पंजीकृत और निगमित किया गया है।

(2) इस मामले में विदेशी सहयोग को पहले सही स्वीकृति दी जा चुकी है।

(3) कम्पनी ने केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से सावधिक ऋण सहायता के लिए आवेदन किया है।

(4) कम्पनी बरगढ़ में 402 एकड़ भूमि प्राप्त कर रही है।

(5) इस परियोजना के लिए 7 मेगावाट बिजली स्वीकृत की गई है।

(6) जल निगम से यमुना नदी से जल आपूर्ति योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(7) रेलवे ने बरगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए अलग रेलवे लाइन बिछाने की स्वीकृति दे दी है।

दूरसंचार नेटवर्क में आप्टीकल फाइबर औद्योगिकी का प्रयोग

4091. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने संचार नेटवर्क में आप्टीकल फाइबर प्रौद्योगिकी प्रयोग करने लिए एक व्यापक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में किन्हीं विदेशी कम्पनियों के साथ करार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा : (क) जी हां।

(ख) 7 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लम्बी दूरी के नेटवर्क में लगभग 6000 कि० मी० और स्थानीय नेटवर्क में लगभग 850 कि० मी० लम्बे मार्ग पर 12 फाइबर वाली केबिल बिछाए जाने की योजना बनाई गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में कांडला ताप विद्युत केन्द्र का कार्य सम्पादन

4092. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कांडला ताप विद्युत केन्द्र में बार-बार कार्य बन्द हो जाने और उसके पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां से इस विद्युत केन्द्र के लिए टर्बाइन और अन्य मशीनें लाई गई हैं और इन मशीनों में क्या दोष पाया गया है ; और

(ग) क्या इस विद्युत केन्द्र के ठीक से कार्य न करने के कारणों की पूरी तरह जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

ताप बिजली उत्पादन उपकरणों की आवश्यकता

4093. **श्री संफुद्दीन चौधरी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए ताप बिजली उत्पादन उपकरणों की कितनी आवश्यकता होगी, संपूर्ण योजना का मूल्यांकन क्या है ;

(ख) इसमें से कितने उपकरण देश में मौजूद स्रोतों से प्राप्त किए जायेंगे ;

(ग) ताप बिजली उत्पादन उपकरणों की देश में कुल निर्माण क्षमता कितनी है, संपूर्ण

योजनावधि का मूल्यांकन क्या है ;

(घ) देश में पन बिजली उत्पादन उपकरणों की कुल वार्षिक निर्माण क्षमता कितनी है; और

(ङ) सातवीं योजना के दौरान पन बिजली उत्पादन उपकरणों की कुल कितनी आवश्यकता होगी ; और

(च) सातवीं योजना अवधि के लिए देश में मौजूद स्रोतों से कितनी पनबिजली उत्पादन उपकरण प्राप्त किए जाएंगे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (च) सातवीं योजना में 15999 मे० वा० ताप विद्युत जनित्रण की अतिरिक्त क्षमता की परिकल्पना की गई है। इसमें से, बी०एच०ई०एल० को 12260 मे० वा० के क्रयादेश दिये गये हैं। सातवीं योजना अवधि के लिये, बी०एच०ई०एल० की 22500 मे० वा० ताप विद्युत जनित्रण उपकरणों की निर्माण करने की क्षमता है। सातवीं योजना में हाइडल जनित्रण क्षमता में 5541 मे० वा० और जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से, 4202 मे० वा० हेतु क्रयादेश बी०एच-ई० एल० को दिए गए हैं। बी०एच०ई०एल० की 1345 मे० वा० के पन बिजली जनित्रण उपकरणों के निर्माण की वार्षिक क्षमता है।

विद्युत परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए नए निकायों की स्थापना

4094. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए देश में हाल ही में दो नए निकाय स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नये निकायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये नये निकाय विद्युत परियोजनाओं को किस हद तक पर्याप्त सहायता प्रदान करेंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) विद्युत परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए एकमात्र नई संस्था विद्युत वित्त निगम है, जिसके बारे में सरकार द्वारा हाल ही में निर्णय लिया गया है। निगम को 1986-87 में निगमित किए जाने की संभावना है। अन्य बातों के साथ-साथ यह निगम ताप विद्युत, जल विद्युत और पारेषण परियोजनाओं, नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमों, प्रणाली सुधार स्कीमों आदि के लिए आवधिक वित्त व्यवस्था करेगा तथा राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय, प्रबन्धकीय तथा तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करेगा।

मध्य प्रदेश में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की यूनिट स्थापित करना

4095. **श्री कमल नाथ** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में "इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड" की एक यूनिट स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"उद्योग विहीन जिलों" सम्बन्धी सोमैय्या समिति की सिफारिशें

4096. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "उद्योग विहीन" जिलों की वांछनीयता अथवा अन्यथा उन्हें उद्योग विहीन रखने अथवा पिछड़े यूनिट के ब्लाक अथवा ताल्लुक में चलाए जा रहे उद्योग की जांच के लिए गठित सोमैय्या समिति की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) श्री सी० जी० सोमैय्या की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों/"उद्योग विहीन जिलों", के औद्योगिकरण के लिए विद्यमान योजना की समीक्षा तथा उसमें संशोधन करने के लिए स्थापित अंतर्मन्त्रालीय समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों पर इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग का प्रभाव

4097. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस विभाग में प्रति टेलीफोन कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या इलैक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग से उक्त विभाग में कर्मचारियों की संख्या और कम हो जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों की संख्या में उक्त कमी के कारण प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूरसंचार विभाग में इस समय लगभग 3.2 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रति टेलीफोन 0.106 कर्मचारी हैं। दूसरे शब्दों में, विभाग में प्रति कर्मचारी 9.44 टेलीफोन हैं।

(ग) जी हां, अन्य एक्सचेंजों के आंतरिक अनुरक्षण के लिए आपेक्षित स्टाप की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों के आंतरिक उपस्कर के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित स्टाफ कम है। यही स्थिति इलेक्टॉनिक एक्सचेंजों के वाह्य अनुरक्षण तथा अन्य उद्देश्यों के लिए अपेक्षित स्टाफ के बारे में भी है।

(घ) फालतू कर्मचारी यदि होगें तो उन्हें भविष्य में विस्तार के उपरांत हुए रिक्त पदों पर खपा लिया जाएगा।

कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित 'कम्पनी न्यूज नोट्स' पत्रिका

4098. **श्री एस० एम० गुरुडो** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग 'कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स' नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है ;

(ख) यह पत्रिका कब से प्रकाशित की जा रही है ;

(ग) क्या इस पत्रिका में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार और उसके अन्तर्गत बनाए गए अन्य विनियमों के बारे में समाचार प्रकाशित होते हैं ;

(घ) क्या विभाग ने इसका प्रकाशन बंद करने का निर्णय किया है ; और

(ङ) क्या कम्पनी कार्यों के क्रियाकलापों के बारे में पर्याप्त और सही जानकारी प्रदान कराने के लिए अन्य किसी विकल्प का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, श्रीमान् जी।

(ख) अक्टूबर, 1962

(ग) यह पत्रिका, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, कम्पनी अधिनियम और निगमित क्षेत्र के हित की अन्य सम्बन्धित सूचना प्रकाशित करती थी।

(घ) हां, श्रीमान जी।

(ङ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और कम्पनी अधिनियम के सम्बन्ध में सूचना को दो विधानों के कार्यकरण और क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्टों में प्राकशित किया जा रहा है। निगमित क्षेत्र की सांख्यिकीय सूचना को भी कम्पनी कार्य विभाग द्वारा संयुक्त स्टाक कम्पनियों की पंचशाला निर्देशिका में प्रकट किया जा रहा है तथा संयुक्त स्टाक कम्पनियों के पंजीकरण और परिसमापन में प्रकाशित किया जा रहा है।

कम्पनी अधिनियम में संशोधन

4100. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की करेंगे कि क्या सरकार का विचार समापन कार्यवाही को शीघ्र निपटाने तथा कम्पनी के ऋणदाताओं को देय राशि के शीघ्र भुगतान के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों में उचित संशोधन करने का है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : नहीं श्रीमान् जी। अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फरीदाबाद, हरियाणा में टेलीफोन सेवा

4101. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद (हरियाणा) में टेलीफोन सेवा संतोषजनक नहीं है और अधिकतर समय टेलीफोन लाइनें खराब रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। फरीदाबाद (हरियाणा) में टेलीफोन सेवाएं सामान्यतया संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और टेलीफोन लाइनें अधिकांश समय खराब नहीं रहती हैं। इसके विपरीत टेलीफोन सेवा में सुधार हो रहा है। इस सुधार का मुख्य कारण गत अक्तूबर के बाद एक्सचेंज उपस्कर और बाहरी संयंत्र में किया गया सुधार कार्य तथा टेलीफोन प्रणाली के कार्य-निष्पादन पर कड़ी निगरानी रखना है। सन्तोषजनक सेवा बनाए रखने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) फिर भी विभाग को उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी है और सेवा में और सुधार लाने की दृष्टि से निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) उपरोक्त (क) के उत्तर के अनुसार

उड़ीसा में रेंगाली पन-विद्युत परियोजना को पूरा करना

4102. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आरम्भ की गई रेंगाली पन-विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1985 तक उपर्युक्त परियोजना के निर्माण पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) परियोजना पूरी होने में कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) रेंगाली जल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जा रहा है। परियोजना का चरण-एक (2×50 मेगावाट) 57.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल लागत 194.37 करोड़ रुपये थी, जिसमें से विद्युत के भाग की कुल लागत 118.34 करोड़ रुपये है। पहली यूनिट 27-8-1985 को चालू कर दी गई है और दूसरी यूनिट 16-3-1986 को रोटेट कर दी गई है तथा इसको मार्च, 1986 में चालू कर दिए जाने की उम्मीद है। विद्युत के भाग पर अक्तूबर, 1985 तक 108.28 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी।

परियोजना का चरण-दो (3×50 मेगावाट) 40.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया था। अद्यतन संशोधित लागत अनुमान 40.67 करोड़ रुपये है। मार्च, 1985 तक इस चरण पर लगभग 1.64 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई थी। इस चरण के लिए आवश्यक सभी मुख्य सिविल कार्य चरण-एक में पूरे कर लिए गए हैं। दो विद्युत उत्पादन यूनिटों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं तथा तीसरी यूनिट के लिए आर्डर शीघ्र ही दे दिए जाने की आशा है। इस चरण की पहली दो यूनिटें 1989-90 में तथा तीसरी यूनिट आठवीं योजना में चालू किए जाने की सम्भावना है।

पालियस्टर फिलामेंट यार्न/प्यूरीफाइड टेरीपेथालिक एसिड के निर्माण के लिए आशय पत्र जारी करना

4104. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "पालियस्टर फिलामेंट यार्न" और "प्यूरीफाइड टेरीपेथालिक एसिड" के निर्माण के लिए सरकार केवल राज्य विकास निगमों को ही आशय-पत्र देना मंजूर कर रही है;

(ख) क्या ऐसे उद्योगों में राज्य विकास निगमों की सी कीमत धनराशि को लगाने का

निर्णय युक्तिसंगत है जबकि गैर सरकारी कम्पनियां राज्य से सहायता लिए बिना ही ऐसे एकक स्थापित करने के लिए तैयार है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान इन दो लाइसेंसों के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनी कम्पनियां वित्तीय संस्थानों से सहायता लिए बिना परियोजना स्थापित करने के लिए तैयार है और इन कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(घ) भाग (ग) से उल्लिखित कम्पनियों के बारे में सरकार का निर्णय क्या है और ऐसे मामलों में स्वीकृति/अस्वीकृति प्रदान करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पालियस्टर फिलामेंट यार्न/प्यूरीफाइड टेरीपेथालिक एसिड के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक कितने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० के आवेदनपत्रों सहित सभी आवेदन पत्रों पर गुणवता के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न एवं पी० टी० ए० के निर्माण के लिए 1985 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्र जिन्हें मुख्यतः क्षमता अवरोध के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। लम्बित पड़े हुए आवेदन पत्रों के विवरण तब तक प्रकाशित नहीं किए जाते जब तक सरकार उन पर विचार न कर ले।

(ङ) सातवीं योजना के कागजातों में यथानिर्दिष्ट पोलिस्टर फिलामेंट यार्न तथा डी० एम० टी०/पी० टी० ए० के उत्पादन के लक्ष्य क्रमशः 77,800 टन तथा 1,73,000 से 1,94,000 टन है। वृद्धि की वर्तमान दर उक्त लक्ष्य में परिकल्पित दर से अधिक है। पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के लिए अब तक अनुमोदित कुल क्षमता 2,35,000 टन प्रति वर्ष है तथा डी० एम० टी०/पी० टी० ए० पोलिस्टर के उत्पादन के लिए वैकल्पिक कच्चे माल के लिए 3,74,000 टन/वर्ष है ·

विवरण

क्रम सं०	आवेदनकर्ता का नाम	अवस्थिति	क्षमता (टन/वर्ष)
1	2	3	4
1.	मै० सुधीर गेगी, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	10,000
2.	श्री ब्रह्म दत्त, नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश	10,000
3.	श्री ए० एल० बींगरा, बम्बई	महाराष्ट्र	5,000

1	2	3	
4.	श्री सुभाष भाटिया, नई दिल्ली	हिमाचल प्रदेश	6,000
5.	मै० इंडिया पोलिफाइबर्स लि०, कलकत्ता	उत्तर प्रदेश	5,000
6.	श्री आर० जी० पटवारी, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	10,000
7.	मै० रेमन्ड वुलन मिल्स लि०, बम्बई	उत्तर प्रदेश	20,000
8.	मै० जगदीश खन्ना एण्ड मनमोहन आनन्द, बम्बई	गुजरात	6,000
9.	मै० हरियाणा पेट्रोकैमिकल्स लि०, नई दिल्ली	हरियाणा	6,000
10.	मै० गनपत टेक्सटाइल्स लि०, अहमदाबाद	मध्य प्रदेश	40,000
11.	मै० मुकुन्द पटेल, यू० एस० ए०	दादरनागर हवेली	6,000
12.	मै० विनोद कुमार दिओरा, बम्बई	महाराष्ट्र	1,000
13.	मै० श्री राम फाइबरस लि०, नई दिल्ली	पंजाब	25,000
14.	मै० धर्मपाल ब्रदर्स प्रा० लि० बम्बई	मध्य प्रदेश	6,000
15.	मै० रासी सिन्थेटिक्स लि० हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	15,000
16.	श्री जमनालाल आई० गांधी, हैदराबाद	गुजरात	6,000
17.	दि स्टेट इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पो० आफ महाराष्ट्रा, बम्बई	महाराष्ट्र	6,000
18.	श्री किशोर चन्दन, दुबई	पंजाब	15,000
19.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश	30,000
20.	श्री सुरेश मित्तल, बम्बई	महाराष्ट्र	2,000
21.	मै० राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेव० एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पो० लि०	राजस्थान	15,000
22.	मै० गुजरात इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट डेवल० कार्पो०	गुजरात	10,000

1	2	2	3
23.	श्री एन० एडीमोलम, यू० एस० ए०	पांडिचेरी	10,000
24.	मै० रेमन्ड वुलन मिल्स लि० नई दिल्ली	गुजरात	20,000
25.	श्री एस० भदोरिया, नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश	6,000
26.	मै० मधु फेब्रिक्स लि०, अहमदाबाद	उत्तर प्रदेश	5,000
27.	मै० साता प्रदेश आरया, बम्बई	गुजरात	1,500
28.	मै० ग्रेन्टेक्स एण्ड कं०, बम्बई	पंजाब	1,500
29.	मै० ईस्टर इंडिया लि०	उत्तर प्रदेश	15,000
30.	श्री यू० एम० पटेल, यू० के०	गुजरात	15,000
31.	श्री पी० के० अग्रवाल, बम्बई	कर्नाटका	15,000
32.	मै० खोडा डिस्टलरीज लि०, बंगलौर	कर्नाटका	15,000
33.	श्री सुभाष भाटिया, नई दिल्ली	हिमाचल प्रदेश	15,000
34.	डा० सोम दत्त, नई दिल्ली	हरियाणा	7,500
35.	मै० जमनालाल आई० गांधी, बम्बई	गुजरात	18,000
36.	मै० विजय सिन्थेटिक्स प्रिन्टस लि०, बम्बई	मध्य प्रदेश	15,000
37.	मै० वेंकटेश्वर इन्डस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली	महाराष्ट्र	15,000
38.	श्री मनमोहन आनन्द, बम्बई	मध्य प्रदेश	15,000
39.	मै० विशाल दीप शिपिंग मिल्स लि०, बम्बई	गुजरात	15,000
40.	मै० आरथर इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कम्पनी, बम्बई	महाराष्ट्रा	10,000
41.	श्री कुलदीप के० जयसवाल, सिंगापुर	महाराष्ट्रा	15,000
42.	मै० केशवलाल तालकचन्द एण्ड कंपनी, बम्बई	गोवा, दमन एण्ड द्वीव	15,000

1	2	3	4
43.	मैं० एम० आर० शाह एसोसिएटस, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	12,000
44.	मैं० अशोक ओसवाल, नई दिल्ली	पंजाब	15,000
45.	श्री सी० एच० कृष्णामूर्ति राव, मद्रास	पांडिचेरी	15,000
	शुद्ध टैरिफ्थालिक एसिड		
1.	मैं० रेमन्ड वुलन मिल्स लि० बम्बई	उत्तर प्रदेश	75,000

सरकारी क्षेत्र के लिए मजूरी और मूल्य नीति

4105. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के लिए एक मजूरी और मूल्य नीति पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। किन्तु, कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय तथा इटली की कम्पनियों के बीच सहयोग सम्बन्धी करार

4106. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 में सरकारी और गैर-सरकारी भारतीय तथा इटली की कम्पनियों के बीच वर्षवार सहयोग सम्बन्धी कितने करारों पर हस्ताक्षर हुए;

(ख) ये परियोजनाएं किन-किन राज्यों को वितरित की गई हैं; और

(ग) वर्ष 1986-87 में इटली के सहयोग से ऐसी कितनी और परियोजनाए आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विदेशी सहयोगों से संबंधित आंकड़े कैलेंडर वर्ष-वार रखे जाते हैं। वर्ष 1984 और 1985 के दौरान सरकार द्वारा इटली की कम्पनियों के साथ क्रमशः 38 और 56 विदेशी सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। सभी स्वीकृत विदेशी सहयागों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय और विदेशी

कम्पनियों का नाम, उत्पादन की वस्तु और सहयोग का प्रकार भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उसके मन्थली न्यूज लेटर के परिशिष्ट के रूप में तिमाही आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) चूंकि स्वीकृतियां प्रस्तावों के प्रत्युत्तर में दी जाती हैं, अतः कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत के क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

4107. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत के क्षेत्र में कितने प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है और वे संस्थान कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) क्या सरकार राज्य के व्यापक विद्युत कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में किसी ऐसे संस्थान की स्थापना करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में निम्नलिखित पांच प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे :—

(1) ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर।

(2) ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, दुर्गापुर।

(3) ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, बदरपुर (नई दिल्ली)।

(4) ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, नेवेली।

(5) गर्म लाइन प्रशिक्षण केन्द्र सहित विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर।

(ख) बिजली क्षेत्र में मध्य प्रदेश में एक प्रशिक्षण केन्द्र, स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

बायो-गैस संयंत्र में त्रुटियां

4108. **श्री डी० पी० पाटिल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों और खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दोषपूर्ण बायो-गैस संयंत्रों की संख्या का पता लगाने के लिए 1984 से सर्वेक्षण किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार किये गये सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या इन सर्वेक्षणों के दौरान पकड़ी गई त्रुटियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 14 चुने हुये जिलों में 13,216 बायो-गैस संयंत्रों का एक गणना सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि लगभग 2804 संयंत्र अर्थात् 21 प्रतिशत दोषपूर्ण निर्माण सहित विभिन्न कारणों से बन्द पड़े थे। महाराष्ट्र सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय ने भी अक्तूबर से दिसम्बर, 1985 तक लगभग 2504 बायो-गैस संयंत्रों का सर्वेक्षण किया था। यह पता चला कि 92.7 प्रतिशत संयंत्र चालू थे। 1985-86 के दौरान, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने कई उपाय किये हैं। जिनमें प्रौद्योगिकी में सुधार करना, प्रयोगकर्ताओं और राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित और अधिक संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, वेन किटों की मरम्मत और रख-रखाव करना, मोबाइल—वेनों का रख-रखाव करना, मानीटरिंग और मूल्यांकन करना, आदि शामिल हैं। अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग अपनी मानीटरिंग प्रणाली को भी सुदृढ़ बना रहा है। भारत सरकार ने 3 मोबाइल रिपेयरिंग एकक स्थापित करने के लिए 7.5 लाख रु० स्वीकृत किए हैं।

बंगलौर नगर में चलते-फिरते डाकघर

4109. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर नगर में चलते-फिरते डाकघरों की सुविधा समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। विभाग ने सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया है कि देश में बेंगलूर सहित विभिन्न शहरों में मोटर वाहनों पर कार्य कर रहे मोबाइल डाकघर चरणबद्ध रूप में बन्द कर दिए जायेंगे।

(ख) बड़े शहरी क्षेत्रों में मोटर वाहन मोबाइल डाकघर योजना काफी समय पहले शुरू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य विलम्ब से डाक में डाले गए पत्रों को रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा द्वारा भेजना था। सामान्य कार्यक्रम में तेज गति वाले वायुयान अपनाने से, जिनमें डाक ढुलाई की अधिक क्षमता होती है, सातवें दशक के प्रारम्भ में रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा बन्द कर दी गई जिसके फलस्वरूप मोबाइल डाकघरों का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। गत कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न डाकघरों में स्थापित नियमित डाकघरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और विलम्ब से डाक में पत्र डालने की सुविधा जनता को रात्रिकालीन डाकघरों और रेल

डाक सेवा कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई है। हाल ही में लाइसेंस शुदा डाक एजेन्सियों की नई प्रणाली के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में जनता को सुलभ डाक सुविधाओं में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके फलस्वरूप मोबाइल सेवा की आवश्यकता काफी कम हो गई।

दूसरी ओर मोटरवाहन मोबाइल डाकघरों के रख-रखाव और प्रचालन खर्च में काफी वृद्धि हो रही है जिसके कारण अधिकांश मामलों में यह सुविधा अलाभकारी सिद्ध हो रही है। डाक सेवाओं में भारी हानि को देखते हुए यह आवश्यक ही है कि जब सस्ती लागत पर वैकल्पिक डाक सुविधा दी जा सकती हो तो खर्चीली सेवा पद्धति जैसे कि मोबाइल वाहन डाक घर सेवा बन्द कर दी जाती है।

जहां तक बेंगलूर शहर का प्रश्न है, इस शहर में कार्य कर रहे मोबाइल डाकघरों की लागत और राजस्व की अद्यतन पुनरीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि मोबाइल डाक सेवा से प्रति वर्ष लगभग 1.40 लाख रुपये की हानि हो रही है।

सरकारी उद्यम ब्यूरो के उद्देश्य

4110. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्यम ब्यूरो की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे;

(ख) क्या ब्यूरो ने इन उद्देश्यों को अथवा उनका अधिकांश भाग पूरा कर लिया है;

(ग) ब्यूरो के कार्यकरण पर कितनी धनराशि खर्च होती है;

(घ) इसके क्रियाकलापों से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) लागत सम्बन्धी इन लाभों का आकलन किस प्रकार किया जाता है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी उद्यम कार्यालय की स्थापना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी प्रबन्ध-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर नीति सम्बन्धी मार्गनिर्देश जारी करने, उनके कार्य-निष्पादन का निरन्तर मूल्यांकन करने और उनके कार्य-निष्पादन तथा लाभ में वृद्धि करने में सामान्यत: सरकार की सहायता करने के लिए एक केन्द्रीय अभिकरण के रूप में की थी। यह कार्यालय इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहा है।

(ग) सरकारी उद्यम कार्यालय पर वार्षिक खर्च लगभग एक करोड़ रुपये है। वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक के दौरान की गई बजट व्यवस्था इस प्रकार है :

1984-85	90.88 लाख रुपये
1985-86	103.61 लाख रुपये

1986-87 103.79 लाख रुपये

(घ) और (ङ) सरकारी उद्यम कार्यालय की उपलब्धियों को लागत लाभ अनुपात के रूप में नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि इसके कार्य मुख्यतः परामर्शदायी तथा उत्प्रेरक हैं।

अल्लेप्पी टेलीफोन सब-डिवीजन, केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन

4111. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अल्लेप्पी टेलीफोन सब-डिवीजन में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(ख) सभी लम्बित आवेदनों पर टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-3-1986 की स्थिति के अनुसार अल्लेप्पी टेलीफोन उप-मंडल में आवेदन पत्रों की संख्या 487 है।

(ख) इनमें से, 300 आवेदकों को 31-3-1986 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है तथा शेष आवेदकों को 7वीं योजना अवधि के अन्त तक टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएंगे।

भारतीय और जापानी फर्मों के बीच सहयोग करार

4112. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 में प्रतिवर्ष भारतीय और जापानी सरकारी और गैर-सरकारी फर्मों के बीच कुल कितने औद्योगिक सहयोग करार किए गए हैं;

(ख) उक्त परियोजनाओं को किन-किन राज्यों में वितरित किया गया है; और

(ग) वर्ष 1986-87 में जापानी सहयोग से ऐसी और कितनी परियोजनाओं की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विदेशी सहयोगों के बारे में सांख्यिकीय सूचना कैलेण्डर वर्ष-वार रखी जाती है। वर्ष 1984 और 1985 में जापानी फर्मों से सहयोग के लिए क्रमशः 78 और 108 प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए थे। सभी अनुमोदित विदेशी सहयोगों के सम्बन्ध में भारतीय और विदेशी

फर्मों के नाम, उत्पादन की वस्तु और सहयोग की किस्म संबंधी ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूजलेटर" के परिशिष्ट के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ग) चूंकि किए गए प्रस्तावों पर अनुमोदन होता है, अतः इसलिए पूर्वानुमान संभव नहीं है।

ताप विद्युत उत्पादन उपकरणों संबंधी नीति

4113. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ताप विद्युत उत्पादन उपकरणों संबंधी सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या स्वदेशी ताप विद्युत उत्पादन उपकरण उद्योग को हाल में विदेशी प्रतिस्पर्धा में असफलता मिली है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे स्वदेशी उद्योग को भविष्य में लाभ होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ अन्य उद्योगों के लिए भी यही प्रणाली अपनाई जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) से (ङ) 60 मे० वा० यूनिट क्षमता तक के ताप विद्युत जनित्रण उपकरण गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में निर्मित किए जा सकते हैं। 60 मे० वा० यूनिट क्षमता से ऊपर वाले ताप विद्युत जनित्रण उपकरणों का निर्माण सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित है।

1985-88 की आयात एवं निर्यात नीति में विद्युत जनित्रण उपकरणों सहित 13 चुनींदा पूंजीगत सामान उद्योगों के सम्बन्ध में विश्वव्यापी निविदायें दिए जाने की व्यवस्था है। कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के समक्ष विश्वव्यापी निविदाओं पर स्वदेशी विद्युत जनित्रण उद्योग ने ऋयादेश प्राप्त किए हैं।

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों पर आई० एस० आई० की मोहर लगवाना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव

4114. **श्री के० एस० राव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों से गैस रिसने के कारण आग लगने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष ऐसी कितनी घटनाएं हुई और उनमें हताहत हुए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस व्यवस्था के कई हिस्से होते हैं तथा इनमें से किसी भी हिस्से में खराबी होने से गैस का रिसाव हो सकता है;

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन उपकरणों में निर्माण संबंधी कोई खराबी न रहे, क्या उपाय किए गए हैं और क्या उपाय करने का विचार है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इनमें से अनेक हिस्सों पर विशेषकर जोड़ने वाली रबड़ की नली पर आई० एस० आई० की मोहर नहीं होती है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गैस सिलेन्डर/व्यवस्था के सभी हिस्सों के निर्माताओं के लिए आई० एस० आई० की मोहर लगवाना अनिवार्य बनाने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) एल० पी० जी० वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को केवल अनुमोदित उपकरण ही सप्लाई किए जाने के अनुदेश हैं। एल० पी० जी० स्टोबों रबड़ ट्यूबों, सिलिण्डरों, बाल्व तथा रेगुलेटरों के सम्बन्ध में आई० एस० आई० विशिष्टताएं उपलब्ध हैं। नया एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करते समय केवल आई० एस० आई० अनुमोदित रबड़ ट्यूबों का उपयोग करने के लिए जोर देने का तेल उद्योग का प्रस्ताव है।

विवरण

वर्ष	दुर्घटनाओ की संख्या	मृत्यु	घायल
1982-83	78	81	136
1983-84	153	83	167
1984-85	130	58	141

[हिन्दी]

विधि आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला

*4115. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग ने मार्च, 1986 के प्रथम सप्ताह में एक कार्यशाला आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला द्वारा लिए गए मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) :(क) जी, हां।

(ख) भारत के विधि आयोग ने विधि आयोग के कार्य पत्र "निचले स्तर पर विवादों के समाधान के लिए आनुकल्पिक मंच पर जयपुर में 1 और 2 मार्च, 1986 को एक कर्मशाला आयोजित की थी। भाग लेने वाले व्यक्ति विधि आयोग द्वारा रखे गए प्रस्तावों से साधारणतया सहमत थे।

(ग) कर्मशाला में किए गए विचार-विमर्श के पश्चात् जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वे तभी ज्ञात होंगे जब विधि आयोग उक्त विषय पर अपना गहन अध्ययन पूरा कर लेने के पश्चात् अपनी सिफारिश देगा। आयोग का इस विषय पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर और कर्मशालाएं आयोजित करने का विचार है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में अधूरी पड़ी पन-बिजली परियोजनाओं को पूरा करना

4116. **श्री बृजमोहन महंती** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में पन-बिजली परियोजनाओं में कुल कितनी बिजली पैदा हुई है;

(ख) उड़ीसा में ऐसी कितनी पन-बिजली परियोजनाएं हैं जो निर्धारित समय में पूरी नहीं की गई है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन किया है कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा क्यों नहीं किया जा सका है और यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 (अप्रैल, 1985-फरवरी, 1986) के दौरान उड़ीसा में जल विद्युत का उत्पादन क्रमशः 2392

मिलियन यूनिट, 2269 मिलियन यूनिट और 2046 मिलियन यूनिट था।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रत्येक परियोजना में हुए विलम्ब के विभिन्न कारणों का पता लगा लिया गया है तथा ये संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जल विद्युत परियोजनाओं को समय पर चालू करने की आवश्यकता के बारे में राज्य प्राधिकारियों पर निरन्तर बल दिया जा रहा है। निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मानीटरिंग भी की जा रही है। प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना स्थलों का भी दौरा करते हैं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों की सहायता करते हैं।

विवरण

उड़ीसा में निर्माणाधीन वृहत्/मध्यम जल विद्युत परियोजनायें, जिनको चालू करने में विलम्ब हुआ है

क्रम सं०	परियोजना का नाम / स्वीकृति की तारीख	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने का मूल कार्यक्रम / चालू करने की संभावित तारीख	वर्तमान स्थिति	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	**हीराकुण्ड 7वीं यूनिट** 11-8-1982	1×37.5	1985-86 1987-88	ड्राफ्ट ट्यूब का उत्थापन कार्य शुरू कर दियागया है। यू०/एस० तथा डी०एस० दीवारों का कंक्रीट कार्य चल रहा है। आयातित उपस्कर प्राप्त हो गए हैं।	डिजाइन में परिवर्तन, संगठनात्मक/प्रबंध संबंधी समस्याएं
2.	**अपर कोलाब** 4-8-1975	3×80	1980-81 1986-87 1987-88	बांध के सिविल कार्य पूरे हो गए हैं। कपाटों के लिए	संविदा संबंधी समस्याएं, पर्याप्त निधियां

1	2	3	4	5	6
				स्टील प्राप्त हो गया है। एच०आर०टी० का खुदाई कार्यहो गया है। तथा कंक्रीट कार्य चल रहा है यूनिट-एक के सर्विस वे तथा सिविल कार्य पूरे हो गए हैं। जेनरेटर बैरल पूरा हो गया है।	उपलब्ध न होना, भूमि के अधिग्रहण में कठिनाई, आर्डर देने तथा ठेकों के पंचाट में विलम्ब
3.	अपर इन्द्रावती 3-5-1978	4 X 150	1986-87 आठवीं योजना	बांध की खुदाई और कंक्रीट कार्य चल रहा है। पैन स्टाक की खुदाई का कार्य चल रहा है। बिजली घर की खुदाई का कार्य भी चल रहा है। बिजलीघर के निर्माण के लिए निविदाएं अभी आमंत्रित की जानी हैं।	परियोजना को विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। विश्व बैंक द्वारा उठाये गए मुद्दों के कारण मुख्य सिविल कार्यों के लिए कार्य-आदेश देने में विलम्ब हुआ।

बिहार के शहरी क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की सप्लाई

4117. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने शहरी क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की सप्लाई की जा रही है;

(ख) इसकी सप्लाई बढ़ाने की क्या कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस समय बिहार के 45 शहरों में एल० पी० जी० वितरण सुविधाएं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) बिहार के उन शहरों के नाम जहां एल० पी० जी० वितरणशिप खोलने के प्रस्ताव हैं संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

क्र०सं०	शहर का नाम
1.	बेरमो
2.	रामगढ़
3.	रांची (3 स्थान)
4.	कृष्णगंज
5.	मुज्जफरपुर
6.	सेराईकेला
7.	दीनापुर
8.	जमालपुर
9.	चकराधपुर
10.	खगेरिया
11.	मोकामेंह
12.	चटशिला
13.	साहिब गंज
14.	फोरलैसगंज
15.	झारिया
16.	लखीसराय
17.	सुपौल
18.	फटवाह
19.	बेषा

1	2
20.	बेराह
21.	जमशेदपुर (2 स्थान)
22.	मधुपुर
23.	जेहनाबाद
24.	अरारिया
25.	दुमराव
26.	झाजा
27.	पटना (7 स्थान)
28.	बिहार शरीफ
29.	समस्तीपुर
30.	अदित्यापुर
31.	कटरास
32.	लोहारडागा
33.	धनबाद
34.	राजगिरी
35.	नर्कतियागंज
36.	घौडानगर
37.	बिक्रमगंज
38.	तेगहरा
39.	रैक्सुअल
40.	गुमला
41.	सुल्तानगंज
42.	नौगाचिया
43.	हिल्सा
44.	गढ़वा
45.	शेरघाटी
46.	शेखपुर
47.	छपरा

1	2
48.	गया
49.	कटिहार
50.	पुनिया
51.	माधोपुर
52.	सिंगभुम

लुब्रिकेटिंग तेलों का संरक्षण

4118. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी मात्रा में लुब्रिकेटिंग तेलों की बरबादी पर रोक लगाने की बहुत आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो लुब्रिकेटिंग तेलों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने प्रतिशत बचत होने की आशा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) हालांकि लुब्रिकेटिंग तेलों का देश में कोई कोलोसल अपव्यय नहीं है फिर भी अन्य पेट्रोलियम उत्पादों सहित लुब्रिकेटिंग नेल के संरक्षण की आवश्यकता है।

(ख) उठाये गए कदम इस प्रकार हैं :

(1) दीर्घायु वाले लुब्रिकेटिंग तेलों के विकास और उपयोग का संवर्धन।

(2) प्रयोग किए लुब्रिकेटिंग तेलों को पुनः उपयोग में लाना।

(3) औद्योगिक उपकरणों में वल्क लूबे ऑयल प्रणाली के सम्बन्ध में ड्रेन अवधि को अनुकूलतम करना।

(4) लुब्रिकेटिंग तेलों की विशिष्टता में सुधार।

(ग) और (घ) 1985-86 के दौरान करीब एक से दो प्रतिशत तक की बचत का अनुमान है। अनेक निर्माताओं द्वारा उच्च क्वालिटी के लुब्रिकेटिंग तेलों, प्रयोग किए गए तेलों

को पुनःशोधन और उन्नत करने आदि के प्रयोग से इंजिन ऑयलों के लिए ड्रेन की अवधि को बढ़ाने के फलस्वरूप ऐसा संभव हुआ ।

सैटलाइट अर्थ स्टेशन एण्टिना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विश्वव्यापी निविदा मंगाना

4120. **श्री श्रीराममूर्ति भट्टम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने हाल ही में 11 मीटर सैटलाइट अर्थ स्टेशन एंटिना की सप्लाई के लिए भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड के साथ विस्तृत और संतोषजनक चर्चा की;

(ख) क्या भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड ने देश में विभिन्न प्रयोक्ताओं के लिए अत्याधुनिक एटिना प्रणाली का निर्माण और उसकी सप्लाई की थी तथा इस प्रणाली का रूस को भी निर्यात किया था;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अचानक अपना रुख बदल लिया और केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में विश्वव्यापी निविदा मंगाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी; और

(घ) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क), (ग) और (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपने दिल्ली क्षेत्र भूमि केन्द्र के लिए 11 मीटर अर्थ एस्टेशन एन्टेना सप्लाई करने के लिए ई० सी० आई० एल० को सिंगल टेण्डर इन्क्वारी जारी की थी। चूंकि ई० सी० आई० एल० द्वारा प्रस्तावित समय-सूची राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजना को चालू करने के कार्यक्रम के अनुरूप नहीं थी तथा कोट की गई कीमत आयातित उपस्कर की स्वदेश में पहुंचने पर कीमत (लैण्डड प्राइस) से बहुत अधिक थी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने ई० सी० आई० एल० के साथ विचार-विमर्श किया था। इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा आयोजित इन्टर एजेन्सी सिंगल प्वाइंट इन्टरफेस एण्ड एक्शन कमेटी की 12वीं बैठक में यह स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम विश्वव्यापी टेण्डर इन्क्वायरी जारी करेगा, जिसमें ई० सी० आई० एल० भाग लेगा तथा उसे डीम्ड निर्यात लाभ और स्वदेशी मूल्य वरीयता मार्जिन के लाभ दिए जाएंगे। विश्वव्यापी टेण्डर इन्क्वायरी के लिए नोटिस इन्वाइटिंग टेण्डर 13.3.1986 को जारी किए गए हैं तथा निविदाएं 15 मई, 1986 को खोलने का कार्यक्रम है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक उत्पादन दर और इसको बढ़ाने के लिए कदम

4121. **श्री राधाकांत डिगाल**
श्री बी० वी० देसाई } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985-86 की औद्योगिक उत्पादन दर गत वर्ष की

तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन सी बातें जिम्मेदार हैं; और

(ग) सरकार ने उन समस्याओं के समाधान तथा वर्ष 1986-87 में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) औद्योगिक विकास की दर अप्रैल-दिसम्बर 1985 में 6.2 प्रतिशत थी जबकि 1984 की इसी अवधि में विकास की दर 7.5 प्रतिशत दर्ज की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष में औद्योगिक विकास की दर और अधिक हो सकती थी किन्तु बिजली और खनन के क्षेत्र में नीची विकास पर तथा अवस्थापना संबंधी अड़चनों, क्षमताओं के कम उपयोग और बिजली की कमी आदि के कारण विकास की दर उतनी अधिक नहीं हो पाई है।

औद्योगिक लाइसेंसीकरण तथा आयात नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके तथा अवस्थापना सुविधाओं में सुधार करके और मौद्रिक तथा राजकोषीय उपायों के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाने के लिए सरकार अनेक अभ्युपाय कर रही है।

रासायनिक, पेट्रो-रासायनिक औषध और फार्मास्युटिकल उपक्रमों में सुरक्षा उपाय

4122. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सरकारी क्षेत्र में रासायनिक संयंत्रों में सुरक्षा के हर क्षण अभ्यास करते रहने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने रासायनिक, पेट्रोरासायनिक औषध और फार्मास्युटिकल और कीटनाशक दवाइयां बनाने वाले उपक्रमों की कार्यकरण की जांच करते हुए यह कदम उठाने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए रासायनिक संयंत्रों में किस सीमा तक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या उन्होंने सरकारी क्षेत्र के इन संयंत्रों द्वारा किए गए उपायों की जांच की है ?

रसायन और पेटो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) और (ख) 11-1-1986 को रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा करते हुए उद्योग मन्त्री ने इन एककों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व तथा इस संबंध में निरन्तर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया।

(ग) और (घ) संयंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इन एककों ने पहले ही उपाय आरम्भ कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठकों के दौरान सुरक्षा उपायों की निगरानी की आवधिक जांच की जाती है।

छठी योजना के दौरान केरल में तेल की खोज

4123. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में तेल की खोज का कोई कार्य आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल क्षेत्र में पाए गए तेल की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी योजना के दौरान पिछड़े जिलों में स्थापित किए गए उद्योग

4124. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े जिलों में स्थापित उद्योगों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार सहायता के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सम्बन्ध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1980 से 1985 (मार्च तक) के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए जारी किए गए आशयपत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरणों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण-एक में संलग्न है। इनका ब्यौरा जैसे उपक्रम का नाम, स्थापना-स्थल विनिर्माण की वस्तु आदि भारतीय निवेश केन्द्र अपने "मंथली न्यूजलैटर" में प्रकाशित किया जाता है, जिसकी प्रतियों संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जिले/क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करना मुख्यत: संबंधित राज्य

सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए विभिन्न राजकोषीय रियायतें और केन्द्रीय निवेश राजसहायता, रियायती वित्त, परिवहन राज-सहायता आदि जैसी राजसहायताएं प्रदान करके उनके प्रयासों में योगदान देती है।

केन्द्रीय निवेश राजसहायता/परिवहन राजसहायता पहले राज्य सरकारों/वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक एककों को वितरित की जाती है और बाद में वे राशि के लिए केन्द्र सरकार से दावा किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (28-2-86 तक) के दौरान केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना और परिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत जितनी राशि की प्रतिपूर्ति की गई, उसे दर्शाने वाला विवरण दो संलग्न है।

विवरण-एक

वर्ष 1980 से 1985 (मार्च, 1985 तक) के दौरान उद्योगों की स्थापना करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों को जारी किए गए आशयपत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरणों के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य संघशासित क्षेत्र	1980			1981			1982			1983			1984			1985 (मार्च, 1985 तक)		
		आ. पत्र	औ. ला.	डी.जी. टी.डी. पंजीकरण	आ. पत्र	औ. ला.	डी.जी. टी.डी. पंजीकरण	आ. पत्र	औ. ला.	डी.जी. टी.डी. पंजीकरण	आ. पत्र	औ. ला.	डी.जी. टी.डी. पंजीकरण	आ. पत्र	औ. ला.	डी.जी. टी.डी. पंजीकरण	आ. पत्र	औ. ला.	डी.जी. टी.डी. पंजीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	39	15	41	38	19	84	47	9	92	50	25	12	56	23	135	22	11	63
2.	अंडमान और निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	1	—	—	1	—	—	7	2	—	2	3	—	—	2	—
4.	असम	2	1	3	3	2	15	4	1	4	3	22	11	14	8	12	3	1	2
5.	बिहार	5	2	9	4	1	11	12	—	8	18	6	20	10	6	9	2	2	5

6. दादरा और नगर हवेली	—	—	2	—	—	1	4	—	1	3	—	6	—	1	3	1	—	2
7. गोवा, दमन और दिव	9	2	6	8	5	13	9	7	5	12	3	11	9	11	5	5	2	2
8. गुजरात	62	27	59	50	26	89	62	25	66	64	36	56	58	30	77	29	14	25
9. हरियाणा	13	2	32	17	4	78	33	44	46	46	12	127	29	11	36	12	3	13
10. जम्मू काश्मीर	9	1	7	7	3	8	8	2	11	17	10	27	9	8	41	4	3	9
11. हिमाचल प्रदेश	9	1	30	13	1	61	14	5	40	20	5	71	17	5	69	11	3	15
12. कर्नाटक	35	14	31	22	7	41	40	16	41	48	27	54	29	19	57	9	6	17
13. केरल	8	3	9	5	7	11	15	6	9	25	16	10	5	13	7	3	2	1
14. मध्य प्रदेश	30	10	76	25	11	101	52	5	121	45	19	170	71	23	161	29	9	10
15. महाराष्ट्र	64	22	86	34	25	112	61	21	38	75	23	42	79	37	77	24	6	22
16. मनिपुर	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
17. मेघालय	—	—	2	9	—	—	4	—	—	4	—	1	2	—	—	1	—	—
18. नागालैंड	—	—	—	5	—	—	—	—	—	3	2	कु०न०	1	2	3	—	—	—
19. उड़ीसा	7	5	6	11	3	15	25	2	12	12	5	21	7	5	14	7	1	6
20. पांडिचेरी	1	—	7	3	1	3	2	1	11	10	3	26	11	3	35	9	3	6
21. पंजाब	17	8	32	16	6	30	20	3	23	18	11	51	17	17	25	2	2	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22.	राजस्थान	32	9	62	24	14	108	49	9	50	24	11	81	31	15	65	7	7	20
23.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	2	2	2	—	—	—
24.	तमिलनाडु	20	13	37	30	10	55	29	15	43	32	35	57	49	32	63	20	12	6
25.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	25	5	34	26	6	74	62	5	57	95	33	158	97	35	186	30	18	4
27.	पश्चिम बंगाल	27	6	28	16	11	45	19	8	24	25	11	42	14	12	23	10	3	2
28.	निर्दिष्ट न किया गया राज्य/ एकाधिक राज्य	1	1	1	3	2	1	28	1	कु०न०	6	—	—	6	1	—	3	—	—

विवरण-दो

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अंतर्गत की गई प्रतिपूर्ति को वर्षवार दर्शाने वाला विवरण

(लगभग करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86 (28-2-86 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.94	1.68	2.67	4.63	7.14	9.46
2.	असम	0.02	0.16	0.39	0.30	1.93	3.02
3.	बिहार	0.19	—	1.00	—	0.81	—
4.	गुजरात	4.07	2.47	4.18	4.37	3.38	3.23
5.	हरियाणा	0.11	0.91	1.88	2.01	2.05	1.79
6.	हिमाचल प्रदेश	0.16	1.20	2.63	3.02	7.60	6.03
7.	जम्मू और कश्मीर	0.70	0.43	1.34	1.63	4.23	5.13
8.	कर्नाटक	2.10	1.13	2.75	5.65	3.87	6.55
9.	केरल	2.06	0.71	0.40	0.29	4.34	1.66

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मध्य प्रदेश	1.44	1.52	1.15	6.28	5.27	11.18
11.	महाराष्ट्र	2.89	1.23	1.97	2.61	3.65	3.65
12.	मणिपुर	—	0.17	0.25	0.11	0.36	0.90
13.	मेघालय	—	—	0.28	0.20	0.23	0.12
14.	नागालैण्ड	—	—	—	—	1.65	0.82
15.	उड़ीसा	—	—	2.03	1.56	2.58	1.70
16.	पंजाब	0.98	2.55	1.47	1.63	3.49	2.80
17.	राजस्थान	4.02	2.04	4.17	5.10	7.98	8.59
18.	सिक्किम	0.02	—	0.17	0.17	0.42	0.30
19.	तमिलनाडु	5.39	2.63	3.78	7.29	9.26	9.21
20.	त्रिपुरा	—	0.02	0.06	—	0.15	—
21.	उत्तर प्रदेश	0.70	—	1.38	1.26	3.20	11.63
22.	पश्चिम बंगाल	0.70	0.47	0.59	0.47	1.22	1.37
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.13	—	0.16	0.10	0.13	0.14
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.03	0.07	0.04	0.02	0.63	—

25.	दादरा और नगर हवेली	0.10	0.15	0.25	0.13	0.33	0.27
26.	गोवा, दमन और दिव	1.48	0.27	2.15	2.42	4.60	2.52
27.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
28.	मिजोरम	—	0.15	—	0.38	0.67	1.08
29.	पांडिचेरी	—	—	1.45	0.30	1.38	4.03
	योग :	30.23	19.96	38.59	51.93	82.03	97.18

परिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत की गई प्रतिपूर्ति को वर्षवार दर्शाने वाला विवरण ।

(लगभग लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86 (28-2-86 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	17.34	2.93	141.70	30.40	245.65	161.56
2.	हिमाचल प्रदेश	0.44	—	0.98	0.83	4.87	24.83
3.	जम्मू और कश्मीर	12.23	0.99	—	1.89	—	—
4.	मणिपुर	—	—	—	—	0.84	—
5.	मेघालय	—	—	—	—	19.11	13.26
6.	त्रिपुरा	—	—	1.34	2.02	—	2.70
7.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.15	0.37	6.37	20.57	28.02	41.59
8.	अरुणाचल प्रदेश	—	6.37	—	—	—	2.85
9.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	55.77	—	—
10.	सिक्किम	—	—	—	1.06	—	14.38
	योग :	30.36	10.66	150.39	112.54	298.49	261.17

गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रबन्ध ठेके के आधार पर विद्युत संयंत्रों की स्थापना

4125. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति स्पर्धा की भावना पैदा करने और बिजली की कमी को दूर करने के लिए कार्य कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रबन्ध ठेके के आधार पर तीन या चार विद्युत एकक स्थापित करने के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

शाखा डाकघर भरफोडी में एक लाख रुपये का दुर्विनियोग

4126. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी मधुबनी पंडल स्थित उप-डाकघर नरदिया के अन्तर्गत शाखा डाकघर भरफोडी में लगभग एक लाख रुपये के दुर्विनियोग के एक मामले का पर्दाफास किया गया और तत्पश्चात् तमाम राशि वापिस कर दी गई;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले के दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध डाक अधीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। परन्तु इससे सम्बद्ध राशि 48,700.22 पैसे है।

(ख) और (ग) इस मामले में दोषी कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है तथा इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई है।

झांसी डिवीजन में टेलीग्राफ लाइनों का कार्यकरण

4127. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सात वर्ष पूर्व 1979 में झांसी डिवीजन विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर हमीरपुर, कुरारा, सरिला, हमीरपुर जिले में रथ में डाली गई टेलीग्राफ लाइनें टेलीग्राफिक सन्देश आदि भेजने के लिए ठीक काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त स्थानों तथा बुन्देलखण्ड में अन्य स्थलों के टेलीग्राफिक

सन्देश आदि केवल डाक द्वारा भेजे जाने के क्या कारण हैं जो अपने गंतव्य स्थान पर साधारण डाक से भी देर से पहुंचते है और इस प्रकार तार द्वारा जरूरी सन्देश भेजने का प्रयोजन पूरा नहीं होता;

(ग) यदि नहीं, तो इन लाइनों के खराब हो जाने के क्या कारण हैं और यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगी;

(घ) अन्य विविध व्ययों सहित इस लाइन के रखरखाव के लिए नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों और टेलीग्राफिस्टों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है या किए जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा इसे शीघ्र ही सभापटल पर रख दिया जाएगा।

बिहार में टेलीफोन लाइनों का खराब रहना

4128. **श्री राम भगत पासवान** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारन, चंपारण, समस्तीपुर और मधुबनी क्षेत्रों मे टेलीफोन लाइनें हमेशा खराब रहती हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, बिहार राज्य के अन्तर्गत पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारन, चंपारन, समस्तीपुर और मधुबनी क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं खराब नहीं रही सिवाय बिजली फेल होने की स्थिति में।

(ख) इस समस्या से निपटने के लिए, इंजिन आल्टरनेटर तथा उच्च क्षमता की बैटरी ग्रामीण एक्सचेंजों में चरणबद्ध रूप से लगाई जा रही हैं।

परवलपुर, बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज में सुधार

4129. **श्री कुंवर राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में परवलपुर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज कब से बन्द पड़ा है;

(ख) क्या इसके कार्यकरण की कभी पुनरीक्षा की गई है;

(ग) क्या इसे सन्तोषजनक पाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसमें सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) परवलपुर टेलीफोन एक्सचेंज बन्द नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जी हां, इस एक्सचेंज के कार्यकरण की विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा आवधिक पुनरीक्षा की जाती है। 20.12.1985 को मंडल इंजीनियर, दूरसंचार, पटना में इसका निरीक्षण किया था। वह इस एक्सचेंज के कार्यकरण से सन्तुष्ट थे।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

गिरिडीह जिला, बिहार में पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र खोलना

4130. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गिरिडीह जिला, बिहार के बेंगाबाद, टिसरी, विरमी, सारैया, हेरोदी, (जनुआ), पटना (गंवान) में पेट्रोल तथा डीजल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम अथवा भारतीय तेल निगम आदि में से किसी के माध्यम से किसानों तथा परिवहन गाड़ियों के लिए डीजल तथा पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए पेट्रोल पम्पों की व्यवस्था करने का है;

(ग) यदि हां, तो इनकी व्यवस्था कब तक किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इन क्षेत्रों में से इस समय बिहार में जिला गिरिडीह के जमुआ (हिरोडीह) में एक खुदरा बिक्री केन्द्र कार्यशील है।

(ख) से (घ) तेल उद्योग द्वारा निर्धारित मात्रा दूरी के मानदण्डों को ध्यान में रख कर बाजार की मांग और आर्थिक व्यवहार्यता को निश्चित करने के लिए किए गए फील्ड सर्वेक्षणों के आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्रों(पेट्रोल/डीजल) की स्थापना के लिए वार्षिक विपणन योजना तैयार की जाती है। उपर्युक्त मानदण्डों पर आधारित वर्ष 1986-87 की विपणन योजना को अगले कुछ महीनों में अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

4131. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष

1985-86 के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों का कार्य-निष्पादन क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : अधिकांश केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का 1985-86 का लेखा वर्ष 31 मार्च, 1986 को ही समाप्त होगा। उसके बाद लेखों का संकलन तथा लेखा परीक्षा की जाएगी। अत: ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

तमिलनाडु बिजली बोर्ड को आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करने की मंजूरी

4132. **श्री आर० अण्णामलै** :क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तमिलनाडु बिजली बोर्ड को ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए आस्ट्रेलिया से एक लाख मीटरी टन कोयले का आयात करने की मंजूरी देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) तूतीकोरिन विद्युत केन्द्र के लिए कोयला लाने ले जाने में आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड ने इस केन्द्र के लिए पहले से आयात किए गए एक लाख टन कोयले के अतिरिक्त और 1 लाख टन कोयला आयात करने का प्रस्ताव रखा है ताकि विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा इसका बफर स्टाक रखा जा सके। मामला विचाराधीन है।

कोयले का उत्पादन

4133. **श्री प्रकाश वी० पाटिल**
श्री सोमना रथच } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हड़तालों के कारण वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में कायले के उत्पादन में कितना नुकसान हुआ है;

(ख) क्या उत्पादन में कमी को कोयले के मूल्य बढ़ाकर पूरा किया गया है;

(ग) क्या हड़तालों के अतिरिक्त कोयला खान क्षेत्रों में प्राय: कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है जिसके कारण उत्पादन कम होता है और यदि हां, तो वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान ऐसे मामलों के आंकड़े क्या हैं और उत्पादन का कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) अगले तीन वर्षों के लिए कोयला खानों में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु क्या

कदम उठाने का विचार है ताकि खान क्षेत्रों में बेहतर कानून-व्यवस्था करके उत्पादन बढ़ाया जा सके ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ग) कोल इंडिया लि० से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है :

	1983-84	1984-85	1985-86 (जनवरी, 1986 तक)
1. हड़तालों के कारण उत्पादन में हानि (मिलियन टनों में)	0.22	0.28	0.08
2. कानून और व्यवस्था सम्बन्धी मामले	487	370	345
3. कानून और व्यवस्था सम्बन्धी मामलों के कारण उत्पादन में हानि (मिलियन टनों में)	0.05	0.03	0.04

(ख) उत्पादन में हानि के कारण उत्पादन की लागत निश्चय ही बढ़ती है और उसके फलस्वरूप कीमतें भी बढ़ती हैं।

(घ) कोयला उद्योग को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" घोषित किया गया है और इसलिए कोयला उद्योग में उक्त अधिनियम के अधीन गैर कानूनी हड़तालों पर रोक है।

केरल को अल्कोहल का आबंटन

4134. **श्री पी० ए० अन्टनी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल की कुल कितना अल्कोहल आबंटित किया गया; और

(ख) इन आबंटनों में से वास्तव में कितनी मात्रा उठाई गई ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) :(क) और (ख) गत तीन अल्कोहल वर्षों के दौरान केरल को किए गए अल्कोहल के आबंटन और उनके द्वारा उठान की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है :

अल्कोहल वर्ष (दिसम्बर-नवम्बर)	अल्कोहल का आबंटन (मात्रा लाख लिटर में)	अल्कोहल का उठान (मात्रा लाख लिटर में)
1982-83	104.00	85.49
1983-84	86.18	62.49
1984-85	107.31	32.58

राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाना

4135. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं, जो केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के प्रमुख कार्यों में से एक है, जैसी कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में व्यवस्था है और ऐसी नीति बनाने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्रीय नीति पहले ही तैयार की जा चुका है। इसमें विकासात्मक प्रक्रिया का पालन किया गया है, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं में बताए गए अनुसार अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर निर्भर करेगी। वर्तमान नीति में निम्नलिखित को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है; विद्युत के विकास के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विचारधारा, मुख्य रूप से स्वदेशी संसाधनों पर निर्भरता, जहां संभव हो जल विद्युत का उपयोग, पिटहैडों पर सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना, विद्यमान संयंत्रों से अधिकतम विद्युत उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण तथा जहां लागत सार्थक हो ऊर्जा के नवीकरण साधनों का विकास।

विद्युत नीति का बल मुख्य रूप से अति विश्वसनीय और मितव्ययी ढंग से बिजली प्रदान करना और देश के सभी भागों में सप्लाई पहुंचाना है।

गुजरात में डिजिटल इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण

4136. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे निर्माताओं की संख्या और उनके नाम क्या हैं जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों के निर्माण का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या गुजरात में ऐसे किसी निर्माता को डिजिटल इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों के निर्माण के लिए अभी तक कोई आर्डर दिया गया है;

(ग) पूर्ण रूप से सज्जित एक्सचेंजों की सप्लाई करने में कितना समय लगेगा; और

(घ) एक डिजिटल इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंस की अनुमानित लागत कितनी है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गुजरात में इलेक्ट्रानिक के निजी स्वचल ब्रांच एक्सचेंज के उपस्कर बनाने के लिए निम्नलिखित निर्माताओं को आशयपत्र दिए गए हैं :—

क्रम संख्या	निर्माता का नाम	स्थान
1.	मैसर्स ब्लू स्टार लिमिटेड	गांधीनगर, गुजरात
2.	मैसर्स टाटा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	गुजरात में अनुमेय क्षेत्र

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कीमत आकार और उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करती है।

लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्ण एककों का पता लगाया जाना

4137. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्ण एककों का पता लगाए जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र को रूग्ण एककों की आर्थिक क्षमता अथवा अन्य क्षमता का पता लगाने के कार्य में कौन-कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं; और

(घ) राज्य स्तर की अन्तःसंस्थागत समितियों को इस कार्य में शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक लघु एककों में पौली रूग्णता से सम्बन्धित सूचना प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है। यह बैंक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से, कुल मिलाकर उनके द्वारा वित्त प्राप्त रूग्ण लघु औद्योगिकी एककों के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठा करता है। वित्तीय करने वाले अलग-अलग बैंकों द्वारा उनके द्वारा चुने गए रूग्ण औद्योगिक एककों को रियायतों और राहतें प्रदान करने के प्रयोजन के लिए रूग्ण एककों का पता लगाया जाता है।

वर्ष 1984 के अन्त तक, लघु औद्योगिक क्षेत्र में 6450 करोड़ रुपये तक की राशि के कुल बैंक ऋण प्राप्त करने वाले 14,49,000 (अनन्तिम) ऋणी एककों में से, 91450 (अनन्तिम) एककों को, जिन पर 880 करोड़ रुपये की राशि बकाया पड़ी है, बैंकों द्वारा रूग्ण

एकक चुना गया है। 91450 रूग्ण लघु औद्योगिक एककों में से 6251 एककों को बैंकों द्वारा सक्षम रूप से जीव्य समझा गया और 75001 एककों को अजीव्य समझा गया। शेष 101.8 एककों की जीव्यता के बारे में बैंकों को अभी निर्णय लेना है। 6251 जीव्य एककों में से भी केवल 2125 एककों को वित्तीयनकारी बैंकों द्वारा 'परिचर्या कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है।

(ग) जीव्यता अध्ययन करने और पुनर्स्थापना कार्यक्रम बनाने के लिए बैंक अपने मुख्य/क्षेत्रीय कार्यालयों स्थित पुनर्स्थापना प्रकोष्ठों में उपलब्ध वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता का हरसंभव प्रयोग करते हैं। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, लघु उद्योग सेवा संस्थानों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्थापित तकनीकी परामर्शदायी संगठनों से तथा अपनी स्वीकृत सूची में शामिल गैर-सरकारी परामर्शदायी संगठनों से तकनीकी सहायता लेते हैं।

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों से सहबद्ध विभिन्न समस्याओं को निपटाने के लिए अपने संगठन में विशेषीकृत प्रकोष्ठ स्थापित कर लिए हैं। इन प्रकोष्ठों के समक्ष एक कार्य बैंकों के विद्यमान ऋणी की स्थिति की समीक्षा करना और ऐसे एककों का पता लगाना जो पहले से ही रूग्ण हैं या रूग्ण होने वाले हैं, ताकि ऐसे एककों की समस्याओं पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा सके और संभाव्य उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

(घ) सूचना का आदान-प्रदान करने और लघु तथा मझौले औद्योगिक एककों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच की व्यवस्था करने हेतु राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समितिया स्थापित की गई हैं, जिनका संयोजक रिजर्व बैंक होगा। राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समिति निर्णयकारी निकाय नहीं होगी। इस मंच पर एककों के पुनर्स्थापना के साथ सम्बद्ध विभिन्न पार्टियां एक जुट हो जाएंगी ताकि आम राय के आधार पर पुर्नस्थापन की एक योजना तैयार की जा सके। जीव्य रूग्ण एककों की पुनर्स्थापना करने सम्बन्धी जिम्मेदारी सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों पर है जो इन एककों की पुर्नस्थापना के लिए उपयुक्त स्तर पर गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लेते हैं। यदि परिचर्या कार्यक्रम योजना में बैंकों, सार्वाधिक ऋणदायी संस्थानों जैसे विभिन्न अधिकरणों और राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार से रियायतें प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है, तो ये अभिकरण राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समिति की बैठक बुलाते हैं ताकि सभी सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा जीव्य एककों की पुर्नस्थापना करने में अपेक्षित सहायता एक सहमत ढंग से प्रदान की जा सके।

कोल इण्डिया लि० में कोयले की खानों के मुहानों पर जमा कोयले के भंडारों का निपटान

4138. **श्री के० प्रधानी**
श्री सनत कुमार मण्डल } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1985 से बेहतर वेगन लादान के फलस्वरूप अधिक कोयला भेजने

के बावजूद मार्च, 1986 के अन्त तक कोल इण्डिया लि० की कोयला खानों के मुहानों पर लगभग 20 मिलियन मीटरी टन कोयले के भंडार जमा होने की आशा है जबकि उनके मंत्रालय ने 11-12 मिलियन मीटरी टन भंडार होने का अनुमान लगाया था;

(ख) क्या वर्ष 1985 के प्रथम दो तिमाहियों में कोल इंडिया लि० के उत्पादन में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव रहा; और

(ग) यदि हां, तो 31 मार्च, 1986 तक कोयले की खानों के मुहानों पर जमा कोयले के भंडारों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० की खानों में खान-मुहाना स्टाक 1.10.1985 के 19.31 मिलियन टन से बढ़कर 1.3.1986 को 24.24 मिलियन टन हो गया है तथा मार्च, 1986 के अन्त तक इसके और भी बढ़ने की आशा है। यह वृद्धि इस तथ्य के बावजूद है कि अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 की अवधि में कोल इंडिया लि० से पिछले वर्ष की इसी अवधि के 108.03 मिलियन टन की तुलना में 118.02 मिलियन टन कोयले का प्रेषण हुआ और अप्रैल, 1984 से फरवरी, 1985 की अवधि में कोयले के 10,185 वैगन प्रतिदिन लदान की तुलना में अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 के दौरान लदान बढ़कर 10786 वैगन प्रतिदिन हो गया। वर्ष 1985 की पहली दो तिमाहियों में कोल इंडिया लि० में उत्पादन निम्नलिखित रहा :—

तिमाही	उत्पादन
जनवरी से मार्च, 1985	41.27 मिलियन टन
अप्रैल से जून, 1985	27.70 मिलियन टन

रेल से कोयले का लदान बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली घरों जैसे प्रमुख उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे अपने पास कोयले का अधिक स्टाक जमा करें। बिजली घरों में स्टाक 1.5.1985 के 2.55 मिलियन टन से बढ़कर 12.3.1986 को 4.01 मिलियन टन हो गए। कोयले का उठान बढ़ाने के लिए उन कोलयरियों से सड़क द्वारा कोयले की बिक्री को उदार भी बना दिया गया है जिनमें कोयले के बड़े स्टाक हैं।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा "पावर बांड" जारी किया जाना

4139. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा हाल ही में जारी किए गए पावर बांडों से कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है; और

(ख) इन बांडों को जारी करने पर निगम ने कुल कितना व्यय किया ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम ने विद्युत बांड जारी करके 154 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि एकत्र की है।

(ख) आबंटित राशि पर 1—1½% की आढ़त के अतिरिक्त, बांड जारी करने संबंधी व्यय 1.25 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

तेल कुओं पर सुरक्षा उपाय

4140. **श्री आर० एम० भोये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों में सुरक्षा सम्बन्धी छठे राष्ट्रीय सम्मेलन ने देश में अधिष्ठापित सभी तेल कुओं का पुनरीक्षण करने और उनमें सुरक्षा उपायों में एक वर्ष के अन्दर सुधार करने के लिए समयबद्ध योजनाएं तैयार करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तेल-कुओं पर सुरक्षा बरतने के लिए की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) सम्मेलन ने निम्नलिखित सिफारिशें की :

(1) खान प्रबन्धकों को अपनी सभी स्थापनाओं की जांच और पुनरीक्षा करनी चाहिए; अर्थात कितनी सुरक्षित दूरी रखनी होगी और अन्तरिम काल में खतरे को कम से कम करने तथा एक वर्ष के अन्दर किए जाने वाले सुरक्षा के पूर्वोपाय और उसमें किए जाने वाले सुधारों के लिए की जाने वाली कार्यवाही हेतु समयबद्ध योजना तैयार करना।

(2) एक वर्ष के अन्दर सभी फिक्सड इंटरनल कम्बूशन इंजनों को फ्लेम आस्टरों में फिट किया जाना चाहिए तथा रिमोट कन्ट्रोल के साथ एयर इनटेक शट आफ वाल्व लगाया जाना चाहिए।

(3) वरीयता के आधार पर आग के लिए कन्टिजैंसी आयोजना बनानी चाहिए। ऐसा करते समय आग का सम्भावित आकार तथा उसे बढ़ने में लगने वाले समय को ध्यान में रखकर योजना बनाने पर विचार करना चाहिए।

(4) पिछले पांच वर्षों में लगी आग के कारणों की जांच के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि में किए जाने वाले उपचारात्मक उपाय करने चाहिए।

श्रम मन्त्रालय द्वारा सम्मेलन का कार्यवृत्त तेल कम्पनियों को परिचालित किया जा रहा है।

नाईलोन फिलामेंट धागे के और अधिक एकक स्थापित करना

4141. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नाईलोन फिलामेंट धागे के कितने एकक कार्यरत हैं और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) देश में फिलामेंट धागे की वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि मांग पूरी करने के लिए नाईलोन फिलामेंट धागे का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसका प्रतिवर्ष कितना आयात किया जाता है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि भारत नाईलोन फिलामेंट धागे का और अधिक उत्पादन करने की स्थिति में है; और

(च) यदि हां, तो देश में अधिक एकक स्थापित करने अथवा विद्यमान एककों का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० अयचन्न सिंह) : (क) इस समय 48,000 टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता वाले आठ नाइलोन फिलामेंट यार्न एकक हैं जो नाइलोन फिलामेंट यार्न के निर्माण में रत हैं।

(ख) वर्तमान मांग लगभग 40,000 से 45,000 टन प्रति वर्ष की है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक वर्ष में लगभग 2,000 टन।

(ङ) जी, हां।

(च) 62,000 टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त क्षमता अनुमोदित की गई है।

सौराष्ट्र में तेल की खोज

4142. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाए गए तेल भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसकी गवेषण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या इसके लिए किसी विदेशी कम्पनी को ठेका दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेल की ड्रिलिंग कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अभी तक तेल का कोई भण्डार प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान ओ०एन०जी०सी० का 4 पार्टी वर्ष के भूविज्ञान सर्वेक्षण 10 पार्टी वर्ष के भू-कम्पीय सवक्षण और 5 अन्वेषी कुओं की खुदाई करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) ओ०एन०जी०सी० का राजकोट में 1987 के दौरान खुदाई आरम्भ करने का अनुमान है।

सौराष्ट्र में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की मांग

4143. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सौराष्ट्र में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने के लिए भारी मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए एक समिति नियुक्त की गई थी;

(ग) क्या समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) विधान सभा सदस्यों और बार एसोसिएशनों ने गुजरात सरकार से सौराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित किए जाने की मांग की है। राज्य सरकार ने आयोग की मांगों का अध्ययन करने और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष उच्चम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री डी० जी० पालेकर हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1985 में राज्य सरकार को प्रस्तुत की। केन्द्रीय सरकार

के पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार, राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1985 के मध्य तक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की थी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जब तक उसे सम्बद्ध राज्य सरकार से उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता है। इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने का नवीकरण

4144. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हल्दिया तेल शोधक कारखाने की क्षमता का विचार करने के लिए इसके नवीकरण किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है;

(ग) इसमें कितना पूंजी परिव्यय किया जायेगा; और

(घ) यह कितने चरणों में पूरा होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) सातवीं योजना में हल्दिया रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि ऊर्जा के संरक्षण के लिए क्रूड डिस्टीलेशन की भट्टियों तथा वैक्यूम डिस्टीलेशन एककों का पुनर्स्थापना 710 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए 119 लाख रुपए की लागत पर एफ्ल्युएंट ट्रिटमेंट संयंत्र में अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। भट्टियों के पुर्नस्थापना का कार्य अगस्त 1987 के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा नथा एफ्ल्युएंट ट्रिटमेंट प्लांट में अतिरिक्त सुविधाएं मार्च, 1987 के अन्त तक लगा दी जाएगी।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार

4145. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के हल्दिया तेल शोधक कारखाने की विस्तार योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यद्यपि भारतीय तेल निगम के अधिकारियों की इच्छा थी कि इसे सातवीं योजना में ही शामिल किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तेल शोधक कारखाने के वित्तीय व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) से (ग) हल्दिया रिफाइनरी के विस्तार को सातवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है तथा रिफाइनरी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

सिंगरेनी कोयला खानों में घाटा

4146. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लि० घाटे में चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उसे कितना संचित घाटा हुआ ;

(ग) इस भारी घाटे के क्या कारण हैं ; और

(घ) दक्षिण भारत में इस एकमात्र कोयला खनन कम्पनी, जो केन्द्रीय सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार के संयुक्त स्वमित्व में हैं, के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) : सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का संयुक्त उद्यम है तथा इसमे उनकी ईक्विटी पूंजी का भाग मोटे तौर पर क्रमशः 51:49 के अनुपात में है। कम्पनी को वर्ष 1981-82 में मुनाफा हुआ था। उसके बाद इसे घाटा हो रहा है। घाटा होने के मुख्य कारण हैं : उत्पादन सामग्रियों की लागत मे वृद्धि, कम उत्पादन और उत्पादकता, हड़तालों की अधिक संख्या अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण मजदूरी में वृद्धि, वेतन-वृद्धि आदि में वृद्धि, अतिरिक्त ऋण पर ब्याज, आदि।

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में 31.3.1985 तक का कुल संचित घाटा रुपये 195.60 करोड़ है जिसमे कोयला रसायन काम्प्लेक्स का घाटा शामिल है।

कोयला विभाग के कहने पर कम्पनी का प्रबंध सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। एक निदेशक (तकनीकी) का पद तथा एक अन्य निदेशक (कंपनी तथा परियोजना आयोजन) का पद बनाए गए हैं और भर लिए गए हैं। एक निदेशक (कार्मिक) का पद भी कम्पनी ने बनाया है तथा उस पर नियुक्ति कर ली गई है। कम्पनी में एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन एक निगरानी कक्ष काम कर रहा है। जिसे कोयला परियोजनाओं का निगरानी कार्य

सौंपा गया है। राज्य सरकार की सहायता से यहां औद्योगिक संबंधों में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं।

कोयला विभाग भी अन्य कोयला कम्पनियों की जिस प्रकार कार्य-निष्पादन पुनरीक्षा करता है उसी प्रकार इस कम्पनी की भी कार्य-निष्पादन पुनरीक्षा कर रहा है। पुनरीक्षा के दौरान जो कमियां पता चलती है उन्हें सुधार की कार्रवाई के लिए कम्पनी के ध्यान में लाया जाता है। कम्पनी का कार्य-निष्पादन बेहतर करने के लिए सुधार के अन्य उपाय भी कंपनी को बताये जाते हैं।

डिजिटल इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्रों का चालू किया जाना

4147. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में और अधिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक केन्द्र चालू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की योजना तथा कार्यक्रम संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना में उड़ीसा राज्य के कस्बों को भी शामिल किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्थानिय/टैंडम टेलीफोन लाईनें संस्थापित किए जाने की प्रस्ताव है :—

(एक) फ्रांस की मेमर्स सी० आई० टी० अल्कातेल से आयतित ई-10 बी टाइप की दो लाख डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, स्थानीय/टैंडम टेलीफोन लाइनों में अब तक 71,000 स्थानीय तथा 7,000 टैंडम लाइनें चालू की जा चुकी हैं।

(दो) मेमर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग मनकापुर द्वारा उत्पादित ई-10 बी टाइप के डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्थानीय/टैंडम लाइनों को देश के विभिन्न भागों में उत्तरोत्तर संस्थापित किया जाएगा।

(तीन) ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों में छोटे आकार के (400 और 600 लासन की क्षमता वाले) 67 आयातित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्रो को भी संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्र संस्थापित करने का प्रस्ताव है :—

(i) भुवनेश्वर II	...	4000 लाइन
(ii) क्योंझर	...	600 लाइन
(iii) कोरापुट	...	400 लाइन
(iv) फूलबनी	...	400 लाइन
(v) सुन्दरगढ़	...	400 लाइन
(vi) बाडीपाड़ा	...	600 लाइन
(vii) ढेंकनाल	...	600 लाइन
(viii) छतरपुर	...	400 लाइन

डाकघरों पर रजिस्टर्ड पत्रों को लेने के लिए पोस्ट बॉक्स धारकों हेतु स्वयंसेवी योजना

4148. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एक स्वयंसेवी योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत पोस्ट बाक्स से डाक के साथ धारक पोस्ट बॉक्स डाकघर से अपने रजिस्टर्ड पत्र भी ले सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पोस्ट बॉक्स/पोस्ट बैग सुविधा वाले सभी डाकघरों में रजिस्टर्ड पत्रों के वितरण की एक योजना स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई है (इसमें इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि डाकघर शहरी क्षेत्र में है या नहीं)।

(ख) जो पोस्ट बॉक्स धारक इस योजना के लिए सहमत हैं, वे वितरण डाकघर है पोस्ट मास्टर को एक प्राधिकरण देंगे कि उनके नाम के सभी रजिस्टर्ड पत्र संदेशवाहक को दिए जाएं (पत्रों का विवरण सूची में हो तथा इसे एक लिफाफे या थैले में सीलबंद किया गया हो) जो पोस्ट बॉक्स से अरजिस्टर्ड डाक लेते हैं या पोस्ट बैग लेते हैं। प्रोषिती को लेने के बाद एक सूची डाकघर को देगा जिसके साथ नामंजूर पत्र, यदि कोई हो तो, भी लौटा देगा।

उपग्रह सेवाओं के विस्तार के लिए भू-केन्द्र और चल केन्द्र

4149. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के दूरस्थ स्थानों में उपग्रह सेवा का विस्तार करने के लिए भू-केन्द्र और चल केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उपग्रह के माध्यम से आरम्भ की जाने वाली नई सेवाओं जैसे ग्रामीण तार अथवा आंकड़े एकत्र करना आदि संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 80 अतिरिक्त भू-केन्द्र और चल केन्द्र स्थापित करना शामिल है जिसके अंतर्गत अनेक दूरस्त स्थानों पर उपग्रह सेवा सुलभ हो सकेगी।

(ख) उत्तर पूर्व में लगभग 50 ग्रामीण तार स्टेशनों की एक पायलट परियोजना का प्रस्ताव है।

अन्य मौजूदा तथा प्रस्तावित भू-केन्द्रों में उपग्रह नेटवर्क में वायस ग्रेड चैनल पर डाटा संचारण की क्षमता है।

टेलीग्राफ और टेलीफोन सुविधा वाले डाकघर खोलना

4150. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी ग्राम पंचायतों में टेलीग्राफ और टेलीफोन की सुविधा से सम्पन्न डाकघर हैं ;

(ख) यदि नहीं तो क्या नभी ग्राम पंचायतों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने की कोई योजना है; और

(ग) देश भर में और विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सभी ग्राम पंचायतों में इन सुविधाओं की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर, तीन मानदंडों अर्थात उस ग्राम की जनसंख्या, न्यूनतम संभावित राज्यस्व तथा निकटतम डाकघर से दूरी के आधार पर खोले जाते हैं। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में उस ग्राम की न्यूनतम आबादी 2000 तथा पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में 1000 होने पर

डाकघर खोले जा सकते हैं। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर पर कुल लागत से 25 प्रतिशत तथा पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत संभावित राज्यस्व प्राप्त होना चाहिए। प्रस्तावित डाकघर से 3 कि०मी० की दूरी के भीतर दूसरा डाकघर नहीं होना चाहिए।

ऐसे ग्रामों में जहां ग्राम-पंचायत मुख्यालय है, आबादी की शर्त लागू नहीं होती। परन्तु इस प्रकार के ग्रामों के मामले में अन्य दो शर्तें लागू होती हैं। अत: जिन ग्राम पंचायत वाले ग्रामों के मामले में निकटतम डाकघर और न्यूनतम राज्यस्व की शर्त पूरी होती है वहां डाकघर खोलने के मामलों पर विचार किया जा सकता है परन्तु सभी ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में डाकघर खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, ग्राम पंचायत वाले 1,03,329 ग्रामों में पहले से ही डाकघर मौजूद हैं। जिन ग्रामों में डाकघर खोलना संभव नहीं है, उन ग्रामों में ग्रामीण पोस्टमैनों/अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों/मेल कैरियरों के माध्यम से डाक टिकटों तथा स्टेशनरी की बिक्री करने, डाक सामग्री का वितरण तथा उन्हें प्राप्त करने, तथा मनीयार्डरों का भुगतान करने की सुविधा प्राप्त है। यह सुविधाएं चल शाखा डाकघरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त हैं।

जहां तक तार तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने का संबंध हैं, समिति निवेश क्षमता को मद्देनजर रखते हुए आदिवासी लेत्रों सहित सभी ग्राम पंचायतों को यह सुविधा प्रदान किए जाने की योजना नहीं है।

पोलिएस्टर फाइबर के अधिक निर्माण एककों की स्थापना

4151. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने एकक पॉलिस्टर फाइबर का निर्माण कर रहे हैं और वे कहां कहां स्थित हैं;

(ख) क्या पॉलिस्टर फाइबर के कुछ और एककों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी होगी और वे कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे; और

(घ) इस प्रयोजना के लिए गुजरात में किन-किन स्थानों को चुना गया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इस समय गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक एकक पोलिस्टर स्टेपल फाइबर के निर्माण में रत है। इसके अतिरिक्त सात अन्य स्थानों पर पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर के निर्माण के लिए नये एकक स्थापित करने की मंजूरी दी गई है—असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक एक।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

कोचीन से तिरुच्चिरापल्ली तक पाइपलाइन बिछाना

4152. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का विचार कोचीन और तिरुच्चिरापल्ली के बीच वरास्ता कोयम्बटूर एक पाइपलाइन बिछाना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाना है ;

(ग) यदि हां, तो परियोजना पर कितनी राशि के व्यय होने का अनुमान है ; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार कार्य में तेजी लाने और कार्यकरण को सरल तथा कारगर बनाने के लिए कृतिक बल का गठन

4153. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस दूर संचार सुविधाओं के विस्तार कार्य में तेजी लाने और कार्यकरण को सरल तथा कारगर बनाने के लिए इस क्षेत्र में विशेष उपाय के रूप में कोई कृतिक बल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल के निदेश पद क्या हैं और इसका किस तारीख को गठन किया गया था ;

(ग) क्या पश्चिमोत्तर राज्यों के लिए भी जिनकी भौगोलिक स्थिति भी पूर्वोत्तर राज्यों के समान है ऐसा ही कृतिम बल गठित किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो इसका किस तारीख तक गठन किया जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूरसंचार पर सरीन समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न प्रकार के दूरसंचार स्विचन तथा संचारण परियोजनाओं पर तत्परता से कार्य करने के लिए 13.10. 1982 को उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए एक टास्क फोर्स की स्वीकृति दी गई थी।

(ख) एक महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में टास्क फोर्स ने 29.8.83 से कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इसका प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है :—

(एक) छठी योजना के लिए डाकतार बोर्ड द्वारा पहले से स्वीकृत बड़ी दूरसंचार योजनाओं को कार्यान्वयन करना।

(दो) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में एम० ए० एक्स०-II, कनटेनराइज्ड एक्सचेंजों तथा कैरियर एवं वी० एफ० टी० का संस्थापन; तथा

(तीन) अन्य कार्यों का कारगर तथा सर्वांगीण-विकास जिसके लिए महाप्रबन्धक, दूरसंचार उत्तर पूर्व क्षेत्र तथा महाप्रबन्धक, टास्क फोर्स, उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच परस्पर सहयोग के लिए सहमति हुई हो।

(ग) और (घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) इसे आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि परियोजनाओं का मौजूदा गठन आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली के विस्तार के लिए मल्टी एक्सस रेडियो रिले सिस्टम

4154. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा के विस्तार के लिए मल्टी एक्सस रेडियो रिले सिस्टम जैसी नई प्रौद्योगिकी अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने बेस स्टेशन और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (स्थानीय और लंबी दूरी वाले) स्थापित करने की योजना है और सातवीं योजना के पहले वर्ष में राज्यवार इनमें से कितने केन्द्र खोले गये है ;

(ग) योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये है और क्या ऐसे सभी बेस स्टेशन और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की वास्तविक रूप से स्थापना में कोई विलम्ब हुआ है और उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में वर्षवार कुल कितना आवंटन किया गया है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) मल्टी-एक्सेस रूलर रेडियो प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार है :—

(एक) दूरवर्ती एवं अलग-अलग फैले हुए उपभोक्ताओं को शहरी टेलीफोन नेटवर्क के साथ जोड़ना।

(दो) ग्रमीण उपभोक्ता के लिए प्रणाली के बेस स्टेशन पर एक रेडियो लिंक सुलभ करना।

(तीन) कम परियात को देखते हुए अनेक उपभोक्ताओं द्वारा समान रेडियो चैनलों का प्रयोग।

(चार) यह प्रणाली दूरवर्ती क्षेत्रों में सम्पर्क प्रदान करता है जहां दुर्गम क्षेत्र और अन्य कठिनाइयों के कारण खुले तार द्वारा सम्पर्क संभव नहीं है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों तथा योजना के पहले वर्ष में खोले जाने वाले लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सर्किल/राज्यवार संख्या संलग्न विवरण एक में दी गई है। इस प्रणाली पर कोई स्थानीय पी० सी० ओ० खोलने की योजना नहीं है।

(ग) योजना के प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य संलग्न विवरण-दो में दिया गया है। एल० डी० पी० टी० के लिए तथा बेस स्टेशन के लिए जहां कि टावरों का निर्माण किया जाना है, भूमि अधिग्रहण न होने के कारण विलम्ब हुआ है। इस कार्य में अब प्रगति हो रही है।

(घ) एम० ए० आर० आर० प्रणाली के लिए अलग से निधि का आबंटन नहीं किया गया है। प्रत्येक वर्ष सर्किलों को दिये जाने वाले एक मुश्त अनुदान में से व्यय की व्यवस्था की जाती है। इन प्रणालियों पर कुल परिव्यय निम्न प्रकार होने की संभावना है:

1985-86	—	रु० 150 लाख
1986-87	—	रु० 450 लाख
1987-88	—	रु० 900 लाख
1988-89	—	रु० 1200 लाख
1989-90	—	रु० 1800 लाख
		कुल : रु० 45 करोड़

विवरण—एक

राज्य/सर्किल	खोले जाने वाले लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सं०	
	सातवीं योजना के दौरान	सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में
1. आन्ध्र प्रदेश	100	10
2. बिहार	340	—
3. गुजरात	114	40
4. जम्मू और काश्मीर	40	—
5. कर्नाटक	59	—
6. केरल	146	—
7. मध्य प्रदेश	165	5
8. महाराष्ट्र	150	10
9. उत्तर-पूर्वी (असम, मेघालय, नागालैंड, मणीपुर, त्रिपुरा)	187	18
10. राजस्थान	636	—
11. तमिलनाडु	106	—
12. उड़ीसा	250	—
13. उत्तर-पश्चिमी (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल)	166	—
14. उत्तर प्रदेश	457	3
15. पश्चिमी बंगाल	57	—
योग :	2973	86

विवरण-दो

सातवीं योजना का वर्षवार लक्ष्य

1985-86	—	100
1986-87	—	300
1987-88	—	600
1988-89	—	800
1989-90	—	1200
	योग (अनुमानतः) :	3000

अनबिके सामान के भंडारों का निपटान करने के लिए डी० एम० टी० के निर्माताओं को सहायता

4155. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०एम०टी० (डाईमिथाइल-टेरपथालेट) के स्वदेशी निर्माताओं को खरीदार न मिलने के कारण गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के दो एककों, अर्थात एक बोंगइगांव तथा दूसरा बडौदा में इंडियन पेट्रोकेमीकल कारपोरेशन लिमिटेड के एकक, को समपरिस्कृत विनाश से बचाने तथा अनबिके सामान के विशाल भंडार का निपटान करने में उनकी सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह):(क) डी० एम० टी० के तीन स्वदेशी उत्पादकों में से दो ने अपने उत्पादों के कम उठान की सूचना दी है।

(ख) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० की विपणन की कोई समस्या नहीं है। डी० एम० टी० उद्योग बोंगइगांव रिफाइनरी तथा पेट्रोकैमिकल्स लि० के एकक सहित की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(I) (डी० एम० टी०) पी० टी० ए० के लिए मीजो पोलिस्टर उद्योग के लिए वैकल्पिक कच्चा माल है) के आयात को ओ० जी० एल० से सीमित स्वीकार्य श्रेणी में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(II) (डी० एम० टी० और पी० टी० ए० पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है।

कारों, जीपों, मोपेडों आदि के लिए जारी किए गए लाइसस

4156. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान (एक) कारों, (दो) जीपों, (तीन) स्कूटरों, (चार) मोटर-साइकिलों, और (पांच) मोपेडो के निर्माण के लिए जारी किये गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक मामले में प्राप्त विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक मामले में लगी विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उद्योगों के अपने मद-वार कारखाने होंगे ; और

(ङ) प्रत्येक उद्योग में कितने-व्यक्ति नियुक्त किए जाने हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गत तीन वर्षों में ऐसे वाहनों का निर्माण करने के लिए किसी नए एकक को कोई मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

कोल इंडिया लिमिटेड के घाटे की जांच करने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव

4158. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि कोल इंडिया लिमिटेड क 78.03 करोड़ रुपये का घाटा किस प्रकार हुआ जबकि पहले यह अनुमान लगाया गया था कि उसे 13.83 करोड़ रुपये का लाभ होगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कोन-कौन हैं; और

(ग) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भाववा है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) (क) से (ग) : इस उद्देश्य के लिए उर्जा मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति बनाने का विचार है और इसके निश्चित विचार-विषय संसदीय कार्य मन्त्रालय के साथ परामर्श करके निश्चित किए जाएंगे।

उच्चतम न्यायालय द्वारा विखंडित विधियां

4159. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने अनेक विधियों को ,विखंडित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1950 से अब तक विखंडित विधियों की संख्या और विवरण क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां। वर्ष 1950 से 1985 तक की अवधि के दौरान संसद ने लगभग 2311 अधिनियम पारित किए हैं, जिनमें सांविधानिक संशोधन सम्मिलित नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा पारित विधायी उपबन्धों को, लगभग 22 अवसरों पर अविधिमान्य घोषित किया है। भारत सरकार का, राज्य विधानों से, मूल रूप से कोई संबंध नहीं है और इसलिए इस संबंध में उसके पास कोई जानकारी देने के लिए नहीं है।

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा विखंडित विधिक उपबन्धों का, आल इण्डिया रिपोर्टस के आधार पर, संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	विखंडित धाराएं	प्रोद्धरण
1.	निवारक निरोध अधिनियम, 1950	धारा 1,12 और 14 संविधान के अनुच्छेद 22 (7) के अधिकारातीत ।	ए०आई०आर 1950 एस०सी० 27 ए० के०, गोपालन बनाम मद्रास राज्य ।
2.	दिल्ली विधि अधिनियम, 1912	भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 और दिल्ली विधि अधिनियम, (1912) वाले मामले में—दिल्ली विधि अधिनियम की धारा 2 और 7 अधिकारातीत ।	ए० आई० आर० 1951 एस०सी०रिफ्० सं० 1/1951
3.	शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमि० (आपात उपबंध) अधिनियम, 1950 (1950 का 28)	असांविधानिक और शून्य, संविधान के अनुच्छेद 31 (2) का उल्लंघन ।	ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 119 द्वारका दास श्री निबास बनाम शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लि०
4.	श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45)	धारा 5 (1) (क) (III) विखंडित की गई क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) का अतिक्रमण करती है ।	ए०आई०आर० 1958 एस० सी० 578 (581) एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ ।
5.	औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 (1954 का 21)	धारा 3 (घ(भागत: अविधिमान्य,—विधिमान्य प्रत्यायोजन की अनुज्ञेय सीमाओं परिधि से परे ।	ए० आई० आर० 1960 एस० सी० 554 (556) हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ ।

1	2	3	4
6.	औद्योगिक (विकास और विनियमद) अधिनियम, 1951.	भारत के संविधान की अनुसूची 7 की सूची 1, प्रविष्टि 52; सूची 2, प्रविष्टि 24, 25 की दृष्टि से, जहां तक कि वह गैस उद्योग को प्रभावित करती है, धारा 20 शून्य और असांविधानिक ।	ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 1045 कल० गैस कं० (प्रा० लि० बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य ।
7.	मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम (1965 का 44)	अनुच्छेद 31 (2) के अर्थान्तर्गत "प्रतिकर" का उपबंध नहीं करता, अतः शून्य है ।	ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 639 भारत संघ बनाम मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमि०
8.	बोनस संदाय अधिनियम (1965)	धारा 33, 34 (2) अविधिमान्य—कार्यपालक प्राधिकारी को विधायी शक्तियां प्रात्यायोजित करती हैं, जो अनुज्ञेय नहीं है (अनुच्छेद 245)	ए० आई० आर० 1967 एस०सी० 691 जालान ट्रेडिंग कं० बनाम मिल मजदूर सभा ।
9.	स्थावर संपत्ति की अध्यपेक्षा और अर्जन अधिनियम (1952 का 30)	खंड(3)(ख) में अधिकथित निर्धारण का ढंग मनमाना है । खंड3(ख)संविधान के अनुच्छेद 31 (2) के (1955 के संशोधन के पूर्व) अधिकारातीत है ।	ए० आई० आर० 1968 एस० सी० 377 भारत संघ बनाम कमला बाई हरजीवन दास पारेख और अन्य ।
10.	आय-कर अधिनियम (1922) आय-कर अधिनियम, 1961	धारा 4(3)(XXI) और धारा 10 (26) शून्य है, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं ।	ए० आई० आर० 1968 एस०सी० 658 आय-कर अधिकारी, असम बनाम लारेंस सिंह ।

11. विस्थापित व्यति (प्रतिकर और पूर्नवास) अधिनियम, 1954	धारा 20 ख, संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (च) और अनुच्छेद 31 (2) के अधिकारातीत हैं।	ए०आई०आर० 1969 एस०सी० 1126 लक्ष्मण दास और अन्य बनाम नगरपालिका, जलालाबाद।
12. लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) अधिनियम, 1957.	धारा 3, जहां तक उसका संबंध तेलंगाना से है, अनुच्छेद 16 (3) के अधिकारातीत है।	ए०आई० आर० 1970 एस०सी० 422 ए०वी०एस०एन० राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य।
13. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम (1969 का 22)	अधिनियम अविधिमान्य ठहराया गया।	ए०आई०आर० 1970 एस०सी० 564 आर०सी० कूपर बनाम भारत संघ।
14. स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968	धारा 5 (2) (ख), धारा 27 (2) (घ), धारा 27 (6), 32, 46, 88 और 100 सांविधानिक दृष्टि से अविधिमान्य हैं।	ए०आई०आर० 1970 एस०सी० 1453 हरख चंद बनाम भारत संघ।
15. हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिनियम, 1962	संपूर्ण अधिनियम अविधिमान्य है, क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ग) का अतिक्रमण करता है।	ए०आई०आर० 1971 एस० सी 966, श्रीमती दमयंती नारंग बनाम भारत संघ।
16. स्वर्ण (नियत्रंण) अधिनियम, 1968	धारा 71 अविधिमान्य है क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और (छ) और अनुच्छेद 19 (5) और (6) के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं है।	ए० आई० आर० 1971, एस० सी० 1970, बद्रीप्रसाद आदि बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, कानपुर आदि।

1	2	3	4
17.	लोक नियोजन (निवास विषय अपेक्षा) अधिनियम, 1957	धारा 2, जहां तक उसका संबंध तेलंगाना क्षेत्र से है, दोषपूर्ण है।	ए०आई०आर० 1973 एस०सी० 827, आन्ध्र प्रदेश सरकार बनाम वी०वी० रेड्डी।
18.	आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971	धारा 17 क, अविधिमान्य है क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 22 (7) (क) का अतिक्रमण करती है।	ए० आई० आर० 1973 एस० सी० 1425 शंभूनाथ सरकार बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार।
19.	जीवन बीमा निगम (समझौता उपातंरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 72)	अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 31 (2) का अतिक्रमण करता है।	ए०आई०आर० 1978 एस०सी० 803, एम०एम० पाठक बनाम भारत संघ।
20.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1948 का 14)	धारा 25-अ और 25-द अनुच्छेद 19 (1) (छ) 31 (ग) का उल्लंघन करती है।	ए० आई० आर० 1979 एस०सी० 25 एक्सेल गियर आदि बनाम भारत संघ आदि।
21.	नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम (1976 का 33)	धारा 27 (1) अविधिमान्य है।	ए०आई०आर० 1981 एस०सी 234 महाराव साहेब श्री भीमसिंह जी और अन्य बनाम भारत संघ।
22.	उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1976 में यथा संशोधित)	अनुसूची 1, पैरा 10 में प्रयुक्त "और जो 1 अक्तूबर, 1974 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हुआ है"···शब्द असांविधानिक हैं और विखंडित किए गए।	ए० आई० आर० 1984 एस० सी० 1177 भारत संघ बनाम विभूषण मालिक और अन्य।

अन्य देशों द्वारा अग्रगामी बायोगैस प्रौद्योगिकी मांग

4160. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम**
डा० चिन्तन मोहन } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सहित अन्य देश भारत की अग्रगामी बायोगैस प्रौद्योगिकी की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी पार्टियों से प्राप्त पेशकशों तथा, किए गए समझौतों का ब्यारा क्या है ;

(ख) क्या भारत में 15 लाख बायोगैस संयंत्र हैं जबकि चीन में इनकी संख्या लगभग 1 करोड़ 50 लाख है ;

(ग) क्या उत्पदन बढ़ाने और लागत में कमी लाने के लिए बायोगैस प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या भारत में बायोगैस संयंत्रों से वनों की कटाई में कमी हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) सरकार चीन सहित देश में बायोगैस प्रौद्योगिकी विकास पर तकनीकी सूचना के लिए कई देशों से अनुरोध प्राप्त कर रही है। कई देशों ने भारत से विशेषज्ञ भेजने एवं भारत में अपने कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कहा है। हाल ही में लेसोथो और थाइलैंड देशों ने अपने तकनीकी कार्मिकों के लिए बायोगैस पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए भारत से अनुरोध किया है। 1984 के प्रारम्भ में अफगानिस्तान में एक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए उनके अनुरोध पर एक अधिकारी को भेजा गया था। संयुक्त राष्ट्र मानव व्यवस्था केन्द्र (हैबीटाट) से अनुरोध प्राप्त होने पर, लाइबेरिया में बायोगैस संयंत्रों को स्थापित करने के लिए एक सम्भाव्य अध्ययन किया गया था। चोगरम (राष्ट्र संघ राज्याध्यक्षों को क्षेत्रीय बैठक) कार्यक्रम के अन्तर्गत सहयोग सम्बन्धी एक सम्भाव्य रिपोर्ट, सोलोमन द्वीप में बायोगैस संयंत्रों को स्थापित करने के लिए तैयार की गई थी। के०वी० आई० सी० ने सोलोमन सरकार के दो मनोनीत व्यक्तियों को 10 नवम्बर, 1985 से 24 नवम्बर, 1985 तक बायोगैस प्रशिक्षण दिया है। भारतीय विशेषज्ञों ने भी उनके अनुरोध पर कीनिया में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की।

(ख) 1974-75 से भारत में 5.5 लाख बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है और स्वतंत्र एजेन्सियों के सर्वेक्षण मूल्यांकन अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अखिल भारतीय आधार पर, 1981-82 से बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत स्थापित किए गए 85 प्रतिशत संयंत्र कार्य कर रहे हैं। चीन के सम्बन्ध में पहले लगभग 7 मिलियन संयंत्रों की स्थापना की सूचना मिली थी, जबकि वर्तमान सूचना के अनुसार वहां कार्यरत संयंत्रों की संख्या लगभग 4.5 मिलियन है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान, देश में नए, कुशल एवं सस्ते बायोगैस संयंत्रों के नमूनों का

विकास किया गया जो इस प्रचार हैं : (i) वे संयंत्र जिनके पाचित्र कोणीय लोहे के फ्रेम से बने हैं तथा पोलीथीन सीटों से लिपटे हैं और "गणेश माडल" के नाम से विख्यात हैं। (ii) वे संयंत्र जो प्रबलित सीमेन्ट के टुकड़ों से बने पाचिव के हैं। (iii) वे संयंत्र जिनके गैस होल्डर रेशेदार-शीशा-पुन: प्रयुक्त प्लास्टिक के बने हैं। (iv) वे संयंत्र जिनके शंकु के आकार के पाचित्र हैं और गैस होल्डर सहित ऊपरी भाग गोलाकार है तथा जो "प्रगति" के नाम से प्रसिद्ध हैं। (v) इसी प्रकार की क्षमता वाले संयंत्र जो प्रतिदिन एक क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करते हैं।

(घ) जी हां। बायोगैस संयंत्रों का प्रयोग मुख्यरूप से खाना बनाने में किया जाता है जिससे जलाने वाली लकड़ी की बचत होती है और इससे वनों की कटाई कम करने में मदद मिली है।

उद्योग के विभिन्न पहलुओं संबंधी अध्ययन दल

4161. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए सरकार द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल के क्या परिणाम निकले और क्या सरकार इसकी सिफारिशों पर भी विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विभिन्न अनुसूचित उद्योगों संबंधी विकास परिषदें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत स्थापित की जाती हैं और ये परिषदें सम्बद्ध अनुसूचित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करती हैं। उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा विकास परिषदों की सिफारिशों पर किया जाता है। इसके अलावा अनुसूचित उद्योगों से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा उद्योग सम्बन्धी एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का भी गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्णय लेते समय इस परिषद् की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है।

देश में रुग्ण औद्योगिक एकक

4163. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक एककों की रुग्णता के कारणों की गहराई से स्वतंत्र अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि औद्योगिक रुग्णता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विश्व व्यापी प्रवृत्ति है ; और

(ग) क्या नवम्बर, 1985 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर रूग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) विधेयक 1985 में अपेक्षित संशोधन किए जाने हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक रूग्णता औद्योगिकरण की प्रक्रिया के ढांचे में ही अन्तर्निहित है तथा केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है।

(ग) रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1985 पहले ही पारित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय अल्कोहल प्राधिकरण की मांग

4165. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल**
श्री वाई० एस० महाजन } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्कोहल पर आधारित अखिल भारतीय उद्योग संगठन ने एक राष्ट्रीय अल्कोहल प्राधिकरण का स्थापना की सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) "केन्द्रीय शीरा बोर्ड" नामक एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय, जिसमें सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के आबकारी मन्त्री सम्मिलित हैं, पहले ही शीरा और अल्कोहल से संबंधित कार्य की देख-रेख कर रहा है।

पहुंच स्थान पर कोयले के वजन का पता लगाना

4166. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल**
श्री रामस्वरूप राम
श्री बी० वी० देसाई } : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड राज्य विद्युत बोर्डों की इस मांग से सहमत हो गया है कि ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा पहुंच स्थान पर कोयले के निर्धारित तोल को ही स्वीकार किया जाये।

(ख) यदि हां, तो रेल द्वारा यात्रा के दौरान कोयले की अनुमानतः कुल कितनी राशि हुई ; और

(ग) क्या यह सुविधा कोयले के अन्य उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध कराई जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जिन वैगनों की तोल नहीं हुई हो उनके सम्बन्ध में कोल इण्डिया लि० ने कोयले का वही वजन मान लेना स्वीकार कर लिया है जो बिजली घरों में निकले तथा यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक कोल इंडिया लि० में तोल-पुल नहीं लगा दिए जाएं। परन्तु यह व्यवस्था इस शर्त के अधीन है कि राज्य बिजली बोर्ड उनके लिए कोल इंडिया लि० द्वारा एक महीने की कोयला सप्लाई का मूल्य कोल इंडिया लि० के पास पेशगी जमा करें।

(ख) रेल से कोयले के प्रेषण में रास्ते में कोयले की हानि का अनुमान लगाने के लिए कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) यह प्रणाली कोयले के अन्य उपभोक्ताओं के मामले में भी लागू करने का करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन द्वारा तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से बकाया धनराशि की वसूली

4167. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सप्लाई की गई बिजली के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा नेयवेली लिगनाइट कारपोरेशन को कितनी धनराशि देनी बकाया है ;

(ख) क्या बिजली के मूल्य निर्धारण के बारे में कोई विवाद था ;

(ग) क्या विवाद का निपटारा हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और तमिलनाडु बिजली बोर्ड के बीच 1980-81 से 1983-84 की अवधि में बिजली सप्लाई का जो पिछला समझौता था उसकी अवधि 31-3-1984 को समाप्त हो गई। दिनांक 1-4-1984 से शुरू होने वाली अगले चार वर्ष की अवधि पर लागू बिजली दरों और अन्य शर्तों के सम्बन्ध में तमिलनाडू बिजली बोर्ड से बातचीत की जा रही थी। अब इस बारे में सहमति हो गई है और ने० लि० का० तथा त० ना० बिजली बोर्ड के बीच 24-2-1986 को समझौता हो गया। चार वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित दरें निश्चित की गई हैं :

वर्ष	बिजली शुल्क पैसे/कि०वा० घंटा
1984-85	36.50
1985-86	39.25
1986-87	42.50
1987-88	45.75

उपर्युक्त दरों में चार वर्षों में उत्पादन लागत में वृद्धि शामिल है किन्तु कोई टैक्स/शुल्क, उपकर और उप-शुल्क शामिल नहीं है।

(घ) तमिलनाडु बिजली बोर्ड से दिसम्बर, 1985 तक रु० 31.68 करोड़ की राशि लेनी बाकी थी। बोर्ड इस बकाया राशि को 1986-87 में चुकता कर देने के लिए सहमत हो गया है।

मुख्य उद्योगों के लिए अनिवार्य लागत लेखा

4168. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी मुख्य उद्योगों को अनिवार्य लागत लेखा व्यवस्था के अन्तर्गत लाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या उद्देश्य है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विभिन्न उद्योगों के लिए लागत लेखा रिकार्ड रखने के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत लागत लेखा रिकार्ड नियम निर्धारित करना सतत् प्रक्रिया है। जैसी ही और जब भी विशेष उद्योग के लिए ऐसे नियम निर्धारित किये जाते है, तो इस अधिसूचना की एक प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है।

पंजाब में नई औद्योगिक परियोजनायें

4169. **श्री सी० माधव रेड्डी**
डा० टी० कल्पना देवी : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की विद्यमान राजनीतिक स्थिति के कारण पंजाब में औद्योगीकरण की गति कुप्रभावित हो रही है;

(ख) क्या हाल ही में पंजाब के लिए सरकारी क्षेत्र में किन्हीं नई परियोजनाओं की मन्जूरी दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गैर-सरकारी उद्योग-समूहों के पंजाब में पूंजी निवेश के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पंजाब के औद्योगिकरण की स्थिति को निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :

वर्ष	आशय-पत्रों की संख्या	औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1983	45	169
1984	44	94
1985	57	72
1986 (जनवरी)	2	6

वर्ष	केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत दी गई राशि (करोड़ रु० में)
1982-83	1.47
1983-84	1.63
1984-85	3.49
1985-86 (फरवरी, 1986)	2.80

(ख) सरकारी क्षेत्र में नई परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार हैं :

	1984		1985	
	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (राज्य औद्योगिक विकास निगम + राज्य + केन्द्र)	8	2	11	2

(ग) उपक्रम के नाम, चाहे वह सरकारी हो अथवा गैर-सरकारी, जिन औद्योगिक प्रस्तावों के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं उनके स्थापना-स्थल आदि से संबंधित ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उसके मन्थली न्यूज लेटर में प्रकाशन किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सप्लाई की गई गैस की दरों में भिन्नता

4170. **श्री एस० जी० धोलप** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, टाटा इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी को विद्युत के लिए गैस की सप्लाई करता है ;

(ख) यदि हां, तो किस दर पर ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भिन्न-भिन्न पक्षों को भिन्न-भिन्न दरों पर गैस की सप्लाई की जाती है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि टाटा इलैक्ट्रिसिटी कम्पनी को सर्वाधिक दरों पर गैस की सप्लाई की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप बम्बई के उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी (टी०ई०सी०) तथा गुजरात बिजली बोर्ड को गैस सप्लाई कर रहा है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को दी जा रही गैस का मूल्य एल० एस०एच०एस० प्रतिस्थापन मूल्य के अनुसार लिया गया है। टी० ई० सी० को दी जाने वाली गैस का मूल्य 5685 मिलियन किलो केलोरिज प्रतिदिन तक के कोयला प्रतिस्थापन मूल्य के अनुसार लिया जा रहा है तथा इसके बाद ईंधन प्रतिस्थापन मूल्य पर होता है। गैस जो जी०ई०बी० को दी जाती है उसका बिल कोयला प्रतिस्थापन मूल्य के बराबर होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) सप्लाई की जा रही गैस का मूल्य ईंधन जिसे गैस द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है की प्रतिस्थापत लागत पर आधारित होता है।

(ङ) जी, नही।

दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या

4171. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 1985 को प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना से, केंन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों को प्रशासनिक अधिकरण में अंतिरित कर दिए जाने के के पश्चात दिल्ली उच्च न्यायालय में लबित मामलों की संख्या में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली उच्च न्यायालय में जनवरी, 1986 के अन्त तक कितने मामले लम्बित थे ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि केन्द्रीय प्रशसनिक अधिकरण को सिविल रिट याचिकाओं के अंतरण से, लंबित मामलों की संख्या में 1,147 की कमी हो गई है। 1,131 मामले नवंबर, 1985 में और 16 मामले उसके पश्चात् अंतरित किए गए हैं।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जनवरी, 1986 के अंत में 8,552 रिट याचिकाएं और 60,709 अन्य मामले लंबित थे।

दूरसंचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी

4172. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को 21 वीं शताब्दी में ले जाने के उद्देश्य से दूरसंचार के क्षेत्र में कौन सी नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) क्या इस प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप भूमिगत केवल प्रणाली की जरूरत नहीं रहेगी जो बड़े शहरों में जनता के लिए निरंतर परेशानी का कारण है ; और

(ग) दूरसंचार प्रणाली को दूरदर्शन प्रणाली में किस सीमा तक बदला जा सकता है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्री में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डिजिटल टेक्नालॉजी।

(ख) जी नहीं। परन्तु, वर्तमान केबिल मीडिया में आ रही कुछ परेशानियां नई टेक्नालॉजी द्वारा दूर की जाएंगी।

(ग) दूरसंचार प्रणाली के स्थान पर टेलीविजन प्रणाली अपनाना श्रेयस्कर न होगा क्योंकि दूरसंचार प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जानी है और टेलीविजन संरक्षण प्रणाली उसका एक हिस्सा ही बन सकती है।

डाक विभाग से तार विभाग का अलग किया जाना

4173. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार विभाग को डाक विभाग से अलग किया गया है; और

(ख) क्या नई प्रणाली के अन्तर्गत उप डाकघरों में उनके साथ-साथ कोई भी तारघर नहीं खोला जाता है क्योंकि यह कार्य अब स्वतंत्र रूप से तार विभाग द्वारा किया जाता है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। यहां तक कि तत्कालीन डाक-तार विभाग में भी उपडाकघर खोलने के साथ-साथ तार घर नहीं खोले जाते थे क्योंकि दोनों के लिए मानदंड अलग-अलग हैं। इस नीति में अभी परिवर्तन नहीं हुआ है।

गुजरात में सुपर ताप बिजलीघर की स्थापना

4174. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में लम्बे समय से बिजली का संकट है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गुजरात में एक सुपर ताप बिजली घर स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किया जाएगा और अन्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान उस राज्य की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए और क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) गुजरात अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को अधिकांश रूप से पूरा कर रहा है परन्तु व्यस्ततमकाल के दौरान कुछ कमी रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सातवीं योजनावधि के दौरान, गुजरात में 1085 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें 125 मेगावाट जल-विद्युत तथा 960 मेघावाट ताप-विद्युत शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य को विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र, कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार और कवास में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किए

जाने वाले प्रस्तावित गैस पर आधारित केन्द्र से इसका हिस्सा भी प्राप्त होगा। विद्यमान ताप-विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गांधीनगर, धुवारन तथा उकई ताप-विद्युत केन्द्रों का पुनर्निर्माण कार्य, केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किया गया है।

प्रक्षालक द्रव्य निर्माता रुग्ण एकक

4175. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराव वाडियर** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित प्रक्षालक द्रव्य निर्माता एककों की संख्या कितनी है;

(ख) कर्नाटक में ऐसे कितने एकक हैं;

(ग) क्या देश में कुछ ऐसे एकक रुग्ण हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) डिटर्जेन्ट बनाने के लिए संगठित क्षेत्र में 22 एकक तथा लघु उद्योग क्षेत्र में लगभग 500 एकक हैं।

(ख) कर्नाटक में संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत 2 एकक तथा लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 10 से अधिक हैं।

(ग) से (घ) संगठित क्षेत्र के संबंध में जानकारी के अनुसार तीन एकक अर्थात् स्टीफन केमिकल्स (पंजाब), यूनियन होम प्रोडक्ट्स (कर्नाटक) और हरियाणा डिटर्जेन्टस (हरियाणा) ऐसे एकक हैं जो रुग्ण हैं/कुछ समय से घाटे में चल रहे हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के रुग्ण डिटर्जेन्ट एककों के विषय में अलग से जानकारी नहीं रखी जाती है।

सीमेंट उद्योग में पर्यावरण सम्बन्धी सुधार

4176 **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराव वाडियर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उद्योग में पर्यावरण सम्बन्धी सुधार करने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु कितनी परियोजनायें कार्यान्वित की गई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। सीमेंट उद्योग को 20 उच्च प्रदूषण वाले उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है जिनके सम्बन्ध में पर्यावरणात्मक प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के पश्चात ही आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जाता है। इनमें ये शामिल हैं : परियोजना के स्थापना-स्थल की उपयुक्तता के संबंध में संबंधित राज्य सरकार से पुष्टि संबंधी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित उपक्रम द्वारा स्थापित अथवा स्थापित किए जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपक्रमों की पर्याप्तता और उपयुक्तता के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र और उद्यमी द्वारा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को प्रदूषण रोकने तथा नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त उपकरणों की स्थापना करने की वचनबद्धता। वे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जो देश में उपलब्ध नहीं है उदार शर्तों पर उनके आयात की अनुमति दी जाती है। उद्योग सीमेंट संयंत्रों से निकलने वाली धूल को नियंत्रण करने की आवश्यकता से अवगत है और इसलिए वे इलैक्ट्रो-स्टेटिक प्रिसिपिटेटरों, बैग फिल्टरों, साइक्लोनों, आदि जैसे उपयुक्त उपकरण स्थापित कर रहे हैं। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अनुसार 76 सीमेंट कारखानों के 161 क्लिनों में से इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रिसिपिटेटरों सहित 71 क्लिन लगाए जा चुके हैं और 28 और लगाए जा रहे हैं। निकट भविष्य में अन्य कारखानों की भी इलैक्ट्रो-स्टेटिक प्रिसिपिटेटर अथवा अन्य धूल नियंत्रक उपकरण स्थापित करने की योजना है।

बल्क औषधियों की आवश्यकता

4177. **श्री श्रीहरि राव**
डा० डी० एन० रेड्डी } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1984-85 के लिए बल्क औषधियों का अनुमानित आवश्यकता 581·9 करोड़ मूल्य की थी;

(ख) यदि हां, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति देश में उत्पादन के द्वारा अथवा उनका आयात करके किस प्रकार की गई;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बल्क औषधियों की आवश्यकता की पूर्ति देश में होने वाले उत्पादन के द्वारा की जायेगी;

(घ) क्या भारतीय कंपनियों ने फार्मूलेशन बनाने का आसान कार्य पूरा कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की 300 की सिफारिश की तुलना में, फार्मूलेशनों की संख्या को 30,000 से घटाकर लगभग 3,000 तक करके उनके काम को और आसान बना दिया जायेगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ये अपेक्षाएं मुख्यतः स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरी की गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) देश ने फार्मूलेशनों में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

(ङ) इसको एक व्यापक रूप देना कठिन है।

[हिन्दी]

अल्मोड़ा में टेलीफोन के मंडलीय अभियन्ता का कार्यालय

4178. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में वर्ष 1985-86 के दौरान कुछ नये छोटे टेलीफोन केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) यदि हां तो क्या वहां कार्यभार के आधार पर एक नया टेलीफोन मंडलीय अभियन्ता कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां तो क्या वर्ष 1986-87 में अल्मोड़ा में एक नए टेलीफोन मंडलीय अभियन्ता का कार्यालय स्थापित करने का सरकार का विचार है?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल डाक सेवा के विलगन कार्यालयों को डाकघरों के साथ मिलाना

4179. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेल डाक सेवा के विलगन कार्यालयों को बंद करके उन्हें डाकघरों के साथ मिलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस निर्णय के डाक वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की है?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र में टेलीफोन लाइनें

4180. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान मांग को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र के लिए दूरसंचार विभाग के महाराष्ट्र सर्कल को प्रतिवर्ष लगभग 1500 टेलीफोन लाइनों की आवश्यकता है;

(ख) क्या कम धनराशि आवंटित किये जाने के कारण वह एक वर्ष में 10000 लाइनों की व्यवस्था करने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां तो सरकार का क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा : (क) टेलीफोन की मांग में प्रति वर्ष 40,000 की दर से वृद्धि हो रही है।

(ख) जी नहीं। सातवीं योजना के दौरान प्रति वर्ष लगभग 20,000 लाइनें दी जाएंगी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 15-3-1986 तक 00,000 से अधिक लाइनें प्रदान की गई।

(ग) और (घ) संसाधनों की भारी कमी के कारण सातवीं योजना के दौरान संपूर्ण मांग पूरी करना सम्भव नहीं है।

बम्बई खादी और ग्रामोद्योग आयोग के छूट सम्बन्धी दावों का भुगतान

4181. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग बम्बई खादी और ग्रामोद्योग एसोसिएशन को आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रमाणा-एत्र नहीं दे रहा है;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग बजट प्रावधानों के बावजूद बम्बई खादी और ग्रामोद्योग एसोसिएशन की समय पर छूट सम्बन्धी दावे का भुगतान नहीं कर रहा है; और

(घ) बम्बई खादी और ग्रामोद्योग एसोसिएशन, बम्बई को 30 दिसम्बर, 1985 तक का इस सम्बन्ध में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) आयकर से छूट देने और रिबेट क्लेम रिलीज करने के वास्ते अनुमोदन पत्र जारी करने के सम्बन्ध में बम्बई खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के लम्बित पड़े मामलों पर अभी हाल ही में एसोसिएशन और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में चर्चा की गई थी। जैसा कि उसमें माना गया था, आयोग में आकलन वर्ष 1984-85 तक आयकर से छूट देने हेतु बम्बई खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन को अनुमोदन पत्र जारी कर दिए हैं। अब इस एसोसिएशन ने वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए अनुमोदन पत्र जारी किए जाने का अनुरोध किया है जिस पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

एसोसिएशन के सितम्बर, 1985 तक के रिबेट क्लेमों का भुगतान एसोसिएशन को पहले ही किया जा चुका है। बाद की अवधि अर्थात् अक्तूबर और नवम्बर 1985 के दावे (क्लेम) अभी 4 मार्च और 10 मार्च, 1986 को ही प्राप्त हुए हैं जिनकी कुल राशि लगभग 47 लाख रुपये है, की जांच खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की जा रही है।

डाक पाल के लिए सुरक्षा कर्मचारी

4182. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक पालों को सुरक्षा कर्मचारी देने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि डाकघरों में धन का लेन-देन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस बारे में कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) पोस्टमास्टर जनरल को स्थानीय परिस्थितियों तथा डाकघरों में रखी गई सरकारी सम्पत्ति के मूल्य को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं आवश्यक डाकघरों में सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए चौकीदार तैनात करने के अधिकार है। स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार पुलिस गार्डों की भी व्यवस्था की जाती है। जब कभी धनराशि विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है और उसे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजना होता है, तो पुलिस को रक्षा के लिए भेजने की भी व्यवस्था की

जाती है। कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों में निकट के पुलिस स्टेशन से हॉट लाइन टेलीफोन तथा कुछ में अलार्म पद्धतियों की व्यवस्था है। ये प्रबंध व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना

4183. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा कितने उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) वे उद्योग कहां पर स्थित हैं और वे किस प्रकार के हैं;

(ग) प्रत्येक संयंत्र में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(घ) क्या किसी संयंत्र में उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) नवम्बर, 1983 में विशेष अनुमोदन समिति (प्रवासी भारतीय) का गठन किए जाने के बाद भारत में उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रवासी भारतीयों को दिसम्बर, 1985 तक पूंजीगत सामान आयात के लिए 320 अनुमोदन, विदेशी सहयोग के लिए 66 अनुमोदन और 132 आशय पत्र/अनुमति पत्र/एस० आई० ए० रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं। इन अनुमोदानों के अन्तर्गत स्पंज आयरन, माइल्ड और अलोय स्टील रोल्ड उत्पाद, अखबारी कागज, सीमेंट, मैथानोल, पोलिएथर पोलियोल, टेलिफोन उपकरण, इलेक्ट्रानिक पी० ए० बी० एक्स, टेलिविजन पिक्चर ट्यूब, मिनि कम्प्यूटरों/माइक्रोप्रोसेसरों पर आधारित प्रणालियां आदि संबंधी उद्योग सम्मिलित हैं। इन अनुमोदनों के अधीन विभिन्न योजनाओं में कुल स्थिल पूंजी निवेश अनुमानतः 1074.48 करोड़ रुपये हैं और प्रवासी भारतीयों का निवेश इन परियोजनाओं में 182.67 करोड़ रुपये होने की आशा है। परियोजनाओं के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा निकाले जाने वाले (मन्थली न्यूजलेटर) में प्रकाशित किये जाते हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

गोरखपुर में "आप्टिकल फाइबर" प्रोजेक्ट परियोजना की प्रगति

4184. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में "आप्टकल फाइबर" परियोजना स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : आप्टिकल फाइबर परियोजना स्थापित करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का संकलन

4185. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का कोई संकलन प्रकाशित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रकाशन कब तक प्रकाशित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अधिनस्थ विधान संबधी संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, अधीनस्थ विधान को (जिनमें नियम, अधिसूचनाएं, आदेश आदि हैं) अद्यतन रखने और उसे जनता को शीघ्र उपलब्ध करने के लिए एक स्कीम बनाई गई है। किसी अधिनियमिति के अधीन अधिनस्थ विधान, अधिनियमिति से प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, अत: उक्त स्कीम में, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षा की गई है कि वे, अपने द्वारा जारी किए गए सभी नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतम प्रतियों वाले फोल्डर बनाकर रखें। विधायी विभाग, किसी केन्द्रीय अधिनियम का पुनरीक्षित संस्करण तैयार करते समय, उसके पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर, ऐसी पुस्तिका की, जिसमें अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त अधीनस्थ विधान समाविष्ट होते हैं, पांडुलिपि का संकलन तैयार करके उसे, अधिनियम से सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय को भेजता है। प्रशासनिक मंत्रालय को पांडुलिपि की संवीक्षा करनी होती है, विधायी विभाग के परामर्श से उसे अंतिम रूप देना होता है और तब उसे प्रकाशित कराना होता है। जबकि अधिनियम का प्रकाशन विधायी विभाग करता है, ऐसे अधिनियम के अधीन अधीनस्थ विधान का प्रकाशन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अत: जबकि ऐसी पुस्तिकाओं के प्रकाशन की जिम्मेदारी सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों की होगी, विधायी विभाग उक्त पुस्तिकाओं की पांडुलिपियां तैयार करने, उन्हें अंतिम रूप देने तथा प्रूफ पढ़ने में प्रशानिक मंत्रालयों की सहायता करेगा ।

उपर्युक्त स्कीम, साधारण कानूनी नियम आदेशों के जिसके 30 खंड और खंड 1 से 4 तक के चार अनुपूरक खंड हैं, पुनरीक्षित संस्करण को प्रकाशित करने की बाबत इस मंत्रालय के पूर्वतर प्रस्ताव के ही स्थान पर है। इन खंडों को तैयार करने और उनके प्रकाशन में 20 वर्ष से अधिक समय लगा है और इन खंडों के पुनरीक्षण में भी लगभग इतना ही समय लगेगा,

अत: उक्त खंड मुद्रित होने और विक्रय के लिए रखे जाने से पूर्व ही पुराने पड़ जायेंगे। उक्त स्कीम द्वारा अधीनस्थ विधान को अद्यतन रखा जा सकेगा और जनता को शीघ्र उपलब्ध किया जा सकेगा।

उक्त स्कीम के अधीन, अभी तक विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित अधिनियमों के सहायक खंडों के रूप में प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा छह अधिनियमों के अधीन अधीनस्थ विधान के संकलन प्रकाशित किए गए हैं। सत्ताईस अन्य अधिनियमों के अधीन अधीनस्थ विधान के संकलनों की पांडुलिपियों को विधायी विभाग ने अंतिम रूप दे दिया है और प्रकाशन के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को भेज दिया है।

विधायी प्रारूपण संबंधी पाठ्यक्रम

4186. **श्री शांताराम नायक** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विधायी प्रारूपण का कोई पाठ्यक्रम चलाता है;

(ख) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम से कितने राज्यों ने फायदे प्राप्त किए हैं; और

(ग) इस पाठ्यक्रम के अधीन कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में अभी तक विधायी प्रारूपण पाठ्यक्रम के संचालय के लिए कोई संगठन नहीं हैं। किन्तु इस मंत्रालय में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम इस शताब्दी के आरंभ से ही चालू है और 1985 तक प्रारूपण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में 192 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। बीस राज्य और तीन संघ राज्य क्षेत्र इस कार्यक्रम से अभी तक लाभान्वित हुए हैं।

गोवा के सिविल कोड का अनुवाद

4187. **श्री शांताराम नायक** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में एक समान सिविल कोड (कोडीको सिविल पुर्तगीज) प्रवृत्त है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के उद्देश्य के अनुसार इसका अध्ययन करने की दृष्टि से उसका अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं में अनुवाद कराने की उनके मंत्रालय की कोई योजना है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु एक समान सिविल सहिता के कुछ भागों का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है और अंग्रेजी में सिविल संहिता का अनुवाद तैयार करने के लिए गोवा, दमन और दीव प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।

टेलेक्स और टेलीग्राफी प्रणाली का विस्तार

4188. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में टैलेक्स और टेलीग्राफी प्रणाली के विस्तार पर अधिक बल देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का वर्तमान नेटवर्क में सुधार करने और उसे आधुनिक बनाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलेक्स के विस्तार कार्य को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि योजना के अन्त तक मांग होने पर कनेक्शन दे दिया जाए। तार सेवाओं के संबंध में नेटवर्क आधुनिकीकरण को विशेष महत्व दिया जाएगा ताकि सेवा के स्तर में सुधार हो सके।

योजना के दौरान टैलेक्स क्षमता में लगभग 32,000 लाइनों का विस्तार करने की योजना है। टैलेक्स सेवा में सुधार लाने के लिए सभी महानगरीय एवं बड़े शहरों में इलेक्ट्रॉनिक टैलेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। वास्तव में बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार महानगरों में एस० पी० सी० इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सीधी एक्सचेंज लाइनें, ट्रांजिट लाइनें भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट एक्सचेंजों के माध्यम से सुलभ कराने का प्रस्ताव है जिसमें ट्रांजिट कार्य में सुधार होगा। छोटे शहरों में भी मौजूदा नेटवर्क में सुधार लाने के लिए कम क्षमता वाले देशी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित किए जायेंगे।

मौजूदा तार नेटवर्क में सुधार लाने तथा उसे आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव है—

(एक) स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम का विकास और उसकी संस्थापना।

(दो) स्टोर एण्ड फारवर्ड तार प्रणाली का विस्तार।

(तीन) स्टोर एण्ड फारवर्ड मेनटेक्स प्रणाली का विस्तार।

(चार) इलेक्ट्रॉनिक-की-बोर्डों का विकास और संस्थापन।

(पांच) कोनोकॉम कनेसेनट्रेटर्स का विकास और स्थापन।

(छः) मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल टेलीप्रिंटरों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर लगाना।

(सात) निर्बाध पावर सप्लाई प्रणाली की व्यवस्था।

(आठ) प्रचालन और प्रबंध आवश्यकताओं के लिए कम्प्यूटर सहायकों की व्यवस्था।

बम्बई हाई और हाजिरा में गैस की उपलब्धता

4189. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई तथा हाजिरा क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध होती है;

(ख) प्राप्त होने वाली इस गैस में से कितनी गैस जला दी जाती है और कितनी का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) उपलब्ध होने वाली सम्पूर्ण गैस का उत्पादन उद्देश्य के लिए उपयोग कब तक किया जा सकेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 में बम्बई हाई से सम्बद्ध प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगभग 12.08 एम० एम० सी० एम० डी० हुआ; हाजिरा में प्राकृतिक गैस का कोई उत्पादन नहीं हुआ।

(ख) उपर्युक्त मात्रा में से आंतरिक उपभोग तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के बाद 5.19 एम० एम० सी० एम० जी० गैस जला दी गई।

(ग) बम्बई हाई में जो कम्प्रेशन सुविधाएं अभी तक अपर्याप्त थीं, उन्हें बढ़ाया जा रहा है तथा अप्रैल 1986 तक इनके चालू होने की सम्भावना है। इसके साथ ही यहां से निकली सारी गैस को उपयोग के लिए तट पर लाया जायेगा तथा सुरक्षा कारणों के अतिरिक्त किसी भी गैस को जलाया नहीं जायेगा।

निर्माताओं से खाना पकाने की गैस के सिलिंडर खरीदने संबंधी नीति

4190. **श्री प्रताप भानु शर्मा**
श्री सैयद मसूदल हुसैन } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की विभिन्न निर्माताओं से खाना पकाने की गैस सिलेंडर खरीदने संबंधी नीति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस के सिलिंडरों का निर्माण करने वाले अनेक नए एकक तेल कम्पनियों से आर्डरों के प्राप्त न होने के कारण बेकार हो गए हैं और रुग्ण हो रहे हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय एल० पी० जी० सिलेंडर निर्माता संघ द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) एल० पी० जी० सिलिंडरों को खरीदने के लिए तेल विपणन कम्पनियों की वर्तमान व्यवस्था 31 मार्च 1986 को समाप्त हो रही है। इस मद के लिए देश में उपलब्ध काफी अधिक क्षमता को देखते हुए तेल कम्पनियां अपनी 1986-87 की अपनी आवश्यकताओं को उन सभी मौजूदा विनिर्माताओं तथा नए एककों से प्राप्त करके पूरा करेंगी जिन्हें निर्धारित अनुमोदन प्राप्त है।

(ग) और (घ) 1986-87 की नीति बनाते समय एल० पी० जी० सिलिंडर विनिर्माताओं सहित अखिल भारतीय एल० पी० जी० सिलिंडर विनिर्माता संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन को ध्यान में रखा गया है।

पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में षटकोणीय योजना (हेक्सागन स्कीम) के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन

4192. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक स्थिति और असंतोषजनक संचार सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में षट्कोणीय योजना (हेक्सागन स्कीम) के आधार पर कुछ सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए कोई प्राथमिकता देने का विचार है;

(ख) यदि हां तो प्राथमिकता का स्वरूप क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सभी हेक्सागनों में किस तारीख तक सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध किये जायेंगे और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस प्रयोजन के लिए कितने हेक्सागन बनाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में आबादी के मानदंडों में छूट देकर प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। सामान्य क्षेत्रों में, घाटे के आधार पर एल० डी० पी० टी० सुविधा पाने के लिए आबादी 5000 तथा पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए 2500 है।

(ग) सीमित संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए सातवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 27,400 षट्कोणीय क्षेत्रों में से केवल 9000 षट्कोणीय क्षेत्र इस सुविधा के अन्तर्गत आ सकेंगे।

देश के जिन षट्भुजाकार क्षेत्रों में लंबीदूरी के पी० सी०ओ० प्रदान किए जाने हैं उनकी राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31-3-1985 की स्थिति के अनुसार आबादी वाले कुल षडभुजाकार क्षेत्र/षडभुजाकार क्षेत्र जहां दूरसंचार सुविधा प्रदान की जानी है।

क्रम सं०	सर्किल का नाम	आबादी वाले कुल षडभुजाकार क्षेत्र	षडभुजाकार क्षेत्र जहां दूरसंचार सुविधा प्रदान की जानी है।
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4991	482
2.	बिहार	4740	3586
3.	गुजरात (गुजरात दादर, नागर हवेली, दमन, दीव समूह सहित)	2387	1244
4.	जम्मू और काश्मीर	885	636
5.	कर्नाटक	3648	1506
6.	केरल (केरल, माहे और मोनीकोअ, लक्ष्यद्वीप, अक्ष्य द्वीप सहित)	546	10
7.	मध्य प्रदेश	6103	3267
8.	महाराष्ट्र (महाराष्ट्र, गोवा सहित)	4842	2878

1	2	3	4
9.	उत्तर-पूर्व (असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सहित)	3308	2587
10.	उत्तर-पश्चिम (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पंजाब और चण्डीगढ़ सहित)	2023	1012
11.	उड़ीसा	2110	1386
12.	राजस्थान	6193	4808
13.	तमिलनाडु (तमिलनाडु, पाण्डिचेरी सहित)	1672	82
14.	उत्तर प्रदेश	4055	2032
15.	पश्चिम बंगाल (पश्चिम बगाल, सिक्किम अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सहित)	2777	1961
	योग	50280	27477

विवाहों का रजिस्ट्रीकरण

4193. **प्रो० के० वी० थामस**
श्री विष्णु मोदी } : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी, प्राईवेट और पब्लिक सैक्टर में किसी सेवा के लिए वैवाहिक स्थिति का उल्लेख करते समय विवाह संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या किसी जाति और पंथ का विचार किए बिना सभी प्रवर्गों के नागरिकों के लिए विवाह की आयु, रजिस्ट्रीकरण विवाह-विच्छेद आदि जैसे वैवाहिक विवादों के बारे में विधि बनाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातों के लिए, विवाह के पक्षकारों के बीच किसी वाद या कार्यवाही जैसे वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना का उपबंध किया गया है :—

(i) विवाह के अकृतता या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन या न्यायिक

पृथक्करण या विवाह के विघटन की डिक्री के लिए;

(ii) किसी व्यक्ति के विवाह की विधिमान्यता या उसकी वैवाहिक प्रास्थिति के बारे में घोषणा के लिए;

(iii) पक्षकारों की या उनमें से किसी की संपत्ति के लिए; या

(iv) किसी वैवाहिक नातेदारी से उत्पन्न परिस्थितियों में किसी आदेश या व्यादेश के लिए।

यह अधिनियम सभी प्रवर्गों के नागरिकों को, चाहे वे किसी भी जाति और धर्म के हों, लागू होगा।

सातवीं योजनावधि के दौरान बिजली का उत्पादन और आवश्यकता

4194. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के अन्त तक कितनी बिजली की आवश्यकता होगी; और

(ख) सातवीं योजना अवधि के अन्त तक कितनी बिजली का उत्पादन होगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सातवीं योजना अवधि के अन्त तक विद्युत की आवश्यकता लगभग 269 बिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) सातवीं योजना के अन्त में सकल विद्युत उत्पादन और उपलब्धता क्रमशः लगभग 276 बिलियन यूनिट और 255 बिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है।

न्यायालयों द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद कम्पनियों को बन्द किए जाने की कार्यवाही पूरी न होना

4195. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्हें बन्द करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद उन्हें बन्द किए जाने की कार्यवाही अभी पूरी की जानी है;

(ख) उक्त भाग (क) में उल्लिखित कम्पनियों को बन्द करने के बारे में विभिन्न न्यायालयों द्वारा किस-किस तारीख को समापन आदेश जारी किए गए;

(ग) ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनके बन्द किए जाने की कार्यवाही न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए जाने के 12 वर्षों से भी अधिक समय के बाद भी लम्बित पड़ी है; और

(घ) प्रत्येक मामले में असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 31-12-85 तक बन्द किए जाने वाली इस प्रकार की कम्पनियों की कुल संख्या 1349 थी।

(ख) और (ग) उन तारीखों के सम्बन्ध में, जिनको विभिन्न न्यायालयों में बन्द करने के आदेशों को जारी किया था, के ब्यौरे तुरन्त उपलब्ध नहीं है। समय, धन और शक्ति, जिसको, एकत्र करने तथा उनको संकलन करने में खर्च करने की आवश्यकता होगी वह संभवतः वांछित परिणामों के अनुरूप नहीं हो।

(घ) समापन कार्यवाहियां, सम्बन्धित उच्च न्यायालय के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत समापकों द्वारा सम्पन्न की जाती है इन प्रक्रियाओं में कभी-कभी ऋणदाताओं के दावो को तै करने में मुकदमेबाजी, कर्जदारों आदि को सम्मिलित करते हुए परिसम्पत्तियों की वसूली करने में देरी होती है।

उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना

4196. **श्री पां० एम० सईद** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने का है बशर्ते कि वे सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करते हों;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ग) उन जिलों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्हे ऐसे लाइसेंसयुक्त उद्योग स्थापित करने के लिए चुना गया है और निर्धारित किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उद्योगों के सम्बन्ध में उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करने के बारे में तब विचार किया जाता है जब कि पंचवर्षीय संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक क्षमता की प्रथमदृष्टया आवश्यकता है, उद्योग, जो पूंजीगत माल से सम्बन्धित हों और वे खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आते हों तथा जिन्हें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22-क के अधीन राष्ट्रीय महत्व के उद्योग के रूप में अधिसूचित कर दिया गया हो, आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं विशेष रूप से कम और मध्यम आय समूहों के हित की वस्तुएं हों, ऐसे उद्योग, जिनमें निर्यात की संभावनाएं मौजूद हों और उद्योग जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी निहित हो जिनमें प्रौद्योगिकी बड़ी तेजी से बदल रही हों।

उपर्युक्त मानदण्ड के आधार पर उद्योगों की 25 विशद् श्रेणियों और 82 प्रपुंज

औषधियों तथा फार्मूलेशनों को मार्च/जून, 1985 में गैर एम० आर० टी० पी० और फैरा कम्पनियों के लिए लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। इसके बाद जनवरी, 1986 में, केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना के लिए एम० आर० टी० पी०/फैरा कम्पनियों के लिए कुछ और अधिक उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया।

(ग) सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में स्थापनास्थल का चयन करना उद्यमी पर निर्भर करता है। किन्तु, एम० आर० टी० पी०/फैरा के लिए लाइसेंसमुक्त किए गए उद्योगों के सम्बन्ध में पार्टियों को केवल केन्द्रीय रूप से घोषित किए गए क्षेत्रों में ही क्षमता स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने की योजना

4197. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला उद्योग को अपना उत्पादन और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नए अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या स्थिति का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा सभी एककों से पुनर्निवेशन प्राप्त किया जाना भी इस योजना में शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो पूरी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोयला कम्पनियों में उत्पादन कार्यक्रमों के योजनाबद्ध और कुशल कार्यान्वयन के लिए कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें यह बातें शामिल हैं : तिमाही उत्पादन लक्ष्य निश्चित करना, भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निश्चित करना, संगठनात्मक विकास, संगठन के लिए सही नीति का विकास, कल्याण कार्य, सुरक्षा, आदि। सरकार इस कार्य योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी कर रही है।

[हिन्दी]

आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मद्रास उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

4198. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मद्रास उच्च न्यायालयों में क्रमशः 88, 350, 52, 450 और 1,33,750 मामले लंबित पड़े हैं इसके बावजूद इन न्यायालयों में क्रमशः 1983, 1982 तथा 1981 से न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं; और

(ख) क्या न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने संबंधी प्रक्रिया का पालन करना वर्षों

से न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों से अधिक महत्वपूर्ण समझा गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या तथा वे कब से रिक्त हुए हैं, दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयत्न कर रही है कि इन उच्च न्यायालयों में रिक्त पद यथासंभव शीघ्र भर लिए जाएं। संविधान के अनुच्छेद 217 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों से न्यायाधीशों की नियुक्ति किए जाने के पूर्व परामर्श करना आज्ञापक है ।

विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार लंबित मामलों की संख्या	1-3-1986 को रिक्त पदों की संख्या	पद रिक्त होने की तारीख
1.	आंध्र प्रदेश	88,349 (30.6.1985 को)	8	26.11.1982 29.11.1982 1.7.1983 8.4.1984 5.7.1984 10.10.1984 8.4.1985 19.8.1985
2.	मध्य प्रदेश	52,463 (30.6.1985 को)	5	2.11.1982 15.6.1985 29.10.1985 4.11.1985 20.1.1986
3.	मद्रास	1,33,751 (31.12.1984 को)	4	15.9.1983 22.10.1983 25.1.1985 1.6.1985

[अनुवाद]

चरखीदादरी को रोहतक के साथ एस० टी० डी० से जोड़ना

4199. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चरखीदादरी को एस० टी० डी० से रोहतक टेलीफोन एक्सचेंज (हरियाणा) के साथ जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) चरखीदादरी को एस० टी० डी० से रोहतक टेलीफोन एक्सचेंज के साथ जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोलियम की सप्लाई के लिए मथुरा और करनाल के बीच पाइप लाइन बिछाना

4200. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम सप्लाई करने के लिए मथुरा और करनाल के बीच पाइप लाइन बिछाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शाहदरा और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवा

4201. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि शाहदरा और गाजियाबाद में टेलीफोन सेवा और बिगड़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) **गाजियाबाद टेलीफोन एक्सचेंज :**

गाजियाबाद में लेबल "84" तथा "85" के दो एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है। "84" लेवल के एक्सचेंज के कार्य निष्पादन संतोषजनक है। तथापि, "85" लेवल के एक्सचेंज से संबंधित शिकायतों और दोषों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। यह एक्सचेंज स्ट्रॉजन किस्म का बहुत पुराना एक्सचेंज है और इसमें बहुत अधिक परियात है। इस एक्सचेंज को 1987-88 के दौरान बदलने की योजना बनाई गई है। इस बीच इसका अधिकतम स्तर तक रख-रखाव करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

शाहदरा टेलीफोन एक्सचेंज :

शाहदरा 'ए' क्षेत्र में "20" "21" "24" और "86" लेवल के चार एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है। "24" और "21" लेवल के एक्सचेंजों में क्रमशः काल न मिलने और दोषों के बारे में कुछ गिरावट आई है।

(ख) उपभोक्ताओं से हो रही कठिनाइयों के बारे में विभाग को जानकारी है और निम्नलिखित उपायों द्वारा सेवा में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं :

(एक) प्रणाली का स्तर बढ़ाने के लिए विशेष रख-रखाव किए जाते हैं।

(दो) 1987-88 के दौरान "85" लेवल के एक्सचेंज को बदलकर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(तीन) स्तर "24" एक्सचेंज के बदले एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है जिसके मार्च 1987 तक पूरा होने की संभावना है।

(चार) "21" लेवल के एक्सचेंज को भी 1987-88 के दौरान सेवा से निकालने का प्रस्ताव है जब लक्ष्मीनगर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का 10,000 लाइनों में विस्तार किया जाएगा।

(पांच) विश्वसनीय सेवा सुलभ कराने के लिए लक्ष्मीनगर एक्सचेंज में स्थापित किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को स्थाई पी० सी० एम० प्रणाली प्रणाली द्वारा दिल्ली नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाएगा।

संचार की आधुनिक और सस्ती प्रौद्योगिकी का विकास

4203. **श्री के० प्रधानी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संचार के लिए एक ऐसी आधुनिक और सस्ती प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिसके रख-रखाव पर, प्रयोग पर कम बिजली और कम लागत आए और जो देश के ग्रामीण तथा दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हों ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : देश के ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मुहैया करने के लिए, रख-रखाव, सुविधा, कम-लागत, उच्च विश्वसनीयता, कम स्थान तथा कम पावर की खपत जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित उपस्कर विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ उपस्करों के लिए प्रौद्योगिकी क्रय भी विचाराधीन है और अनेक उत्पादन यूनिटें स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है।

(1) अल्प क्षमता के इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज।

(2) टेलीफोन एक्सचेंजों को जोड़ने के लिए अल्प क्षमता की यू० एच० एफ० (अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी) रेडियो प्रणाली।

(3) दूर-दराज के तथा दुर्गम क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन मुहैया कराने के लिए मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणालियां।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और सौर ऊर्जा प्रणालिगां/फिलहाल सौर ऊर्जा उपस्कर का मूल्य कुछ अधिक है जिससे देश में व्यापक पैमाने पर शुरू करने में रुकावट हो रही है।

उड़ीसा में आधुनिक औजार-कमरा (टूल रूम)

4204. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने वर्ष 1982 में भारत-डेनमार्क परियोजना के रूप में उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक आधुनिक औजार कमरा (टूल रूम) स्थापित करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1982 में इस परियोजना के लिए भवन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का वचन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) 1981 के दौरान केन्द्रीय औजार कमरा तथा प्रशिक्षण केन्द्र (सैन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर) कलकत्ता से भुवनेश्वर में एक उप-केन्द्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार स्थान उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गई थी। सरकार प्रस्ताव पर जांच कर रही है।

आयातित कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना

4205. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयातित कोयले पर आधारित कुछ ताप विद्युत संयंत्र स्थापित

करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) आरम्भ में ऐसे कितने ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) इस बारे में क्या प्रयास किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में पेट्रो-कैमिकल परियोजना

4206. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1986-87 में उड़ीसा में एक पेट्रो-कैमिकल काम्पलेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, इस प्रकार का पेट्रो-कैमिकल काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए किस स्थल का चयन किया गया है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए आर्डरों का अभाव

4207. **श्री सैयद मसुदल हुसेन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1986 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए आर्डरों के अभाव के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि संसाधनों की कमी तथा देश को उपकरण सप्लाई करने के लिए विदेशी पेशकशों की भरमार के कारण कम्पनी को आर्डर बुक करने की स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मौजूदा क्रयादेशों के आधार पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में सातवीं पंचवर्षीय योजनाअवधि में थर्मल तथा हाइड्रो निर्माण सुविधाओं का औसत क्षमता उपयोग क्रमशः 48% तथा 31% है। क्रयादेश स्थिति मे कमी का मुख्य कारण नये विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए संसाधनों की कमी का होना है।

(घ) क्षमता क उपयोग में सुधार लाने हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पाद-विविधीकरण तथा सेवाओं एवं फालतू पुर्जों की सप्लाई में मजबूती लाने का कार्य शुरू किया गया है।

सेन्ट्रल ट्रांसमिशन परियोजना-1 योजना

4208. **श्री डी० वी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1984 में राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के गठन के एक भाग के रूप में 354.85 करोड़ रुपये की सेन्ट्रल ट्रांसमिशन परियोजना-1 योजना मंजूर की थी जिसमें दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत प्रेषण लाइनें बिछाना और दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों को एक साथ सम्बद्ध कार्यों के साथ जोड़ना शामिल है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के अंतर्गत किन मुख्य कार्यों पर ध्यान दिया गया हैं; और

(ग) परियोजना की अब तक की प्रगति क्या है और उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के अन्तर्गत जिन मुख्य कार्यों की परिकल्पना की गई है वे निम्नानुसार है :—

दक्षिणी क्षेत्र

(1) रामागुण्डम—मानगुरु	—	400 के० वी० डबल सर्किट लाइन
(2) मानगुरु—विजयवाड़ा	—	400 के० वी० डबल सर्किट लाइन
(3) विजयवाड़ा—नेल्लौर	—	400 के० वी० सिंगल सर्किट लाइन
(4) नेल्लौर—रेड हिल्स (मद्रास)	—	400 के० वी० सिंगल सर्किट लाइन

(5) मानगुरु (1×315 एम० वी० ए०)
विजयवाड़ा (1×315 एम० वी०ए०)
और नेल्लोर (1×315 एम०वी० ए०)
में 400 के० वी० उपकेन्द्रों की स्थापना

(6) पूर्व अनुमोदित उपकेन्द्रों से लाइनों का निर्माण करने के लिए लाइन-बे

अन्त:क्षेत्रीय

(1) रामागुण्डम—चन्द्रपुर — 400 के० वी० डबल सर्किट लाइन

(2) विन्ध्याचल—सिंगरौली — 400 के वी० सिंगल सर्किट लाइन

(3) विन्ध्याचल में 500 मेगावाट एच० वी० डी० सी० बैक-टू-बैक केन्द्र

(ग) एच० वी० डी० सी० बैक-टू-बैक परियोजना का कार्य प्रगति पर है। 400 के० वी० ए० सी० लाइनों के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने निविदाएं आमंत्रित की हैं लेकिन कार्य के स्वरूप में परिवर्तन के कारण अभी तक इनके लिए ठेके नहीं दिए गए हैं। केन्द्रीय पारेषण परियोजना-1 पर अब तक 17.78 करोड़ रु० व्यय किए जा चुके हैं।

औद्योगिक उत्पादन

4209. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 में औद्योगिक उत्पादन गत वर्ष से 9.6 प्रतिशत अधिक था; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में इसके घटकर 6.6 प्रतिशत होने के क्या कारण हैं और क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछले वर्ष की तुलना में 1976-77 के दौरान औद्योगिक विकास की दर 9.4 प्रतिशत थी।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 के प्रथम नौ महीनों (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान औद्योगिक विकास की दर वर्ष 1984-85 की इसी अवधि की तुलना में 6.2 प्रतिशत रही है। चालू वित्तीय वर्ष में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर और अधिक हो सकती थी किन्तु बिजली और खनन के क्षेत्र में नीची विकास दर तथा अवस्थापना संबंधी अड़चनों, क्षमताओं का कम उपयोग और बिजली की कमी आदि के कारण विकास की दर उतनी अधिक नहीं हो पाई है।

बंगलौर में जयनगर/जे० पी० नगर में पेट्रोल बन्क खोलना

4210. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय तेल निगम को बंगलौर सिटी में जयनगर 5वां ब्लाक अथवा जे० पी० नगर में पेट्रोल वन्क खोलने का निर्देश दिया है क्योंकि 4-5 कि० मी० की परिधि में कोई पेट्रोल वन्क नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह पता चला है कि भारतीय तेल निगम ने जयनगर ब्लाक में टी० मरिअप्पा रोड पर पेट्रोल वन्क खोलने की अनुमति दी है जहां साउथ एंड सर्किल के एक फर्लांग की परिधि में पहले ही चार पेट्रोल वन्क हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार संबंधित अधिकारियों को टी० मरिअप्पा रोड पर पेट्रोल वन्क न खोलकर इसे जयनगर 5वां ब्लाक अथवा जे० पी० नगर में खोलने के निर्देश देने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) आई० वी० पी० कम्पनी मरिअप्पा रोड़ पर जयनगर 11 ब्लाक में क्षेत्र की सम्भाव्यता के आधार पर उसकी आर्थिक व्यवहार्यता को अनिश्चित करके खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित कर रही है।

(ग) प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्र को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगलौर शहर में चल टेलीफोन सुविधा का आरम्भ

4211. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन शहरों में चल टेलीफोन सुविधाएं हैं; और

(ख) क्या बंगलौर शहर में चल टेलीफोन योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली नगर में फिलहाल मोबाइल रेडियो टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

सीमेंट का उत्पादन और विभिन्न राज्यों को वितरण

4212. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में और किस किस्म के सीमेंट का उत्पादन हुआ ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में और किस किस्म के सीमेंट का वितरण किया गया है और तत्संबंधी राज्य-वारब्यौरा क्या ; है

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश को अन्य राज्यों की तुलना में कहीं कम मात्रा में सीमेंट की सप्लाई की गई;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आन्ध्र प्रदेश को सीमेंट की पूरी मात्रा की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1984 और 1985 के वर्षों के दौरान सम्बद्ध भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टयों के अनुरूप देश में क्रमश: 291.6 लाख मी० टन तथा 311.4 लाख मी० टन सीमेंट की कुल मात्रा का उत्पादन किया गया था ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियों के अनुरूप लेवी सीमेंट की मात्रा संलग्न विवरण में दी जाती है ।

(ग) जी, नहीं । 1984 और 1985 में आवंटनों में प्रेषणों की अखिल भारत औसत क्रमश: 80 प्रतिशत और 68 प्रतिशत थी जबकि दोनों वर्षों की उसी अवधि में आंध्र प्रदेश की औसत 90 प्रतिशत थी ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विवरण

1984 और 1985 के वर्षों में सीमेंट के राज्यवार प्रेषणों को दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र/राज्य	1984		1985	
	सिंचाई और बिजली सहित राज्य कोटा आवंटन	सिंचाई और बिजली सहित राज्य कोटा प्रेषण	सिंचाई और बिजली सहित राज्य कोटा आवंटन	सिंचाई और बिजली सहित राज्य कोटा प्रेषण
1	2	3	4	5
उत्तर				
1. चण्डीगढ़	77	49	77	45
2. दिल्ली	328	290	313	248
3. हरियाणा	411	330	408	289
4. हिमाचल प्रदेश	152	115	197	115
5. जम्मू और काश्मीर	355	262	367	292
6. पंजाब	642	387	837	397
7. राजस्थान	428	335	507	338
8. उत्तर प्रदेश	1749	1432	2192	1150
पूर्व				
9. अरुणाचल प्रदेश	59	27	58	33
10. असम	291	244	308	144
11. बिहार	963	876	1013	523
12. मनिपुर	65	62	74	49
13. मेघालय	87	70	91	56
14. मिजोरम	31	12	33	17
15. नागालैंड	75	43	81	60
16. उड़ीसा	484	375	497	299

1	2	3	4	5
17. सिक्किम	59	36	63	39
18. त्रिपुरा	66	27	68	30
19. पश्चिम बंगाल	948	634	945	525
पश्चिम				
20. दादरा नगर हवेली	13	10	20	11
21. गोवा दमन और द्विव	108	70	112	53
22. गुजरात	1138	1003	934	872
23. मध्य प्रदेश	1087	861	1223	940
24. महाराष्ट्र	1721	1461	1598	1343
दक्षिण				
25. अण्डमान और निकोबार	23	11	23	10
26. आन्ध्र प्रदेश	1029	926	1005	906
27. कर्नाटक	840	698	830	650
28. केरल	475	449	439	317
29. लक्षद्विप	5	5	5	5
30. पांडिचेरी	27	21	29	20
31. तमिलनाडु	878	845	968	696
योग	14604	11752	15336	10477

एस० क्यू० : राज्य कोटा आई०+पी०=सिंचाई और बिजली

उद्योगों के लिए रियायती दरों पर ऋण की व्यवस्था

4214. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को रियायती ब्याज दर पर ऋण देने का तथा ईंधन की कम खपत वाले उपकरण की व्यवस्था करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) देश में ऐसे उद्योगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कितने उद्योग हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य में उद्योगों को कितनी राशि दी जानी है; और

(ङ) उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य कौन सी विशेष योजना का उल्लेख कर रहे हैं। किन्तु, उल्लेखनीय है कि नवीकरणीय ऊर्जा अथवा ऊर्जा बचत प्रणालियों के उत्पादन अथवा स्थापना करने के लिए औद्योगिक एककों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ब्याज की 12.5 प्रतिशत से कम की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता देता है। यह योजना, बिना इस बात को ध्यान में रखे लागू है कि एकक किस राज्य में स्थित है।

इसके अलावा, आधुनिकीकरण सहायता सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत आधुनिकीकरण योजना का वित्तीयन करने के लिए रियायती वित्त उपलब्ध है। जिनमें अन्य योजनाओं के साथ साथ ऊर्जा बचत/ऊर्जा सक्षम प्रणालियां शामिल हैं। आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 11.5 प्रतिशत ब्याज दर लागू है। आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए रूपान्तरात्मक धारा लागू नहीं है।

सरकारी कार्यालयों में ऊनी कालीनों की बजाय नारियल जटा की चटाइयों का उपयोग

4215. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ऊनी कालीनों की तुलना में नारियल जटा की चटाइयां सस्ती पड़ती हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों और भवनों में ऊनी कालीनों की बजाय नारियल जटा की चटाइयां उपयोग करने का अनुदेश जारी करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा निगमों तथा अनुदानग्राही संस्थाओं से भी पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि वे सार्वजनिक भवनों में नारियल जटा चटाइयों का उपयोग करें।

हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन निर्माण कार्य का वित्त पोषण करने के लिए विश्व बैंक को पेशकश

4217. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाजिरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन निर्माण कार्य का वित्त पोषण करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) क्या सरकार ने इस बैंक सहायता को स्वीकार करने का निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) जी, नहीं। इस परियोजना को चालू वर्ष के विश्व बैंक के ऋण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयोगों और समितियों में नियुक्ति

4218. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को जांच आयोग अधिनियम के अधीन विभिन्न जांच कार्यों अथवा अन्य जांच आयोगों का कार्य सौंपा गया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीशों को जांच का कार्य सौंपने से न्यायालय की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की गई हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके कारण न्यायालय के कार्य में रुकावट न आए, सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जांच आयोग अधिनियम के अधीन उच्चतम न्यायालय के तीन आसीन न्यायाधीशों को, भिन्न-भिन्न जांच करने संबंधी कार्य या किन्हीं अन्य जांच आयोगों का कार्य सौंपा गया है।

(ख) जिस सीमा तक ये न्यायाधीश अन्य कार्यों में व्यस्त रहे हैं उसी सीमा तक न्यायालय का कार्य प्रभावित हुआ है तथापि यह बताना सम्भव नहीं है कि दक्षता पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है।

(ग) उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीशों की ऐसी नियुक्तियां भारत के मुख्य

न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाती है; और

(घ) न्यायालयों और न्यायपीठों के नियत किए जाने का कार्य और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं और इस बारे में केंद्रीय सरकार से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

भारत की प्रौद्योगिकी आयात नीति

4219. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड में डावोस में हाल ही में आयोजित विचारगोष्ठी में उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी आयात नीति बारे में स्पष्ट किया और उस पर जोर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उस विचारगोष्ठी में उनके भाषण का पाठ क्या है; और

(ग) दूसरे देशों ने उक्त विचारगोष्ठी में क्या विचार व्यक्त किये ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) विचारगोष्ठी में भाग लेने वालों के साथ हुई बातचीत के दौरान उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया था कि इलेक्ट्रॉनिकी, बायो-टेकनोलोजी, उर्वरकों और रसायनों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत उच्च तकनोलोजी आयात करने का इच्छुक है और तकनोलोजी को आत्मसात् करने का भी इच्छुक है तथा "कैसे" और "क्यों" दोनों प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार संगोष्ठी में भाग लेने वालों ने अनुभव किया कि भारत के साथ विदेशी सहयोग और भारत में पूंजी निवेश के प्रस्ताव लाभकारी रहेंगे।

उड़ीसा में शाखा डाकघरों को बंद करना

4220. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 और 1986 के दौरान कितने शाखा डाकघर बंद किए गए हैं अथवा बंद करने का प्रस्ताव है;

(ख) वर्षों से चल रहे शाखा डाकघरों को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) उड़ीसा में ऐसे कितने डाकघर बंद किए गए हैं अथवा बंद करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या पुरी में बालुखिआ चक्रतीर्थ उप डाकघर से डाक सेवाओं की समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 (30-11-1985) तक के दौरान 291 शाखा डाकघर बंद किए गए। जहां तक 1986 के दौरान बंद किए जाने वाले प्रस्तावित शाखा डाकघरों का सम्बन्ध है, यह समय-समय पर डाक परियात, डाक आय तथा इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों की पुनरीक्षा परिणामों पर निर्भर करता है। तथा इनकी संख्या का पूर्वानुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है।

(ख) आंध्र प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 291 डाकघरों में से, लगभग 190 साइकिल चल डाकघर थे। शहरी क्षेत्रों में नियमित डाकघरों के कारण इस प्रकार के डाकघर बंद कर दिए गए क्योंकि इस प्रकार के चल डाकघरों को चलाना आवश्यक नहीं महसूस किया गया। इसके अतिरिक्त इन चल डाकघरों में पर्याप्त कार्य नहीं था और राजस्व की दृष्टि से लाभकर नहीं थे। अन्य मामलों में, शाखा डाकघर मुख्यत: इसलिए बंद किए गए क्योंकि इच्छुक पार्टियों ने अपना अंशदान देना बंद कर दिया था अथवा प्रायोगिक डाकघरों के मामले में हानि निर्धारित सीमा से अधिक रही जबकि इस प्रकार के डाकघर देश वर्ष की अधिकतम अवधि तक कार्य करते रहे।

(ग) उड़ीसा राज्य में 1985-86 के दौरान कोई शाखा डाकघर बंद नहीं किया गया है। फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

(घ) पुरी में बालुखिया चक्रतीर्थ उप डाकघर 28-2-1986 से पहले ही बंद कर दिया गया है क्योंकि इस उप डाकघर के मामलों में राजस्व तथा कार्यभार की निर्धारित शर्त पूरी नहीं होती है।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा विद्युत संयंत्रों में नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग

4221. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन अपने विद्युत संयंत्रों की क्षमता में सुधार लाने हेतु नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विद्यमान विद्युत संयंत्रों से और अधिक बिजली प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इन विद्युत संयंत्रों के सम्पूर्ण कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अपनी

परियोजनाओं के संबंध में वेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु नयी और विकसित तकनीकें अपना रहा है, उदाहरणार्थ—

(1) अवशिष्ट उष्मा रिकवरी बॉयलर तथा भाप टर्बाइन का उपयोग करते हुए गैस पर आधारित संयुक्त साइकल विद्युत संयंत्र का प्रयोग करना,

(2) बॉयलर तथा टरबाइन यूनिट दोनों का परिवर्तनशील दबाव के आधार पर प्रचालन करना ताकि उच्च कार्यकुशलता प्राप्त की जा सके—विशेष रूप से यूनिट के आंशिक भार प्रचालन के समय,

(3) संघारित्र नली की सफाई सम्बन्धी प्रणाली का सतत रूप से उपयोग करना जिससे कि संधारित्र के लिए अधिकतम उष्मा प्रदान करके दीर्घकालीन उच्च कार्यकुशलता प्राप्त की जा सके,

(4) आनुषंगियों द्वारा विद्युत के उपभोग में कमी लाने तथा समग्र रूप से कार्यकुशलता प्राप्त करने हेतु टर्बाइन द्वारा चलित बॉयलर फीड पम्पों का उपयोग करना,

(5) घुमावदार पानी के पाइपों पर स्टील रेखांकन करना,

(6) काउंटर करेंट रीजेनरेटरिंग तकनीक का प्रयोग,

(7) शीतक टावरों के लिए पी० वी० सी० फिल्म प्रकार की पैकिंग का प्रयोग करना,

(8) उच्च गुणवत्ता तथा मानक वाली नियंत्रण एवं इन्स्ट्रूमेंटेशन प्रणाली का प्रयोग करना ताकि संयंत्र के पैरामीटरों का बेहतर नियंत्रण तथा मानीटरिंग की जा सके,

(9) उपस्करों के पैरामीटरों की मानीटरिंग तथा उनके विश्लेषण हेतु कम्प्यूटर द्वारा नियंत्रित आंकड़े एकत्रीकरण प्रणाली का उपयोग करना,

(10) प्रचालन स्टॉफ को सिमुलेटर सम्बन्धी प्रशिक्षण देना,

(11) उच्च वोल्टता डाइरेक्ट करंट पारेषण प्रणाली का प्रयोग।

(ग) और (घ) 500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 32 ताप विद्युत केन्द्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण तथा आधुनिकीरण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इन यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु जहां तक सम्भव तथा व्यवहार्य होगा, नयी तकनीकें अपनाई जाएंगी।

डाक की मशीन से छंटाई तथा इलेक्ट्रानिक डाक-सेवा शुरू करना

4222. **श्रीमती किशोरी सिन्हा**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक की मशीन से छंटाई तथा इलेक्ट्रानिक डाक सेवा शुरू करने के बारे में उनकी पश्चिम जर्मनी के संचार मंत्री से बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक डाक को इस समय प्रायोगिक आधार पर आरम्भ करने का है;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में गहराई से विचार करने और सलाह देने के लिए किसी विशेषज्ञ निकाय की स्थापना की थी ताकि अन्य विकासशील देशों की भांति डाक सेवाओं में सुधार लाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सेवाओं को आधुनिक बनाने तथा उनका स्तर सुधारने से सम्बन्धित विषय पर पश्चिम जर्मनी के डाक तथा दूरसंचार मंत्री के साथ 28-10-1985 को चर्चा हुई थी। एफ० आर० सी० तथा भारत के डाक प्रशासनों के बीच सहयोग की सम्भावनाओं पर चर्चा हुई।

(ग) एक ओर जबकि दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र में कुछ प्रयोगों पर विचार किया जा रहा है, फिलहाल इलेक्ट्रानिक मेल प्रारम्भ करने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) भारत के महानगरों में मेल प्रोसेसिंग प्रणाली प्रारम्भ करने के बारे में जांच करने के लिए दिसम्बर, 1982 में एक इन हाउस समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने सिद्धांत रूप से यह स्वीकार कर लिया कि बम्बई में इंटीग्रेरिड मेल प्रोसेसिंग प्रणाली शुरू कर दी जाए। इस उद्देश्य से दूरसंचार कंसलटेंट इंडिया लि० को तत्सम्बन्धी व्यावहारिकता तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया।

दिल्ली में खाना पकाने के गैस के सिलेंडरों की कमी

4223. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 1986 के "स्टेट्समैन" में गैस सिलेंडर शोरटेज इन दिल्ली" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो खाना पकाने की विभिन्न गैस कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रथक-पृथक कितनी कमी हो गई है;

(ग) इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) फरवरी, 1986 के दौरान बैकलाग निम्नलिखित रूप में था :

कम्पनी का नाम	मासिक मांग	बैकलाग
भारत पेट्रोलियम का० लि०	1800 मी० टन	400 मी० टन
इंडियन आयल कारपोरेशन लि०	7602 मी० टन	284 मी० टन

(ग) इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—

(1) सर्दियों में मांग का बढ़ जाना।

(2) भरण मशीनों और तौल प्रणाली की क्रिया विधि में दोष आने के कारण शकूरबस्ती (दिल्ली) के आई० ओ० सी० और बी० पी० सी० एल० के संयंत्रों में भरण में कमी आ जाना।

(3) पुरानी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की गड़बड़ की स्थिति होना।

(घ) मथुरा, कोयाली, बम्बई और इलाहाबाद से अतिरिक्त आपूर्ति का प्रबन्ध किया गया। शकूरबस्ती संयंत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है।

ग्यारहवां औद्योगिक सम्बन्ध सम्मेलन

4224. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तियोक्ता परिषद् के दिनांक 21 फरवरी, 1986 को बम्बई में हुए ग्यारहवें औद्योगिक सम्बन्ध सम्मेलन में उन्होंने उद्योगों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में अन्य क्या टिप्पणियां की गई और सुझाव दिए गए; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) भारतीय नियोक्ता परिषद् के 11वें औद्योगिक सम्बन्धी सम्मेलन के लिए उद्योग मन्त्री ने अपने संदेश में भारतीय उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने के वास्ते तकनोलोजी के अभ्युत्थान और उत्पादन प्रक्रिया में आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिक प्रगति किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया था।

(ख) सम्मेलन के विभिन्न निष्कर्ष और सिफारिशें अभी तक उक्त परिषद् से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हजीरा के निकट पैट्रो-कैमिकल परियोजना की स्थापना

4225. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच वर्ष पूर्व स्थापित गुजरात स्टेट पेट्रो कैमिकल्स लिमिटेड के अतिरिक्त हजीरा के निकट बम्बई हाई से प्राकृतिक तरल गैस (एन० जी० एल०) पर आधारित एक और पैट्रो-कैमिकल परियोजना स्थापित करने का एक अन्य प्रस्ताव गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नई परियोजना की लागत और इसकी निर्धारित उत्पादन क्षमता सहित इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रति क्रिया क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) लम्बित पड़े हुए आवेदनपत्रों के विवरण तक तक प्रकाशित नहीं किए जाते जब तक सरकार उन पर विचार न कर ले।

(ग) परियोजना की व्यवहार्यता उत्पाद मिश्र की उपयुक्तता, फीड स्टाक की आश्वस्त उपलब्धता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि जैसे मामले सभी राज्य सरकारों के साथ सुलझाये जाने हैं।

क्षमता का कम उपयोग और व्यापक बेरोजगारी

4226. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय उद्योगों में स्थापित क्षमता का कम उपयोग करने के कारण देश में व्यापक बेरोजगारी और वस्तुओं की कमी है;

(ख) यदि हां तो भारतीय उद्योगों के प्रबंध में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जबकि क्षमता उपयोग रोजगार और वस्तुओं की उपलब्धता को प्रभावित करता है, किन्तु इसे बेरोजगारी और वस्तुओं की कमियों के लिए मुख्य कारण नहीं माना जा सकता। तथापि क्षमता का इष्टतम उपयोग सरकार की औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है और क्षमता के अच्छे उपयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक लाइसेंसीकरण और आयात नीतियों में उपयुक्त परिवर्तनों के साथ-साथ वित्तीय और राजकोषीय उपायों और आधारिक संरचना में सुधार द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है।

कागज का फुटकर मूल्य

4227. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी**
श्री वाई० एस० महाजन } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज का रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद बाजार में कागज के फुटकर मूल्य बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संकट का निवारण करने और फुटकर बाजार में सस्ते दरों पर कागज उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) देश में 1984 के दौरान कागज और गत्ते के 13.70 लाख मी० टन उत्पादन की तुलना में अनुमानित उत्पादन 15 लाख मी० टन है जिसके परिणामस्वरूप आन्तरिक बाजार में उपलब्धि बढ़ी है। इस उद्योग द्वारा विभिन्न प्रकार के कागज और गत्तों का उत्पादन तथा विपणन किया जाता है। उनकी कीमतें विभिन्न ग्रामेज और क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होती हैं। इस समय पूरे देश में सभी प्रकार के कागजों और गत्तों की कीमतों के विषय में सामान्य प्रवृत्ति के विषय में कुछ भी कह पाना कठिन है। फिर भी उपलब्ध जानकारी के अनुसार अधिकांश बड़ी मिलों के सूचीकृत मूल्यों मे पिछले कुछ महीनों के दौरान परिवर्तन नहीं हुए हैं।

अमरीकी तेल कम्पनी का कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड को छोड़ने का प्रस्ताव

4228. **श्री डी० बी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी तेल कम्पनी (फिलिप्स पेट्रोलियम) ने कोचीन रिफाइनरीज लि० को जिसमें उसके 26 प्रतिशत सामान्य शेयर है, छोड़ने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा ऐसे निर्णय की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोल इण्डिया लिमिटेड का पूर्व अनुमानित लाभ/घाटा

4229. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के मूल्य में हाल ही में हुई अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) कोयले के मूल्यों में वृद्धि से वर्ष 1985-86 के दौरान कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड को कितना लाभ/घाटा होने का पूर्वानुमान है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) दिनांक 8-1-1984 से कोयले की जो कीमतें औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो की सिफारिशों पर निश्चित की गई थीं उनमें 1-4-1985 से संशोधन होना था। उसके बाद उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हो गई है जिसके कारण इस प्रकार हैं : भण्डार सामग्री, विस्फोटक पदार्थ, इमारती लकड़ी आदि उत्पादन सामग्रियों की लागत में वृद्धि, बोनस/अनुग्रह राशि के भुगतान की सीमा ऊंची कर देने के कारण मजदूरी में वृद्धि, औद्योगिक मंहगाई भत्ते की दरों में संशोधन, भूमिगत भत्तों आदि में वृद्धि, पेट्रोल, तेल और चिकनाई पदार्थों की कीमत में वृद्धि, रेल भाड़ा/किराये में वृद्धि, मूल्यह्रास और ब्याज के भार में वृद्धि, आदि।

अतः कोल इंडिया लि० ने कोयले की कीमतों में वृद्धि करने का अनुरोध किया तथा सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया और कोयले की कीमतों में 9-1-1986 से संशोधन कर दिया गया।

(ख) कीमतों में हाल ही के संशोधन के कारण कोल इंडिया लि० को 9-1-1986 से 31-3-1986 की अवधि में प्राप्य अतिरिक्त राजस्व लगभग रु० 103 करोड़ होने का अनुमान है।

(ग) कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों के 1985-86 के खाते अभी तैयार होने हैं।

आन्ध्र प्रदेश के नगरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

4230. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में टेलीफोन कनक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम हैं;

(ख) वर्ष 1986 में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है और वर्ष 1985 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किए गए हैं; और

(ग) मंत्रालय द्वारा उपरोक्त नगरों में लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 28-2-1986 तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या इस प्रकार थी—

		प्रतीक्षा सूची
1.	हैदराबाद	32,250
2.	विजयवाड़ा	4,581
3.	विशाखापट्टनम	4,714

(ख) 1986 में प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित नई टेलीफोन लाइनें तथा 1986 में 16-3-1986 तक सुलभ टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्नप्रकार हैं—

	लक्ष्य	सुलभ लाइनों की संख्या
1. हैदराबाद	6,000	3536
2. विजयवाड़ा	100	93
3. विशाखापट्टनम	2,100	शून्य

(ग) इन शहरों में नए टेलीकोन एक्सचेंज खोलने तथा जहां कहीं सम्भव हो मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

केरल के वायनाड जिले में दूरसंचार व्यवस्था का विकास

4231. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री केरल के वायनाड जिले में दूरसंचार सुविधा में सुधार के बारे में 19 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 438 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के वायनाड जिले के लिए बनाई गई किसी योजना पर कार्य आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार वायनाड जिले में दूरसंचार व्यवस्था का विकास कार्य कब आरम्भ करने का है और पहले किन योजनाओं को शुरू किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) से मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(1) कालपेटा में 600 लाइनों के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए उपस्कर पहले ही प्राप्त हो चुका है तथा इसका संस्थापन कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा।

(2) पुलपल्ली में 200 लाइनों के एम० ए० एक्स-11 को दिनांक 15-3-1986 को चालू किया गया।

(3) (क) केनिचिरा में एस० ए० एक्स का 45 से 90 लाइनों में 17-3-1986 को विस्तार किया गया।

(ख) विथीरी एस० ए० एक्स का 45 से 90 लाइनों में दिनांक 31-3-1986 को विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ग) तालापोया, तरीओदा और पाल्लिकुन्नू स्थित एस० ए० एक्स का 1986-87 के दौरान विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(4) कालपेटा और कालीकट के बीच यू० एच० एफ० को नेरोबैंड माइक्रोवेव में

बदलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथा उपस्कर की सप्लाई के लिए क्रय-आदेश दे दिए गए हैं।

(5) कालपेटा तथा मननटोडी के बीच यू० एच० एफ० प्रणाली का वित्तीय दृष्टि से औचित्य सिद्ध नहीं हो सका है। एक 8 चैनल, प्रणाली की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा उपस्कर प्राप्त हो जाने के पश्चात इसे स्थापित किया जाएगा।

छठी पंचवर्षीय योजना में तेल की खोज के लिए आवंटन

4232. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने खोज कार्य के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी धनराशि की मांग की थी;

(ख) वास्तव में कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी; और

(ग) कम आवंटन करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1250.93 करोड़ रुपये।

(ख) 1172 करोड़ रुपये।

(ग) अन्तर मामूली-सा है। वास्तविक व्यय 1299.26 करोड़ रुपये का है।

वर्ष 1985 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस

4233. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु कितने प्रतिशत औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए; और

(ख) इन लाइसेंसों का राज्य-वार ब्यौर क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1985 के दौरान उद्योगों (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत जारी किए गए कुल 985 लाइसेंसों में से 427 लाइसेंस (अर्थात लगभग 43 प्रतिशत) केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए थे।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1985 के दौरान केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण—

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	37
2. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2
3. अरुणाचल प्रदेश	6
4. असम	12
5. बिहार	3
6. दादरा और नगर हवेली	2
7. गोवा, दमन और द्विव	4
8. गुजरात	34
9. हरियाणा	13
10. हिमाचल प्रदेश	12
11. जम्मू और कश्मीर	6
12. कर्नाटक	23
13. केरल	15
14. मध्य प्रदेश	29
15. महाराष्ट्र	43
16. मणिपुर	—
17. मेघालय	—
18. नागालैण्ड	—
19. उड़ीसा	6
20. पांडिचेरी	12

1	2
21. पंजाब	15
22. राजस्थान	25
23. सिक्किम	—
24. तमिलनाडु	68
25. त्रिपुरा	—
26. उत्तर प्रदेश	45
27. पश्चिम बंगाल	15
28. निर्दिष्ट न किया गया एकाधिकृत राज्य	1
कुल :	427

साबुन, टूथपेस्ट आदि की लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव

4234. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा साबुन, टूथपेस्ट और अन्य मदों के निर्माण से लघु उद्योगों की जो कि इन मदों का उत्पादन कर रहे हैं उन्नति में रुकावट आई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मदों को विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित करना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नहाने और कपड़े धोने का साबुन, साबुन पाउडर, साबुन के फ्लेक्स और टूथ पाउडर बनाने वाले छोटे औद्योगिक एककों की संख्या बढ़ी है। सरकार की नीति यह है कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन में संगठित क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति न दी जाए। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए किसी वस्तु का आरक्षण होने की तारीख को, जो संगठित क्षेत्र के एकक उस वस्तु का उत्पादन पहले से कर रहे थे, उनके मामले में ऐसे एककों अर्थात् गैर-लघु उद्योग एककों की प्राधिकृत उत्पादन सीमा को वहीं पर रोक दिया गया जितनी सीमा तक उत्पादन की अनुमति उन्हें आरक्षण की तारीख के दिन तक थी। क्षमता के विस्तार की अनुमति केवल

तभी दी जाती है जबकि वह एकक अतिरिक्त क्षमता का 75 प्रतिशत निर्यात करने का वचन दे।

(ग) और (घ) लाण्ड्री साबुन और टूथपेस्ट सहित आम उपयोग की अनेक वस्तुएं लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण/अनारक्षण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही उत्पादन के लिए आरक्षित की जाने वाली वस्तुओं के बारे में सिफारिशें करने के वास्ते भारत सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन एक समिति का गठन किया है। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

सरकार द्वारा काउंसेलों की नियुक्ति

4235. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायालयों में उनकी ओर से वकालत करने के लिए नियुक्त काउंसेलों की योग्यता के बारे में शिकायतों की जानकारी है;

(ख) इस संबंध में चयन के लिए अपनाया गया ढंग क्या है; और

(ग) विद्यमान काउंसेलों की क्वालिटी में सुधार लाने और प्रवेश के समय ही सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति निश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सरकारी काउंसेल का कार्य सामान्यतया संतोषजनक रहा है। यदि काउंसेल का कार्य निश्चित स्तर का नहीं पाया जाता है, तो उसे बदल दिया जाता है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार, काउंसेलों की नियुक्ति उनकी अर्हताओं, अनुभव, बार में उनकी प्रतिष्ठा और सक्षमता तथा संबंधित विभागों और अन्य जानकार स्रोतों के विचार अभिनिश्चित करने के पश्चात् करती है। मुकदमा मामलों से सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा उनके कार्य पर निरन्तर नजर रखी जाती है।

ताप विद्युत संयंत्रों में मैगनेटों हाइड्रो डाइनेमिक जनरेटर प्रौद्योगिकी प्रयोग करना

4236. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परम्परागत बड़ी टरबाइनों, जनरेटरों और बायलरों की सहायता के बिना ताप ऊर्जा को सीधे बिजली में बदलने के लिए गैस की बजाए कोयले से चलने वाले मैगनेटों हाइड्रो डायनेमिक जेनरेटर का व्यावहारिक परीक्षण सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वाणिज्यिक आधार पर बिजली उत्पादन के लिए इस नई तकनीकी को प्रयोग करने पर विचार कर रही है क्योंकि यह अनुमान है कि इस नई तकनीक से ईंधन की खपत में कमी के साथ-साथ ताप बिजली विद्युत संयंत्रों की क्षमता में 50-60 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है;

(ग) क्या यह नई मैगनेटों हाइड्रो डायनेमिक जनरेटर प्रौद्योगिक वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों में भी प्रयोग की जा सकती है और यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(घ) क्या इस प्रकार की परिवर्तन के लाभ-हानि का अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम के अन्तर्गत तिरूचिरापल्ली में 5 मेगावाट (तापीय) निवेश क्षमता का एक प्रयोगात्मक मैगनेटों डाइड्रो डायनेमिक (एम० एच० डी०) संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। यह संयंत्र कोक से उत्पादित कोयला गैस पर आधारित है। परीक्षण अवस्थाओं के अंतर्गत प्रयोगात्मक संयंत्र में एम० एच० डी० विद्युत सफलतापूर्वक उत्पादित की गई थी। वैज्ञानिक, तकनीकी और परिचालन ब्यौरा उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस संयंत्र में और अधिक प्रयोग उन्नति पर हैं। उसके पश्चात् ही भारत में वाणिज्यिक स्तर के संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यता की जांच की जा सकेगी।

(ग) और (घ) सिद्धांत रूप में वर्तमान विद्युत संयंत्रों में पूर्वयुक्त मैगनेटों हाइड्रो डायनेमिक जनित्र संभव होते हैं, फिर भी तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के अध्ययनों एवं विकास की आवश्यकता होती है।

मूल अवस्था से औषधों का निर्माण

4237. **श्री तारिक अनवर** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने,की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ड्रग इन्टरमीजियेटस एण्ड पनुल्टिमेटस के आयात से मूल अवस्था से बल्क औषधों के निर्माण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उन बल्क औषधों के नाम क्या हैं जिनका देश में मूल अवस्था से उत्पादन करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है जिनके उत्पादन के लिए ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत ड्रग इन्टरमीजियेटस एण्ड पेनुल्टिमेट्स का आयात की अनुमति है; और

(ग) मूल निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० अयचन्द्र सिंह): (क) इसे सामान्यीकृत करना कठिन है।

(ख) और (ग) जब किसी प्रपुंज औषध के लिए मूल अवस्था उत्पादन पर्याप्त रूप से स्थापित हो जाता है तब शुल्क ढांचे और आयात नीति को सामान्यतः इस प्रकार समंजित किया जाता है कि मध्यवर्ती तथा उपन्तिम से उत्पादन लाभप्रद न हो।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के तीन डिवीजनों का समापन

4238. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी उद्यम ब्यूरो के तीन डिवीजन बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय लेने का मूलाधार क्या है;

(ग) इससे कितने कर्मचारी बेरोजगार होंगे; और

(घ) क्या इन कर्मचारियों को कोई वैकल्पिक रोजगार दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि कार्मिक-नीति और प्रशिक्षण, मंजूरी-नीति कार्य-निष्पादन-सूचक, कार्य सम्बन्धी प्रतिमानों आदि के क्षेत्र में मार्ग-निर्देश निर्धारित करने के अन्तर्गत अपना आधारभूत कर्तव्य पूरा करने के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय को ही एक नीति नियोजन दल रखना चाहिए।

(ग) और (घ) सरकारी उद्यम कार्यालय के पुनर्गठन के अनुसार फालतू किए गए कर्मचारियों की सेवाएं, वर्तमान नियमों के अनुसार पुनः-परिनियोजन के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) कक्ष तथा रोजगार और प्रशिक्षण महा-निदेशालय के फालतू कक्ष को सौंपी गई/जा रही हैं।

राज्यों में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का पूरा होना

4239. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उन निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के नाम और संख्या क्या है, जिनके सातवीं योजना के अन्त तक पूरा होने की आशा है;

(ख) इन विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रत्येक परियोजना से कुल कितने मेगावाट बिजली पैदा होने की आशा है; और

(ग) प्रत्येक विद्युत परियोजना को पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) उन ताप-विद्युत तथा जल-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उनको चालू करने के प्रत्याशित कार्यक्रम क्रमशः संलग्न विवरण एक तथा दो में दिए गए हैं जिन्हें सातवीं योजनावधि के दौरान चालू किए जाने का लक्ष्य है।

विवरण-एक

सातवीं योजना के दौरान चालू की जाने वाली निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनायें :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट) (डीजल सेट के अतिरिक्त)	चालू होने की संभावित तारीख
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
	1. हरियाणा		
1.	पानीपत चरण-2 (यूनिट-3 व 4)	2×210 यूनिट-3	समकालित कर दी गई
		यूनिट-4	86-87
2.	पानीपत चरण-3 (यूनिट-5)	1×210 यूनिट-5	87-88
	2. पंजाब		
1.	रोपड़ चरण-2 (यूनिट-3 व 4)	2×210 यूनिट-3	87-88
		यूनिट-4	88-89
	3. राजस्थान		
1.	कोटा चरण-2 (यूनिट-3)	1×210 यूनिट-3	88-89
2	रामगढ़ गैस टरबाइन	1×3	*
	4. उत्तर प्रदेश		
1.	अनपारा "क" (यूनिट-1, 2 व 3)	3×210 यूनिट-1	3/86
		यूनिट-2	86-77
		यूनिट-3	87-88
2.	टांडा (यूनिट-1, 2, 3 व 4)	4×110 यूनिट-1 व 2	87-88
		यूनिट 3 व 4	88-89

1	2	3	4
3.	ऊंचा हार (यूनिट-1 व 2)	2×210 यूनिट-1	87-88
		यूनिट-2	88-89
	5. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम		
1.	सिंगरौली सु० ता० वि० परि० चरण-1 फेज-2 (यूनिट-6 व 7)	2×500 यूनिट-6	86-87
		यूनिट-7	87-88
2.	रिहन्द सु० ता० वि० परि० चरण-1 (यूनिट-1 तथा 2)	2×500 यूनिट-1	87-88
		यूनिट-2	88-89
पश्चिमी क्षेत्र			
	1. गुजरात		
1.	वानव बोरी विस्तार (यूनिट-4, 5 व 6)	3×210 यूनिट-4	समकालित कर दी गई
		यूनिट-5	86-87
		यूनिट-6	87-88
2.	सिक्का प्रतिस्थापन	1×120	87-88
3.	गांधीनगर विस्तार (यूनिट-3)	1×210	88-89
	2. मध्य प्रदेश		
1.	कोरबा पश्चिम विस्तार (यूनिट-4)	1×210	समकालित कर दी गई
2.	संजयगांधी (बीरसिंहपुर) (यूनिट-1)	1×210 यूनिट-1	89-90
	3. महाराष्ट्र		
1.	उरान गैस टर्बाइन (यूनिट-5, 6, 7 व 8)	4×108	सभी यूनिटें समकालित कर दी गई
2.	चन्द्रपुर विस्तार (यूनिट-3 व 4)	2×210	दोनों यूनिटें समकालित कर दी गई
3.	पारली चरण-4 (यूनिट-5)	1×210	87-88

1	2	3	4
4.	कापरखेड़ा विस्तार (यूनिट-1 व 2)	2×210 यूनिट-1	88-89
		यूनिट-2	89-90
	4. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम		
1.	कोरबा सु० ता० वि० केन्द्र चरण-1 (यूनिट-4)	1×500 यूनिट-4	87-88
2.	कोरबा सु० ता० वि० केन्द्र चरण-2 (यूनिट-5 व 6)	2×500 यूनिट-5	88-89
		यूनिट-6	89-90
3.	विन्ध्याचल सु० ता० वि० केन्द्र (यूनिट-1, 2, 3, 4, 5 व 6)	6×210 यूनिट-1 व 2)	87-88
		यूनिट-3 व 4)	88-89
		यूनिट-5 व 6)	89-90
	दक्षिणी क्षेत्र		
	1. आंध्र प्रदेश		
1.	विजयवाड़ा विस्तार (यूनिट-3)	1×210 यूनिट-3	88-89
	2. तमिलनाडु		
1.	मेट्टूर चरण-1 (यूनिट-1 व 2)	2×210 यूनिट-1	86-87
		यूनिट-2	87-88
2.	मेट्टूर चरण-2 (यूनिट-3)	1×210 यूनिट-3	88-89
3.	तूतीकोरिन विस्तार (यूनिट-4)	1×210 यूनिट-4	*
	3. कर्नाटक		
1.	रायचूर (यूनिट-2)	1×210	यूनिट समकालित कर दिया गया
	4. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन		
1.	नेवेली दूसरा माइन कट चरण-1 (यूनिट-3, 2 व 1)	3×210 यूनिट-3	3/86
		यूनिट-2	86-87
		यूनिट-1	87-88

1	2	3	4
2.	नेवेली दूसरा माइन कट चरण-2 (यूनिट-4)	1×210 यूनिट-4	*
	5. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम		
1.	रामगुण्डम सु० ता० वि० केन्द्र चरण-1 (यूनिट-4)	1×500 यूनिट-4	88-89
2.	रामगुण्डम सु० ता० वि० केन्द्र चरण-2 (यूनिट-5)	1×500 यूनिट-5	89-90
पूर्वी क्षेत्र			
	1. बिहार		
1.	पतरातू (यूनिट-10)	1×110	यूनिट समकालित कर दिया गया
2.	मुजफ्फरपुर (यूनिट-2)	1×110	—वही—
3.	तेनुघाट	1×210 यूनिट-1	89-90
	2. दामोदर घाटी निगम		
1.	बोकारो "ख" (यूनिट-1)	1×210	3/86
2.	बोकारो "ख" विस्तार (यूनिट-2 व 3)	2×210 यूनिट-2 यूनिट-3	87-88 88-89
3.	गैस टर्बाइन (यूनिट-1, 2 व 3)	3×30 यूनिट-1 व 2 यूनिट-3	86-87 87-88
	3. पश्चिम बंगाल		
1.	डी० पी० एल० विस्तार (यूनिट-6)	1×110	यूनिट समकालित कर दिया गया
2.	कोलाघाट चरण-1 (यूनिट-2 व 1)	2×210 यूनिट-2 यूनिट-1	चालू कर दिया गया 87-88
3.	कोलाघाट विस्तार (यूनिट-4)	1×210 यूनिट-4	88-89

1	1	3	4
	4. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम		
1.	फरक्का सु० ता० वि० केन्द्र चरण-1	3×210 यूनिट-1	समकालित कर दिया गया
	यूनिट-1, 2 व 3)	यूनिट-2 व 3	86-87
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
	1. असम		
1.	बोंगईगांव चरण-2 (यूनिट-4)	1×60 यूनिट-4	3-4/86
2.	लकवा गैस टर्बाइन (यूनिट-4)	1×15 यूनिट-4	86-87
3.	चन्द्रपुर विस्तार	1×30	87-88
4.	लकवा गैस टर्बाइन (यूनिट-5, 6, 7 व 8)	4×15	*
	2. त्रिपुरा		
1.	बारामूरा गैस टर्बाइन (यूनिट-1 व 2)	2×5	3/86
2.	नयी गैस स्कीम (यूनिट-3 व 4)	2×5**	*

*चूंकि मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर के लिए अभी आर्डर दिए जाने हैं अतः चालू करने के कार्यक्रम की प्रत्याशा संभव नहीं है।

**स्कीम को मंजूरी दी जानी है।

विवरण-दो

सातवीं योजना के दौरान चालू किए जाने वाली संभावित निर्माणाधीन बृहत्/मध्यम विद्युत परियोजनायें

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	पहली यूनिट/अन्तिम यूनिट को चालू करने की संभावित तारीख
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
	जम्मू व कश्मीर		
1.	अपर सिंध	2×35	1988-89 1989-90

1	2	3	4
	हरियाणा		
1.	पश्चिमी यमुना नहर	3×2×8	1985-86 1987-88
	हिमाचल प्रदेश		
1.	संजय (भाभा)	3×40	1987-88 1988-89
2.	आंध्र	3×5.65	1986-87
	राजस्थान		
1.	माही बजाज सागर बिजलीघर-एक	2×25	चालू कर दी गई है।
2.	माही बजाज सागर बिजलीघर-दो	2×45	1989-90
	पंजाब		
1.	आनन्दपुर साहिब	4×33.5	चालू कर दी गई है।
2.	मुकेरिया	3×15+	1987-88
3.	अपर बारी दोआब नहर	2×3×19.5	1988-89
	चरण-दो	3×15	1988-89
	उत्तर प्रदेश		
1.	मानेरी भाली चरण-दो	4×76	1989-90
	केन्द्रीय		
1.	सलाल	3×115	1986-87
2.	चमेरा	1×180 यूनिट-	1989-90
	पश्चिमी क्षेत्र		
	गुजरात		
1.	कडाना पम्प जलाशय स्कीम	2×60	1987-88
	मध्य प्रदेश		
1.	बर्गी	2×45	1987-88
2.	बाणसागर टोंस बिजलीघर-एक	2×105	1988-89 1989-90
3.	हसदेव बांगो	3×40	1989-90

1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
1.	टिल्लारी	1×60	1985-86
2.	भीड़ा टेल रेस	2×40	1986-87
			1987-88
3.	भण्डारदारा	1×10 यूनिट-1	रोटेट कर दी गई।
4.	खड़गवासला	1×8+1×8	1989-90
5.	पवाना	1×10	1987-88
6.	भत्सा	1×15	1989-90
7.	उज्जैनी पम्प जलाशय स्कीम	1×12	1989-90
	सांभा (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र)		
1.	पेंच	2×80	यूनिट-1 रोल कर दी गई।
		यूनिट-2	1986-87
	दक्षिणी क्षेत्र		
	आंध्र प्रदेश		
1.	नागार्जुन सागर पम्प जलाशय स्कीम चरण-दो	1×100	चालू कर दी गई है।
2.	श्रीसैलम चरण-2	3×110	पहली यूनिट रोल कर दी गई
		यूनिट-2 और 3	1986-87
3.	बलिमेला में ए० पी० बिजलीघर	2×30	1987-88
			1988-89
4.	पोचमपद	3×9	1987-88
5.	पेन्ना अहोबिलम	2×10	1987-88
6.	नागार्जुनसागर बायां तट नहर	2×30	1988-89
7.	नागार्जुनसागर दायां तट नहर विस्तार	1×30	1987-88
	कर्नाटक		
1.	काली नदी चरण-एक (सूपा)	2×50	चालू कर दी गई है।

1	2	3	4
2.	वाराही	2×115+2×4.5	1987-88 1988-89
3.	घाटाप्रभा	2×16	1989-90
	केरल		
1.	इदुक्की चरण-दो	3×130	यूनिट-1 और 2 चालू कर दी गई।
		यूनिट-3	1986-87
2.	इदामलयार	2×37.5 यूनिट-1	रोल कर दी गई
		यूनिट-2	1986-87
3.	कल्लड़	2×7.5	1988-89
4.	कक्कड	2×25	1989-90
	तमिलनाडु		
1.	सर्वालार	1×20	यूनिट रोल कर दी गई
2.	कदमपराई पम्प जलाशय स्कीम	4×100	1987-88 1988-89
3.	लोअर मैत्तूर	4×2×15	1986-87 1988-89
4.	कुन्डाह-पॉच	1×20	1987-88
पूर्वी क्षेत्र			
	बिहार		
1.	नार्थ कोइल	2×12	1988-89
2.	पूर्वी गन्डक नहर	3×5	1987-88 1988-89
	उड़ीसा		
1.	रेंगाली	2×50 यूनिट-1	चालू कर दी गई
		यूनिट-2	रोल कर दी गई
2.	रेंगाली विस्तार	2×50 यूनिट-1 और 2	1989-90
3.	अपर कोलाब	3×80	1986-87 1987-88

1	2	3	4
4.	हीराकुंड विस्तार (7वीं यूनिट)	1×37.5	1987-88
	पश्चिम बंगाल		
1.	रामन चरण दो	4×12.5	1988-89
			1989-90
2.	तीस्ता प्रपात	3×7.5	1989-90
	दामोदर घाटी निगम		
1.	प्रचेत हिल	1×40	1987-88
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
	असम		
1.	लोअर बोरपानी (करबी लंगपी)	2×50	1988-89
2.	घनसिरी	5×3×1.33	1989-99
	उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम		
1.	कोपीली (कोपीली बिजली घर)	2×50	1986-87

गुजरात में निर्माणाधीन पन-बिजली परियोजनायें

4240. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितनी पन-बिजली परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन परियोजनाओं का कार्य पूरा किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) गुजरात में सातवीं योजना के दौरान चालू की जाने वाली निर्माणाधीन स्वीकृत जल-विद्युत परियोजनाओं के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात में सातवीं योजना के दौरान चालू की जाने वाली निर्माणाधीन स्वीकृत जल-विद्युत परियोजनायें

क्रम सं०	परियोजना का नाम क्षमता तथा स्थान	चालू करने का कार्यक्रम		वर्तमान स्थिति का ब्यौरा	विलम्ब के कारण
		मूल	अब प्रत्योशित		
1	2	3	4	5	6
1.	उकई एल० बी० सी० यूनिट-1 तथा 2 (2×2.5 मेगावाट)	80-81	86-87	विद्युत केन्द्र के भवन का खुदाई संबंधी कार्य पूरा हो गया है। कंक्रीट संबंधी प्रथम चरण का कार्य भी पूरा हो गया है। कंक्रीट संबंधी द्वितीय चरण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। विद्युत केन्द्र के सिविल निर्माण संबंधी कार्य चल रहे हैं। दोनों यूनिटों के लिए ड्राफ्ट ट्यूब नी लाइनर तथा कोन और स्पीड रिंग का उत्थापन कार्य पूरा हो गया है।	श्रमिक संबंधी समस्याएं तथा ठेका देने में विलम्ब
2.	कान्दना पी० एस० एस० यूनिट-1 तथा 2 (4×60 मेगावाट), जिला—पंचमहल	78-79	87-88	डिवाइड दीवारों, बाढ़ से बचाव के लिए दीवार तथा विद्युत केन्द्र का खुदाई संबंधी कार्य पूरा हो गया है। इनका चिनाई तथा	भू-वैज्ञानिक संबंधी समस्याएं संगठनात्मक प्रबंध संबंधी समस्याएं निधियों की

1	2	3	4	5	6
				कंक्रीट कार्य चल रहा है। विद्युत उत्पादन यूनिटें कार्यस्थल पर हैं। ई० ओ० टो० क्रेन का उत्थापन कार्य हो गया है।	कमी।

कुटीर/खादी उद्योगों की स्थापना

4241. **श्री अनादिचरण दास** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर/खादी उद्योगों की उन मदों के नाम क्या हैं जिनके लिए पांच हजार रुपये से 25000 रुपये तक की आवश्यकता होती है, जिन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित किया जा सकता है अथवा जिनके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है और जिसके उत्पादन आंशिक/पूर्ण रूप से उक्त आयोग द्वारा खरीदे जाते हैं;

(ख) आम आदमी द्वारा शुरू किए जा सकने वाले कुटीर/खादी उद्योग स्तर पर सरसों के तेल की परियोजना की रूपरेखा क्या है;

(ग) दिल्ली और उड़ीसा में उन प्राधिकारियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके साथ जनता द्वारा संगत पत्र व्यवहार किया जा सके; और

(घ) उन कुटीर/खादी उद्योगों के नाम क्या हैं जिनकी उड़ीसा में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता की जा सकती है और जो इसकी सहायता से खोले जा सकते हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की अनुसूची (अनुसूची की एक प्रति विवरण एक के रूप में संलग्न है) में शामिल खादी और 26 ग्रामोद्योग का उत्तर-दायित्व सौंपा गया है। कुल मिलाकर, अनुसूचित उद्योगों के प्रत्येक उद्योग में 5,000 रु० से 25,000 रु० तक राशि से अलग-अलग एकक स्थापित किए जा सकते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग रुई, सीमेंट, इस्पात, ऊन और कोकुन आदि जैसे कुछ कच्चे माल की पूर्ति करने की व्यवस्था करता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कच्चा माल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कुछेक मामलों में. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कार्यक्रम को चलाने वाले अभिकरण से उत्पादों को खरीदता है और अपने भवनों के माध्यम से उन्हें बेचता है इन भवनों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वयनकारी अभिकरणों से खरीदे गए माल से सीधे ही व्यवस्था की जाती है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग क्रयादेश मिलने पर

सरकार को सप्लाई करने के लिए अपने संहायता प्राप्त एककों से भी खरीद करता है।

(ख) कुटीर/खादी उद्योग स्तर पर सरसों के तेल, जिसे सामान्य आदमी द्वारा शुरू किया जा सकता है, की परियोजना-रूपरेखा (प्रोफाइल) संक्षिप्त रूप से संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

(ग) दिल्ली में : (1) खादी ग्रामोद्योग का राज्य कार्यालय, गांधीदर्शन, राजघाट, नई दिल्ली।

(2) दिल्ली राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लिंक ब्लाक भेजइनाइन मंजिल, अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्राज्य बस अड्डा भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-6।

उड़ीसा में : (1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, ओल्ड स्टेशन रोड, भुवनेश्वर; और

(2) उड़ीसा राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, यूनिट-111, भुवनेश्वर।

(घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम की अनुसूची में शामिल सभी ग्रामोद्योगों और खादी के लिए सहायता दी जा सकती है और उड़ीसा में उन्हें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की सहायता से उड़ीसा राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से सीधे ही सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों के माध्यम से चालू किया जा सकता है।

विवरण एक

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की परिसीमा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामोद्योगों की सूची

1. मधुमक्खी पालन।
2. कुटीर माचिस उद्योग, आतिशबाजी तथा अगरबत्ती बनाना।
3. कुटीरकुम्हारी उद्योग।
4. कुटीर साबुन उद्योग।
5. खालों और चामों की फ्लाइंग, करिंग तथा कमाई और उससे सम्बन्धित सहायक उद्योग और कुटीर चमड़ा उद्योग।
6. घानी तेल उद्योग।
7. हस्तनिर्मित कागज।

8. गन्ने से गुड़ और खांडसारी बनाना ।

9. ताड़ से गुड़ बनाना और अन्य ताड़-उत्पाद उद्योग ।

10. "अनाज तथा दालों, मसालों आदि का परिष्करण, पैकिंग और विपणन करना" ।

11. गाय के गोबर बेकार उत्पादों (जैसे मृत पशुओं के मांस, मल आदि) से गैस और खाद बनाना तथा उनका उपयोग करना ।

12. चूना पत्थर, चूना शल तथा अन्य चूना उत्पाद उद्योग ।

13. चमड़े का उत्पादन ।

14. औषधि बनाने सम्बन्धी प्रयोजन के लिए वनों से पौधों और फलों को एकत्र करना ।

15. फल और सब्जी परिष्करण, परिरक्षण और आचार सहित केनिंग कार्य ।

16. बॉस और बेंत कार्य ।

17. लुहारी का काम ।

18. बढ़ई का काम ।

19. कयर रेशे से मिल रेशा ।

20. अल्युमीनियम के घरेलू बर्तन बनाना ।

21. कत्था बनाना ।

22. गोंद रेजिन बनाना ।

23. लोक वस्त्र कपड़ा बनाना ।

24. पोली वस्त्र जिसका अर्थ है सूती, रेशमी अथवा ऊनी या इन सबमें से हो अथवा भारत में हाथ से तैयार किए गए रेशे चाहें वह सूती हो या रेशमी या ऊनी या सभी का मिश्रण, से तैयार भारत के हथकरघों पर बना कोई भी कपड़ा ।

25. मेजी और रेगी का परिष्करण ।

26. रबर उत्पादों (डिम्प्ड लैटेक्स उत्पाद) ।

विवरण-दो

कुटीर/खादी उद्योग के स्तर पर सरसों के तेल के सम्बन्ध में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की संक्षिप्त परियोजना रूपरेखा (प्रोफाइल)

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित की खरीद के लिए सहायता प्रदान करता है :

(क) बैल चालित उन्नत घानी (2 घानियों की एक इकाई)

(ख) **विद्युत चालित घानी** : (2 घानियों की एक इकाई)

(1) ओवर-हैड ड्राइव सहित; और

(2) पोर्टेबल विद्युत घानी

(ग) घानी के लिए वकशड़ों के निर्माण के लिए

2. आयोग तेल घानियों को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी प्रदान करता है।

3. जहां तक बैल चालित उन्नत घानी एकक का सम्बन्ध में, है 14,900/- रु० (दो घानियों के लिए 2.400 रु० सहित) राशि की कुल आवश्यकता पड़ेगी। पोर्टेबल विद्युत चालित घानियों के लिए दो घानियों के लिए 29,000 रुपये सहित 64,000 रु० की आवश्यकता होगी। ओवर-हैड ड्राइव वाली उन्नत घानियों के लिए 54,200/- रुपये की कुल राशि की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त राशियों की आवश्यकता में शैड और कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकताएं सम्मिलित हैं।

4. सरसों के तेल के बीजों पेरने वाली विद्युत चालित घानी से दो घानियों की प्रति इकाई 11,000/- रुपये प्रति वर्ष लाभ अर्जित किया जा सकता है। विद्युतचालित दो घानियों वाला एकक से 390 क्विंटल सरसों की पिराई हो सकती है और 2.58 लाख रुपये के तेल, खल छीजन और भूसे का उत्पादन हो सकता है। कुल बिक्री आय का अनुमान 2.69 लाख रुपये लगाया गया है।

भुवनेश्वर और कटक में कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन

4242. **श्री अनादिचरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर और कटक में उनके मन्त्रालय के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वाले निर्माणाधीन तथा निर्माण किए जाने वाले आवास का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त स्थानों में दिसम्बर, 1985 तक टाइप-दो और टाइप-एक श्रेणी की किस वरीयता तिथि तक के कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन किया जा चुका था तथा उक्त श्रेणियों की किस वरीयता तिथि तक के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन किया गया ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कर्मचारियों को सुलभ आवास का ब्यौरा इस प्रकार है :

	भुवनेश्वर	कटक
डाक विभाग		
उपलब्ध आवास	155	39
निर्माणाधीन	53	शून्य
निर्माण का प्रस्ताव	50	20
दूरसंचार विभाग		
उपलब्ध आवास	199	49
निर्माणाधीन	18	शून्य
निर्माण का प्रस्ताव	18	108

(ख) दिसम्बर, 1985 तक जिन कर्मचारियों को आवास दिया गया है उनकी प्राथमिकता तारीख

	भुवनेश्वर	कटक
डाक विभाग		
टाइप-11	13-9-1966	5-2-1966
टाइप-1	23-4-1975	26-6-1964
दूरसंचार विभाग		
टाइप-11	13-1-1965	13-9-1963
टाइप-1	19-9-1969	10-7-1949

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अलग आवासीय कोटा नहीं है। उन्हें सरकारी आवास उनकी प्राथमिकता तारीख के अनुसार ही दिया जाता है।

छठी योजना के दौरान कोयले का उत्पादन लक्ष्य

4243. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए सरकार का कोयले का उत्पादन लक्ष्य क्या है;

(ख) छठी योजना अवधि के लिए लक्ष्य क्या था; और

(ग) क्या उक्त लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 154.5 मिलियन टन ।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के समाप्ति वर्ष अर्थात् 1984-85 के लिए उत्पादन लक्ष्य 152 मिलियन टन था । वास्तविक उत्पादन 147.45 मिलियन टन रहा । उत्पादन में यह थोड़ी कमी निम्नलिखित कारणों से हुई :—

(1) भूमि के अधिग्रहण में कठिनाइयां ।

(2) खनन उपकरणों की मुख्य मदें समय पर नहीं मिलना ।

(3) अपर्याप्त और अविश्वसनीय बिजली सप्लाई ।

(4) रेत भराई सामग्री कमी ।

[हिन्दी]

राजस्थान में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4244. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कौन-कौन से और किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के उपक्रम कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक सरकारी उपक्रम में अनुसूचित जाति से संबंधित कितने कर्मचारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इन सभी उपक्रमों में पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटा भरा नहीं गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी जानकारी उपक्रमवार एकत्र की जाती है और रखी जाती है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के छः उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य में स्थित हैं। इन उपक्रमों के नामों, इनके पंजीकृत कार्यालयों की अवस्थिति तथा उनमें से प्रत्येक में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) आरक्षित कोटे की तुलना में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की भर्ती में कमी सामान्यतः अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की, विशेषकर तकनीकी विषयों में, अनुपलब्धता के कारण रही है। सरकारी उद्यम कार्यालय ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को यह सलाह दी जाय कि ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत बकाया रिक्तियों को भरने के लिए गहन प्रयास करें।

विवरण

1.1.1985 को राजस्थान में अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का विवरण।

क्र० सं०	उपक्रम का नाम	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या	स्थान
1	2	3	4
1.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	527	कोटा-324005
2.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	1649	6, नया फतेहपुरा, उदयपुर-313001
3.	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	8	सड़क नं० 12, वी० के० आई० एरिया, जयपुर-302013
4.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लि०	4	डी-37 ए, माधो सिंह रोड, बानी पार्क, जयपुर
5.	साम्भर साल्ट्स लि०	60	लाल निवास, 21, रामसिंह रोड, जयपुर-308004

1	1	3	4
6.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	37	लाल निवास, 21, राम सिंह रोड, पोस्ट बाक्स नं० 146, जयपुर-302001

[अनुवाद]

केरल में रुग्ण औद्योगिक एककों को लाभप्रद बनाना

4245. **श्री टी० बशीर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 1 जनवरी, 1986 को बड़े मध्यम और लघु क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक एककों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) इन रुग्ण एककों को लाभप्रद बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके द्वारा अपनाई जा रही परिभाषा के अनुसार इकट्ठे किए जाते हैं। उससे प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार केरल राज्य में 31.12.1984 तक 1,568 रुग्ण औद्योगिक एकक (17 बड़े और 1,551 लघु एकक) थे।

(ख) सरकार ने सक्षम रूप से जीव्य एककों को पुनरुज्जीवित/पुर्नस्थापित करने के लिए अक्तूबर, 1981 में केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों (केरल सरकार सहित) तथा वित्तीय संस्थानों के मार्गदर्शन के लिए नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की बातें लोक सभा में दिनांक 23.1.1985 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 204 के उत्तर में दे दी गई हैं। उस मामले में, जिसमें रुग्ण एककों का अधिग्रहण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई पुर्नस्थापन योजनाओं के एक अंग के रूप में कर लिया जाता है, ऐसी पुनर्स्थापना योजनाओं में पूंजी पुनर्निर्माण ब्याज की देयताओं का निधियन आसान शर्तों पर पूजी और कार्यशील पूंजी संबंधी ऋणों, ऋण सेवा देयताओं की राहत या उनकी समयसूची का पुनः निर्धारण जैसी विभिन्न रियायतों और सहायताओं की व्यवस्था की जाती है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें भी अलग-अलग रुग्ण एकक के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बनाई गई पुनर्स्थापना योजनाओं के एक अंग के रूप में विभिन्न राजकोषीय और अन्य राहतें प्रदान करती हैं। इसके अलावा विलय करके रुग्ण एककों को अपने हाथ में लेने वाले स्वस्थ एककों को आयकर संबंधी राहत देकर बढ़ावा दिया जाता है।

(ग) साथ ही "दी सिक इन्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 1985 लागू हो गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण और सक्षम रूप से जीव्य औद्योगिक एककों का समय पर पता लगाने और बोर्ड आफ इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्शियल रिकन्स्ट्रक्शन नामक एक अर्ध-कानूनी निकाय की स्थापना का प्रावधान किया गया है जिसे सक्षम रूप से जीव्य रुग्ण औद्योगिक एककों को तीव्रता से पुनर्स्थापना करने के लिए उपयुक्त अभ्युपायों पर विचार करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

त्रिवेन्द्रम टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची

4246. **श्री टी० बशीर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम नगर में 1 मार्च, 1986 तक टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची में कुल कितने प्रयोक्ताओं के नाम थे;

(ख) इस प्रतीक्षा सूची में से कितने प्रयोक्ताओं को अब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये गए हैं;

(ग) त्रिवेन्द्रम जैसे नगर में जो कि उस राज्य की राजधानी है टेलीफोन कनेक्शन की नई मांगों की पूर्ति में क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(घ) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) त्रिवेन्द्रम सिटी में 1-3-1986 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज उपभोक्ताओं की कुल संख्या 5,559 है।

(ख) 1.3.1986 से 17.3.1986 तक 65 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए।

(ग) टेलीफोन कनेक्शनों की समूची मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्विचन उपस्कर तथा केबिल उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) वर्तमान प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा जहां कहीं संभव हो, वर्तमान एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

अलाभकर औद्योगिक एककों को गैर-सरकारी क्षेत्र के सुपुर्द किया जाना

4247. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलाभकर औद्योगिक एककों को गैर-सरकारी क्षेत्र के सुपुर्द करने

का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या महाराष्ट्र में ऐसा कोई एकक है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) आर (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रक्षित अल्कोहल उद्योग की स्थापना

4248. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्कोहल की कमी के कारण औषध उद्योग को काफी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी बारम्बार कमी और अधिकता होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या शीरे और अल्कोहल का निर्यात अब भी जारी है;

(घ) क्या अल्कोहल के निर्माण के लिए वैकल्पिक उपायों और श्रोतों का उपयोग किया जाएगा; और

(ङ) क्या औषध कम्पनियों को रक्षित अल्कोहल उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) देश में अल्कोहल की आपूर्ति विभिन्न उद्देश्यों के लिए मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रही है जिसमें गत अल्कोहल वर्ष के दौरान औषध उद्योग की मांग भी सम्मिलित है ।

(ख) अल्कोहल का उत्पादन मुख्यत: शीरे के उत्पादन पर निर्भर होता है, जो चीनी का एक उप-उत्पाद होने के कारण पर्याप्त रूप से घटता बढ़ता रहता है ।

(ग) सामान्यत: भूटान को आबंटित कल्कोहल की छोटी सी मात्रा को छोड़कर शीरे और अल्कोहल का निर्यात अनुमेय नहीं किया जाता ।

(घ) शीरे एवं अल्कोहल पर एक नई नीति को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिए जाने की आशा है ।

(ङ) कच्चे मालों की उपलब्धता जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के सभी आवेदनपत्रों की गुणवत्ता के आधार पर जांच की जाती है। तथापि वर्ष के दौरान रसायन उद्योगों को जिनमें अल्कोहल पर आधारित औषध कम्पनियां भी सम्मिलित हैं, शुल्क मुक्त अल्कोहल के आयात की अनुमति दी गई थी।

देश में इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों का निर्माण

4249. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों का देश में निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनका निर्माण किस नीति के अन्तर्गत किया जा रहा है;

(ग) क्या उन्हें यंत्र चालित टाइपराइटरों की तुलना में प्रतियोगी बनाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टाइपराइटर—चाहे वे हस्तचालित, बिजली अथवा इलैक्ट्रोनिक्स हो, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची की प्रविष्ट 13 "वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण" के अन्तर्गत शामिल किए जाते हैं। इन्हें न तो लघु क्षेत्र में निर्माण के लिए आरक्षित किया गया है और न ही एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। चूंकि इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर हस्तचालित/बिजली के टाइपराइटरों की तुलना में प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उन्नत हैं, इसलिए सरकार ने निर्माताओं को बदलती हुई आवश्यकताएं पूरी करने हेतु उत्पादन में लचीलापन लाने के लिए हस्तचालित बिजली/इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों की व्यापक श्रेणी में अपने औद्योगिक लाइसेंसों/स्वीकृतियों को पृष्ठांकित करने के लिए विद्यमान टाइपराइटर उत्पादकों के लिए टाइपराइटरों के कार्य क्षेत्र के विस्तार की योजना शुरू की है। सरकार ने निर्माण के इस क्षेत्र मे लघु क्षेत्र तथा बड़े क्षेत्र दोनों में ही अनेक नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। तथा किसी नए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा है चूंकि पर्याप्त क्षमता को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। तथापि इस समय भारत में इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों की मांग अपेक्षाकृत कम है और कीमतें अधिक हैं, क्योंकि कार्यालय मशीनों की श्रेणी में इसका प्रवेश नया है, इसलिए जनता में इसके लिए आकर्षण कम है। आशा की जाती है कि अन्तर एकक प्रतियोगिता और नव उत्पादन इंजीनियरी और उपयोग इंजीनियरी से एकक की कीमतें कम हो जाएंगी और इससे इन टाइपराइटरों के लिए मांग और बढ़ेगी।

राज्य बिजली बोर्डों के लिए प्लान्ट लोड फैक्टर

4250. **डा० जी० विजय राघा राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य बिजली बोर्डों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्लान्ट लोड फैक्टर में सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। अखिल भारत संयंत्र भार अनुपात जो कि 1983-84 में 47.9% था, 1985-86 (अप्रैल 1985-फरवरी, 1986) के दौरान बढ़कर 51.9 प्रतिशत हो गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार संयंत्र भार अनुपात को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यवार संयंत्र भार अनुपात

	संयंत्र भार अनुपात (%)		
	1983-84	1984-85	अप्रैल, 85-फरवरी, 86
1	2	3	4
दिल्ली	48.4	51.1	49.7
हरियाणा	31.1	34.7	32 4
जम्मू और कश्मीर	1.5	—	—
राजस्थान	72.3	57.2	56.0
पंजाब	57.0	64.3	59.9
उत्तर प्रदेश	39.2	39.7	46.6
गुजरात	57.9	56.0	54.5
मध्य प्रदेश	54.1	51.8	56.9
महाराष्ट्र	53.3	50.3	54.7
आन्ध्र प्रदेश	54.6	54.9	66.0

1	2	3	4
तमिलनाडु	51.4	58.7	62.1
कर्नाटक	—	—	37.7
बिहार	32.8	30.5	34.3
दामोदर घाटी निगम	48.1	48.6	49.1
उड़ीसा	33.2	32.2	30.3
पश्चिम बंगाल	39.1	40.0	43.0
असम	34.2	29.6	27.1
अखिल भारत	47.9	50.1	51.9

कोयला क्षेत्र के लिए दामोदर घाटी निगम से बिजली की मांग

4251. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम से कोयला क्षेत्र के लिए कितनी बिजली की मांग की गयी है;

(ख) दामोदर घाटी निगम से कोयला क्षेत्र के लिए वास्तव में औसतन कितनी बिजली आवंटित की जाती है;

(ग) इससे कोयला क्षेत्र की कितने प्रतिशत मांग पूरी होती और क्या पूर्वी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई में आने वाले गतिरोध से खानों और धोवनशालाओं (वाशरीज) के कार्य-करण में बाधा उत्पन्न हो रही है; और

(घ) कोयला खानों को बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) दामोदर घाटी निगम पर कोल इंडिया लिमिटेड की कुल संविदा मांग 309 एम० वी० ए० है।

(ख) और (ग) पिछले तीन महीनों के दौरान वास्तविक औसत आवंटन (व्यस्ततम-कालीन अवधि), कोयला फीडरों द्वारा विद्युत की वास्तविक औसत अधिकतम निकासी, कुल संविदा मांग की तुलना में प्राप्त विद्युत की प्रतिशतता तथा कुल फीडर घंटों की तुलना में ट्रिपिंग के घंटों की प्रतिशतता नीचे दिए गए अनुसार थी :—

महीना	वास्तविक औसत आवंटन	वास्तविक कुल अधिकतम निकासी	संविदा मांग की तुलना में प्राप्त विद्युत का प्रतिशत	ट्रिपिंग के घंटों की प्रतिशतता
दिसम्बर,85	270 एम०वी०ए०	355 एम०वी०ए०	115%	9.42%
जनवरी, 86	279 एम०वी०ए०	366 एम०वी०ए०	118%	6.34%
फरवरी, 86	283 एम०वी०ए०	367 एम०वी०ए०	119%	4.60%

विद्युत की सप्लाई में रुकावट प्रचालनाधीन कोयला खानों और धोवनशालाओं को प्रभावित करने वाले पहलुओं में से एक हो सकती है।

(घ) विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए, दामोदर घाटी निगम बोकारों "ख" में 3×210 मेघावाट की ताप विद्युत यूनिटों और पंचेत में 40 मेगावाट की जल विद्युत यूनिट का निर्माण कर रहा है। लघु अवधि में सधार लाने के लिए सरकार ने 3×30 मेगावाट के गैस टरबाइन केन्द्र प्रतिष्ठापित किए जाने के लिए अनुमोदन दे दिया है।

देश में टेलीफोन की सघनता

4252. **श्री आर० एम० भोये** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में टेलीफोनों की सघनता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) दूरसंचार का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने तथा 80 प्रतिशत ग्रामीण और 20 प्रतिशत शहरी जनता को संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ग) देश में टेलीफोन व्यवस्था के असन्तोषजनक कार्यकरण व भूमिगत केबलों की सुरक्षा में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो बेहतर टेलीफोन सेवा के लिए शुरू की जाने वाली नई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत में टेलीफोन उपलब्धता प्रति 1000 जनसंख्या के लिए लगभग 4 हैं।

(ख) दूरसंचार विभाग के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 4010 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया हैं। इस अवधि में कुल 11 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें देने की व्यवस्था है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है, समूचे देश को 5 किलोमीटर के षटभुजाकार क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक षटकोण क्षेत्र में एक टेलीफोन की सुविधा प्रदान करना

है ताकि किसी भी व्यक्ति को टेलीफोन का लाभ उठाने के लिए 5 कि० मी० से अधिक न चलना पड़े। कुल 50,122 षटभुजाकार क्षेत्रों में से 22822 में छठी योजना के दौरान टेलीफोन सुविधा सुलभ करा दी गई है। सातवीं योजना के दौरान ऐसे 9000 क्षेत्रों में यह सुविधा देने का प्रस्ताव है। अतः ऐसी उम्मीद है कि सातवीं योजना के अंत तक 64 प्रतिशत षटभुजाकारों में यह सुविधा दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त लगभग 3,500 ग्रामीण एक्सचेंज भी खोले जायेंगे जिससे अधिकांश जनसंख्या को यह सुविधा सुलभ हो सकेगी।

(ग) देश में टेलीफोन प्रणाली के असंतोषजनक कार्यकरण का मुख्य कारण टेलीफोन उपलब्धता कम होना तथा टेलीफोनों की अधिक मांग का होना है। इसके फलस्वरूप मौजूदा नेटवर्क पर अधिक भार रहा है जिसके कारण विभिन्न स्तरों पर भार संतुलनता रहती है। दूरसंचार क्षेत्र में आवश्यकता से कम पूंजी निवेश के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

भूमिगत केबिलों को ईटों द्वारा सुरक्षित रखने की परम्परागत पुरानी पद्धति संतोषजनक नहीं पाई गई है क्योंकि दूरसंचार विभाग स्वयं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं बड़े पैमाने पर विकास करते रहते हैं। निरंतर खुदाई कार्य से केबिलों में क्षति होती है और मानसून के दौरान खराबी भी आती है।

(घ) बेहतर टेलीफोन सेवा के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। जहां तक भीतरी उपस्कर का प्रश्न है, सेवा अवधि पूरी करने वाले उपस्कर बदले जा रहे हैं और नेटवर्क में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्विचन एवं संचारण उपस्कर स्थापित किया जा रहा है। बाहरी संयंत्र में केबिल डक्टों का निर्माण किया जा रहा है। जिनमें केबिल बिछाए जायेंगे। इससे केबिल क्षतिग्रस्त होने से बच सकेंगे। पानी रिसने से केबिलों में खराबी होने से बचने के लिए मौजूदा केबिलों का दावीकरण किया जा रहा है। तथा वितरण नेटवर्क में जैली भरे केबिलों का प्रयोग किया जा रहा है।

विधिक सहायता स्कीम

4253. **श्री मानिक रेड्डी : क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्यमान विधिक सहायता स्कीम केंद्र और राज्यों में चल रही स्कीम के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति करने में पूर्णतः अपर्याप्त है; और

(ख) क्या निर्धन नागरिकों को आसानी से और कम खर्च पर न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ तथा कनिष्ठ वकीलों की फीस की ऊंची दरों और अन्य अत्यधिक खर्चों में कटौती सुनिश्चित करने के अतिरिक्त सुसंगत नियमों को उदार बनाने और अन्य आवश्यक कदम उठाने का सरकार का विचार है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता

स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार :—

(क) यह कहना सही नहीं है कि विद्यमान विधि सहायता स्कीम, स्कीम के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पूर्णतः अपर्याप्त हैं। स्कीम 1980-81 में बनाई गई थी। स्कीम नई है, अतः उसके कार्यान्वयन में प्रगति भी, निश्चित रूप से, धीरे-धीरे होगी।

यह स्कीम तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और केरल राज्यों में कुछ आगे बढ़ी है। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा और कर्नाटक में यह लोकप्रिय हो रही है। शेष राज्यों में यह आरम्भ की जा रही है।

(ख) विधिक सहायता समितियां किसी भी वकील को अधिक फीस नहीं देती है। वकीलों को न्यायालय फीस, याचिकाओं, शपथपत्रों, प्रतिशपथपत्रों, उत्तर आदि के मसौदे तैयार करने के लिए उचित फीस दी जाती है जिससे कि निर्धन नागरिक सरलता से और कम खर्च करके न्याय प्राप्त कर सकें। विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति सरल और कम खर्चीला न्याय सुलभ करने के साधनों और ढंगों पर विचार कर रही है। सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

विवाह-विच्छेद और वैवाहिक मामलों के लिए कुटुम्ब न्यायालय/लोक अदालत

4254. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 वर्ष 1984 में पारित हो गया था, किन्तु अब तक केवल राजस्थान राज्य में ही कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार विवाह-विच्छेद और वैवाहिक मामलों से निपटने के लिए लोक अदालतों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) क्या सरकार विचार इस मामले पर राज्य सरकारों से बातचीत करने और लायर्स कलक्टिव (बाम्बे फरवरी, 1986) द्वारा पेश की गई दलील के अनुसार उनको कुटुम्ब न्यायालय अधिनयम को क्रियान्वित करने की आवश्यतता पर जोर देने का है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति ने जानकारी दी है कि वर्तमान लोक अदालतें, स्वैच्छिक संगठन हैं और लोक अदालतों में जिन मामलों पर विचार किया जाता है उनमें वैवाहिक मामले भी हैं। यह अनुभव किया गया है कि जब इस प्रकार के निजी विवादों का निपटारा सौहार्द्रपूर्ण रूप से लोक अदालतें कर देती हैं तो पथकारों में स्थायी रूप से पुनर्मिलन हो जाता है।

(ग) सरकार कुटुम्ब न्यायालय को कार्यान्वित करने के विषय में राज्य सरकारों से पहले ही सम्पर्क कर चुकी है।

बिजली बोर्डों को अपने निजी माइक्रोवेव संचार नेट-वर्क चलाने की स्वीकृति

4255. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्डों की यह शिकायतें है कि डाक और तार विभाग उनके काम को अपेक्षित महत्व और बिजली के प्रयोग के लिए लीज पर किए गए कनेक्शनों को प्राथमिकता नहीं देता है जिसके परिणामस्वरूप बिजली प्रणाली के संचालन में पूर्ण अवरोध आ जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य बिजली बोर्डों ने मांग की है कि उन्हें अपने ही प्रयोग के लिए निजी माइक्रोवेव संचार नेट वर्क लगाने के लिए प्राधिकृत किया जाए;

(ग) यदि हां, तो उक्त मांग मान ली गई है;

(घ) यदि हां, तो उन बिजली बोर्डों के नाम क्या है जिन्हें अपने निजी माइक्रोवेव संचार नेट वर्क चलाने की अनुमति दी गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, दूरसंचार विभाग द्वारा बिजली के उपयोग के लिए पट्टे पर दिए गए लिंकों को महत्व और प्राथमिकता न देने के बारे में राज्य बिल्ली बोर्ड से किसी प्रकार की कोई गंभीर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। दूरसंचार विभाग द्वारा पट्टे पर दिए गए सर्किटों के रख रखाव पर विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने लगभग 10 वर्ष पूर्व एक माइक्रोवेव लिंक के लिए अनुरोध किया था जिसे इस कारण से मंजूर नहीं किया गया कि अपेक्षित सुविधा दूरसंचार विभाग द्वारा मुहैया की जानी थी। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अपना निजी माइक्रोवेव संचार नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। बिजली प्राधिकरण से प्राप्त प्रत्येक मामले की उसके गुण-दोषों के आधार पर जांच की जाती हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर होने वाला व्यय

4256. **श्री सुभाष यादव** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने देश में कार्यरत अपनी सभी 450 खानों के

कम्प्यूटरीकरण की कोई योजना तैयार की है;

(ख) इससे उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) इस कार्य पर कितना व्यय होगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) कोल इंडिया लि॰ ने अपनी सहायक कंपनियों की खानों में, क्षेत्रों में तथा मुख्यालयों में उपयुक्त कंप्यूटरी प्रणालियां लगाने की योजना बनाई है। कोल इंडिया लि॰ के मुख्यालय में भी एक कंप्यूटर प्रणाली रहेगी।

(ख) कंप्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली से उत्पादन की सही निगरानी करने में तथा उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में और आमतौर पर शीघ्रता से निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार कंप्यूटरीकरण की उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन बढ़ाने में काफी योगदान रहेगा।

(ग) यदि आधारभूत सुविधाओं की लागत और साफ्टवेयर विकास लागत को हटा दिया जाए तो इस योजना में तीन वर्षों की अवधि के लिए एक बार का गैर-आवर्ती खर्च लगभग रु॰ 8 करोड़ होगा और वार्षिक आवर्ती किराया प्रभार लगभग रु॰ 10 करोड़ होगा।

अन्तर्राज्यीय विद्युत अन्तरण केन्द्रों हेतु सीमान्त मूल्य-निर्धारण प्रणाली

4257. **श्री डी॰ बी॰ पाटिल** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में अन्तर्राज्यीय विद्युत अन्तरण केन्द्रों से "पीक", "आफपीक", "डम्प" ऊर्जा आदि को ध्यान में रखे बिना एक निश्चित दर पर मूल्य लिया जाता है;

(ख) क्या इस मूल्य निर्धारण प्रणाली के कारण पन-बिजली घरों में शून्य लागत ऊर्जा (जीरो कास्ट इनर्जी) बेकार जा रही है जबकि ताप बिजली घर पूर्ण क्षमता के साथ बिजली का उत्पादन कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इसी के परिणामस्वरूप ताप बिजली घरों द्वारा बिजली का उत्पादन कम करने के लिए सहमत न होने के कारण विद्युत प्रणाली उच्चगति हाई फ्रिक्वेंसी" पर काम कर रही है क्योंकि उन्हें आशंका है कि इसके कारण उन्हें अपने द्वारा तैयार की गई बिजली की लागत से अधिक दर पर ग्रिड से बिजली खरीदनी पड़ेगी;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या विद्युत अन्तरण केन्द्रों के लिए सीमान्त मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू करने का सरकार का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) देश में विद्युत के अन्तर्राज्यीय आदान-प्रदान के

लिए कीमत इस समय फ्लेट दर पर वसूल की जाती है।

(ख) से (घ) जल विद्युत केन्द्रों की शून्य लागत ऊर्जा (जीरो कॉस्ट एनर्जी) का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित करने तथा इसे पिछड़ने न देने के लिए हर सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। समय-समय पर जल विद्युत की अधिक उपलब्धता और विद्युत की मांग कम होने की अवधि के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों में विद्युत के उत्पादन को कम करना पड़ता है। जब मांग कम होती है और उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक होती है तो प्रणाली में आवर्तिता बढ़ जाती है। जहां तक सम्भव होता है मंहगे ताप विद्युत केंद्रों में विद्युत के उत्पादन को कम करके ऊर्जा के जल विद्युत के सस्ते स्रोत का उपयोग करने का प्रयास किया जाता है।

(ङ) विद्युत के अन्तर्राज्यीय आदान-प्रदान के लिए टैरिफ संबंधित राज्यों द्वारा द्विपक्षीय आधार पर निर्धारित की जाती है।

पन बिजली घरों का नवीकरण

4258. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के आर्थिक सर्वेक्षण में विशेष रूप से स्वतन्त्रता से पूर्व चालू किए गए पन बिजली घरों के तत्काल नवीकरण के लिए बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पुराने एककों में आधुनिक प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जल विद्युत उत्पादन यूनिटों के नवीकरण सम्बन्धी कार्य इस समय सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डो/अन्य सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। 5 जल विद्युत केन्द्रों का नवीकरण कार्य पूरा हो चुका है तथा दो के सम्बन्ध में कार्यचल रहा है और 4 अन्य केन्द्रों की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने क्षमता बढ़ाने के लिए 23 जल विद्युत केन्द्रों का पता लगाया है तथा इससे सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	राज्य
(क)	**जिन जल विद्युत केंद्रों का नवीकरण कर दिया गया है :**		
1.	रिहन्द	6×50	उत्तर प्रदेश
2.	माताठीला	3×10	,,
3.	खातिमा	3×3.8	,,
4.	कुल्हाल	3×10	,,
5.	चिब्रा	4×60	,,
(ख)	**जिन जल विद्युत केंद्रों का नवीकरण किया जा रहा है :**		
1.	पथरी	3×6.8	,,
2.	ओबरा	3×3	
(ग)	**नवीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है :**		
1.	ढाकरानी	3×11.25	,,
2.	घालीपुर	3×17	,,
3.	निजामसागर	3×5	आंध्र प्रदेश
4.	मचकुण्ड	3×17+3×22	,,

एक्रीलिक फाइबर का निर्माण और उसके लिए आशय पत्र जारी किया जाना

4259. **श्री बुझार सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्रीकिल फाइबर निर्माण की एकक-वार वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान विभिन्न एककों में इसका कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या एक्रीलिक फाइबर की प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़ाने के लिए कोई और आशय पत्र जार जारी किए गए है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनका कार्यान्वयन किस चरण में है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जिन दो एककों को एक्रीलिक फाइबर के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे, उनकी 1985 के दौरान क्षमता तथा प्राप्त किए गए उत्पादन से संबंधित सूचना नीचे दी गयी है—

एकक का नाम	स्थान	क्षमता (टन प्रति वर्ष) लगभग	उत्पादन 1985
(I) मैं० इंडियन पेट्रोकेमिकल्स, का० लि०	गुजरात	24,00	12,500
(II) मैं० जे० के० सिंथेटिक्स लि०	राजस्थान	16,000	10,700
	योग	40,000	23,2000

(ग) और (घ) सूचना नीचे दी गयी है—

एकक का नाम	स्थान	क्षमता (टन प्रति वर्ष)
(I) मैं० पशुपति एक्रिलोन लि०	उत्तर प्रदेश	10,000
(II) मैं० पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि०	पंजाब	12,000

(ङ) मैं० पशुपति एक्रिलोन लि० के मामले में विदेशी सहयोग तथा उपस्कर के आयात सम्बन्धी प्रस्तावों को अनुयोचित कर दिया गया है। भूमि प्राप्त कर ली गयी है तथा सिविल निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है जहां तक मैं० पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का० लि० का सम्बन्ध है, हाल ही में अक्तूबर, 1985 में आशय-पत्र जारी किया गया था।

चीनी के शीरे तथा गुड़ और खंडसारी के शीरे के मूल्यों में असमानता

4260. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के शीरे तथा गुड़ और खंडसारी के शीरे के मूल्यों में असमानता है;

(ख) यदि सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन किया गया है, तो उसके अनुसार शीरे के मूल्यों में असमानता के कारण देश में गन्ना किस सीमा तक खंडसारी और गुड़ उत्पादकों को अधिक सप्लाई किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी उद्योग की समस्याओं को दूर करने के लिए चीनी के शीरे के मूल्य पर से नियंत्रण हटाने या चीनी के शीरे के मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के अनुसार चीनी मिल शीरे तथा खांडसारी शीरे के मूल्य निम्न प्रकार हैं—

चीनी मिल शीरे का ग्रेड	मूल्य
ग्रेड—1	6.00 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०
ग्रेड—2	4.80 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०
ग्रेड—3	3.60 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०
ग्रेड—3 से नीचे	3.60 रु० प्रत्येक 40 कि० ग्रा० के लिए उसमें से चीनी की मात्रा को कम करके।

नोट—शीरे की विभिन्न ग्रेडों के लिए उपर्युक्त अनुसूची के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य से, निम्नलिखित राशियों का उत्पादकों द्वारा लेखा रखा जाएगा और पृथक निधि में रखा जाएगा तथा ऐसी निधियों के विनियमन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार पर्याप्त भण्डारण सुविधाओं को स्थापना के लिए उपयोग किया जाएगा।

ग्रेड 1 शीरा	2.00 प्रति 100 कि० ग्रा०
ग्रेड 2 शीरा	1.60 प्रति 100 कि० ग्रा०
ग्रेड 3 शीरा	1.20 प्रति 100 कि० ग्रा०
ग्रेड 3 से नीचे का शीरा	1.20 प्रति 30 कि० ग्रा० के लिए, उसमें चीनी की मात्रा को कम करके।

खण्डसारी शीरे का ग्रेड	मूल्य
ग्रेड के—1	
योग चीनी का 60 प्रतिशत से अधिक भार कम करके	9.00 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०
ग्रेड के—2	
योन चीनी का 55 से 60 प्रतिशत तक भार कम करके	7.50 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०
ग्रेड के—3	
ग्रेड 1 गन्ना के शीरे के विशिष्ट विवरण के अनुसार	6.00 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०
ग्रेड के—4	
ग्रेड 2 गन्ने के शीरे के विशिष्ट विवरण के अनुसार	4.00 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०
ग्रेड के—5	
ग्रेड 3 गन्ने के शीरे के विशिष्ट विवरण के अनुसार	3.60 रु० प्रति 100 कि० ग्रा०
ग्रेड के—5 से नीचे	3.60 रु० प्रति 40 कि० ग्रा० के लिए, उसमें चीनी की मात्रा को कम करके।

नोट—उपर्युक्त सूची के अन्तर्गत निर्धारित किए गए मूल्य से, 33—1/3 प्रतिशत का लेखा करके उसे उत्पादकों द्वारा अलग निधि में रखा जाएगा, और उसे ऐसी निधियों के विनियमन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार पर्याप्त भण्डारण निधियों की स्थापना के लिए उपयोग किया जाएगा।

(ख) चीनी और खंडसार के शीरों के मूल्यों में अन्तर को गन्ने से खंडसारी और गुड़ के क्षेत्रों में परिवर्तन का कारण नहीं माना जा सकता।

(ग) और (घ) शीरे के सम्बन्ध में एक नयी नीति को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है।

12.00 म० प०

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं सातवीं बार आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा तो श्री फैलीरो, व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से हम श्री लंका में हो रही गंभीर घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं। इजराइली मोसाद एजेन्ट और पाकिस्तानी सेना के सलाहकार, के बीच पहले कोलम्बो में और अब इस्लामाबाद में बैठकें हुई हैं**(व्यवधान)** इतना ही नहीं, स्विटजरलैंड की सरकार श्री लंका मूल के सभी तमिलों को देश से निकाल रही है और सभी पश्चिम योरोपीय देश भी ऐसा करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करवा लेता हूं।

[अनुवाद]

में मैं पता लगाऊंगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। इस देश को घेरने तथा इस देश की अखण्डता को नष्ट करने का षडयन्त्र रचने के इन प्रयासों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, इजराइल और अन्य लोगों के द्वारा जो उनके पीछे हैं तथा जो बहुत अधिक शक्तिशाली है, भारत को घेरने के इस प्रयास पर एक पूर्ण चर्चा की जाये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दे दीजिए।

[अनुवाद]

मैं इस पर विचार करूंगा और पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मुझे एक अन्य विषय उठाना है। यह बहुत गम्भीर मामला है। अध्यक्ष महोदय, अमरीकी जहाजों ने लीबिया की प्रादेशिक जल सीमा का अतिक्रमण किया है और यह सूचना मिली है कि अमरीकी सेना ने लीबिया पर आक्रमण कर दिया है। विदेश मंत्री को इस सभा में एक वक्तव्य देना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जब सरकार इस पर विचार करेगी, तब वह वक्तव्य देगी। मुझे इसके बारे में पता नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : पाकिस्तान से अब वे लीबिया आ गए हैं। उन्होंने सोवियत रूस की प्रादेशिक जल सीमा का भी अतिक्रमण किया है। इसलिए, इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ गया है और इसके सम्बन्ध में विदेश मंत्री को इस सभा को विश्वास में लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। मैं विचार कर सकता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : आपका क्या निदेश है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के अखबारों में यह सवाल उछाला गया है कि अमेरिका की कुख्यात कम्पनी यूनियन कार्बाइड अपनी सारी सम्पत्ति बेचकर दिवाला निकालने जा रही है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उसको जयचन्द्र सिंह जा कर रहे हैं···

[अनुवाद]

मेरे विचार से श्री जयचन्द्र सिंह पहले ही कदम उठा चुके हैं। श्री जयचन्द्र सिंह, कृपया इस पर ध्यान दीजिए।

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : हमें मामले की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, उन्हें मामले की जानकारी है।

[हिन्दी]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : सर, आप बम्बई की समस्याओं के बारे में बोलने के लिए मुझे टाइम नहीं देते हैं, वहां की सरकार··· (**व्यवधान**)···एक मिनट···

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट तो आपको तब दूंगा जब कि आप यहां कोई प्रश्न ठीक से उठायें···

डा० दत्ता सामंत : बम्बई में पिछले 10 सालों में बिल्डिंग कोलैप्स में लगभग 500 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे स्टेट असैम्बली में उठवाइए क्योंकि बिल्डिगों का सेन्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। सारी बिल्डिग यहां से नहीं बनतीं···

[अनुवाद]

इसका संबंध राज्य सरकार से है। मैं सरकार को राजसहायता देने के लिए विवश नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

डा० दत्ता सामंत : स्टेट गवर्नमेंट ने आपके पास डिमाण्ड किया है कि उसे इसके लिए सबसिडी दी जाये···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला स्टेट गवर्नमेंट से सम्बन्धित है, हमारा नहीं है, वह करेगी।

डा० दत्ता सामंत : सर, वहां सेन्ट्रल एसिस्टैंस नहीं जा रही है, आप कुछ कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अनुमति नहीं दी जाती है। जी नहीं।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इस काम को राज्य सरकार करेगी। जी नहीं मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा समय इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते हैं। (**व्यवधान**)। अपने स्थान पर बैठ जाइये। मेरी बिना अनुमति के उनका एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(**व्यवधान**)**

डा० दत्ता सामंत : चूंकि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं अतः मैं सभा से बाहर जा रहा हूं। तत्पश्चात् डा० दत्ता सामंत सभा भवन से बाहर चले गए।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, अपना निर्णय देने से पहले, कृपया मेरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

प्रो० मधु दंडवते : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं अव्यवस्था की बात बता रहा हूं। मेरा निवेदन है कि··· (**व्यवधान**) आपकी अनुमति से हम यह प्रश्न उठा रहे हैं।

महोदय, मेरा निवेदन है कि मैं छठी बार इस तथ्य को आपकी जानकारी में ला रहा हूं कि मैंने नियम 184 के अन्तर्गत एक मूल प्रस्ताव रखा है···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको उत्तर भेज चुका हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आपने मुझे वाक्य भी पूरा करने नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे पहले ही देख लिया है।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे वाक्य तो पूरा कर लेने दीजिए। किसी वाक्य को अधूरा रखना व्याकरण की दृष्टि से भी बुरी बात है।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे भेजा था और मैंने आपको उत्तर भेज दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मेरी बात तो सुनिए। मुझे कार्यालय द्वारा बताया गया है कि आपको राज्यपाल के कार्यालय से कोई पत्र प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : राज्यपाल के कार्यालय से नहीं। हमें सूचना प्राप्त हो गई है।

प्रो० मधु दंडवते : यह विचित्र प्रक्रिया है कि जब हम राज्यपाल के आचरण के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तब आप उनके स्पष्टीकरण स्वीकार कर रहे हैं जिसका संबंध···

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं है। मैं तथ्यों पर ध्यान देता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे पास तथ्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास कोई तथ्य हैं; तो आप मेरे पास आ सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आप मुझे अपने कक्ष में आमन्त्रित करें, मैं इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपका स्वागत है। आप मेरे पास आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। श्री कुरूप···

प्रो० मधु दंडवते : आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : तब तक मामले को विचाराधीन रखें।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : तब तक के लिए आप अपना विनिर्णय दीजिए। मामले को विचाराधीन रखें···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मेरे धैर्य की परीक्षा न लें।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपके धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा हूं। आपके विरुद्ध कोई बात नहीं है। राज्यपाल के विरुद्ध कोई बात है। इसे विचाराधीन रखें। मैं आपको सारे दस्तावेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे ऐसी आशा नही है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं पुष्टि करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपके कक्ष में आने तथा इस मामले पर आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैं यह समझ लूं कि आप इस मामले पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, यह बड़ी बुरी बात की विधि मन्त्रालय पहल नहीं कर रहा है···

अध्यक्ष महोदय : वे पहल कर चुके हैं। आप ऐसी बात क्यों उठाते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है ? यहां इस को उठाने का प्रश्न ही नही उठता। उन्होंने सारी कायवाही कर ली है। इसके बारे में कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

श्री पी नामग्याल (लद्दाख) : इधर को भी जरा ध्यान दीजिए···

(व्यवधान)

श्री पी० नामग्याल : अध्यक्ष जी, मैं पाइंट रेज करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं, आप जरा बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : उनकी परिसम्पत्तियों के अन्तरण किए जाने के बारे में क्या रहा ?

अध्यक्ष महोदय : वे इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुरूप : उन्हें सभा का विश्वास में लेना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इस बार पुनः सरकार ने संसद की अवहेलना की है।

अध्यक्ष महोदय : किस लिए ?

श्री बसुदेव आचार्य : शिक्षा विधेयक अभी तक पारित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले से इसकी बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : किन्तु वह शिक्षा नीति अब कार्यान्वित की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक सम्माननीय सदस्य समझा जाता है। आपको सच्चाई का पता होना ही चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : सबसे पहले संसद को शिक्षा विधेयक पारित करना चाहिए था। किन्तु इसे कार्यान्वित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कहां कार्यान्वित किया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। यह बहुत गंभीर बात है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। आप मेरे पास आये और मैं पता लगाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल : अध्यक्ष जी, हमारे देश के खिलाफ साजिशें चारों ओर से की जा रही हैं। पहली तो यह है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरम्यान जो साजिशें चल रही हैं, दूसरी यह है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब फिर वही गड़बड़···(व्यवधान) श्री जनार्दन पुजारी।

श्री पी० नामग्याल : इजराइल के मोसाद भी बीच में आ रहा है। इस वक्त हमारा देश चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये साजिश है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही बात को बार-बार उठा रहे हैं। मैं इस मामले को तय कर चुका हूं और आप इसे पुनः उठा रहे हैं। कृपया बैठ जाइये। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं इसके बारे में निर्णय दे चुका हूं। मैं इसके बारे में अपना विनिर्णय दे चुका हूं। अब बैठ जाइये।

श्री पी० नामग्याल : हम तत्काल एक चर्चा चाहते हैं, महोदय।

डा० चिंता मोहन (तिरुपति) : महोदय, माननीय कल्याण मंत्री डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य से सम्बन्धित विषय है। वे इसका निपटारा करेंगे। इसे यहां मत उठाइये। श्री चिंता मोहन जी उन प्रश्नों को मत उठाइये जिन्हें राज्य विधान सभा में उठाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ क्यों नहीं जाते ?

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, नामग्याल जी जो मामला उठा रहे हैं, वह गम्भीर मामला है।

श्री पी० नामग्याल : डिस्कशन आज ही करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कौनसा तरीका है मेरे पास, मैं कैसे करवा दूं आज ही।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप स्थगन प्रस्ताव लाइये।

[हिन्दी]

आप एडजर्नमेंट मोशन लाइये।

[अनुवाद]

श्री पी० नामग्याल : कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तब बैठ जाइये ।

श्री पी० नामग्याल : हम नियम 193 के अन्तर्गत उठाना चाहते हैं न कि स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत ।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । आज भी मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है ?

अध्यक्ष महोदय : किस लिए ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यूनियन कार्बाइड के साथ हुए कथित समझौते पर चर्चा करने के लिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अरे, कोई नहीं है भाई !

[अनुवाद]

ऐसी कोई बात नहीं है, महोदय । आप क्यों इधर-उधर की बात कर रहे हैं ? ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार को सभा में वक्तव्य देना ही चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई वक्तव्य होगा तो दिया जाएगा ।

श्री एस जयपाल रेड्डी : क्या इसके बारे में हमें समाचार पत्रों से ही पता लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपने ऐसी बात सुनी है जो गलत है । इसमें मैं क्या कर सकता हूं ।

(व्यवधान)

12.08 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का नि० 503 (अ), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 17 मार्च,

[श्री जनार्दन पुजारी]

1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो नई दिल्ली में 16 से 19 अप्रैल, 1986 तक होने वाली निर्गुट देशों के समन्वय ब्यूरो की अनुसचिवीय बैठक के प्रतिनिधियों को, उक्त बैठक की समाप्ति पर भारत के बाहर किसी भी स्थान की उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के सम्बन्ध में विदेश यात्रा-कर के भुगतान से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2326/86]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा० का० नि० 493(अ), जो 13 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 281-सी० शु०, 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 111/86-सी० शु० तथा 113/86-सी० शु०, 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 153/86-सी० शु०, 154/86-सी० शु०, 162/86-सी० शु०, और 182/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 494(अ), जो 13 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 187-सी० शु०, 189-सी० शु० और 190-सी० शु०, में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2327/86]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण); जो 14 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 498 (अ), में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2328/86]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा० का० नि० 492(अ), जो 13 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो स्टीम, ब्लीच लिकर और काफी स्किन को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 496(अ), जो 14 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 64/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 499(अ), जो 14 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनमें किसी लघु निर्माता द्वारा बिजली के रोधित तारों और कैबलों में प्रयुक्त किए जाने वाले शुल्क से मुक्त मध्यवर्ती उत्पाद, पोली विनाइल क्लोराइड कम्पाउंड में प्रयुक्त होने वाले पॉलोविनाइल क्लोराइड रेजिन पर अदा किए गए विशिष्ट शुल्क का मुजरा करने की व्यवस्था की गई है।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2329/86**]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 100(अ), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का० आ० 65(अ) में कतिपय संशोधित किया गया है, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2330/86**]

12.10 म० प०

राष्ट्रपति से सन्देश

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मुझे राष्ट्रपति से प्राप्त हुए 20 मार्च, 1986 के निम्नलिखित संदेश

[अध्यक्ष महोदय]

की सूचना सभा को देनी है :

"20 फरवरी, 1986 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, क्या यह सभा के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्रीमन्, राष्ट्रपति द्वारा।

12.11 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.12 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

एक दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क लगाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, आम जनता महसूस कर रही है कि रोजाना काम में आने वाली चीजों पर जिसमें सिगरेट व पान भी सम्मिलित हैं, सरकार एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। यह प्रश्न लोक-महत्व का है। वित्त विभाग इसकी जांच करके वित्त विभाग को राय दे कि जिसमें आम लोग प्रभावित हों, उन छोटी चीजों पर एक्साइज ड्यूटी न ली जाए।

दूसरे कुछ सिगरेट ब्रांड, जो बाजार में बिकते हैं, उन पर छपे दामों से अधिक पैसा खुदरा व्यापारी जनता से वसूल कर रहा है, उसको सख्ती से रोका जाना चाहिए और इस अनियमितता की चार्ज-शीट बेचने वाले पर लगे न कि फैक्टरी वाले पर।

तीसरे, कुछ सिगरेट ब्रांड ऐसे भी हैं जो सरकार की बिना स्वीकृति के बिक रहे हैं और कुछ विदेशी ब्रान्ड भी बाजार में खुलेआम बिक रहे है। इससे राष्ट्र को विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है।

सिगरेटों के नये ब्रांडों को स्वीकृति देने में सरकार हिचकिचाती है और स्वीकृति में

देरी होती है, उतना ही सरकार का नुकसान होता है। इसलिए नए ब्रांडों को स्वीकृति देने में तत्परता से स्वीकृति दे देनी चाहिए। इसी ढील के कारण कई लोग अपने नये ब्रांड बिना स्वीकृति के बाजार में बेचने लग जाते हैं। इसलिए तुरन्त स्वीकृति देनी जरूरी है। इसलिए उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए, जिसमें करों की चोरी रुके और सरकार को पूरा कर मिल सके।

(दो) हज यात्रियों के लिए जलपोतों की संख्या बढ़ाने और विमान द्वारा हज करने जाने वाले यात्रियों को राजसहायता देने की आवश्यकता

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, समस्त भारत से इस समय हज के लिए प्रतिवर्ष लगभग 21,000 व्यक्ति जाते हैं। पहले हज जाने के लिए पानी के कुछ अधिक जहाजों की व्यवस्था थी, किन्तु अब यह संख्या मात्र तीन रह गई है जिसके कारण केवल 5,400 व्यक्ति ही पानी के जहाज से हज के लिए जा पाते हैं। शेष व्यक्तियों में से अधिकांश केवल हज के लिए इस कारण नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है और वे वायुयान का व्यय भार वहन नहीं कर सकते और उसका परिणाम यह होता है कि बहुत से लोग हज जाने की इच्छा को अपने मन में रखे हुए ही दुनिया से चले जाते हैं।

इसलिए मेरी सरकार से पहला निवेदन है कि वह हज यात्रियों के लिए पानी के जहाजों की संख्या में वृद्धि करे। दूसरा मेरा निवेदन है कि वायुयान से यात्रा करने वाले यात्रियों को, जैसा कि पूर्व में पानी के जहाज से यात्रा करने वाले हज-यात्रियों को सबसीडी की सुविधा दी जाती है, वैसे ही सबसीडी प्रदान की जावे। इससे हज यात्रियों को कुछ राहत मिलेगी और अधिक लोग हज के लिए जा सकेंगे।

(तीन) बैंकों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कानूनों में एकाउन्ट-पेई चैकों या बैंक ड्राफ्टों द्वारा ही भुगतान करने के प्रावधानों के कारण व्यापारी वर्ग के लिए बैंक अनिवार्य हो गए हैं। बैंकों की नई शाखाएं भी अच्छी संख्या में खुल रही हैं, परन्तु व्यापारी वर्ग को इनसे जो सुविधायें मिलने की अपेक्षायें थीं, वे न मिलकर निराशा ही हाथ लगी है।

12.14 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की बेरोजगार नवयुवकों को सैल्फ एम्पलायमेंट स्कीम में भी व सैट-अप योजना में भी बैंक अधिकारियों द्वारा चयनित व्यक्तियों को इतना परेशान किया जाता है कि वे आखिर में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऋण व अनुदान की मांग नहीं की जाती तो अच्छा रहता।

[श्री शांति धारीवाल]

बैंकों द्वारा अपने ग्राहक को समुचित सेवा न देना तथा शिकायत होने पर भी निराकरण नहीं होना एक आम शिकायत हो गई है। खातेदारों को उनके खातों का माहवारी हिसाब नहीं दिया जाता तथा आउट स्टेशनों के चैक स्वीकार कर रुपया खातों में दो-दो महीने तक जमा नहीं होता है। बैंकों ने हर प्रकार के सेवा शुल्कों में अत्यधिक वृद्धि कर दी है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि बैंकों सेवा-शुल्कों एवं उनके सेवा स्तर की विस्तृत जांच एवं सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय आयोग का गठन करे एवं अधिकारियों द्वारा जबर्दस्त भ्रष्टाचार में लिप्त होने की हर शिकायत पर मुस्तैदी से जांच करवाई जाये त6ा केन्द्र सरकार द्वारा सैल्फ एम्पलायमेंट व सैट-अप योजना के तहत चयनित व्यक्तियों को सबसे सरल तरीके से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का इंतजाम करे।

[अनुवाद]

(चार) पंजाब के जिन किसानों की फसलें हाल की ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गई हैं उन्हें वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : हाल ही में हुई ओलावृष्टि से पंजाब, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में हजारों एकड़ खड़ी फसलें नष्ट हो जाने से, किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। उनके उत्पादन का समुचित मूल्य न द्रिए जाने और उर्वरकों आदि के मूल्यों में भारी वृद्धि की वजह से किसानों को पहले ही भारी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह उत्तरी क्षेत्र विशेष रूप से पंजाब, राष्ट्रीय खाद्यान्न पूल को 65 प्रतिशत अनाज देता है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह किसानों को उनकी फसलों को हुई क्षति के लिए 106 प्रतिशत सहायता दे। पंजाब के फरीदकोट, फिरोजपुर, संगरूर, जालंधर, भटिंडा, लुधियाना और पटियाला जिलों के लिए तत्काल ही 50 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जानी चाहिए।

(पांच) बिहार के सिंहभूम जिले में उड़िया भाषी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव को रोकने के लिए बिहार राज्य सरकार को निदेश देने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : श्रीमन्, बिहार के सिंहभूम जिले के उड़िया भाषी लोगों की शिकायतें सही और गम्भीर हैं। उड़िया भाषीय अल्पसंख्यकों को लगातार उपेक्षा के बारे में बिहार और उड़ीसा दोनों के मुख्य मन्त्री और राज्पाल 2972 से लगातार ध्यान दे रहे हैं और बैठकें हो रही हैं, ताकि इस समस्या को सुलझाया जा सके। लेकिन ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। सिंहभूम में उड़िया शिक्षा को काफी आघात पहुंचा है और दिन-प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप बिहार राज्य से उड़िया-भाषी

लोगों की संख्या कम होती जा रही है और जल्दी ही यह एक जनजाति लुप्त-प्राय हो जायेगी।

इस जिले में उड़िया आकर्षित स्कूल बहुत कम और दूर-दूर हैं। राज्य सरकार का ध्यान करने के लिए, सिंहभूम उत्कल सभा द्वारा हाल ही में लम्बे समय से अनदेखी की जा रही इन समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन 19-1-86 को उड़ीसा और बिहार राज्य सरकारों के शिक्षा मन्त्रियों को दिया गया है जिसमें समस्या को सुलझाने के लिए उपाय सुझाये गये हैं।

मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस समस्या का शीघ्र हल करने के लिए तुरन्त ही राज्य सरकार को निदेश जारी करे।

(छः) रेयन ग्रेड पल्प के आयात सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता

श्री सी० अंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : हमारे देश में रेयन ग्रेड पल्प की आवश्यकता मात्र 1.75 लाख टन है, जबकि देश में इसकी उत्पादन क्षमता दो लाख टन है। हालांकि सरकार 1985.86 से आयात-शुल्क से मुक्त रेयन ग्रेड पल्प के आयात की अनुमति दे रही है, जिसके फलस्वरूप देशी उत्पाद की अपेक्षा आयातित पल्प सस्ता पड़ता है। भारतीय श्रमिक वर्ग को भूखों मारकर कुछ बड़े उद्योगपति इस नीति का लाभ उठा रहे हैं। इस नीति के फलस्वरूप राष्ट्र को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है और देश के रेयन ग्रेड पल्प का निर्माण करने वाले उद्योग अपना उत्पादन बन्द कर रहे हैं, क्योंकि उनके उत्पादन के लिए बाजार नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। इस श्रेणी में, आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का एक कारखाना है ए० पी० रेयन्स्। पिछले छः माह से यह कारखाना बन्द पड़ा है और इस कारखाने के पुनः खुलने की कोई सम्भावना भी नहीं है। इससे देश में बेरोजगारी भी बढ़ेगी।

अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आयात नीति पर पुनः विचार करे और देशी उद्योग की रक्षा करे।

(सात) कन्नौज की प्राचीन सांस्कृति विरासत को संरक्षण देने, इसके इत्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने और वहां अन्य उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती शीला दीक्षित (कन्नौज) : कन्नौज भारत की पुरातन राजधानी थी। यह सातवें से दशवीं शताब्दी तक महान कला, संस्कृति और विद्या का केन्द्र रहा। आज यह प्राकृतिक पदार्थों से सुगन्धित पदार्थों के निर्माण का सबसे बड़ा केन्द्र है, जिससे इसके प्राचीन नाम और गौरव को सजीव रखा गया है।

किन्तु इत्र नगरी होने के बावजूद भी इसकी उपेक्षा की जा रही है। यही नहीं, यहां की प्राचीन मूर्तियों और सिक्कों का बड़ा भंडार पड़ा है जिसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया जा

[श्रीमती शीला दीक्षित]

रहा है और इनका परिक्षण नहीं किया जा रहा है।

पुरातत्व विभाग को प्राचीन मूर्तियों, सिक्कों आदि का पता लगाने और उनके रख-रखाव की ओर शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए और इसके लिए प्रबन्ध करने चाहिए। कन्नौज के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए, वहां वैज्ञानिक ढंग से जमीन की खुदाई की जानी चाहिए। निजी लोगों और संगठनों के पास पड़ी हुई सैकड़ों मूर्तियों और कला कृतियों को एकत्र करके इनको अपने विशेषज्ञ के संरक्षण में रखा जाना चाहिए। इनके लिए एक उपयुक्त संग्रहालय बनाया जाना चाहिए।

इस महान और प्राचीन नगर की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह नगर देश के हर कोने में और यहां तक कि विश्व को भी इत्र, आदि सप्लाई करता है। सुगन्धित पदार्थों का निर्माण करने वाले स्वदेशी उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए वहां पर एक आधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनानी चाहिए और इसकी मंजूरी दी जानी चाहिए। ताकि यह अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में प्रतिस्पर्धा कर सके।

इसकी 50,000 से अधिक जनसंख्या है और भारतीय इतिहास में इसका स्वर्णिम स्थान है, अतः इसकी ओर जो ध्यान दिया जाता रहा है उससे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह उद्योग का ऐसा केन्द्र होना चाहिए जिससे शहर का विकास और वहां ऐसी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण हो कि व्यापारी, पर्यटक और प्राचीन इतिहास कला, संस्कृति और ज्ञान के विद्यार्थी इसकी ओर आकर्षित हो सकें।

मैं जोरदार अपील करती हूं कि कन्नौज की राजसी विरासत को बनाए रखा जाए।

(आठ) देश में न्यायालय शुल्क समाप्त करने की आवश्यकता

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : हमारा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा प्रजातंत्र है जहां जनता की आवाज सर्वोच्च होती है। हमारे लिखित संविधान में न्याय-पालिका का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे लोग खासकर पुनर्वास बस्तियों में रहने वाले लोगों, दलित तथा कमजोर व्यक्तियों की हमारी न्याय व्यवस्था तक पहुंच नहीं है क्योंकि वहां उन्हें उच्च न्यायालयों द्वारा ली जाने वाली भारी फीस की अदायगी करनी पड़ती है।

समय-समय पर न्यायालय शुल्क को खत्म करने पर विचार किया गया है। विधि आयोग इस मामले की पहले ही जांच कर चुका है। इसके अलावा, बहुत से विधिवेत्ता और विधिविशारद भी इस पर अपना मत व्यक्त कर चुके हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं आदि के माध्यम से गरीबों

की शिकायतों की ओर ध्यान दिया है। लेकिन यह काफी नहीं है। गरीबों को खास तौर पर निचली अदालतों में जाना पड़ता है।

इसलिए मैं माननीय विधि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि न्यायालय शुल्क लेने की प्रथा को तत्काल समाप्त किया जाए।

12.23 म० प०

रावी व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या चार और पांच को एक साथ लेंगे।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पंजाब समस्या को जिस तरह से हल कर रही है, वह मेरी समझ से बाहर है। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। पिछले साल 24 जुलाई को सरकार ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे उससे वह पंजाब की सारी जनता में विश्वास उत्पन्न करने में सफल हो गई थी। संत लोंगोवाल और हमारे प्रधानमंत्री ने पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सारे भारत ने राहत की सांस ली थी। भारत के सभी वर्गों के लोग खुश थे कि समझौता हो गया है और सभी ने सोचा था कि पंजाब समस्या हल हो गई है।

ऐसे में सरकार को बहुत तेजी से कार्रवाई करके बहुत कम समय में समझौते को लागू कर देना चाहिए था। यह एक ऐसा मामला था जहां सरकार की ओर से बहुत तेजी से कार्यवाही की जानी चाहिए थी। मैंने यह इसलिए कहा है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वह समझ से बाहर है क्योंकि जब सरकार की ओर से अत्यधिक तेजी से कार्यवाही करने की जरूरत है तो सरकार जानबूझ कर देरी कर रही है। सरकार टाल मटोल कर रही है। शेक्सपियर ने 'हेमलेट' में लिखा है कि टा[illegible]ल करने से समय जाया जाता है।

अगर समय गंवा दिया तो आधार भी गंवा दिया। और स्थिति भी उनके काबू से बाहर चली गई। इसलिए कहा गया है "आलस्यम् अमृतं विषम्" मामले में देरी करने से अमृत भी विष बन जाता है।

(श्री के० रामचन्द्र रेड्डी)

ऐसी स्थिति में, टाल मटोल करके देरी के तरीके अपनाने के कारण सरकार ने समय गंवा दिया है। वे आलसी हैं। वे बहुत फुरसत से काम करते हैं। इसीलिए पंजाब में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है।

अब देखिए, पंजाब समझौते के अनुसार 26 जनवरी 1986 को पंजाब को चंडीगढ़ दे दिया जाना था इसके बदले में हरियाणा को हिंदी भाषी क्षेत्र या जिले दिए जाने थे। पंजाब में हिंदी भाषी क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था। यह सब पंजाब समझौते में उल्लिखित था। सरकार को अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर—पांच महीने का समय मिला पर वह चुप्पी साधे बैठी रही और उसने जरा सी भी कार्यवाही नहीं की। जनवरी जब खत्म होने को थी तो उन्होंने सोचा कि मैथ्यू आयोग का गठन कर दिया जाए। क्या स्थिति ऐसी है ? क्या इसमें इतनी देरी करने की जरूरत है ? उन्हें बहुत तेजी से कार्यवाही करनी चाहिए थी पर की नहीं। बहुत देर बाद जाकर उन्होंने आयोग—मैथ्यू आयोग का गठन किया। लेकिन इसकी शर्तें भी बहुत अस्पष्ट थीं। लगता है सरकार नहीं चाहती थी कि मैथ्यू आयोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। उसकी शर्तें बहुत अस्पष्ट थीं। उन्होंने शर्त लगा दी कि क्षेत्र परस्पर समीप होने चाहिए। समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अच्छी तरह पता था कि क्षेत्रों में समीपता नहीं है। हरियाणा आदि जाने के लिए लोगों को कुछ जगह देनी ही पड़ेगी। समझौते से पूर्व भी यह बात पता थी तो उन्होंने यह शर्तें क्यों लगाई ? इस शर्त को लगाने से मैथ्यू आयोग का काम बहुत कठिन हो गया। वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। इस पर उन्होंने कहा कि वह किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा। सरकार ने बहुत समय गंवा दिया और ऐसा करके अपने तथा उनके हाथ कमजोर कर लिए जो अहिंसा के पक्षधर हैं और आतंकवाद के विरोधी हैं। सरकार द्वारा देरी करने से हिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों के तथा उन उग्रवादियों के हाथ मजबूत हुए हैं जो चाहते हैं कि पंजाब का बंटवारा हो जाए। इस तरह सरकार द्वारा किए गए हर काम से इस देश का विभाजन चाहने वालों और खालिस्तान बनाने की इच्छा रखने वाली ताकतें मजबूत हुई हैं। बुद्धिमानी से या मूर्खता से सरकार ने अब पहल करने का काम उग्रवादी ताकतों को सौंप दिया है।

दूसरी बात जल संबंधी निर्णय के बारे में है। रावी, व्यास और सतलुज के पानी के बंटवारे के बारे में वे समझौते और इस सत्र की अवधि अर्थात् 5-6 महीनों से चुप्पी साधे बैठे हैं। इस बीच संसद का एक सत्र और हुआ है। उन्होंने रावी, व्यास और सतलुज जल विवाद की यहां चर्चा करना ठीक नहीं समझा और इस तरह से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। नदी जल विवाद और समझौते से पता चलता है कि सरकार गंभीर नहीं थी। वैसे भी नदी जल विवाद

तो था ही नहीं यह तो दो-तीन राज्यों के बीच विवाद है। राजस्थान इसमें नहीं आता क्योंकि पानी राजस्थान से होकर बहता है और राजस्थान, पंजाब, तत्कालीन पेप्सू और जम्मू कश्मीर के बीच 1955 के आस-पास एक समझौता हुआ था जो अभी भी विद्यमान है पर पंजाब की जनता इन मसलों को दोबारा शुरू करना चाहती है। इस पर हर एक को आपत्ति थी और कहा गया कि इसे दोबारा से शुरू नहीं किया जा सकता। संत लोगोवाल और प्रधानमंत्री के बीच हुए समझौते से राजस्थान के अधिकार कैसे प्रतिबंधित किए जा सकते हैं ?

तीसरी बात यह कि यह दो नदियों के जल के बारे में विवाद नहीं है। वैसे भी विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच है। पहले वे एक ही राज्य के हिस्से थे। पंजाब को दो भागों में बांटा गया था। इसलिए यह एक ही राज्य की परिसम्पत्तियों के बंटवारे का मामला है। तो इस समस्या का राजस्थान के जल से क्या संबंध है इसलिए इस जल समस्या को हल करने के प्रयास में वे राजस्थान को बांध नहीं सकते। सरकार निष्कर्ष निकालने में असफल रही और वह 24 जुलाई से 24 जनवरी तक इस आयोग की नियुक्ति करने पर विचार नहीं कर सकी। 6 महीने बाद 24 जनवरी को उन्होंने एक अध्यादेश जारी करने के बारे में सोचा और उसके बाद उन्होंने एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। समझौते में भी एक सदस्यीय आयोग का उल्लेख है। अध्यादेश का स्थान लेने के लिए एक विधेयक लाया गया। एक महीना और बीत गया। अब उन्हें लगा कि विधेयक उपयुक्त नहीं है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं और अगर उसे अदालत में ले जाया गया तो वहां वह खरा नहीं उतरेगा। इसीलिए उन्होंने विधेयक को वापिस ले लिया और उसके स्थान पर एक और विधेयक प्रस्तुत किया।

यह क्या विधेयक है ? यह नदी जल विवाद कैसे हो सकता है ? यह दो राज्यों के बीच जल विवाद नही है। दो अलग-अलग राज्य नहीं थे। एक ही राज्य को तीन भागों में बांटा गया था और यह धनराशि के बंटवारे का सवाल है। यह नदी जल विवाद के अन्तर्गत कैसे आ सकता है।

अब उन्होंने नदी जल में धारा 14 को जोड़ दिया है। क्या यह विधेयक अदालत में खरा उतर सकेगा ? यह अनुच्छेद 262 के अन्तर्गत नहीं आता और अगर अदालत ने अनुच्छेद 262 लागू कर दी तो क्या यह वहां खरा उतर सकेगा ? अगर नहीं उतरा तो और देरी होगी। समय गंवाने से पंजाब में और पंजाब समझौते को लेकर बहुत असुविधा हो रही है। स्थिति बदतर होती जा रही है। इसलिए समझौते के बाद पंजाब में हुई घटनाओं के लिए मेरे विचार से सरकार जिम्मेवार है।

सरकार से अच्छा माहौल बनाए बिना चुनाव करा दिए। चुनावों मे लोगों ने हिंसक

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

तत्वों के खिलाफ वोट दिया। हमने सोचा कि हिंसा को हरा दिया पर इस देरी से पंजाब की जनता के दिलों में यह शंका पैदा हो गई कि क्या सरकार समझौते को लागू करने के बारे में गंभीर है और क्या वह संत लोंगोवाल और प्रधानमंत्री के बीच हुए समझौते को लागू करेगी। क्या सरकार इसे कार्यान्वित करने के बारे में गंभीर है ?

लोगों के दिलों-दिमाग में बहुत से संदेह पैदा हो गए हैं। पंजाब में हुए चुनावों के परिणाम सितम्बर-अक्तूबर में निकले और कांग्रेस हार गई तथा अकाली दल सत्ता में आ गया मुझे संदेह है कि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को वोट न देकर अकाली दल को दिया इसलिए सरकार इस मामले में देरी करना चाहती है। वह नही चाहती कि समझौते को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाए। सरकार अगर समझौते को पूरी गंभीरता से कार्यान्वित करना चाहती तो वह इस विधेयक को पहले ला सकती थी। उन्हें पंजाब सरकार और उन लोगों के हाथ मजबूत करने चाहिए जो भारत की एकता को बनाए रखना चाहते हैं और भारत के टुकड़े-टुकड़े करने वाले कानून को अपने हाथ में लेने वालों, और घिनौने कामों के लिए स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने की इच्छा रखने वालों के हाथ उन्हें कमजोर करने चाहिए। पंजाब सरकार शायद केन्द्र से पूर्ण सहयोग के अभाव में वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति से कारगर ढंग से निपटने की स्थिति में नहीं है। स्थिति गंभीर होती जा रही है। हर रोज, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं भले ही उनका इन बातों से जरा भी संबंध न हो या कुछ का ही संबध हो। हर रोज लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि 5, 10 या इससे अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। अगर यही स्थिति महीनों तक चलती रही तो समझौते की पवित्रता कहां रह गई ? अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि कम से कम इसके बाद कड़ी कार्यवाही की जाए, समझौते को पूर्णत: लागू किया जाए, पंजाब के लोगों का भय कम हो और देश की एकता बनी रहे। धन्यवाद।

राव बीरेन्द्र सिंह (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब और हरियाणा के बीच, इसमें राजस्थान भी शामिल है, नदी जल विवाद उतना ही पुराना है जितने पुनर्गठित पंजाब और हरियाणा राज्य बल्कि यह विवाद इससे भी पुराना है। यह देश के विभाजन के समय से चला आ रहा है। पहला समझौता 1955 में हुआ था जब पंजाब, 'पेप्सू' जम्मू कश्मीर और राजस्थान इससे संबंधित राज्य थे। इस समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान द्वारा पानी का इस्तेमाल बंद करने के बाद इन राज्यों के मध्य रावी और व्यास का पानी एक निर्धारित अनुपात में बांटने के बारे में सहमति हुई थी। उस समय पंजाब एक अलग राज्य था तथा हरियाणा पंजाब का हिस्सा था।

उसके बाद, 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। जब लोगों ने पंजाबी सूबा चाहा और हम हरियाणावासियों ने, एक अलग हरियाणा चाहा, तब मौजूदा पंजाब राज्य को जिसे भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब भी कहा जाता था, दो भागों में बांटने का इरादा था। विकास के प्रयोजनों के लिए पंजाब को पहले ही दो भाषाई क्षेत्रों में बांटा जा चुका था—पंजाबी भाषी क्षेत्र और हिन्दी भाषी क्षेत्र और यह आशा की गई थी कि जब पंजाब का विभाजन किया जायेगा, तो इन दो भाषायी क्षेत्रों के आधार पर किया जाएगा। दुर्भाग्यवश, उस समय, एक तीसरी बात लागू की गई स्थलाकृति दो भागों में बांटने की बजाए, पंजाब को तीन भागों में बांट दिया गया। पंजाब के उन हिस्सों में, जो हिन्दी भाषी क्षेत्र पहचाने गये थे, बड़े पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित थे, जो हिमाचल प्रदेश को दिए गए कांगड़ा, शिमला, सोलन, कांडाघार, कसौली, कुल्लू इत्यादि के जिले और तहसीलें, सब हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं और यदि ये सब हरियाणा के पास आ जाते, जैसी कि शुरू में परिकल्पनाओं की आशा की गई थी तो कोई भी समस्या न होती। हरियाणा पंजाब के सभी हिन्दी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाता तो यह मौजूदा पंजाब के क्षेत्र से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। इस पर भी कोई बहस नहीं की जा सकती कि हरियाणा एक नदी तटीय राज्य नहीं है, क्योंकि ये दो नदियां रावी-व्यास हिमाचल से निकलती और बहती हैं और ये हिस्से हरियाणा का क्षेत्र होते अगर विभाजन भाषायी आधार पर होता। इसमें हरियाणा का कोई दोष नहीं है यदि कुछ ऐसे क्षेत्र इसके पास आने चाहिए थे, जो हिन्दी भाषी क्षेत्र होने के कारण हिमाचल प्रदेश को दे दिए गये थे।

अब, मैं पंजाब में अपने कुछ मित्रों को और इस सदन में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की इस बात को नहीं समझ सकता जो हरियाणा और राजस्थान को नदीतटीय राज्य मानने से इन्कार करते हैं और यहां आकर समस्या जटिल बन गई है। वर्षों से इसने समाधान को नकारा है। 1955 के राज्यों के बीच समझौते के बाद 1976 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अधीन एक निर्णय की घोषणा की गई जो इन्दिरा गांधी नदी जल निर्णय कहलाया। सभी दावेदार राज्यों का हिस्सा स्पष्टतया निश्चित किया गया था। फिर 1981 में तीन राज्यों के बीच हुए समझौते पर सम्बन्धित राज्यों की सरकारों द्वारा उन तीन राज्यों को जनता की चुनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य मंत्रियों के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए। वह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा अभिपुष्ट किया गया था। उस समझौते को लागू करने के लिए यदि कार्यवाही की जाती, तो मेरे साथी श्री शंकरानन्द को आज इस न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में अब परेशानी नहीं होती। शायद वह जानते हैं और वह हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि उस समझौते के विभिन्न उपबंधों को लागू करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, जो मेरे विचार से तीन

[राव बीरेन्द्र सिंह]

राज्यों के बीच एक पवित्र व अन्तिम समझौता है। इसमें इस बात में सहमति थी कि पंजाब और हरियाणा दोनों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई समादेश याचिकाएं वापिस ले ली जायेंगी। तदनुसार वे वापस ले ली गयीं। इसमें यह व्यवस्था थी कि पंजाब तीन महीने के भीतर उनके क्षेत्र में नहर का 120 कि०मी० की दूरी तक संरेखण को अन्तिम रूप प्रदान करेगा और यदि पंजाब और हरियाणा में कोई असहमति है, तो केन्द्रीय स्तर पर सिंचाई मन्त्रालय द्वारा 15 दिन में मामला निपटा लिया जाएगा। सब कुछ समयबद्ध था। नहर एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत दो वर्ष में पूरी होगी। वितरण केन्द्रों और हेडवर्क्स पर नियन्त्रण का कार्य भाखड़ा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, देहली में भी पीने के उद्देश्य से और जम्मू-कश्मीर के बीच पानी का वितरण और नियन्त्रण उचित हो। परन्तु 31 दिसम्बर से लेकर हमारे प्रधानमंत्री और अकाली दल नेता संत लोंगोवाल के मध्य जुलाई, 1985 में हुए नए समझौते तक कोई भी कदम नहीं उठाए गए। यह 4½ वर्ष से भी ज्यादा समय था। अगर तीनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुए 1981 का समझौता लागू कर दिया जाता तो सब कुछ दो वर्ष के भीतर अर्थात् 1983 तक तय हो जाता। यह सहमति हो गई थी कि किसी बारे में यदि कोई झगड़ा होगा, तो मामला केन्द्र सरकार को जल्दी फैसले के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन इन राज्यों में से किसी ने भी केन्द्र सरकार के सामने किसी बात का जिक्र नहीं किया। अगर किसी बात को केन्द्र के सामने लाया गया है तो मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री सदन को सूचित करें। लेकिन फिर भी, कुछ नहीं किया गया और मामले को लम्बित रखा गया। और 1981 के इस समझौते के विरुद्ध पहली आपत्ति अकाली दल ने 1983 में उठायी। लेकिन उस समय से पहले सभी कार्य पूरा किया जा सकता था और सभी कुछ तय हो सकता था यदि 1981 के इस समझौते के तहत योजना के अनुसार उस पर कार्य कर लिया जाता।

मैं पूर्णतया सहमत हूं कि इस तरह के झगड़ों में जहां नदियां एक राज्य में स्थित हैं, वहां राज्य सरकार और लोगों के सक्रिय सहयोग के बिना कोई समाधान नहीं हो सकता। दूसरे ढंग से सोचना उचित नहीं होगा। इसलिए, एक आपसी समझौते द्वारा मैत्रीपूर्ण निपटारे के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है और विवाद होने के कारण एक न्यायाधिकरण की की स्थापना ही उसका एकमात्र विकल्प है। परन्तु मैं बहुत खुश होता अगर मूल विधेयक, जिसे अध्यादेश का स्थान लेना था, सदन के समक्ष लाया जाता और उसको पारित किया जाता, क्योंकि यह संसद का एक स्वतन्त्र अधिनियम होता और इसके द्वारा न्यायाधिकरण का फैसला अन्तिम घोषित किया जाता और उसको लागू करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया जाता। और संसद को संविधान के अनुच्छेद 73 के अन्तर्गत जल वितरण के विषय में कानून

4 चैत्र, 1908 (शक)

रावी-व्यास जल अधिकरण अध्यादेश, 1986 का निरमुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक—(जारी)

बनाने का अधिकार है जो कि इसे भारतीय जल सन्धि, 1960 के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं। लेकिन अध्यादेश को निरस्त किया जा रहा है और विधेयक को बदल दिया गया है। वास्तव में. पहले वाली ही स्थिति हो गई है—राज्यों में 1955, 1976, 1981 के समझौते और अब प्रधानमंत्री और···के बीच हुए 1985 के समझौते के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है। (व्यवधान)

श्री शरत देव (केन्द्रपाड़ा) : व्यवधान के लिए क्षमा करें। क्या ये सभी समझौते रिकार्ड में हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हां, यहां सब कुछ रिकार्ड में है। 1981 के समझौते के तहत, पंजाब का हिस्सा 35 लाख एकड़ फीट से बढ़ाकर 42 लाख एकड़ फीट कर दिया गया, हरियाणा का हिस्सा 35 लाख एकड़ फीट बनाए रखा गया, राजस्थान का हिस्सा जिस पर पहले से सहमति और निर्णय था 80 लाख एकड़ फीट से बढ़ाकर, 86 लाख एकड़ फीट कर दिया गया, तथा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा तथा देहली का पीने के पानी की आवश्यकता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया; ये पहले की तरह ही रखे गये। पंजाब संतुष्ट था। पंजाब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से याचिका को वापस ले लिया, और राजस्थान ने भी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। हरियाणा ने समादेश याचिका सर्वोच्च न्यायालय से वापस ले ली। मैं अब भी महसूस करता हूं कि मामले को तय करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि मामला न्यायाधिकरण को न सौंपा जाए। यह पंजाब हरियाणा और राजस्थान के लिए एक एकमुश्त समझौता होना चाहिए। परन्तु यह स्पष्ट है कि यह सम्भव नहीं पाया गया है, वह कदम नहीं उठाया जा सका, इसलिए यह नया विधेयक नदी जल विवाद अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है, और उस अधिनियम के तहत, न्यायाधिकरण को लाया गया हैं। परन्तु तब, जैसा मैंने कहा है, न्यायाधिकरण की सिफारिसों को लागू करना अत्यन्त आवश्यक है। क्या पंजाब सरकार और अकाली दल द्वारा इस बात की कोई गारंटी दी गई है कि न्यायाधिकरण का फैसला फिर एक व्यर्थ की कवायद नहीं होगा, वे न्यायालय में नहीं जायेंगे ?

मैं कुछ समय पश्चात् विधेयक पर ही आऊंगा, परन्तु इस समस्त विवाद की पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है ताकि सभा को यह ज्ञात हो जाये कि असलियत क्या है और इस मामले पर हरियाणा व राजस्थान के लोग क्यों इतने उत्तेजित महसूस करते हैं। श्रीमान जी, जैसा कि आप जानते हैं कि रावी-व्यास नदियों का पानी, जिस पर विवाद है, पाकिस्तान से एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि, "सिन्धु नदी पानी संबंधी भारत-पाकिस्तान सन्धि," के अन्तर्गत वापस ले लिया गया था। इस सन्धि पर 1960 में हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। पाकिस्तान से पानी वापस लेने

[राव बीरेन्द्र सिंह]

के लिए दस वर्ष की अवधि तय की गई थी और भारत का इसके एवज में पाकिस्तान को उनकी नहर प्रणाली विकास प्रबन्ध के लिए विशाल धनराशि चुकानी पड़ी थी। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को 1740 लाख डालर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के अनुरोध पर विश्व बैंक, संयुक्त राज्य अमरीका तथा बहुत से अन्य मित्र राष्ट्रों द्वारा पाकिस्तान को 10,000 लाख डालर से अधिक दिये गये। भारत इन नदियों के पानी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा और सतलुज, रावी तथा व्यास नदियों के पानी पर एकाधिकार प्राप्त किया। अत: यह कहना गलत है कि इन नदियों का पानी केवल वर्तमान पंजाब के लिए ही है। यहां तक कि 1955 में राज्यों के मध्य हुए समझौते में भी इन नदियों के पानी का बंटवारा पंजाब, राजस्थान, पूर्व पेप्सू (पटियाला और पूर्व पंजाब राज्य संघ) और जम्मू और कश्मीर के मध्य किया गया था। पेप्सू तब तक एक अलग राजनैतिक इकाई थी। पेप्सू के लिए 13 लाख एकड़ फुट पानी अलग रखा गया था। 59 लाख एकड़ फुट पानी पंजाब के लिए था (जिसमें तब हरियाणा भी शामिल था)। पंजाब और पेप्सू का कुल हिस्सा 72 लाख एकड़ फुट है। बाद में पेप्सू को 1956 में पंजाब में मिला दिया गया था। परन्तु समझने वाली बात यह है कि 1966 में पुनर्गठन के समय पेप्सू का समस्त क्षेत्र पंजाब में नहीं गया। उस समय के पेप्सू के काफी क्षेत्र हरियाणा में है। सम्पूर्ण जीन्द जिला, जो जीन्द रियासत का भाग था और इसकी राजधानी पंजाब में संगरूर में थी, हरियाणा में आ गया। इस प्रकार पूर्व पंजाब राज्यों के एक बहुत बड़ा क्षेत्र हरियाणा का एक भाग बन गया है। सम्पूर्ण पूर्व महेन्द्रगढ़ जिला जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, वह या तो पटियाला रियासत का या नाभा रियासत का या जीन्द का हिस्सा था, ये तीनों पंजाब की रियासतें थीं। इसलिए उस समय पेप्सू के लिए निर्धारित किये गये उस पानी में हमारा हिस्सा है। क्या तब मेरा यह कहना ठीक और न्यायसंगत नहीं होगा कि पंजाब को दिये गये पानी के अतिरिक्त पेप्सू को दिये गये पानी में भी हरियाणा का हिस्सा है? क्या भारत सरकार द्वारा पंजाब (जिसमें हरियाणा भी शामिल है) राजस्थान तथा दिल्ली राज्य के क्षेत्रों के लिए प्राप्त पानी के लिए हमारा कोई अधिकार नहीं है? मैं अपने उन साथियों से पूछना चाहता हूं जो हरियाणा या राजस्थान के दावों पर इस आधार पर आपत्ति उठा रहे हैं कि वे नदीतटीय राज्य नहीं है? क्या रावी और व्यास नदियों के पानी को उपयोग में लाना सम्भव होता यदि पोंग बांध नहीं बनाया गया होता, यदि पन्डोह बांध नहीं बनाया गया होता, यदि भांगड़ा बांध नहीं बनाया गया होता और अब थीन बांध जो निर्माणाधीन है, को आरम्भ न किया गया होता? और ये बांध और विस्तृत भण्डारा स्थल अकेले पंजाब में ही नहीं है। यदि हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर भारत सरकार के प्रभाव को न मान कर इस क्षेत्र में बांध बनाने व पानी के भण्डारण के लिए भूमि अधिग्रहण की अनुमति न देते तो इन नदियों के पानी का उपयोग किस प्रकार हो सकता था? क्या यह ठीक होता यदि ये राज्य असहयोग की भावना

से प्रेरित होकर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के पानी के भण्डारण और उपयोग करने के लिए पंजाब से रायल्टी की मांग करते ? इन नदियों का पानी अब भी पाकिस्तान में सदा के लिए बह रहा होता और रावी तथा व्यास दोनों नदियों में आज भी बाढ़ आ रही होती और पंजाब की उपजाऊ भूमि को नष्ट कर रही होती। इसलिए, यह कहना कि इन नदियों का पानी केवल पंजाब के लिए ही है, राष्ट्र-हित की बात तो छोड़िये यह स्वयं पंजाब के हित में ही नहीं है। पिछले वर्ष इस सभा में स्वयं प्रधान मन्त्री ने कहा था कि प्रश्न यह नहीं है कि हरियाणा या राजस्थान को पानी मिल रहा है या नहीं परन्तु अकालियों को यह प्रश्न रखना चाहिए था कि पंजाब में कई लाख एकड़ फुट पानी की कमी है। वे यह कह सकते थे कि 42 लाख एकड़ फुट पानी हमारे लिए काफी नहीं है, हमारी आवश्यकता अधिक है। यह प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय जल नीति थी। यह ठीक थी। यह बात व्यापक राष्ट्रीय हित में है कि यह समझौता प्रधानमन्त्री और सन्तलौंगोंवाल के मध्य हुआ। सरकार इस समझौते को लागू करने के लिए वचनबद्ध है। किन्तु तब एक सही भावना होनी आवश्यक है जिसके अन्तर्गत सभी को काम करना पड़ेगा। यदि समझौता···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे कुछ और समय दिया जाये क्योंकि इस सत्र के दौरान मैं नहीं बोला हूं, और यदि आप चाहते हैं मैं नहीं बोलूंगा, भविष्य में मैं इस सत्र में न बोलने का वादा करता हूं।

एक माननीय सदस्य : उन्हें कुछ समय और दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : महोदय, वे हरियाणा के मुख्य मन्त्री भी रहे हैं। अतः उनको थोड़ा समय और दिया जाना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : केवल हरियाणा का मुख्य मन्त्री ही नही, परन्तु पंजाब में भी रहा हूं, मैं पांच वर्ष के लिए पचपन से साठ तक राजस्व एवं सिंचाई तथा विद्युत का प्रभारी मन्त्री था। और जब तीन मुख्त मन्त्रियों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे तब केन्द्र में भी मैं सिंचाई मन्त्री था।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कांग्रेस (इ) के दूसरे सदस्य कम समय लेना चाहते हैं तो इन्हें अधिक समय देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, जब मैं सिंचाई मन्त्री था तब इस समझौते पर तीन मुख्य-मन्त्रियों ने हस्ताक्षर किये थे। **(व्यवधान)** नहीं, मैं इसे लागू नहीं कर सका क्योंकि इस समझौते

[राव बीरेन्द्र सिंह]

पर हस्ताक्षर होने के 15 दिन बाद मन्त्रालय का कार्यभार मेरे पास नहीं रहा। अत: इस समझौते को लागू न करने के लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : इसके लिए आपकी पार्टी उत्तरदायी है।

राव बीरेन्द्र सिंह : सरकार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, मैं इससे बाहर नहीं हूं, और मेरे मित्र शंकरा नन्द महोदय वहां हैं, मन्त्रालय का कार्य चल रहा है। यही कारण है कि मैंने कहा कि शायद वे हमें इस बात की जानकारी देंगे कि 1981 में हुआ समझौता क्यों लागू नहीं किया गया।

महोदय, मैं यह कह रहा था कि राजीव-लौंगोवाल समझौता लागू किया जाना है, प्रधान मन्त्री बार-बार यह दोहरा चुके हैं। समझौते का यह भाग, जल सम्बन्धी विवाद मेरे विचार से क्षेत्र सम्बन्धी विवाद से कम महत्वपूर्ण नहीं है···(**व्यवधान**) और चण्डीगढ़ भी। मेरे विचार से यह बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान और हरियाणा के लिए यह एक जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इसके अतिरिक्त, यह एक सिद्धान्त का सवाल है जिसका इस देश तथा ससद द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए, चाहे विकास में असन्तुलन दूर किया जाए या असन्तुलन बने रहने दिया जाए चाहे अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद समझौते में केन्द्र सरकार की कुछ भूमिका हो या केन्द्र सरकार की बिल्कुल भी कोई भूमिका न हो। यह इसलिए था क्योंकि हम चाहते थे कि केन्द्र सरकार को निर्णायक, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। और अपने अधिकार का त्याग नहीं करना चाहिए कि हमने पंजाब एवं हरियाणा को 1981 में सर्वोच्च न्यायालय से बाहर आने और सम्पूर्ण झगड़े को आपस में सुलझाने के लिए राजी कर लिया था। इसी प्रकार उसी बात के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश तथा गुजरात के बीच नर्मदा नदी के जल पर अनिर्णीत विवाद को हमने सुलझाया था। 1981 में रावी-व्यास जल पर हुए समझौते के ठीक पहले नर्मदा नदी के पानी के बंटवारे पर हुए समझौते पर तीन मुख्य मन्त्रियों ने हस्ताक्षर किये थे। राजस्थान के मुख्य मन्त्री, गुजरात के मुख्यमन्त्री और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किये और प्रत्येक चीज सौहार्दपूर्ण ढंग से तय हो गयी।

1.00 म०प०

मेरे मित्रों की एक और आपत्ति हो सकती है कि पंजाब के किसान एक बूंद पानी भी देने की हालत में नहीं हैं। मैं वास्तविक स्थिति से अवगत हूं क्योंकि जितना कार्य मैंने हरियाणा के लिए किया है उससे अधिक मैंने पंजाब के लिए किया है। मेरे 32 वर्षों के विधान मंडल कार्यकाल में से 14 वर्ष मैंने पंजाब विधान मंडल में व्यतित किये,

केवल 7 वर्ष मैं हरियाणा विधान मंडल में रहा और सगभग 12 वर्ष मैंने संसद मैं व्यतित किये। मैं जानता हूं कि पंजाब में बाढ़ समस्या कितनी भयानक है क्योंकि सिंचाई मंत्री के रूप में मैं बाढ़ नियंत्रण को भी देख रहा था। मैं जानता हूं कि किसान कितनी मुश्किल का सामना कर रहे थे कितना अधिक्र धन पंजाब में पानी की निकासी के लिए खर्च किया गया था। मुझे पता है कि पंजाब में सिंचाई की बड़ी व्यवस्था है। मैं जानता हूं कि पंजाब के किसानों को पानी भत्ता मिलता है और हरियाणा के किसानों को भी जहां नहर द्वारा सिंचाई की व्यवस्था है पानी भत्ता मिलता है। परन्तु हरियाणा के बड़े क्षेत्र, राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्रों की तरह, असिंचित हैं। वास्तव में, जो क्षेत्र पेप्सू से हरियाणा में आये हैं उनमें पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी खारा है। हरियाणा के आधे हिस्से को पीने के पानी की आवश्यकता है। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के संसद द्वारा पारित किये जाने के पश्चात जिस न्यायाधिकरण का गठन किया जाये उसके निर्देश पद इतने व्यापक हों कि इस समस्या को हल कर सकें और क्षेत्रों के मसले की तरह यह मसला भी अधूरा न पड़ा रहे। इसका कुछ हल निकलना चाहिए। न्यायधिकरण को पंजाब के किसानों और हरियाणा के किसानों को मिलने वाले पानी के भत्ते पर भी गौर करना चाहिये। मुझे पंजाब के किसानों से भी उतना ही प्यार है जितना कि हरियाणा के किसानों से। मैंने समस्त देश के किसानों की 5 साल तक अपितु छः साल तक केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री के रूप में सेवा की है। मैं किसानों के बीच कोई विभेद नहीं करता हूं। भारत के सभी राज्यों के सभी किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। अकाली दल के मेरे दोस्त मुझसे सहमत होंगे केवल हरियाणा के मूल किसान ही इस पानी से लाभान्वित नहीं होंगे।

हरियाणा में हजारों किसानों के परिवार सिख हैं और उनमें से बहुत से अकाली भी हैं क्या वे इन किसानों को सिंचाई के लाभों से विमुख रखना चाहेंगे? हजारों सिख पंजाब के अमृतसर जिले में मेझा से हरियाणा में बसा दिये गये थे। मैं पंजाब में राजस्व मंत्री था और मैं इस बारे में जानता हूं। बेकार भूमि उपयोग अधिनियम के तहत अमृतसर जिले के हजारों परिवारों को यहां भूमि दी गयी थी और सैकड़ों स्वतन्त्रता सेनानियों को यहां बसाया गया था। केवल मूलतः हरियाणा में बसे किसानों को ही नहीं अपितु इन लोगों को भी इस पानी का लाभ मिलेगा। इसीलिए समस्त राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर गौर किया जाना चाहिए। बहुत सा क्षेत्र पेप्सू से, पटियाला राज्य के महेन्द्रगढ़ जिले से, नाभा राज्य की बावल तहसील से जो जिन्द राज्य के अंतर्गत था संपूर्ण जिन्द जिला जिसकी राजधानी पंजाब में संगरुर में स्थित थी, में आए हैं।

(राव बीरेन्द्र सिंह)

1.05 म०प०

[श्रीमती बलवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

उन्हें पंजाब राज्य को 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उपहार स्वरूप दिया गया था क्योंकि पंजाब राज्य ने अपनी फौजों से ब्रिटिश लोगों की सहायता की थी और हम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़े हुए थे और ब्रिटिश लोगों का मुकाबला किया था। सौ सालों से हम पंजाब के इन हिस्सों में जो हरियाणा में मिलाए गये, जो पहले रजवाड़े थे हम गुलामों के गुलाम थे। पंजाब राज्य के इन राजाओं ने सौ वर्षों तक लोगों का खून चूसा और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब ये हिस्से हरियाणा में आ गए हैं तो उन्हें पीने के पानी से भी विमुख रखा जा रहा है। केन्द्र और हरियाणा ने नहरों के निर्माण पर कई सौ करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हरियाणा के इस सबसे सूखे हिस्से में जवाहरलाल नेहरू नहर सूखी पड़ी है। यह दस वर्ष पहले पूरी कर ली गई थी। नहर में एक भी बूंद पानी नहीं है। इसमें पानी कभी नहीं बहेगा जब तक कि हमें व्यास और रावी से पानी का अपना हिस्सा नहीं दिया जाएगा। क्या वह पैसा व्यर्थ जायेगा ? ऐसी आशंका है कि पंजाब में पहले से खोदी गयी नहर को भी भर दिया जाएगा। क्या यह एक राष्ट्रीय हानि नहीं होगी ? सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गये हैं। पंजाब को इस नहर के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 80 करोड़ रुपये पहले ही दिये जा चुके हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो श्री शंकरानन्द मुझे दुरुस्त कर देंगे। हरियाणा ने इस नहर के निर्माण के लिए 30 करोड़ से अधिक रुपये दिए हैं। क्या राष्ट्रीय परियोजनाओं को इस प्रकार बर्बाद करने की अनुमति दी जायेगी। जो न्यायाधिकरण स्थापित किया जाएगा उसके फैसले का कार्यान्वयन निश्चित किया जाना चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या पिछले पंचाटों और समझौतों का कोई अर्थ है।

क्या निर्णय लेते समय उनको ध्यान में रखा जाएगा ? क्या न्यायाधिकरण निर्णय लेते और सिफारिश करते समय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पानी की जरूर आवश्यकता को ध्यान में रखेगा ?

हम वहीं हैं जहां से हम चले थे। यह न्यायाधिकरण अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत पहले की तरह केवल सिफारिश करेगा।

मैं अपने मित्र श्री शंकरानन्द से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि पिछले विधेयक को जिसने अध्यादेश का स्थान लेना था, पंजाब की अकाली सरकार के अनुरोध पर वापस ले लिया गया है ? क्या उन्होंने सरकार को लिखा था कि विधेयक उस रूप में उन्हें मान्य नहीं हैं

और न्यायाधिकरण का गठन मौजूदा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए ? यदि हां तो क्यों नहीं राज्य से इस मामले को अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण को सौंप दिए जाने के लिए कहा गया ? क्यों यह आवश्यक है कि सरकार स्वतः न्यायाधिकरण के गठन के लिए अधिनियम का संशोधन करें ? उन्हें पंजाब सरकार को भी लाना चाहिए था ताकि उसकी भी कुछ जिम्मेदारी हो सके। उन्होंने इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के लिए कहा है। इस अधिनियम में बिना संशोधन करते हुए वह पर्याप्त है।

अन्य बात, जिसे मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट कराना चाहता हूं, इस मामले में राजस्थान के दर्जे की है। न्यायाधिकरण को प्रधानमंत्री और स्वर्गीय श्री लोंगोवाल के बीच हुए समझौते के ज्ञापन के पैरा 9.1 और 9.2 के अन्तर्गत उल्लिखित मामलों पर निर्णय करना है। मैं पैरा पढ़ता हूं।

> "9·1 पंजाब हरियाणा और राजस्थान के किसानों को रावी व्यास से पानी मिलता रहेगा। इस पानी की मात्रा नहीं होगी जो 1 जुलाई 1985 को खपत के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दावा किए गए जल के प्रयोग की मात्रा की जांच नीचे पैरा 9.2 में निर्दिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी"

इस प्रकार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कृषक निरन्तर जल प्राप्त करते रहेंगे।

आगे यह कहा गया है :

> "9.2 पंजाब और हरियाणा का उनके शेष जल की बाबत दावा···
> केवल पंजाब और हरियाणा
>
> ···न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण, जिसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा। यह न्यायाधिकरण के पास भेजा जाएगा। छः महीने में अपना निर्णय दे देगा और इसका निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा। इस संबंध में अपेक्षित सभी कानूनी और संवैधानिक कदम शीघ्र उठाये जायें।"

पहले प्रस्तावित न्यायाधिकरण का निर्णय बंधनकारी नहीं हो सकता जैसा कि समझौते के ज्ञापन में बताया गया है। वे केवल केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकता है और तब केन्द्रीय सरकार को कार्यान्वयन के लिए एक निकाय का गठन करने हेतु एक अधिसूचना जारी करनी होगी। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होता यदि इसे पहले के विधेयक के उपबंधों के अन्तर्गत गठित किया गया होता।

(राव बीरेन्द्र सिंह)

अब राजस्थान के हिस्से का प्रश्न उठता है। वह उतना जल निरन्तर प्राप्त करता रहेगा जितना कि वह 1.7.85 को प्राप्त कर रहा था। सभी जानते हैं कि राजस्थान नहर पूरी नहीं हुई है। अतः वह 1990 तक—5 या 6 वर्षों तक और या 10 वर्ष तक भी हो सकता है, अपने हिस्से का उपयोग नहीं कर सकेगा। तब उनके हिस्से का क्या होगा जो मूलरूप से 80 लाख एकड़ फीट और 1981 के करार में 86 लाख एकड़ फीट तय हुआ था ? यदि पक्ष यह दलील देता है कि राजस्थान एक नदीतटीय राज्य नहीं है, तो यह न्यायाधिकरण किस प्रकार से राजस्थान की सहायता करेगा ? राजस्थान का विवाद तो बना ही रहता है। आप इस संशोधन विधेयक के अन्तर्गत पंजाब और हरियाणा के विवादों को हल करने की कोशिश करें। लेकिन राजस्थान का क्या होगा ? वह अभी भी संकट में है और अधर में लटका रहा है। कोई नहीं जानता है कि अन्त में क्या होगा, क्योंकि मूल अधिनियम जिसके संशोधन करने का प्रयास है अपनी शक्ति, अपनी प्रेरणा और अपना प्राधिकरण अनुच्छेद 262 और अनुच्छेद 262 (1) और (2) से प्राप्त करता है। मैं इसे उद्धृत करता हूं इसमें यह उल्लेख है :

अनुच्छेद 262 में यह कहा गया है

"अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी वादों का न्याय निर्णयन"

(1) संसद, विधि द्वारा किसी अन्तर्राज्यिक नदी या नदी-दून के। या में, जलों के प्रयोग, वितरण, या नियत्रंण के बारे में किसी विवाद या फरियाद के न्याय-निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी।

इसलिए एक दल द्वारा पहले विधेयक में आपत्ति उठाई गई थी और सरकार ने वह स्थति स्वीकार की है और यह नया विधेयक लाई है। और मैं खण्ड (2) उद्धृत करता हूं।

"(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगी कि न तो उच्चतम न्यायालय और न अन्य कोई न्यायालय खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा"

अब आप क्षेत्राधिकार पर रोक लगा रहे हैं। यह पहले ही अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम में है। अनुच्छेद 262 के अन्तर्गत यह रोक लगायी जा सकती है यदि मामला अन्तर्राज्यिक जल या अन्तर्राज्यिक घाटी से संबंधित हो। यह बात है। यदि कोई कहता है कि ये जल अन्तर्राज्यिक जल नहीं है तो क्षेत्राधिकार पर कोई रोक नहीं है। कोई भी न्यायालय जा सकता है···(**व्यवधान**)

कि यह न्यायाधिकरण राजस्थान के दावों की जानकारी नहीं ले सकता ।

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : राज्य सभा में किस मंत्री ने आश्वासन दिया ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं उनसे चाहता हूं कि वह इस सदन में भी आश्वासन दे कि राजस्थान के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा; कि हरियाणा को न्याय मिलेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) । न्यायाधिकरण के अनुसार ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको कितने समय की आवश्यकता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि आप चाहते हैं तो मैं अभी बैठ सकता हूं । मैं आपके आदेश के अधीन हूं ।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : वास्तव में हरियाणा का प्रत्येक सदस्य इस पर बोलना चाहता है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान से भी ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि देश में शांति बनाए रखने के लिए समझौते को लागू करना आवश्यक है । यह मामला पंजाब के लोगों तथा पंजाब सरकार के सहयोग तथा सहायता से ही हल किया जा सकता है । इस पर अन्य प्रकार से सोचना मूर्खता होगी । परन्तु अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, हमें उन पर विचार करना होगा । पंजाब सरकार समझौते के एक भाग के कार्यान्वयन के लिए नहीं कह सकती है । उनके अनुसार चण्डीगढ़ के बदले में हरियाणा को बिना कुछ दिए 26 जनवरी को पंजाब को चण्डीगढ़ देने का काम हो जाना चाहिए था । इसके बाद समझौते का दूसरा भाग नहर का 15 अगस्त तक पूरा हो जाना है । क्या हमें उन आश्वासनो पर जाना चाहिए जो पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दिए हैं या हमें नेताओं द्वारा प्रतिदिन दिए जाने वाले बयानों पर विचार करना चाहिए कि पंजाब में कोई फालतू जल नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहर खोदने का कोई फायदा नहीं है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जी हां, श्री इन्द्रजीत गुप्त, वे कहते हैं कि नहर खोदने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है। मुख्य मंत्री ने अपने मुंह से विधान सभा में यह बात कही है। यह धन की फिजूल-खर्ची होगी। किसी को देने के लिए पंजाब में कोई फालतू जल नहीं है। फिर प्रधान मंत्री और अकाली दल के नेता संत हरचंद सिंह लोंगोवाल द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते की क्या पवित्रता है ? यह समझौते का एक भाग था और हमें इस पर पूर्ण रूप से विचार करना होगा। यदि नहर खोदी नहीं जाती तो समझौते का क्या महत्व है। यदि हरियाणा को चंडीगढ़ के बदले में कुछ नहीं मिलता है तो चण्डीगढ़ पंजाब को कैसे दिया जा सकता है ? मैं बहुत खुश हूंगा यदि जितनी जल्दी हो चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाए परन्तु तब क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा ? क्या उसके कारण चण्डीगढ़ के हस्तांतरण के कारण पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी ? क्या हरियाणा में आन्दोलन बन्द होंगे और लोग पंजाब से हिन्दी भाषी क्षेत्र, जल की मांग नहीं करेंगे ? इसका हल नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि इन सबको एक साथ किया जाना चाहिए।

वास्तविकता यही है कि समझौते के बाद नहर के निर्माण के लिए अपेक्षित लगभग 3800 एकड़ भूमि में से केवल लगभग 2100 एकड़ भूमि अभी तक प्राप्त हुई है। पंजाब क्षेत्र में निर्माण की जाने वाली लगभग 120 किलोमीटर की नहर के संबंध में जहां तक मैं समझता हूं आधे से कम 50 या 52 किलोमीटर में मिट्टी का काम पूरा किया गया है। शेष क्षेत्र में मिट्टी का कोई काम नहीं नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि नहर खोदने की कोई इरादा नहीं है। यदि श्री शंकरानन्द को विश्वास है कि यह नहर पूरी हो जाएगी और वह सदन को गारंटी तथा आश्वासन देते हैं तो मैं बहुत खुश हूंगा।

जब तक आपके पास समुचित एजेंसी और निगरानी प्रणाली नहीं होगी तब तक कार्य बहुत धीमी गति से होगा। 81 के समझौते के अन्तर्गत संरेखण कार्य तीन महीनें के भीतर पूरा किया जाना था। यह पांच वर्ष के भीतर भी पूरा नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय सरकार को किसी विवाद की स्थिति में दो सप्ताह के भीतर निर्णय देना होता है। लेकिन कुछ नहीं किया गया। अभी तक संरेखण कार्य को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। भूमि प्राप्त नहीं की गई है।

अकाली नेता जो समझौते से आबद्ध हैं, पंजाब में सत्तारूढ़ दल समझौते से उसी तरह से आबद्ध है जैसा कि हमारा दल निस्सन्देह हमारी सरकार समझौते से आबद्ध है।...

श्री विष्णु मोदी : वे कहते हैं कि अकाली दल पार्टी इससे आबद्ध है। परन्तु सरकार नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : संत लोंगोवाल और समझौता तथा वह वायदा जो उन्होंने लोगों के

साथ किया था कि वे पंजाब में शांति लाना चाहते है, के कारण अकाली दल सरकार वहां है। मैं नहीं जानता कि क्या उन्होंने अब अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। मैं कुछ भी न कहने की स्थिति में हूं। सरकार को इस बारे में बोलना है। परन्तु इसके लिए किसी तंत्र की स्थापना की जानी होगी। 1981 के निर्णय के अंतर्गत भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सभी हेडवर्क्स का नियन्त्रण अपने हाथ में लेना था जैसाकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में मूलरूप में परिकल्पना की गयी थी। 1966 से हम हेडवर्क्स के संयुक्त नियंत्रण की बात करते चले आ रहे है जो जल का वितरण करता है। ऐसा नहीं किया जा सका है। 1981 में यह न केवल हेड-वर्क्स था बल्कि सभी नियामक कार्य को भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड पर वे सभी स्थल चुनने अर्थात फाटकों के नियंत्रण का कार्य छोड़ दिया गया था जहां से जल नियंत्रित और विभिन्न राज्यों को वितरित होता है। वह नहीं किया गया। उसके लिए भी यदि वहां कोई विवाद है तो वे मामले केन्द्रीय सरकार के पास भेज सकते हैं। तब इस पर 15 दिनों की सीमित अवधि में निर्णय लिया जा सकता था। वह समझौते का एक भाग है।

अत: अब यह न्यायाधिकरण इस बात की किस प्रकार से जांच करेगा कि पंजाब द्वारा कितने जल का उपयोग किया गया है, हरियाणा द्वारा कितना जल उपयोग किया गया है क्योंकि वितरण स्थलों का नियंत्रण पंजाब के पास है। न्यायाधिकरण रिकार्ड की क्या जांच कर सकता है। इस न्यायाधिकरण द्वारा उसको किस प्रकार से चुनौती की जा सकती है? इसका क्या रास्ता है? इसलिये यह केवल एक औपचारिक कार्य होगा यदि हम उस रिकार्ड पर जाते हैं जो एक विशेष तारीख को पंजाब के अधिकारियों द्वारा जल के उपयोग के बारे में तैयार किया गया है। (**व्यवधान**)

अत: महोदय महत्वपूर्ण यह है कि ट्रिब्युनल को उचित मार्गदर्शन तथा अधिकार, न केवल वर्ष में एक दिन में प्रयोग किये जाने वाले जल पर गौर करने के लिए बल्कि जल की आवश्यकता पर भी ध्यान देने के लिए, दिये जाने चाहिए। देश के राष्ट्रीय जल, राष्ट्रीय संसाधनों का, जो भारत सरकार द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, उचित रूप से भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर आवश्यकता के आधार पर, शुष्क मौसम की स्थितियों तथा जरूरतों को ध्यान में रखकर वितरण होना चाहिए क्योंकि संपूर्ण देश का विकास करना है।

महोदय, पंजाब, जैसा कि मैंने बताया, सभी सहायता का हकदार है। पंजाब के किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। परन्तु किसी दल अथवा सरकार को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर यह नहीं कहना चाहिए कि पंजाब सारे जल का इस्तेमाल करेगा चाहे उसे इतने जल की जरूरत है अथवा नहीं—मुझे ज्ञात है कि हजारों एकड़ भूमि प्रति वर्ष पंजाब में अधिक सिंचाई, नहरों से जल रिसने तथा बाढ़ के कारण बंजर होती जा रही है। अब कुछ हद तक बड़े जल भंडारण

[राव बीरेन्द्र सिंह]

बांधों का निर्माण करने से बाढ़ पर काबू किया जा सका है। परन्तु तब हमें यह फैसला करना होगा कि जब कभी राज्यों और संघ के बीच प्रशासनिक सीमाओं का पुनः वितरण या पुनः सीमांकन होता है तो क्या इस देश के किसानों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं ? यह प्रश्न है। हरियाणा में अब कई जनपद पूर्व 'पेप्सू' के हैं। दिल्ली तटवर्ती राज्य नहीं है। भारत की राजधानी को पेय जल की आवश्यकता होती है और दिल्ली की पेय जल की आवश्यकता के लिए 2 लाख एकड़ फुट अलग से रखा गया है। 1985 के समझौते में भी पंजाब और हरियाणा के बीच हिन्दी भाषी और पंजाबी भाषी गांवों के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है। क्या उनके अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा तथा हस्तांतरण पर निर्भर होंगे ? कल क्या पंजाब नहीं कह सकता कि दिल्ली का रावी और ब्यास के जल पर कोई हक नहीं है ? यह अगली बात होगी। अगर हम यह धारणा स्वीकार कर लेते हैं कि हरियाणा और राजस्थान को हिस्सा बटाने का कोई हक नहीं है तो दिल्ली का कोई हक नहीं है। किसी अन्य का इस जल विवाद में कोई हक नहीं है। ये बहुत ही टेढ़े मामले हैं और भारत सरकार को हमारे पंजाब के मित्रों को समझाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। हमें अपने पंजाब से आये मित्रों और सभा के सभी वर्गों से अनुरोध करना है।

[हिन्दी]

श्री चरणजीत सिंह : हमारी नेसेसिटी भी तो पूरी करो।

[अनुवाद]

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं सहमत हूं। यही प्रधानमन्त्री ने कहा है। पंजाब को अपनी वास्तविक आवश्यकता बतानी चाहिए। परन्तु वे यह आधार नहीं ले सकते कि किसी अन्य का इस पर कोई अधिकार नहीं है। हम पंजाब के अंश थे। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिए भी जल उपलब्ध कराया गया था और पंडित जवाहर लाल नेहरु ने राजस्थान की जरूरतों के लिए विश्व बैंक के समक्ष एक सशक्त मामला बनाकर रखा था। यहां तक कि फीरोजपुर हैड-वर्क भी पाकिस्तान के पास जा सकता था। तो आपको काफी जल से वंचित होना पड़ता। यहां तक प्रस्ताव रखा गया था, जैसा कि हमें मालूम है, और यह अंतिम समय पर ही हुआ, और वह राजस्थान को ध्यान में रखते हुए राजस्थान नहर को ध्यान में रखते हुए, जो फीरोजपुर हैडवर्क से शुरू होती है, यह निर्णय लिया गया कि फिरोजपुर हैडवर्क भारत में ही रहेगा।

[हिन्दी]

श्री चरणजीत सिंह : पाकिस्तान की हद भी आगे आ रही थी, अगर हम बीच में न होते, फीरोजपुर की तो बात ही नहीं थी।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप भी वहीं थे, हम भी वहीं थे, सब पता है।

[अनुवाद]

अतः यह सिर्फ पंजाब और हरियाणा का ही प्रश्न नहीं है। ये किसान चाहे वह पंजाब की सीमा में हो या हरियाणा की सीमा में सभी एक हैं। हम आप सभी के साथ हिस्सा बांटना चाहते हैं। आप हमारे साथ हमारे पास जो है उसमें हिस्सा बांट सकते हैं। आप कतिपय चीजों में संपूर्ण राष्ट्र के साथ हिस्सा बांट रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, क्या जल भंडारण स्थल होंगे जैसे कि व्यास और रावी के लिए बांध ? अगर इन दूसरे राज्यों ने आपको भूमि अधिग्रहण में सहायता न की होती और अगर उन्होंने आपको ये चार बांध, पोंग बांध, पंडाहे बांध, भाखड़ा बांध थीन बांध, का निर्माण करने की स्वीकृति न दी होती तो सतलुज-व्यास सम्पर्क नहर, माधोपुर-व्यास सम्पर्क नहर संभव न हुई होती। अतः इन सभी का जल केवल तभी प्रयोग सो सका है जब सम्पूर्ण राष्ट्र ने पंजाब की सहायता की है और पंजाब के किसान तथा हरियाणा के किसान अलग अलग नहीं थे। आज आप हरियाणा के दावों के आंकड़ों पर विवाद खड़ा कर सकते हैं। आपके अकाली दल के संसद सदस्य, सरदार तेजा सिंह दर्दी, जो अब अकाली दल में है आज आपकी बात का समर्थन कर सकते हैं। परन्तु 1967 में जब मैं हरियाणा का मुख्य मन्त्री था तब वह मेरे समर्थक थे। वह हरियाणा से एम० एल० ए० चुने गये थे। अब वह अकाली दल के टिकट पर पंजाब से चुने गये हैं। तब वह मेरी विशाल हरियाणा पार्टी में थे और उन्होंने हमारी बात का समर्थन करने की शपथ ली थी। जब मैंने हरियाणा के सूखे क्षेत्रों की जरूरत के लिए 48 लाख एकड़ फुट पानी का दावा किया था तो वह मेरे साथ थे। अतः हम सभी एक हैं। अब आप कैसे इस प्रकार से विभाजन रेखा खींच करके हमें संपूर्ण राष्ट्र से अलग-थलग कर सकते हैं ?

अन्त में जो मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्र हित का प्रश्न है। मैं उनमें से नहीं हूं जो यह सोचते हैं कि देश की एकता अस्त-व्यस्त हो जायेगी या यह हो जायेगा या वह हो जायेगा, कि हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। भारत इतना विशाल है, इतना शक्तिशाली है कि यहां के आंदोलन और वहां के असंतोष से इस देश को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग धमकियां दे रहे हैं उन्हें यह बात मन से निकाल देनी चाहिए। अभी तक विश्व के किसी भी देश में आतंकवाद से कभी कोई सहायता नहीं मिली है। वास्तव में हिंसा से इच्छित सफलता मिलने में बाधा पड़ती है। मेरे विचार से आतंकवादी गतिविधियों से देश कमजोर होने की बजाय और मजबूत होता है क्योंकि बाकी के लोग सब एकजुट और सशक्त हो जाते हैं तथा उनमें परस्पर बहुत एकता बढ़ जाती है।

मैं जानता हूं कि पंजाब इस देश का बहुत महत्वपूर्ण भाग रहा है और हमेशा रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो दूसरे ढंग से सोचता है तो वह बुद्धिहीन है। कुछ थोड़े से लोग चाहे जो भी

[राव बीरेन्द्र सिंह]

कहें, मेरे विचार से अकाली दल के सदस्यों में धैर्य है। पंजाब में कैरों मन्त्रालय में अकाली दल को भी स्थान प्राप्त था जिसमें मैं भी मंत्री था और हमने भी वहां की घटनाओं को उसी नजर से देखा। अब तक उस बारे में कोई विवाद नहीं था। लेकिन अब पंजाब सरकार, अकाली दल और इसके नेताओं की विश्वसनीयता खतरे में है। और यदि मुझे अनुमति दी जाए तो मैं तो कहूंगा कि केन्द्र सरकार की विश्वसनीयता भी खटाई में है।

हम चाहते हैं कि सब कुछ सही ढंग से, सौहार्द पूर्ण ढ़ंग से निपटाए जाने चाहिए और उसके लिए हमें काम करना होगा।

अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण के कार्यकरण में विद्यमान विभिन्न त्रुटियों को दूर करना होगा। भारत सरकार को इस मामले में सावधानी बरतनी होगी। अधिकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और पद निर्देशों को बनाने में भी सावधानी बरतनी होगी न कि मैथ्यू आयोग या किसी अन्य आयोग की भांति काम किया जाना चाहिए। अन्ततः हमें पहले इसके परिणाम के बारे में सोचना होगा। यदि परिणाम आशानुकूल मिलने की उम्मीद न हो तो न्यायाधिकरणों और आयोगों की स्थापना नहीं के बराबर होगी।

इन शब्दों के साथ मैंने न केवल विशेष रूप से हरियाणा के लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया है अपितु इस महान सदन का सदस्य होने के नाते देश की आम जनता की भावनाओं को भी व्यक्त किया है।

मैं इस विधेयक का समर्थक करता हूं तथा अपनी माननीया सहयोगी श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प का विरोध करता हूं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने वह संकल्प क्यों पेश किया है।

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : उन्होंने विधेयक का समर्थन किया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं विधेयक का इसलिए समर्थन करता हूं कि यह एक जटिल समस्या के समाधान के लिए उठाया गया कदम है और काम करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं हैं कि हम संबंधित दलों के परामर्श से इसका समाधान कर सकें जिसके लिए पंजाब सरकार और अकाली दल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि हरियाणा और राजस्थान।

सभापति महोदय : श्री बुद्धि चन्द्र जैन। कोई भी सदस्य 5 मिनट से अधिक नही बोलेगा (व्यवधान)।

सभापति महोदय : मुझे देखने दीजिए कि चर्चा कैसे जारी रखी जाए। आप कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए ।

एक माननीय सदस्य : आपको समय बढ़ाना चाहिए ।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : यह एक जटिल विषय है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : यह मुख्यतः हमसे संबंधित मामला है।]

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : 5 तिनट में हम क्या बोलेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह (हिसार) : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 5 मिनट से क्या होगा।

श्री विष्णु मोदी : राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता का सवाल है, सभापति महोदय 5 मिनट में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल तीन घंटे का समय दिया गया है। हम देखेंगे कि चर्चा आगे कैसे जारी रहेगी। मैं इसे देखूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री रघुमा रेड्डी तथा राव बीरेन्द्र सिंह जी ने इस बिल के सम्बन्ध में जो विचार इस सदन में प्रस्तुत किए, उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी ओर से इस पर चिन्ता प्रकट की गई और राजस्थान के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भी सभी ने समर्थन किया है। मैं इस बिल पर अपने विचार प्रकट करते हुए, सबसे पहले आपका ध्यान इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर दिलाना चाहता हूं।

रावी और व्यास के पानी के बारे में सबसे पहला अन्तर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट 29 जनवरी, 1955 को हुआ था और उस समय किये गये रावी और व्यास के कुल 15.85 मिलियन एकड़ फीट पानी में से राजस्थान को एक मिलियन एकड़ फीट पानी देना निश्चित हुआ था। उसके बाद 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दूसरा समझौता हुआ, जिसे इन्डस-ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। उससे पहले 1948 से लेकर 1960 तक बराबर हिन्दुस्तान और

[श्री बुद्धि चन्द्र जैन]

पाकिस्तान के बीच में पानी का विवाद चलता रहा और बाद में वर्ल्ड बैंक की मदद से उस समझौते में यह निश्चित हुआ कि चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया जाए तथा रावी, व्यास और सतलुज नदियों का पानी हिन्दुस्तान को दिया जाए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, इंटरनेशनल एग्रीमैंट था और ये रिवर्स उस वक्त इंटरनेशनल रिवर्स थीं। उन रिवर्स के बारे में हुए समझौते में यदि किसी की सबसे प्रमुख भूमिका रही तो वह राजस्थान की थी राजस्थान के रेगिस्तान की थी और उस क्षेत्र की थी जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है यानी बाड़मेर और जैसलमेर की, जो देश के सबसे सूखे क्षेत्र हैं। उसके कारण हमारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने यह बात रखी कि हमारे देश में कई ऐसे इलाके हैं, जहां पीने के पानी का भारी संकट व्याप्त है, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता, और ऐसे क्षेत्रों में जब तक रावी, व्यास और सतलुज नदियों का पानी नहीं आता है, तब तक वहां सिंचाई नहीं हो सकेगी ओर इसके लिए 11 जुलाई 1960 को तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष को जो लिखा मैं उसको दोहराना चाहता हूं क्योंकि वह एक इम्पोर्टेंट डाक्यूमेंट है—"

[अनुवाद]

> "राजस्थान नहर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी योजना इसी पर आधारित है। नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई करने में ज्यादा विलम्ब करने से बहुत जटिल राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी।"

[हिन्दी]

यदि हमारे तत्कालीन प्रधान मन्त्री जी रेगिस्तानी क्षेत्र की बात को लेकर के पैरवी नहीं करते, तो यह रावी-व्यास और सतलुज का पानी हमें जो मिल रहा है, वह न तो पंजाब को मिलता, न हरियाणा को मिलता और न राजस्थान को मिलता, बल्कि यह ट्रीटी हमारे राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण ही हो सकी है क्योंकि उस समय इस प्रकार की स्थिति थी कि हिन्दुस्तान सिर्फ 5 लाख एकड़ जमीन को सिंचित कर रहा था और उस समय पाकिस्तान 18 लाख एकड़ जमीन को सिंचित कर रहा था। क्योंकि वह अपने से ज्यादा जमीन को सिंचित कर रहा था और हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण और इस प्रकार से प्लीड करने के कारण हमें यह पानी प्राप्त हुआ। इस पानी को प्राप्त करने के लिए रावी, व्यास और सतलुज का एग्रीमेंट 1955 के आधार पर हुआ जिसका मैंने पहले जिक्र किया, आठ मिलियन एकड़ फीट का, उसके बाद अकाली दल ने या किसी पार्टी ने 20 वर्ष तक कोई विवाद नहीं उठाया और यहां तक मैं कहना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इस समय जो

पंजाब के मुख्य मन्त्री हैं, वे उस समय सिंचाई मन्त्री थे, उस समय भी उन्होंने यह प्रश्न नहीं उठाया और यह स्थिति बनी कि राजस्थान के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया। अब जब संघर्ष हुआ पंजाब और हरियाणा के बारे में विभाजन के लिए विवाद के सम्बन्ध में, तो पंजाब को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार था और हरियाणा को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार था। इस विवाद का केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया और निर्णय करके 3.5 मिलियन एकड़ फीट पीने का पानी हरियाणा को, 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब को और 0.2 मिलियन एकड़ फीट पानी दिल्ली को दिया गया। इसके बारे में सुप्रीमकोर्ट में अपील की और जब सुप्रीमकोर्ट में रेफरेंस गया और सुप्रीमकोर्ट में रेफरेंस जाने के बाद भी जब कोई निर्णय नहीं हो सका, तो तीनों मुख्य मन्त्रियों ने, जिनमें राजस्थान के श्री शिवचरण माथुर जी, पंजाब के श्री दरबारा सिंह जी और हरियाणा के श्री भजनलाल जी, इन तीनों ने प्रधान मन्त्री के सामने यह मामला रखा और प्रधान मन्त्री जी ने जो अवार्ड दिया सबने उसको स्वीकार किया। जब उसने उस अवार्ड से एग्री कर लिया, तो इस अकाली दल ने प्रश्न उठाया, जब अकाली दल ने प्रश्न उठाया और त्रिपार्टी डिस्कशन जब चल रही रही थी और सभी विरोधी पार्टियां भी जब इस बात के बारे में सहमत थीं, यहां तक कि राजस्थान के हिस्से के बारे में अकाली दल भी जोर नहीं दे रहा था क्योंकि इस बारे में कोई डिस्प्यूट ही नहीं था, कोई विवाद ही नहीं था, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि पहले आर्डिनेंस प्रस्तुत किया गया और बिल प्रस्तुत किया गया और फिर एक नया बिल प्रस्तुत किया गया और नया बिल प्रस्तुत करके पीने के पानी के उपयोग के सम्बन्ध में फर्स्ट जुलाई को वैरीफिकेशन के अन्दर राजस्थान को भी सम्मिलित किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जब 1955 को इन्टर-स्टेट एग्रीमेंट हो चुका है, उसके बाद 1981 का एग्रीमेंट हो चुका है, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि फर्स्ट जुलाई के पीने के पानी के बारे में वैरीफिकेशन करके, जानकारी प्राप्त की जाए। अभी राव बीरेन्द्रसिंह जी फरमा रहे थे, सही फरमा रहे थे, वैरीफिकेशन या जानकारी तो रिकार्ड से प्राप्त हो सकती है। वह भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अन्तर्गत रिकार्ड में प्राप्त हो सकती है, तो इसके वैरीफिकेशन करने की क्या आवश्यकता थी, तो यह तो बड़ा गम्भीर प्रश्न हमारे सामने है।

दूसरा प्रश्न महोदया यह है जो पानी का मसला है, यह हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जीवन-मृत्यु का प्रश्न है। हमारी राजस्थान सरकार ने जो भी कॉमन वर्क्स बने, इस निर्णय के अन्तर्गत, भाखड़ा-व्यास निर्णय के अन्तर्गत, भाखड़ा डैम बनने में या और भी कॉमन वर्क्स हुए, उन सब में हमारा 52.69 परसेंट शेयर दिया है। इस प्रकार से हमने पूरी तरह से अपना 52.69 परसेंट शेयर दिया। हमने राजस्थान कैनाल का विस्तार किया और विस्तार करके हमारे नाचना जैसलमेर जिले में यह नहर पहुंच चुकी है, मोहन में भी यह नहर पहुंच चुकी है। वहां

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

हम और विस्तार कर रहे हैं और विस्तार करके और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वहां का क्षेत्र और सिंचित हो और पीने के पानी की समस्या हल हो और वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होकर के यह आगे बढ़ सके। तो हम इस अवसर पर यह जानना चाहते हैं और यह विश्वास आप से चाहते हैं कि हमारा जो 1955 का एग्रीमेंट हुआ है और 1981 का एग्रीमेंट हुआ है, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, उनमें किसी भी प्रकार की रद्दो-बदल न हो, वह रीओपन न हो।

तीसरी बात हम यह चाहते हैं कि अभी राव वीरेन्द्रसिंह जी फरमा रहे थे कि जो हैड-वर्क्स हैं, उनका नियन्त्रण अभी भी पंजाब गवर्नमैंट के पास है, यह नहीं होना चाहिए। जबकि स्ट्रेट्युटरी-लॉ के अन्तर्गत पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट 1978 और 1979 के अन्दर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भाखड़ा- ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को उसका कंट्रोल दिया जाए, और हमारी गवर्नमेंट ने भी केन्द्रीय सरकार का बार-बार ध्यान इस बारे में आकर्षित किया, तो फिर आज केन्द्रीय सरकार क्यों दब रही है, क्यों ऐसा रुख अपना रही है। अगर आज यह स्थिति होती और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को पूरी तरह से इनका कंट्रोल दिया गया होता, तो इतने वर्ष बाद यह विवाद पैदा ही न होता। आज यह भी एक प्रश्न है क्योंकि कंट्रोल उनके हाथों में है।

मैडम चेयरपर्सन, मैं सिर्फ पांच मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहां प्रस्तुत कर दिया गया है और यह मेरे क्षेत्र से ज्यादा सम्बन्धित है, रेगिस्तानी क्षेत्र से ज्यादा सम्बन्धित है और यह प्रश्न हमारी जीवन-मृत्यु का प्रश्न है, इसलिए मैं इस पर बहुत संक्षेप में विचार प्रस्तुत कर रहा हूं और इसको ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता हूं और मैं इसको लम्बा नहीं करूंगा। तो मैं यह कह रहा हूं कि इस रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए जहां के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह क्षेत्र अगर सिंचित होता है, तो देश में बहुत प्रोडक्शन होगा।

महोदया, मेरा इस बारे में यह मत है कि इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति देश में इस प्रकार की बननी चाहिए कि जहां-जहां आवश्यकता हो वहां-वहां पर पानी की व्यवस्था की जाए और जहां-जहां सरपलस पानी हो वह डेफीसिट क्षेत्र में दिया जाए। इस प्रकार की नीति निर्धारण करनी चाहिए। इस प्रकार की नीति निर्धारित करने से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है और उससे राष्ट्र की एकता मजबूत हो सकती है।

महोदया, अभी जो दृष्टिकोण रख रहे हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस 24 मार्च का देखिए, उसमें जो स्टेटमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें यह बात कही गई है कि यह जो एब्सोल्यूट प्रापर्टी है, यह भारत की नहीं हो सकती, बल्कि यह बात कही है कि एब्सोल्यूट प्रापर्टी पंजाब

की है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो आपने राज्य सभा में स्टेटमेंट दी, उसके बारे में भी अभी तक पंजाब गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे रही है, उनके आफिशयल्स दे रहे हैं और उनकी जो स्पष्टीकरण की नीति है, कंट्राडिक्शन की जो नीति है वह स्पष्ट नहीं है, तो हमें विश्वास नहीं होता है क्योंकि जितनी बार भी हमने देखा है उतनी बार हमने पाया है कि अकाली-पार्टी अपनी बात पर अटल नहीं रही। अब हमें यह विश्वास नहीं है कि अब जो कोई निर्णय होगा, उस निर्णय पर वह अटल रहेगे। इससे पहले 1985 और 1981 का जो एवार्ड हुआ था उसमें भी वह अटल नहीं रहे, इसलिए अब हमें कैसे विश्वास होगा कि अब भी वह अपनी बात पर अटल रहेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : अब यह अकालियों की जिम्मेवारी है कि वह उस पर अटल रहें।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : अब केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल की मंशा यह बताती है कि राष्ट्र के हित में यह कदम उठाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इससे राष्ट्र का हित जरूर होगा।

रेगिस्तानी क्षेत्र जो कि आज पीने के पानी के लिए तरस रहा है, मुझे आशा है कि उस क्षेत्र को कोई मदद देकर, पानी की व्यवस्था करेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा करने के बाद ही राष्ट्र का हित होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमको विश्वास दिलाया है कि राजस्थान के हितों की रक्षा की जायेगी।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने जो विचार प्रकट किए हैं उस पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह (हिसार) : सभापति महोदया, राजीव-लोंगोवाल समझौते में जहां तक पानी का मामला है, उसको अमली-जामा पहनाने के लिए केन्द्र सरकार इटर-स्टेट वाटर डिसप्यूट ऐक्ट के तहत जो संशोधन लेकर आ रही है, उसके संदर्भ में बोलने से पहले मैं फैक्ट्स बताना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। वैसे तो इसकी ऐतिहासिक जानकारी मंत्री मंत्रालय को अवश्य होगी।

1966 में जब पंजाब राज्य के दो हिस्से किए गए हरियाणा और पंजाब। उस समय से पहले भी पानी के बंटवारे के बारे में भिन्न-भिन्न कमेटियां जैसे हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी और फूड कमेटी आदि स्थापित की गईं। उसमें पानी के बारे में और उसके बंटवारे के बारे में बातें हुईं। 1965 में एक फूड कमेटी का गठन पंजाब सरकार के तहत किया गया। उसमें भी यह बात सामने आई कि वह इलाके जो उस समय हिन्दीभाषी इलाके कहलाते थे, हरियाणा में उन इलाकों को 4.56 एम० ए० एफ० पानी की जरूरत है। वह पानी हिन्दीभाषी क्षेत्रों को देने के लिए इम्पलीमेंटेशन कमेटी का भी गठन किया गया। इसके साथ-साथ हरियाणा डेवलपमेंट

[राव बीरेन्द्र सिंह]

कमेटी का भी गठन किया गया । हरियाणा का यहां मतलब सिर्फ इतना ही है कि पंजाब के वह क्षेत्र जो हिन्दीभाषी क्षेत्र थे, पंजाब में उनका विकास कैसे हो । उसमें कृषि

2.00 म० प० विकास, जो सबसे महत्वपूर्ण विकास का बिन्दु था, उसके साधन जुटाने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया गया जिसमें सिविल सर्वेन्ट्स, लेजिस्लेटर्स और दूसरे पब्लिक के इम्पार्टेन्ट मेन शामिल किए गए । उस कमेटी ने भी यही रिपोर्ट दी कि हरियाणा के क्षेत्रों को 4.56 मिलियन एकड़ फीट पानी की आवश्यकता है । इसी तरीके से जो इन्डस वाटर टीटी के तहत पंजाब को पानी 1970 में मिलना शुरू हो रहा था उसको आंकने के लिए, उसको नापने के लिए और उन इलाकों को जो नहर के पानी से वंचित हैं और पंजाब के भाग हैं, उनको किस प्रकार से पानी मोहैया किया जा सके, लेकिन मन्त्री जी जो यह विधेयक लेकर आए हैं इसमें जो एक जुलाई, 1985 की एक तिथि निर्धारित की है, मन्त्री महोदय के पास सिंचाई विभाग बहुत दिनों से है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि एक दिन की जो तिथि निर्धारित की गई है उसमें अगर आप एक छोटी ट्रिब्यूटरी (एक छोटा रजबहा) का पानी भी आंकना चाहें तो आंका नहीं जा सकता है, उसके लिए भी कम से कम 15 दिन का फ्लो आफ वाटर देखने की आवश्यकता पड़ेगी । कोई पर्टिकुलर छोटा रजबहा भी, जो 30 क्यूसेक्स का ही क्यों न हो, उसका पानी आंकने के लिए भी कम से कम 15 दिन तक उसका फ्लो आफ वाटर को देखने की आवश्यकता पड़ेगी । (**व्यवधान**) मैंने तो अभी शुरू ही किया है ।

तो जो तिथि आपने निर्धारित की है उससे आप बिल्कुल भी इस चीज को नहीं नाप सकते कि एक जुलाई, 1985 को पंजाब को कितना पानी, हरियाणा को कितना पानी और राजस्थान को कितना पानी मिला ।

दूसरी बात यह है कि जो टर्म्स आफ रेफ्रेन्स आफ ट्रिब्यूनल के लिए भेजेंगे उसमें यदि इस किस्म से वेग टर्म्स आफ रेफ्रेन्स हमने भेजे और एक जुलाई, 1985 को निश्चित तारीख मानकर फैसला करने की बात कही तो वह ट्रिब्यूनल किसी फैसले पर नहीं आ सकेगा । उसका एक ही तरीका हो सकता है कि एक जुलाई, 1985 से पहले की सारी क्राप को असेस करवायें, जो रेवेन्यू रेसीट्स जो पर्चियां काटकर दी गई हैं पंजाब या दूसरे राज्यों में, उसका पूरा विश्लेषण करवायें या एक जुलाई, 1985 से अब तक का करवाएं, तब यह उसका सही माप दण्ड हो सकता है वरना हेड-वर्क्स पंजाब के कन्ट्रोल में हैं, पानी उनको छोडना है और रेकार्ड उनको मेन्टेन करना है, इसलिए किसी भी स्तर पर आप यह बात तय नहीं कर सकेंगे ।

दूसरे—रावी व्यास का जो पानी है इसका फैसला और जो इन्डस वाटर टीटी हुई थी उससे पहले भी जो सतलज का पानी था वह मिलता था, उसमें भी अगर आज ट्रिब्यूनल के

सामने पंजाब की अकाली सरकार राइपेरियन राइट्स की बात करती है तो मैं भी यह आंकड़े देना चाहूंगा कि इन्डस वाटर टीटी से पहले जो रावी व्यास का पानी पाकिस्तान में इस्तेमाल होता था उससे पहले सतलुज का जो पानी था उसमें भी जम्मू-कश्मीर को 0.04 एम० ए० एफ० पानी मिलता था और पंजाब को, जिसमें हरियाणा शामिल था, उसको 1.98 एम० ए० एफ० पानी मिलता था और राजस्थान जिसके बारे में यह दलील दी जा सकती है, जो कि वे देंगे, कि वह राइपेरियन स्टेट नहीं है, उसको भी सतलुज से 1.1 एम० ए० एफ० पानी मिलता था।

इस प्रकार सिर्फ सतलुज का 3.13 एम० ए० एफ० पानी का डिस्ट्रिब्यूशन पंजाब इन्क्यूडिंग हरियाणा और राजस्थान के लिए था। इन्डस वाटर ट्रिटी, जब 1955 में यह एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी पंजाब इन्क्लूडिंग पैपसू, जो पंजाब के बड़े-बड़े रजवाड़े थे, उनकी रियासतों को इकट्ठा करके पैपसू का निर्माण किया गया था। उसके लिए और पंजाब के हिस्से के लिए 7.2 एम० ए० एफ० निर्धारित किया गया था, जिसमें ज्यादातर हिस्से आज हरियाणा के हिस्से बने हैं। चाहे पटियाला स्टेट हो, चाहे जिन्द स्टेट हो, चाहे मोहिन्दरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और उसमें फरीदकोट, नाभा, जिन्द और पटियाला, इन सबके लिए जो पानी निर्धारित किया गया था, वह इस बिना पर किया गया था कि पंजाब और हरियाणा 1966 से पहले एक ज्वाइंट स्टेट थी। उसमें नीड-बेस्ड कौन से इलाके हैं, कौन सी ऐसी भूमि का हिस्सा है, जो कैनाल इरिगेशन से फीड हो सकता है, जिसमें सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जा सकती है, जो अब नहीं पहुंचाई जा रही हैं, उन सारे मुद्दों को निगाह में रखते हुए पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब हरियाणा और पंजाब 1966 में अलग-अलग स्टेट बनी, रियोर्गेनिजेशन एक्ट की धारा 78 और 79 के तहत यह तय किया गया था कि हरियाणा को सिंचाई के लिए जो पानी मिलेगा, वह 4.8 एम० ए० एफ० होगा। उसमें भी यह स्थिति आ गई थी कि :

[अनुवाद]

"हरियाणा को रावी-व्यास से फालतू जल—हरियाणा ने इस आधार पर दावा किया कि वहां नहरों से सिंचाई की बहुत कम सुविधाएं हैं, वहां वर्षा कम होती है, और परंपरागत सिंचाई सुविधाएं भी सीमित हैं।"

[हिन्दी]

इस आधार को मानकर पानी का बंटवारा किया गया था और उस समय भी 4.8 एम० ए० एफ० हिस्सा पानी का मिला था, लेकिन 1970 में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसको भारत सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी थी। उसमें भी हरियाणा का हिस्सा 3.78 एम० ए० एफ० एलाट किया गया था। इसके साथ-साथ जो-जो कमेटियां बनीं

[राव बीरेन्द्र सिंह]

और जो-जो रिकमेंडेशन भारत सरकार को दी गई, किसी भी एक रिकमेंडेशन पर पंजाब की सरकार, चाहे अकालियों की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, ने अपने स्टैण्ड को स्ट्रीकट नहीं किया। एक समय मान गए और दूसरे समय उन बातों से मुकर गए। 1981 के अन्दर स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक समझौता कराया, जैसाकि राव साहब ने विस्तार से बताया है, उसमें भी यह बात तय हुई थी कि 3.78 को भी छोड़िए, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को भी छोड़िए और 4.68 का बंटवारा एट-दि-टाइम-आफ-दि- रिआर्गेनिजेशन-आफ-पंजाब उसको भी छोड़िए, 3.58 का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसको इम्पलीमेंट करने के लिए हरियाणा सरकार ने और पंजाब सरकार ने अपनी सहमति जाहिर की थी। राजीव-लोगोंवाल एकार्ड के अनुसार जो धाराएं पंजाब को सूट करती हैं, जो पंजाब के लिए हैं, उन धाराओं के लिए अकाली सरकार कहती है कि उन धाराओं पर कार्यवाही की जाए और उन धाराओं को इम्पलीमेंट किया जाए। और जो धाराएं पंजाब सरकार को इम्पलीमेंट करनी हैं, पंजाब की जो अकाली पार्टी की सरकार है, जिन धाराओं को उसको इम्पलीमेंट करना है, उनमें जब पानी की बात आती है, तो कहते हैं कि हमारे पास एक बूंद भी सरप्लस पानी नहीं है। जब नहर खोदने की बात आती है, तो वहां का जो दूसरा एलीमेंट है, वह नहर खोदने की बजाए नहर को पाटने की बात करता है और मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो अपने आपको इनटेलेक्चुअल कहते हैं। पिछले दिनों उनका यह बयान आया कि प्रधानमंत्री राजीव-लोंगोवाल एकोर्ड को इम्पलीमेंट करना चाहिए और वह कैसे करें कि चंडीगढ़ को पजाब को ट्रांसफर कर दो। जो अपने आपको बुद्धिजीवी कहते हैं, जो हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े नागरिक हैं, वे अगर ऐसी बात कहें और दूसरी तरफ जब हरियाणा की बात हो, नहर खोदने की बात हो, तो उसका जिक्र न करें, तो यह कहां तक मुनासिब है। आज हरियाणा का हर आदमी, एक सांसद होने के नाते मैं यह कहता हूं, यह चाहता है कि पंजाब के अन्दर शांति हो। आज बहुत सी ताकते हैं इस देश के अन्दर, जिन्होंने हरियाणा के लोगों को गलत रास्ते पर डालने के लिए, हरियाणा के लोगों को भड़काने के लिए और हरियाणा में कम्युनल रायट्स पैदा करने के लिए, बहुत कोशिशें की हैं लेकिन हम यह समझते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसानों का हित एक है। उसका आर्थिक और उसका सामाजिक जीवन एक सा है और उसका आचरण एक सा है और वे कभी लड़ना नहीं चाहते हैं चाहे प्रोवोकेशन किसी भी साइड से हो, किन्ही तत्वों के द्वारा हो लेकिन यह बात जरूर चाहते हैं कि हरियाणा को उसका हिस्सा मिले हम यह नहीं चाहते कि पंजाब का हिस्सा हम लें।

मैं एक छोटी सी इंस्टांस देकर अपनी बात खत्म करता हूं। हरियाणा के अन्दर जो अन्डरग्राऊंड वाटर है, उसका 94 पर सेन्ट हिस्सा वह यूटीलाइज कर चुका है।

[अनुवाद]

हरियाणा में जितना अंडरग्राऊंड वाटर है उसका 98% नलकूपों से निकाला जाता है। उसे 80 लाख एकड़ फीट तक पहुंचाया जाता है।

[हिन्दी]

दूसरी तरफ पंजाब के अन्दर 20 एम० ए० एफ० अन्डरग्राऊंड वाटर है, जिसका पंजाब ने एक्सप्लायटेशन नहीं किया है।

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : इन आंकड़ों की क्या प्रमाणिकता हैं।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह : अथारिटी यह है कि एक मिलियन एकड़ पानी और 20 मिलियन एकड़ पानी, जो अन्डरग्राऊंड वाटर है, उसका जब सर्वे हुआ, तो उसमें यह एसेसमेंट हुई थी और उसकी टेसिस पर फैसला होना था कि हरियाणा और पंजाब में और ट्यूबवेल्स लगाए जाएं या न लगाए जाएं। उस एसेसमेंट में यह फीगर आई थी, जिसकी बिना पर मैं यह बता रहा हूं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि पंजाब को पानी की जरूरत है और ज्यादा पानी की जरूरत है, तो हम उनसे पानी नहीं मांगते लेकिन यह कहना कि हमारी एक राइपेरियन स्टेट है, हम डूबने के लिए मंजूर हैं लेकिन हरियाणा को पानी नहीं देंगे, हमारी रीवर-बेसिन स्टेट है लेकिन हम पानी दूसरे राज्य को नहीं देंगे, यह ठीक नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा के लोगों को एक साल में ढाई सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। पानी आने से उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी और उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार होगा। हर साल ढाई सौ करोड़ रुपये से हम महरूम हो रहे हैं और 16 सालों से जो यह व्यवस्था चली है, करीब 4 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हरियाणा के लोगों को सतलुज यमुना लिंक केनाल से पानी न आने की वजह से हुआ है। मैं यह जरूर कहूंगा कि जहां हम चाहते हैं, हरियाणा की जनता यह चाहती है कि लोंगोवाल-राजीव एकोर्ड का इम्पलीमेटेशन पूरा हो, हम इसके साथ-साथ यह भी तरक्कीं करेंगे और भारत सरकार से कहेंगे कि अगर वे शर्तों को पूरा नहीं करते जो उस एकर्ड में पंजाब को पूरी करनी थीं तो पंजाब की अकाली सरकार को कोई हक नहीं है कि दूसरी शर्तों के बारे में वह भारत सरकार से कहे और हरियाणा के लोग कभी इस बात को सहन नहीं करेंगे, इस बात को कभी मंजूर नहीं करेंगे कि हरियाणा का पानी जो हरियाणा की लाइफ-लाइन होगा, जो हरियाणा के लिए जिंदगी और मौत का प्रश्न होगा, अगर वह पानी हरियाणा के खेतों में नहीं जाता तो कोई औचित्य नहीं बनता कि राजीव-लोंगोवाल समझौते की दूसरी धाराओं पर अकाली सरकार और अकाली पार्टी कोई बहस करे।

इन शब्दों के साथ मैं यह जरूर कहूंगा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए राजीव-लोंगोवाल समझौता, जो देश के लिए, सारे राष्ट्र के लिए और देश की शांति के लिए जरूरी है, उसमें हरियाणावासियों को भी उनका हक जरूर मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदया, मेरे से पहले पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो वक्ता बोले, हम उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों को हैरानी होगी कि मैं इस विषय पर क्यों बोल रहा हूं। (व्यवधान) समस्या केवल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की नहीं है। जब भारत खतरे में है तो हम समझते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम कुछ बोलें और यह जो भी गड़बड़ हो रही रहे है उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। अध्यादेश के स्थान पर जो विधेयक लाया गया है उसमें बहुत विलम्ब हो रहे हैं और वह विधेयक में समझौते पर हस्ताक्षर होने के छः महीने बाद जारी किया गया था। समझौते पर 24 जुलाई 1985 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह अध्यादेश 24 जनवरी को जारी किया गया था। और जबकि आप समझते हैं कि उस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार आप आगे कार्यवाही नहीं कर सकते। हमें खुशी है कि आपने पहले जितना विलम्ब नहीं किया है और जैसी कि आपकी आदत है, आपने विधेयक पेश किया है और अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के उपबन्धों में समुचित संशोधन करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

माननीय सदस्य राव बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि वह चाहते हैं कि पहले वाला विधेयक लागू किया जाए, यह नहीं तथा वह जानना चाहते हैं कि पंजाब ने यह मामला न्यायालय में क्यों नहीं भेजा। इसका जवाब अकाली दल और पंजाब सरकार को देना होगा और मुझे आशा है कि अकाली दल के प्रतिनिधि अपना वक्तव्य देते समय उसका कारण बताएंगे। लेकिन मुझे हैरानी है कि हरियाणा ने यह मामला न्यायालय में क्यों नहीं भेजा। यह साधारण सी बात है और हरियाणा का जो भी सदस्य भाषण देगा, उसे इस बारे में बताना चाहिए। मैं एक बात जानना चाहता हूं जैसा कि सभी संबंधित राज्यों जो जल ले रहे हैं, के सदस्यों ने पूछा है। जैसा कि राजीव लोंगोवाल समझौते में यह प्रावधान है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान द्वारा इस समय लिए जा रहे जल के बारे में सुनिश्चित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो उसे पुनः दोहराया जाना चाहिए और हमारी यह राय है कि इस बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता कि राजस्थान और हरियाणा को पानी देने से इन्कार किया जाएगा। कोई सदस्य यह प्रश्न नहीं पूछ सकता। और यदि ऐसा करने का प्रयास किया गया तो हम कहेंगे कि हम इसका विरोध करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक कमी है कि इस समझौते में ही यह उल्लेख किया गया है कि 1.7.75 को जितना पानी प्रयोग में लाया गया ? मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़ी गलती है। ऐसा उस विशेष दिन नहीं हो सकता जैसा कि श्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा क्योंकि उस विशेष दिन और उस दिन के आधार पर इसका निर्णय नहीं किया जा सकता और यह हुआ कि उस विशेष दिन हरियाणा को पानी की सप्लाई कम की गई थी और वही झंगड़े का कारण बन गया।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसका यह अर्थ है कि जब तक जल-विभाजन का निर्णय नहीं होता यह जारी रहेगा। ऐसा हमेशा के लिए नहीं है।

श्री संफुद्दीन चौधरी : समझौते में भी कहा गया है कि 1.7.1985 को और यही झगड़े का कारण बना और कुछ निहित स्वार्थी ने हरियाणा की जनता के भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए इसका अनुचित लाभ उठाया। सरकार की ओर से कोई भी इसका स्पष्टीकरण देने के लिए आगे नहीं आया कि ऐसा उस विशेष दिन के बारे में नहीं कहा जा सकता जैसा कि हमने समझा है। आपको उस बारे में भी स्पष्टीकरण देना होगा। हम देखना चाहते हैं कि यह न्यायाधिकरण सही ढंग से और समझदारी से काम करे और इसके नियम हर सम्बन्धित पर आबद्धकारी हों। केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह देखे कि न्यायाधिकरण के निर्णय को अमल में लाया जाए।

अब मैं दूसरे पहलू पर आऊंगा। जहां तक सतलुज-यमुना लिंक नहर का सम्बन्ध है मैं तो कहूंगा कि हमारा दृढ़ निश्चय है कि इसे निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। कोई भी सदस्य नहर की खुदाई के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। यदि इसकी खुदाई नहीं होगी तो समझौता ही समाप्त हो जाएगा। इसकी खुदाई की ही जानी है मैंने देखा है कि भारत किसान संघ यह मांग कर रहा है कि नहर का रास्ता बदला जाए और जितनी खुदाई की जा चुकी है उसे पुनः भरा जाए। यह एक गैर-जिम्मेदाराना रूप से दिया गया वक्तव्य है। हमें यहां संगठित होकर काम करना होगा और मुझे विश्वास है कि हमारे मित्र अकाली दल के सदस्य इस देश का भला चाहते हैं और वे पूरी जिम्मेदारी से देखेंगे कि कोई भी निहित स्वार्थ सतलुज-यमुना लिंक को तोड़ने में सफल न हो।

केन्द्र सरकार की कुछ जिम्मेदारी है। वे गलतियां कर रहे हैं और वह देश को हानि पहुंचा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इसका कारण क्या है। यहां तक कि मैथ्यू आयोग के अनुसार भी चंडीगढ़ के स्थानांतरण का प्रश्न हरियाणा को उसके बदले कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्रों के दिए जाने पर पैदा होगा। इस बारे हैं अंतिम निर्णय क्यों नहीं लिया गया ? चंडीगढ़ पंजाब को मिलना था और कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को मिलने थे।

आयोग अबोहर और फाजिल्का से ही क्यों चिपका रहा ? समझौते में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि अबोहर और फजिल्का दिया जाये अथवा वहां पुनः जनगणना कराई जाये। क्या और कोई क्षेत्र नहीं रह गया है? यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि संलग्न क्षेत्रों के बारे में विचार किया जाना चाहिये। मैथ्यू आयोग ने कहा हैं कि इस आधार पर उन क्षेत्रों को अन्तरित नहीं किया

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

जा सकता है। क्या अन्य क्षेत्र नहीं थे जहां इस बारे में जनगणना की जा सकती थी कि वे हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं अथवा नहीं जिससे कि समझौते के सिद्धान्तों के अनुसार उन क्षेत्रों को हरियाणा को दिया जा सकता।

एक और हास्यास्पद बात की ओर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैथ्यू आयोग ने कहा है :

> "चंडीगढ़ के बदले पंजाब की ओर से पटियाला जिले की राजपुरा तहशील के 13 गांव देने की पेशकश की हरियाणा राज्य द्वारा एकदम ठुकरा दिया गया और अत: आयोग को उसकी जांच करने के लिये नहीं कहा गया"

अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आयोग केवल हरियाणा के लिये था ? क्या यह आयोग केवल अबोहर और फाजिल्का के बारे में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों के बारे में भी निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र नहीं था ? अबोहर में क्या विशेष बात है। क्या वहां सोने की खान है ? ऐसी स्थिति में भी इसके लिये दावा कर सकता हूं। जब मैं हरियाणा गया था तब मुझे बड़ी ही रोचक बात बताई गई थी कि अबोहर और फाजिल्का में अच्छी रुई पैदा होती है। इसलिये हरियाणा अबोहर और फाजिल्का के लिये जोर दे रहा है। यदि वह हरियाणा को दिया जाता है तो क्या भूमि ही हरियाणा को दी जायेगी और लोग नहीं दिये जायेंगे ? इसलिये, निरर्थक और उत्तेजनात्मक बातें उठायी जाती हैं। मैं यह आरोप लगाता हूं कि मैथ्यू आयोग को जान बूझकर विफल बनाया गया। यद्यपि राजीव गांधी ने, जो इस देश के प्रधान मंत्री हैं तथा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं किन्तु उनकी सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस समझौते का कार्यान्वयन ठीक ढंग से किया जाये। उनकी अपनी ही पार्टी के विभिन्न राज्यों के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। वे लोग ही हल्ला मचाते है; कोई कहता है कि जब तक अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को न सौंपे जाये तब तक चंडीगढ़ देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : यह किसने कहा है ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : यह बात श्री भजन लाल ने कही है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जिस तरह से कुछ लोग समस्त हरियाणा कंवेंशन के नाम पर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं मैं भी उनका समर्थन नहीं करता। यह किसी चीज को करने का कोई

तरीका नहीं है। हरियाणा के मुख्य मंत्री को हटाये जाने की मांग के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बहुत सारी खुराफातें की हैं। उन्हें सत्ता से हटाने का सभी दलों का संयुक्त प्रयास होना चाहिये। यदि वे इस बात की मांग करते हैं कि पंजाब समझौते को कार्यान्वित किया जाये और मुख्य मंत्री को हटाया जाये क्योंकि वह समझौते को तोड़ना चाहते हैं, तो मैं उनका समर्थन करूंगा। पंजाब समझौता पूरी तरह लागू करना होगा। मुझे इस बारे में भी कोई आपत्ति नहीं हैं यदि वे इस बात की मांग करते हैं कि सभी सम्बन्धित राज्यों के हितों का ध्यान रखा जाये। उन्हें पानी मिलना चाहिये। किन्तु केवल यही बात नहीं है। इस बात का संबध केवल रावी और व्यास के पानी से ही नहीं है। हरियाणा को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है। इन सभी राज्यों के लिये बहुत अधिक पानी की आश्यकता है। हमने इसके लिये एक दीर्घकालीन हल निकालना है। अब तक जिस भूमि की सिंचाई नहीं की जा सकी हैं। उसकी सिंचाई किस प्रकार की जा सकती है ? यह एक पृथक मामला है। किन्तु समझौते को तोड़ने का कोई भी प्रयास खतरनाक और नुकसानदेह हो सकता है। इसके बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंजाब में जिस प्रकार की घटनाएं हो रहीं है; वे ठीक नहीं हैं। पंजाब में जिस प्रकार आतंकवाद बढ़ रहा है, वह हम सभी के लिये चिन्ता का विषय है और ऐसी स्थिति में, यदि श्री बलवंत सिंह रामूवालिया यह कहते हैं कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये वे पर्याप्त कदम उठा रहे। तो क्या यह सही होगा। मैं यह बात कहे बिना नहीं रह सकता कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये अकाली सरकार को और अधिक कड़े कदम उठाने होंगे। उन्हें ऐसा करना ही होगा और उनके इस प्रयास में हम उन्हें पूर्ण समर्थन देंगे।

यह मामला राष्ट्रीय हित से संबद्ध है। कांग्रेस (इ) के कुछ सदस्य यह मांग कर रहे हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिये। ऐसा करना बहुत ही घातक और बहुत ही बचकानी कार्यवाही होगी और समझौते के बाद जो वातावरण तैयार हुआ है, वह दूषित हो जायेगा और इससे देश के हितों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

हम यह देखना चाहते हैं कि पंजाब समझौता पूरी तरह लागू किया जाये। हम यह भी चाहते हैं कि राजस्थान और हरियाणा के हितों की भी रक्षा की जाये। हम चाहते हैं कि निर्धारित समय के अन्दर सतलुज-यमुना लिंक नहर की खुदाई की जाये। हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंपा जाये और उसके बदले में पंजाब के कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दिये जायें।

क्षेत्र और राज्य की भावना में न बहकर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुये कदम उठाये जायें तो मुझे विश्वास है कि यह गम्भीर समस्या सुलझ सकती है (व्यवधान)। मैं कहता हूं कि कांग्रेस (इ) के कुछ नेताओं ने हाल ही में एक अच्छा रुख अपनाया है। अब चंडीगढ़ और अबोहर तथा फाजिल्का पर जोर नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्य समस्या पानी की है। आप इस

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

मामले को श्री भजन लाल के साथ उठायें (व्यवधान)। हम चाहते हैं कि पंजाब समझौता पूरी तरह लागू किया जाये। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

2.28 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हु। वास्तव में यह काम तो पहले ही किया जा सकता था। फिर भी, इस समझौते को शीघ्र कार्यान्वित करने तथा उसके कार्यान्वियन में आने वाली कुछ रुकावटों को दूर करने के लिये सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। तथापि इसे छः महीने देरी से जारी किया गया है। कम से कम अब जैसा कि मेरे मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी कह रहे थे, सरकार ने बहुत ही तेजी से एक विधेयक प्रस्तुत किया है किन्तु जिस तेजी के साथ यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसी तेजी के साथ समझौते को भी लागू किया जाये और यदि उसमें कोई कमियां है तो उनका परित्याग किया जाये।

मैं इस संशोधन को लाने की आवश्यकता नहीं समझता। इसकी आवश्यकका ऐसी स्थिति में पड़ती जब कि किसी भी राज्य को मामले के बारे में भारत सरकार की राय नहीं लेनी होती। किसी भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह संशोधन करने और न्यायधिकरण का गठन करने के लिये नहीं कहा है। किन्तु यह बात स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों में निहित स्वार्थों के कारण इस देश के जल संसाधनों का समय पर तथा सदुपयोग नहीं हो रहा है।

इसको और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब समझौते के कार्यान्वियन का समाधान ढूंढना है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस प्रकार की समस्याएं पंजाब और हरियाया से बाहर भी हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आंध्र में तेलुगु गंगा परियोजना के बारे में पहले से ही एक समझोता हो चुका है। परन्तु विभिन्न राज्यों के बीच अभी भी विवाद हैं और इन राज्यों में ऐसी ही स्थितियां पैदा होने तक प्रतीक्षा करने की बजाय यदि राष्ट्र के हित में भारत सरकार उन राज्य सरकारों की सहमति या असहमति से इन मामलों को हल करने के लिए संशोधन लाकर या न्यायधिकरण की स्थापना करके इसी प्रकार के कदम उठाये तो इससे न केवल अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में अपितु उन मानव संसाधनों का उपयोग करने में काफी सहायता मिलेगी जिसने घाटी परियोजना के निर्माण में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

सभा के समक्ष जो विधेयक है उस पर बोलते हुए इस नदी को खोदने में जिसका आज तक

उपयोग नहीं किया गया है 130 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और इससे स्पष्ट रूप से इस देश के संसाधनों की अनावश्यक बरबादी का पता चलता है। मैं आपके माध्यम से विभिन्न दलों के सदस्यों विशेष रूप से अकाली दल या पंजाब सरकार हरियाणा और राजस्थान से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात को महसूस करें कि अपने हिस्से से अधिक प्राप्त करने की इच्छा से मामले में विलम्ब करने की बजाए उन्होंने जब इस मामले को केन्द्रीय सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया हैं तो वे बिना संकोच इसका पालन करें और जल्दी से जल्दी संसाधनों का उपयोग करें और अपने लोगों को लाभ पहुंचाएं। विलम्ब का मतलब हानि है तथा पंजाब द्वारा हरियाणा और राजस्थान के लोगों को पहुंचायी गई हानि का या हरियाणा द्वारा पंजाब या राजस्थान के लोगों को पहुंचायी गई हानि का राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा जिसके लिये वे भी अधिकांश रूप से तकलीफ उठाएंगे। यदि ऐसा महसूस करने लगे तो इस प्रकार के विवाद नहीं होंगे अथवा उपयोग करने में विलंब नहीं होगा।

इस ओर इस प्रकार की अन्य घटनाओं से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब समय है जब भारत सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों के सभी जल संसाधनों की राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर चले और भारत सरकार इन राज्यों से कोई परामर्श किए बिना आवश्यकता अर्थव्यवस्था और साधनों को ध्यान रखते हुए इन परियोजनाओं को अपने हाथ में ले, इन मामलों को राज्यों पर छोड़ने से न केवल लोगों को आर्थिक लाभ नहीं दिए जा रहे हैं बल्कि आवेश भी बढ़ता जा रहा है जिससे राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कई समस्याएं पैदा होती हैं और देश के बाहर निहित स्वार्थ के लोगों को विनाश की भूमिका का का अवसर मिलता है कम से कम अब भारत सरकार आगे आई है। लेकिन अब अधिक देर न करते हुए मैं नहीं समझता कि नहर अगस्त, 1986 तक पूरी होगी जैसा कि समझौते में स्वीकार किया गया है कम से कम भारत सरकार को संबंधित सरकार के सहयोग से या उसके बिना ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए क्योंकि अब काम युद्ध स्तर पर किया जाना है। और सभा जैसा कि इसके कई सदस्यों ने कहा है इन लाभों को पूर्णतया और यथा शीघ्र इन राज्यों को दिलाने के लिए जैसा कि न्यायधिकरण ने फैसला दिया है, एक रहेगी।

हम समझते हैं कि 1985 में पहले भी एक समझौता किया गया है लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि किन कारणों से इसको कार्यान्वित नहीं किया गया। इसमें विलंब से कई लोग जो पंजाब और हरियाणा में काफी काम प्राप्त कर सकते थे बेकार बैठे हैं। वे संसाधन भी व्यर्थ जा रहे हैं। इस संशोधन में केवल दो राज्यों का उल्लेख किया गया है। राजस्थान का उल्लेख नहीं किया गया। इसके हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए इसी तरह जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली के हितों की भी सुरक्षा की जानी चाहिए।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : पंजाब को भी नहीं भूलना चाहिए।

श्री के० एस० राव : यह साधारणत: किसी द्वारा इसलिए दावा करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि नदी उनके राज्यों में बहती हैं। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं है यदि किसी राज्य के लोग इस वाद के संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में सोचते है तो इससे बहुत अव्यवस्था हो जाएगी तथा इससे अन्तत: विघटन भी हो सकता है जिसके लिए हममें से कोई भी इस संबंध में सोचने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को इस समझौते को लागू करने में सहयोग देना चाहिए न कि राजनैतिक लाभ या राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसमें रूचि लें और न केवल न्यायधिकरण की स्थापना में और उससे निर्णय प्राप्त करने में और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि इसे समय पर लागू भी करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिरंजी लाल शर्मा जी आप कृपया संक्षेप में बोलिए। समय पहले ही खत्म हो चुका है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने शुरू में ही कहा है कृपया संक्षेप में बोलिए। संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा है।

लेकिन यह ऐसा विषय है जिस पर मैं आपके साथ सहमत नहीं हो सकता क्योंकि यह हमारे जीने मरने का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि समय बहुत कम है।

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : यह हमारे लिए जीने और मरने का प्रश्न है। संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री यहां हैं। हम उनसे अधिक समय के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, समय बढ़ाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसके लिए ? श्री मूल चन्द डागा जी के लिए ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मंत्री जी सोमवार को बोल सकते हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय मैं भाषणों को विशेष रूप से विरोधी पक्ष के सदस्यों के भाषणों को ध्यान से सुनता रहा हूं और इनमें इस बात पर बल दिया गया है कि राजीव-लोंगोवाल समझौते को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। समझ में नहीं आता कि पता नहीं किन कारणों से वे

कहते हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत है कौन कहता है कि राजीव-लोगोंवाल समझौते को कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए ? हमारी स्थिति सुदृढ़ है, हमारा मत स्पष्ट है कि इस समझौते को पूरी तरह से कार्यान्वित करना चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है कि वे चुनाव नहीं कर सकते हैं। वे कहते है कि चंडीगढ़ का स्थानांतरण पंजाब को कर देना चाहिए और केवल तभी वहां शांति होगी। पंजाब में अव्यवस्था की स्थिति इसलिए पैदा हो गई है क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब को स्थानांतरित नहीं किया गया है हम इस कारण को समझने में असफल रहे हैं समझौते के दो महत्वपूर्ण खण्ड हैं। एक तो चंड़ीगढ़ को पंजाब को दिए जाने के बारे में है और उसके बदले हरियाणा को पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र अबोहर और फाजिल्का हस्तांतरित करने के बारे में हैं।

(व्यवधान)

दूसरी बात जल विवाद के बारे में है जिसके लिए एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाएगा। महोदय, यह सभा इस बात को मानेगी कि समझौते के अन्तर्गत एक विधेयक लाया गया था और उसे वापिस ले लिया गया है तथा अब अन्तर राज्य जल विवाद (संशोधन) विधेयक लाया गया है। जब हम लोगोंवाल राजीव समझौता के कार्यान्वयन की बात करते है तो हमें समझौते के अनुसार चलना चाहिए और उस समझौते के उपबंधों के अनुसार ही कि एक नया विधेयक लाया गया था। अब, जल के बारे में विवाद है। जहां तक चंड़ीगढ़ के स्थानांतरण का संबंध है मैं पुनः कहता हूं कि चंड़ीगढ़ पंजाब को दे दो परन्तु अबोहर और फाज़िल्का के हिन्दी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा को उसी कलम से साथ उसी सांस में उसी कागज में तथा उसी मेज पर साथ-साथ हस्तांतरित होगें। इसका अर्थ होगा वास्तविक रूप से समझौते का कार्यान्वियन।

कुछ माननीय सदस्यों ने मैथ्यू आयोग की नियुक्ति के बारे में कहा है। मैथ्यू आयोग ने हरियाणा के पक्ष की पुष्टि कर दी है जिसका पंजाब ने इन्कार किया था। हमने कहा था 107 गांव हिन्दी भाषी हैं और मैथ्यू आयोग ने साफ-साफ बताया है कि 83 गांव और अबोहर तथा फाजिल्का हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं। वहां संलग्नता का प्रश्न था। हालांकि कुछ अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैथ्यू आयोग सुनिश्चित निष्कर्ष दे सकता था।

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने के कारण उन्होंने बिल्कुल समझौते के अनुसार राय दी है और अपनी मर्जी करना उचित नहीं समझा है। मैं यहां उस मुद्दे का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

सभा के सामने समझौते की दूसरी धारा के कार्यान्वयन का गम्भीर मामला है जो जल के वितरण के बारे में है। सभा के सामने यही विवाद है और इसलिए यह विधेयक लाया गया है।

[श्री चिरंजीलाल शर्मा]

इस संदर्भ में हमें पिछले इतिहास का उल्लेख करना होगा। दुर्भाग्यवश इस सदन के बहुत से सदस्य विशेषकर विरोधी पक्ष के सदस्य जो नए आए हैं वे पृष्ट भूमि को नहीं जानते है। हरियाणा 20 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। हरियाणा पंजाब का एक भाग था हमने हरियाणा को बनाने के लिए नहीं कहा था। संत फतह सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग की थी। इस प्रकार हरियाणा अस्तित्व में आया और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें अलग कर दिया गया है क्योंकि हमें निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारे साथ केवल पंजाब की एक कालोनी के रूप में व्यवहार किया गया हम यह भी निश्चित रूप से जानते थे कि हमारे अधिकार पंजाब के लोगों के नियंत्रण में बेहरमी से कुचले गए। अब हरियाणा एक अलग राज्य है। राज्य पुर्नसंगठन अधिनियम है और उस अधिनियम की धारा 78(1) का उल्लेख किया गया था। महोदय, क्या मैं इसे दोहरा सकता हूं ? मैं समझता हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : कृपया भारतीय की तरह बोलें न कि विदेशी के रूप में। हम भाई हैं। आपने कालोनी शब्द का प्रयोग किया। हम सभी इस महान देश के अंग हैं और हमें इस पर गर्व है। आप हमसे कभी-कभी एक भी कड़वा शब्द नहीं सुनेंगे।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं संयुक्त पंजाब की विधान सभा में भी सदस्य था। मैं जानता हूं हरियाणा के साथ जो व्यवहार किया गया था। मैं केवल कह यहां नहीं रहा हूं। मैंने ये शब्द संयुक्त पंजाब के सदन में भी कहे थे जब मैं 1962 और 1967 के बीच सदस्य था। ये विचार थे। इसलिए हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया था। हरियाणा के बनने के बाद से हम बिजली सड़क देख सके। हम अपने उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक को देख सके अन्यथा हम पंजाब में स्कूल अध्यापक तथा पटवारी के स्थानांतरण के लिए भी मारे-मारे फिरते। और इसलिए मैंने ऐसा कहा है। पूरी विनम्रता में परन्तु पूरे जोर से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे साथ घटिया किस्म के लोगों की तरह व्यवहार किया जाता था। अतः मेरे दोस्त को इसे महसूस नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं है।

विश्व बैंक के माध्यम से देश के विभाजन के बाद समझौते में एक संदर्भ दिया गया था। जब भारत सरकार ने 620.60 लाख पौंड स्ट्रलिंग की अदायगी की थी, तब कार्य आदि को बदलने के लिए। देश के विभाजन के बाद विश्व बैंक के माध्यम से की गई उस सन्धि का उल्लेख किया गया था जिसके अन्तर्गत भारत सरकार ने निर्माण कार्यों की बदल के लिए 62.06 मिलियन पौंड स्ट्रलिंग दिए गए थे। राव बीरेन्द्र सिंह ने भी इसका उल्लेख किया है। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं।

इस समझौते की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में पंजाब सरकार ने उस समय 2.68 एम०ए०एफ०

जल को उस क्षेत्र को आबंटित करने की योजना बनाई जो अब हरियाणा का भाग है। उसके बाद 1961 में व्यास परियोजना यूनिट 1 ने 6.19 एम०ए०एफ० रावी व्यास जल भाखड़ा झील आदि में कमी के पूरा करने के लिए नांगल पर उपलब्ध कराया था। उन्होंने 6.19 एम ०ए० एफ० में से 3.75 एम०ए०एफ० पानी उन क्षेत्रों को उपलब्ध कराया था जो अब हरियाणा में हैं। उसके बाद तत्कालीन पंजाब सरकार ने 1961 के अन्त में आदेश जारी किया कि हरियाणा को पानी का आबंटन घटाकर 2.144 एम० ए० एफ० किया जाए जिसकी अब पंजाब 0.9 एम० ए० एफ० के रूप में व्याख्या कर रहा है। राव बीरेन्द्र सिंह जी ने आज सुबह अपने भाषण में इसका भी उल्लेख किया था।

इसके बाद 12 जनवरी 1965 को खाद्यान्न समिति का गठन किया गया था। फरवरी 1966 के दौरान समिति ने सिफारिश की थी कि 4.6 एम०ए०एफ० जल उन क्षेत्रों के लिए आबंटित किया जाए जो अब हरियाणा राज्य में है। इसके बाद हरियाणा विकास समिति ने 15-1-1966 को अपने रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि रावी व्यास जल का भारी अधिकांश भाग हरियाणा क्षेत्र को जाना चाहिए। तब 14 फरवरी 1966 को हरियाणा बनने से पहले सदन में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था और मैं उद्धृत करता हूं :

"हरियाणा विकास समिति की रिपोर्ट पर सरकार सावधानी पूर्वक विचार करेगी"

23 फरवरी 1966 को सदन में पूर्व पंजाब के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि हरियाणा क्षेत्र के जल की पंजाब क्षेत्र अर्थात लुधियाना और फिरोजपुर जिलों में जल के बराबर लाया जाएगा इसके बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया। भारत सरकार ने अप्रैल, 1970 में तथ्य का पता लगाने वाली समिति का गठन किया। इस समिति ने कहा :

"समिति ने सिफारिश की कि हरियाणा को 3.78 एम० ए०एफ० पानी आबंटित किया जाना चाहिए।"

इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने मार्च 1973 में एक नोट भी लिखा था। इस में 3.74 एम० ए० एफ० का नियतन किया गया था। इसके बाद मार्च, 1976 में 3.50 एम० ए० एफ० हरियाणा को दिया था और इतना ही हिस्सा पंजाब का था तब से 10 वर्षों का समय बीत गया है। 1977 में कांग्रेस सत्ता में नहीं रही। तब जनता पार्टी सत्ता में आई। वर्तमान मुख्य मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब की केन्द्रीय सरकार में अकाली दल का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री धन्ना सिंह गुलशन भी केन्द्रीय सरकार में अकाली दल प्रतिनिधित्व करते थे कोई कुछ नहीं बोला किसी ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित होना चाहिए। तब उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमोरारजी देसाई से कहा जिन्होंने स्पष्ट रूप से नकारात्मक उत्तर दे दिया। जब

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

कांग्रेस पार्टी 1980 में फिर से सत्ता में आई तो फिर से शोर शराबा हुआ और 1980 से हम चिल्ला रहे हैं। 'हमें पानी दो' 'हमें पानी दो' किसी ने हमारी बात नहीं सुनी।

लोंगोवाल राजीव समझौता सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में था। जिससे सारे पंजाब में शान्ति रहे। चुनाव शान्ति रहे। चुनाव शान्तिपूर्ण हुए। श्री सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार बनी। हमने चुपचाप और शान्ति पूर्वक इसका स्वागत किया। हमारे प्रधानमंत्री ने इसका स्वागत किया। हालांकि हमारी पार्टी हार गई लेकिन इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। क्या श्री बरनाला स्वयं को निसहाय महसूस करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि श्री बरनाला सत्ता के संचालक हैं। जब राजीव लोगोंवाल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, श्री बरनाला उस समय उपस्थित थे। यह देखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि यह समझौता क्रियान्वित हो इसी बात पर हम बल दे रहे हैं।

हमारी भर्त्सना की जाती है। वह भजन लाल का नाम लेते हैं। भजन लाल क्या कहते हैं ? वह कहते हैं कि राजीव लोंगोवाल समझौता जरूर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इसे अवश्य ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इसी के साथ-साथ वह कहते हैं कि चंड़ीगढ़ पंजाब को हस्तांतरित नहीं होगा जब तक कि हिन्दी भाषी गांव अबोहर फाजिलका हरियाणा को हस्तांतरित नहीं किये जाते। उन्होंने क्या अपराध किया है ? वह कहते है कि उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। उन्हें त्याग पत्र क्यों देना चाहिए। वह कांग्रेस पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हें दल का विश्वास प्राप्त है। जनता ही उसे उखाड़ सकती है। उन्हें केवल इसलिए त्यागपत्र नहीं देना चाहिए क्योंकि देवीलाल एक रैली आयोजित कर सकते हैं और उसको त्यागपत्र के लिए कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं है और न ही भजन लाल जब तक पार्टी कोलोगों का विश्वास प्राप्त है। पृथ्वी पर कोई भी सत्ता, कोई भी देश श्री भजन लाल को नहीं हटा सकता।

इसलिए श्रीमन अब प्रश्न यह है कि श्री बरनाला पंजाब राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां पर लोग नहर का मार्ग बदलने के लिए कह रहे है। श्री बरनाला ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई है। जब वहां किसान आन्दोलन हुआ। उस समिति ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नहर के पानी के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए लेकिन श्रीमन क्या मैं एक सादा प्रश्न पूछ सकता हूं। नहर की खुदाई के कार्य में कोई प्रगति क्यों नहीं हो रही हैं। श्री बरनाला वहां जो कुछ भी हो रहा है उसे मूक दर्शक की भांति क्यों देख रहे हैं। हरियाणा पानी की कमी के कारण अपरिचित कठिनाई से गुजर रहा है। जब मेंने यह पूछा कि नहर बनाने के लिए पंजाब सरकार ने 110.5 करोड़ रुपये अग्रिम दिये है तों क्यों वे इस बात से इन्कार करेगें ? क्या इस नहर को पूरा करने का उनका नैतिक उतरदायित्व नहीं है जब कि 120 कि०मी० लम्बी नहर पंजाब के क्षेत्र में खोदी जानी

है। हरियाणा ने पहले से ही अपने हिस्से की नहर का काम पूरा कर लिया हरियाणा ने तो अब नहीं बल्कि 8 व 9 वर्ष पूर्व 100 करोड़ रुपये अपने हिस्से की नहर बनाने पर खर्च किये हैं और वह सब बेकार पड़ा है ! अब वे खुदाई के बावजूद वह कहते हैं अगर इसे खोदा भी जाता है तो इसे कार सेवा द्वारा भर देंगे। मैं एक वक्तव्य का हवाला दे रहा हूं जो आज 'टाइम्स आफ इण्डिया में निकली है। इस सतलुज यमुना सम्पर्क नहर की खुदाई के विरुद्ध कल फिरोजपुर में एक सभा हुई थी जिसमें यह निश्चय किया गया था कि पूरे पंजाब भर से पटियाला जिले के छन्नी गांव में एक बड़ी रैली की जाये। वे कहते हैं कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है और इसलिए हरियाणा इन नदियों से पानी लेने का अधिकारी नहीं है क्योंकि ये नदियां पंजाब से होकर निकलती है। क्या यह पंजाब के लिए कहना उचित है ? हम भाई-भाई हैं, हम एक ही वृक्ष की शाखाए हैं। हरियाणा को बने हुए केवल 20 वर्ष हुए हैं। क्या इसका अर्थ पाकिस्तान व हिन्दुस्तान का बनाना है। वे कहते हैं "पानी पाकिस्तान को चला जाये लेकिन एक भी बूंद हरियाणा को नहीं दिया जाये। संरचना के लिए सहमत नहीं इस बात की कोई परवाह नहीं है वे कहते हैं कि वे नहर की होंगे राजीव लोंगोवाल समझौते में एक शर्त थी कि नहर को 15 अगस्त, 1986 तक पूरा कर लिया जाये 'जरूर होगा' शब्द वहां है। यह अनिवार्य नहीं है। समझौते में एक पंक्ति यह है जो इस तरह पढ़ी जाती है व्यास नहर का बनाना जारी रहेगा। 15 अगस्त, 1986 को यह नहर पूरी कर ली जायेगी। अब अगर 'कार सेवा' की अनुमति दे दी जाती है तो यह 15 अगस्त, 1987 तो क्या 1988 तक भी नहीं हो सकती। इसलिए हरियाणा के लोग और हरियाणा की सरकार भारत सरकार से प्रार्थना करती है कि नहर को बनाने का कार्य स्वयं अपने हाथ में ले जिससे यह जल्दी से पूरी हो सके। इसके विपरीत मेरे मित्र अकाली दल का समर्थन कर रहे हैं। स्पष्ट बात कहने के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे।

श्रीमन्, जब हमें इस बात का पता चल गया है कि काम पूरी तरह से रूक गया है तो हम कहा जायेंगे। हम भारत सरकार नहीं है इसलिए हम इस काम को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इसलिए श्रीमन मैं यह सुझाव दूंगा कि काम पूरा होना चाहिए और भारत सरकार को भी इस कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए पहले का विधेयक जो लोगोंवाल राजीव समझौते के अधीन वापस लाया गया था ले लिया गया और उसके स्थान पर अन्तर्राज्यीय जल विवाद संशोधन अधिनियम के अधीन वर्तमान विधेयक लाया गया है। अदालत के फैसले में पहले अधिनियम के अधीन कुछ न्यायाधिकरण के फैसले की मान्यता थी जहां तक न्यायाधिकरण द्वारा फैसला दिये जाने का संबंध है, वह अन्तिम था और दोनों सरकारों को इसे क्रियान्वित करना था। लेकिन क्या हम वर्तमान विधेयक के उपबंधों में इसे देखते है। नहीं, इसलिए जो हमारे मित्रों में से एक मित्र श्री धर्मपाल ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अब तक कई समितियों और आयोगों को

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

नियुक्त किया गया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उनके द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था या वे पड़े सड़ रहे हैं। अगर मेरी संका गलत नहीं है जो इस आयोग को इस अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है उसका भी यही हाल होगा। इस प्रतिवेदन को तीन महीने में पूरा किया जाये 6 महीनों में नहीं पूरा किया जाना चाहिए। यह 'होगा' होना चाहिए उसे पूरी तरह लागू करने के लिए भारत सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। हम कहते हैं कि इसे भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

दूसरा सुझाव सारे देश में रेलव सुरक्षा बल को अपनी रेलवे लाइनों और रेल सम्पति की सुरक्षा करने [illegible] में एक सुझाव देता हूं कि अगर इस नहर को चलाना है तो सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर की सुरक्षा के लिए कार्य बल का गठन किया जाना चाहिए अगर उन्होंने इस नहर को चलाना है और यदि वे वास्तव में रूचि रखते हैं और यदि पंजाब सरकार इस कार्य में रूचि रखती है। इसका कारण यह है कि क्योंकि पंजाब के लोग नहर के निर्माण के बारे में गम्भीर नहीं और हरियाणा को पानी उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक नहीं है इसलिए वे शरारतें कर रहे हैं। क्या पिछड़े वर्ष भाग भाखड़ा नहर को दो बार नहीं काट दिया गया था। पीने का पानी नहीं मिलने पर सिरसा व हिसार के लोगों द्वारा भारी शोर मचाया गया था।

सतलुज यमुना सम्पर्क नहर सुरक्षा बल को इस नहर के पूरा हो जाने के बाद यह देखना है कि नहर की रखरखाव उचित प्रकार से हो। राव बीरेन्द सिंह ने विस्तार से बोला है लेकिन पुनरावृति के डर से मैं एक बात कहूंगा। 31 दिस्म्बर, 1981 को जो समझोता हुआ था, उस पर पंजाब के मुख्य मंत्री श्री दरबारा सिंह हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री भजन लाल और राजस्थान के मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। राव बीरेन्द्र सिंह ने इसके प्रति हस्ताक्षरित किया था जो तत्कालीन केन्द्रीय सिंचाई मंत्री थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे सत्यापित किया था। अब वह [illegible] बात कह रहे हैं। वह स्वयं ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 के अधीन अपने आचार-व्यवहार द्वारा रोके गये हैं। एक सरकार जाती है दूसरी आती है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज पंजाब में अकाली है कल हम आ सकते हैं। जनता पार्टी 1977 के मध्य कांग्रेस के स्थान पर आई और 1980 में हमफिर सत्ता में आ गये कांग्रेस फिर सत्ता में आई। सरकार आती जाती है। मुख्य मंत्री आते हैं जाते हैं जो निर्णय लिये जाते है उनकी कुछ मान्यता होती है। जब तक इन निर्णयों को ध्यान में रखना है वह निर्णय यहां हमारा मार्गदर्शन करते हैं।

बरनाला जी ने अभी पंजाब की सभा में कहा था कि उनके पास पानी नहीं है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि वह हमें पानी देने में उदार होगें। सारांश में भारत सरकार को सतलुज यमुना सम्पर्क नहर को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरा, न्यायधिकरण में अपने प्रतिवेदन

को तीन महीने के अन्दर पूरा कर लेना चाहिए। तीसरा यह एक सिफारिश के रूप में नहीं होना चाहिए। यह बन्धनकारी से होना चाहिए जैसा कि पहले विधेयक में प्रावधान था केवल तभी पंजाब को चाहिए फाजिलका औम अबोहर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के स्थान पर चंडीगढ़ उन्हें हस्तांतरित किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

3.00 म० प०

श्री पी० कुलनवेईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : यह विधेयक एक न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए जिसका नाम रावी-व्यास जल न्यायाधिकरण है, माननीय मन्त्री महोदय द्वारा धारा 14 को शामिल करके प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायाधिकरण का गठन न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में दिया गया था। सर्वप्रथम मैं विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह विधेयक यहां माननीय मन्त्री महोदय द्वारा हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के मध्य विवाद को हल करने के लिए हमारे माननीय प्रधान मन्त्री की सदभावना एवं नेकनियति के प्रतीक स्वरूप पेश किया गया है।

हमारे जैसे देश में जिसमें नदियां विभिन्न दिशाओं, दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम में बहती हैं वहां नदियों के जल में हिस्सेदार राज्यों के मध्य असंतोष की सभी सम्भावनाएं रहती हैं। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि एवं अन्य उद्देश्यों के लिए पानी का बेहतर उपयोग किस प्रकार हो सकता है, एक न्यायाधिकरण की स्थापना करनी पड़ती है।

जैसे ही हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने कार्यभार सम्भाला, उन्होंने पंजाब के सभी नेताओं से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की और जैसे कि आसाम के मामले में हुआ उन्होंने एक समझौता करा दिया। मेरे विचार में यह पंजाब का 'मैगनाकार्टा' है। परन्तु समझौते के बाद भी पंजाब में उग्रवाद दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमें कठोर कार्यवाही द्वारा इस उग्रवाद को समाप्त करना होगा।

पानी के उपयोग के सम्बन्ध में न्यायाधिकरणों का गठन किया जा रहा है। विवाद न्यायाधिकरण के पास आता है। न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने के पश्चात्, हम निर्णय को किस प्रकार क्रियान्वित करने जा रहे हैं ? इस बात को सुनिश्चित करना है। मैं तमिलनाडु में सिंचाई मंत्री था और मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इन न्यायाधिकरणों की कार्य प्रणालियों के बारे में जानता हूं। विषय पर कार्यकारी अधिकारों के बिना न्यायाधिकरणों का क्या फायदा है ? जैसे ही निर्णय किया जाता है, किस अधिकार के अन्तर्गत और किसके द्वारा हम निर्णय को क्रियान्वित करने जा रहे हैं ? यहां यह प्रावधान नहीं है। यहां तक कि संविधान में भी, जहां तक नदी जल का सम्बन्ध है, यह कुछ स्पष्ट है। संविधान के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय जल परियोजना

[चिरंजी लाल शर्मा]

विषय को सातवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जल स्रोतों का उपयोग राज्य विषय है और यहां समस्या उत्पन्न होती है।

अत: मैं माननीय मन्त्री महोदय और विधि मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अन्तर्राज्यीय जल को राष्ट्रीय सम्पति बनाने के लिए सविधान में अनुकूल संशोधन किया जाए। केवल तब ही जल समस्या सुलझाई जा सकेगी। भारत के पास 16450 लाख क्यूबिक मीटर जल के व्यापक भण्डार हैं, जिसमें से केवल 10% कृषि एवं अन्य उद्देश्यों के लिऐ उपयोग में लाया जा रहा है। 80 से अधिक बहुउद्देशीय नदी परियोजनायें भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। जब कभी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जल विवाद पैदा होता है, चाहे वह राज्य केरल हो या कर्नाटक या कोई दूसरा राज्य हो, ये राज्य कहते हैं कि दूसरे राज्य को देने के लिए उनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं है। वे यह बात कहते हैं जबकि वास्तव में हम देखते हैं कि पानी व्यर्थ में समुद्र में जा रहा है। जो पानी व्यर्थ में जा रहा है उसे भारत में अधिक हेक्टेयर भूमि की सिचाई के लिए बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है केवल तब ही हम आत्मनिर्भर होंगे। यहां तक कि 2000 ई० तक हमारी जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। अत: नदी जल और उन सभी बातों के बेहतर उपयोग के लिए हमें शीघ्र कदम उठाने पड़ेंगे। यहां तक कि कावेरी जल विवाद के सम्बन्ध में भी हमारे माननीय मन्त्री श्री शंकरानन्द जो कर्नाटक से हैं, इस बारे में जानते हैं। यह 1974 से विचाराधीन है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक समझौता हो गया था। समझौते पर हस्ताक्षर 1924 में 50 वर्ष की अवधि के लिए हुए थे। यह अवधि 1974 में स्वत: ही समाप्त हो गई थी। परन्तु दुर्भाग्यवश उस समय श्री करुणानिधि मुख्य मंत्री पद पर थे और उन्हें इस विवाद को सुलझाना चाहिए था। परन्तु उन्होंने इसे नहीं निपटाया। उन्हें इस विवाद को निपटाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए था। फिर उस समय श्रीमती गांधी प्रधान मन्त्री थीं। परन्तु उन्होंने भी इसे नहीं निपटाया। अत: हम वास्तव में इस भार को अपने कंधो पर ढो रहे हैं।

कावेरी जल विवाद के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय से सभी तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की त्रिपक्षीय वार्ता के लिए पहल करने और इस विवाद को शीघ्र निपटाने के लिए निवेदन करता हूं। हमारे मेट्टूर बांध में 90 डी०एम०सी० पानी भरा जा सकता है। परन्तु अब यह सूखा पड़ा है। हमें वहां पानी नजर नहीं आता है। हम केवल बांध का ढांचा ही देख सकते हैं और कुछ नहीं। यह बहुत नाजुक समस्या है। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है यह एक गम्भीर समस्या है।

दूसरी परियोजना तेलुगू-गंगा हैं जो मद्रास शहर को केवल पीने का पानी पहुंचाने के लिए है। यह केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। मन्त्री महोदय को इस मामले पर शीघ्र विचार करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मद्रास शहर के लोगों को पानी दिया जा रहा है। पीने के पानी को प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। मेरे विचार में इस परियोजना की शीघ्र स्वीकृति के लिए हमारे माननीय मन्त्री महोदय के प्रभाव का प्रयोग किया जा सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता था।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस समय इस विषय पर राज्य सभा में बहस हो रही थी तो उन्होंने उठकर सबसे पहले यह कहा कि इन नदियों का पानी किसी एक राज्य का पानी नहीं है, वह सारे देश की सम्पदा है और उस सम्पदा को हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे रूप में किस तरह से काम में ले सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने वहां बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कही जिससे आगे आने वाले समय में हमारे कई विवाद सुलझाये जा सकते हैं। जैसा यहां सदन में कई हमारे साथियों की ओर से विभिन्न राज्यों में नदियों के विवादों की चर्चा की गई, आज तक उनमें जिस तरह से रुकावटें पैदा होती रहीं, अब वे सभी विवाद हल हो जाएंगे।

जहां तक रावी और व्यास के लिए एक ट्रिब्यूनल के गठन का सम्बन्ध है, मैंने इस विषय पर एक अमैंडमैंट भी दी है और उसमें एक छोटी-सी मुश्किल है। उसके ऊपर प्रकाश डालने से पहले मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सन् 1920 में बीकानेर एक स्टेट थी, जिसके महाराजा गंगा सिंह जी हुआ करते थे। उन्होंने ब्रिटिश हकूमत और तत्कालीन नवाब बहावल पुर के साथ एक समझौता किया। पहले रावी और व्यास का जो बेसिन एरिया था, जिस क्षेत्र में इन नदियों का पानी आता था, बाद में बहाव बदल जाने के कारण अब वह पानी वहां नहीं आता था। अत: 1920 में हुए उस समझौते के अनुसार 1927 में रावी और व्यास के पानी को बीकानेर स्टेट में लाया गया। उस समय भी बीकानेर की भूमि सूखी थी, मरुभूमि थी और बरसों से प्यासी थी। राजस्थान का दो-तिहाई से ज्यादा भू-भाग ऐसा था, जो पीने के पानी के लिए तरसता था, और वहां के राजा ने इसी आशा से वह समझौता किया था कि आगे आने वाले समय में वहां खेती हो सके और पीने के पानी का संकट

[श्री विष्णु मोदी]

भी हल हो सके। उसके बाद समय ने करवट बदली, हमारा देश आजाद हुआ और 1947 में वहां के सारे राजे-रजवाड़ों ने मिलकर राजस्थान राज्य की स्थापना की। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने 1955 में पंजाब और पेप्सू सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया। और उसी एग्रीमेंट के अन्दर, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त जितना पानी पंजाब और पैप्सू को जरूरत था उतने पानी को एकाउन्ट फार करने के बाद 8 मिलीयन एकड़ फिट पानी, जो कि फालतू पानी उस वक्त था, जो 15 मिलियन एकड़ फिट जो रावी-व्यास का टोटल फलों उस वक्त था उसमें से 52 प्रसेंट 631 शेयर राजस्थान को दिया गया। उस वक्त वह पानी अधिक मात्रा में था, उसकी आवश्यकता न पंजाब को थी और न पेप्सू को, लेकिन क्योंकि वह पानी पाकिस्तान की ओर बहकर जाता था, पाकिस्तान की सरकार यह कहती थी कि इस पानी पर हमारा हक है। और हिन्दुस्तान की सरकार यह कहती थी कि इस पर हमारा हक है। पं० जवाहर लाल नेहरू के इनीसियेशन पर, जैसा कि श्री वृद्धि चन्द्र जी जैन ने पत्र का हवाला दिया है कि एरिड जोन के ऊपर बेसिन स्टेट थ्योरी को मानते हुए कि यह रावी-व्यास किसी जमाने में उधर से बहा करती थी, अब इसका बहाव बदलने के कारण यह रेगिस्तानी इलाका हो गया है, उसको बेसिन की थ्योरी मानते हुए,एरिड जोन की बात मानते हुए 1960 के अन्दर एक इंडस्ट्रीटी हुई और वह इसीलिए हो सकी कि उसमें राजस्थान के 15 हजार स्क्वेयर किलो मीटर से ज्यादा एरिया को पानी की आवश्यकता थी। अगर उस वक्त खाली पैप्सू और पंजाब की बात होती तो वह पानी हम हिन्दुस्तान में नहीं लेकर आ सकते थे। क्योंकि उतने पानी की उस वक्त पैप्सू और पंजाब की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन चूंकि उसकी आवश्यकता उस एरिड जोन को थी। उस रेगिस्तानी भूमि को सर-सब्ज करने के लिए जरूरत थी तब जाकर इन्डस्ट्रीटी फाईन हो सकी। उसके बाद 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हो गए।

पंजाब और हरियाणा अलग हुए, जिस रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कही गई है, मैं उस सन्दर्भ में इतना कहना चाहता हूं कि रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 79 के अन्दर लिखा है— मैं उद्धृत करता हूं।

[अनुवाद]

"रीपड़, हीरेक तथा फिरोजपुर के सिंचाई हैडवर्क्स भांखड़ा-व्यास प्रबन्ध मण्डल को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे।"

[हिन्दी]

इसके बाद में न तो वह पंजाब सरकार ने हैड-वर्क्स ट्रांसफर किये और न ही उन्होंने उस

पानी को जो आपस में दोनों को एडजुडिकेट करना था, जो रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट के अन्दर दो साल में करना था, वह नहीं कर सके और यह मामला केन्द्रीय सरकार के पास आ गया और 24 मार्च, 1976 को नोटिफिकेशन के जरिये उस पानी को पंजाब और हरियाणा को दिया गया। लेकिन हरियाणा और पंजाब की सरकार दोनों सुप्रीम कोर्ट में चली गई, दोनो की आपस में रिट-फाईल हो गई। यह तो सुप्रीम कोर्ट का रिकार्ड बता सकता है कि दोनों सरकारें एडजार्नमैंट सीट करती रहीं। उस फैसले को न करवाने के लिए, क्योंकि वह चाहते थे कि बाहर सैटिलमैंट हो जाये। इस तरह से एडजार्नमैंट होता रहा और सुप्रीम कोर्ट में तारीखें लगती रहीं। आखिर वह दिन आया 31 दिसम्बर, 1981 का जिस वक्त श्रीमती इन्दिरा गांधी के सामने तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने बैठकर फैसला किया और 1976 के नोटिफिकेशन से जो पंजाब को 3 मिलियन एकड़ फिट पानी मिलता था उसकी मात्रा 4.2 मिलियन एकड़ फिट बढ़ गई। राजस्थान को जो 8 मिलियन एकड़ फिट पानी मिलता था, वह 8.6 मिलियन एकड़ फिट हुआ। यह तो हमारी व्यक्तिश: मानना है कि 1955 के एग्रीमेंट के तहत 52.63 हमारा शेयर था और उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि इन नदियों का जिस तरह से पानी बढ़ेगा, अगर फ्लो बढ़ेगा तो उसी प्रपोर्शनेटली राज्यों का शेयर हो जाएगा और अगर इन नदियों का फ्लो घटेगा तो उसी रेशियों में पानी का शेयर घट जाएगा। लेकिन उस वक्त हमारी मानना यह है कि राजस्थान को .6 से ज्यादा पानी मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी राजस्थान ने लार्जर इन्टरेस्ट और नेशनल इन्टरेस्ट को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने इस फैसले पर दस्तखत किए और सरदार दरबारा सिंह व श्री भजनलाल जी ने भी दस्तखत किए। इसके साथ ही उस एग्रिमैंट में यह भी कहा गया कि राजस्थान का इन्फास्ट्रक्चर नहीं है तो यह .6 पानी जब तक राजस्थान का इन्फास्ट्रक्चर डैवलप नहीं होता, उस पानी को पंजाब काम में ले सकता है।

पंजाब में वह निर्वाचित सरकार, जिसने इस फैसले पर दस्तखत किए, लेकिन उस वक्त अकाली दल जो कि आज सरकार में बैठा हुआ है, इस बात को एजीटेट करने लगा। हमें इस बात को देखना होगा कि शुरू से लेकर अन्त तक उनका क्या स्टैंड रहा है, उन्होंने किस तरह बिहेव किया है। उन्होंने इसे इश्यू बनाकर, जो कि इश्यू नहीं था, एजीटेशन किया। जो 3.5 से 4.22 और 0.6 मिलियन एकड़ फिट पानी मिलने वाला था उस पर भी उन्होंने संतोष व्यक्त नहीं किया।

इसके बाद जिस तरह से देश ने करवट ली, जिस तरह पंजाब में स्थिति बनी, जिस तरह से हिंसा का वातावरण बना, और यहां तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या भी हुई, इस देश के प्रजातन्त्र में इतने बड़े हादसे हुए, इसके बाद हमारे प्रधान मंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला किया और श्री लोंगोवाल के साथ 24 जुलाई, 1985 को यह फैसला किया। पंजाब रिकार्ड के रूप में और उसमें क्लाज 9(1) और 9(2) इसी पानी के मामले में डील करती थी।

[श्री विष्णु मोदी]

हमारे लिए मुश्किल इतनी है कि अब 9 (1) को पढ़ते हैं तो उसमें 1785 को जो राज्य पानी ले रहा था, उसको डिटरमिन करना है। समझ में नहीं आता कि 1785 को जो हैंडवर्क्स पंजाब के पास है, जो हैंडवर्क्स पंजाब को 1966 में वी०वी०एम० को दे देने चाहिये थे वह नहीं दिये, फिर 1785 को इसका एक्चुअल एडजुडिकेसन कैसे हो पाएगा।

सवाल इस बात का है कि 1981 के अन्दर जब पंजाब की सरकार ने फैसला कर दिया तो फिर वही अकाली दल इसको एजीटेट करता रहा है तो किस तरह से उनके एकार्ड से यह एडजुडिकेट हो पायेगा। 9.2 के अन्तर्गत तक खाली पंजाब और हरियाणा का शेयर एडजुडिकेट होगा। हमारी राजस्थान की साढ़े 3.5 करोड़ जनता इस बात के लिए उत्तेजित है कि 9(1) में जो राजस्थान का नाम लिया है उससे जो पानी हमें मिलता था, जिसके लिए हमने अपने पेट की रोटी काटकर, हमने अपने विकास के रास्ते बन्द कर प्रयत्न किया कि उससे हमारे पश्चिमी राजस्थान का लम्बा-चौड़ा भू-भाग सरसब्ज होगा, वह पानी हमें नहीं मिल पाएगा।

मैं आपका ध्यान पंजाब एजीटेशन पर जो व्हाईट पेपर केन्द्रीय सरकार ने जारी किया उसके क्लाज 16 पर ले जाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

जनवरी-फरवरी, 1983 में नई दिल्ली में हुई त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान अकाली दल के प्रतिनिधियों ने अपने इस विचार पर बल दिया कि विभाजनपूर्व पंजाब और राजस्थान के मध्य 1955 के समझौते के अन्तर्गत जल निर्धारण के मामले पर इस आधार पर पुनः चर्चा की जानी चाहिए कि राजस्थान जितने पानी का हकदार था उससे अधिक पानी दिया गया है।

[हिन्दी]

एक तरफ उनका स्टैंड, जब ट्राइपार्टी मीटिंग थी, तब वह 1955 के एग्रिमैंट की बात करते हैं और उसके बाद जब लोंगोवाल और राजीव गांधी एग्रीमेंट हुआ तो इस संडे मैगजीन में लिखा है। श्री लोगोवाल से जब एक इन्टरव्यू हुआ तो उनसे एक क्वैश्चन पूछा गया, मैं उसे कोट करता हूं :

[अनुवाद]

प्रश्न : नदी जल मामले के सन्दर्भ में क्या आप सोचते हैं कि हरियाणा और राजस्थान को उचित मात्रा मिलेगी ?

उत्तर : देश के कानून के मुताबिक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो हरियाणा तथा राजस्थान को इस पानी पर अधिकार प्रदान करे। पंजाब ही इस पानी का कुदरती हकदार है। फिर भी हम अपने हिस्से में से जितना अधिक हो सकेगा देने को तैयार हैं और तारीख निर्धारण द्वारा इसका निपटारा हो चुका है।"

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो बात संत लोगोवाल जी ने अपने इन्टरव्यू में कहीं, जो व्हाईट पेपर भारत सरकार से जारी किया और जिस तरह से 1981 के एग्रीमेंट को अकाली दल ने नहीं माना तो क्या 9.1 के अन्तर्गत 1985 को जो पानी जिस-जिस स्टेट को मिल रहा था, क्या उसको आप एडजुडिकेट करने वाले हैं। जिस तरह से "टाइम्स ऑफ इन्डिया" के एडीटोरियल में भी लिखा हुआ है।

[अनुवाद]

मुख्य बात यह कि उस अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत तालिका पुन: तैयार की जायेगी जिसमें केवल एक अन्तर्राज्यीय नदी या एक नदी घाटी के पानी का उल्लेख है और परिणामस्वरूप उस राज्य के पानी में हिस्से के दावे को नकारता है जो तटवर्ती नहीं है।

[हिन्दी]

इसके बाद राज्य सभा में जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा उसके ऊपर पंजाब सरकार ने जो बात कही :

[अनुवाद]

पंजाब द्वारा पानी के बारे में की गई टिप्पणी पर आपत्ति।

[हिन्दी]

वह कहती है कि उनका कोई हक नहीं है और पंजाब के जो राइट्स हैं वह यहां खत्म नहीं होते हैं।

इसी प्रकार राजस्थान की विधान सभा के उस प्रस्ताव की ओर भी मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसको कि राजस्थान की पूरी विधान सभा ने सर्व सम्मत होकर यह कहा है कि रावी और व्यास नदियों के जल के बंटवारे और उनसे संबंधित हुये समझौतों पर पंजाब में अकाली दल की इस मांग से कि की इनकी जांच न्यायिक स्तर पर कराई जाये, राजस्थान की जनता में घोर असंतोष व रोष है।

[श्री विष्णु मोदी]

रावी और व्यास नदियों के पानी को पूर्णतया भारत में ही उपयोग करने हेतु माह जनवरी 1955 में एक समझौता तत्कालीन पंजाब, पेप्सू तथा राजस्थान व जम्मू-कश्मीर के बीच में हुआ था। इस समझौते के अनुसार इन दो नदियों के आधिक्य 158.5 लाख एकड़ फीट जल में से पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान तथा पेप्सू का हिस्सा क्रमशः 59,6.5,80 व 13 लाख एकड़ फीट है। जम्मू-कश्मीर के 6.5 लाख एकड़ फीट जल को निकालने के बाद रावी-व्यास नदियों में बचे आधिक्य पानी में 52.6 प्रतिशत पानी राजस्थान का है।

सिन्धु घाटी की नदियों के पानी के बंटवारे के लिये सन् 1960 में पाकिस्तान से हुई संधि से भारत ने तीन पूर्वी नदियों के सम्पूर्ण पानी के उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को लगभग 110 करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के रूप में देकर हासिल किया है। इस संधि के सन्दर्भ में पहले कई वर्षों तक चले विचार विमर्श में भारत के जल की दर्शाई गयी आवश्यकताओं में राजस्थान प्रदेश के मरुक्षेत्र की आवश्यकतायें प्रमुख थीं और उसके फलस्वरूप ही हमें तीनों पूर्वी नदियों का सम्पूर्ण जल प्राप्त हो सका है।

माह जनवरी, 1955 में हुए समझौते के अनुसार रावी-व्यास नदियों के 52.6 प्रतिशत आधिक्य जल को उपयोग में लाने हेतु राजस्थान जैसे अविकसित प्रदेश ने सैकड़ों करोड़ रुपये सिन्धु घाटी के मरुक्षेत्र में खर्च कर दिए हैं, इस योजना के क्रियान्वयन तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर आज तक शासकीय स्तर पर लगभग 600 करोड़ रुपये तथा जनता के द्वारा 2000 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और राजस्थान नहर योजना का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है।

राजस्थान प्रदेश के लाखों लोग राजस्थान नहर के पानी की ओर आशा लगाए बैठे हैं। इस मरुक्षेत्र में जो प्रति वर्ष अकाल की चपेट में आता है, राजस्थान नहर का जल ही एक सहारा है। इस क्षेत्र में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। रावी-व्यास के जल द्वारा हजारों गांवों को पीने के पानी की समस्या हल होगी।

रावी-व्यास नदियों में उपलब्ध आधिक्य पानी में राजस्थान के 52.6 प्रतिशत हिस्से को आज तक पंजाब की किसी भी सरकार ने, चाहे वह अकाली दल की रही हो, कभी न तो अस्वीकार किया था और न कभी चुनौती दी थी। यह बड़े खेद की बात है कि 28 वर्ष के लम्बे समय के बाद अब इस समझौते पर आपत्ति उठाई जाकर यह मांग की जा रही है कि राजस्थान का हिस्सा कम किया जाए। राजस्थान को मिले हुए पानी के हिस्से में तथा इस सन्दर्भ में प्राप्त अधिकारों में किसी प्रकार की कमी होने से राजस्थान राज्य को अकथनीय व अपूरणीय हानि होगी जिसे राज्य की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी।

जनता की आकांक्षाओं, राज्य के हितों, पिछड़े क्षेत्रों के विकास की आवश्यकताओं का महत्त्व तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए समझौतों की पवित्रता को दृष्टिगत रखकर, राज्य विधान सभा, एकमत से अकाली दल की इस अनुचित मांग की भर्त्सना करता है। राजस्थान विधान सभा का यह सदन पुरजोर शब्दों में केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता है कि रावी-व्यास नदियों के पानी के आवंटन से राजस्थान को मिलने वाले 52.6 प्रतिशत हिस्से व अन्य हितों के विरुद्ध किसी भी मांग पर किन्हीं दबावों आन्दोलनों व अन्य परिस्थितियों में भी विचार नहीं किया जाए।

राजस्थान विधान सभा को दुःख है कि राजस्थान को अपने ही हिस्से का सम्पूर्ण पानी समय पर नहीं मिलता है। पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अनुसार नहरों के मुख्य हैंडवर्क्स का कन्ट्रोल पंजाब से भाखड़ा व्यास नियंत्रण मंडल को स्थानान्तरित करना था जो आज तक नहीं हुआ है। इन मुख्य हैंडवर्क्स का कंट्रोल पंजाब में होने से पंजाब रावी-व्यास में उपलब्ध पानी को अपने राज्य की आवश्यकताओं को पूरा कर शेष जल राजस्थान को देता है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि मुख्य हैंडवर्क्स का कंट्रोल किसी स्वतन्त्र संस्था के नियंत्रण में हो। विधान सभा का यह सदन पुरजोर शब्दों में केन्द्र सरकार से निवेदन करता है कि अतिशीघ्र रोपड़, हरिके, फिरोजपुर, माधोपुर व अन्य आवश्यक हैंडवर्क्स का कंट्रोल भाखड़ा व्यास नियंत्रण मंडल के अधीन किया जाए।

राजस्थान और पंजाब के लम्बे समय से चले आ रहे मैत्रिक संबंध और एक अच्छे पड़ोसी के नाते, राजस्थान विधान सभा, अकाली दल से निवेदन करती है कि वे कृपया राजस्थान के रावी-व्यास के आधिक्य जल में स्थापित अधिकार को चुनौती न दें और अपने संकीर्ण दायरे को छोड़, देश के उत्तरीय सम्भाग के सर्वांगीण विकास हेतु किए गये समझौतों का आदर करें।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान रिपोर्ट आफ दी इरीगेशन कमीशन की ओर भी दिलाना चाहूंगा। श्री ए० पी० जैन ने अपनी इस रिपोर्ट में इन्टर स्टेट रिवर डिसप्यूटस के बारे में कहा है:

[अनुवाद]

एक अन्तर्राज्यीय नदी वह है जो एक राज्य से अधिक राज्यों में से होकर गुजरती है या जो दो या दो से अधिक राज्यों की सीमा निर्धारित करती है। अंतर्राज्यीय नदियों के पानी के उपयोग या साझेदारी से सम्बन्धित प्रश्नों में उस नदी घाटी या नदी बासा को ध्यान में रखना होगा जिसमें मुख्य नदी और इसकी सभी सहायक नदियां आती हैं और जिसमें प्रमुख नदी एवं इसकी सहायक नदियों का आवाह क्षेत्र शामिल है।

[श्री विष्णु मोदी]

भारत में प्रमुख अन्तर्राज्यीय नदियां : इस देश की प्रमुख नदियां लगभग सभी अन्तर्राज्यीय नदियां हैं। उत्तर-पश्चिम में सिन्धु नदी की छाटी है, जिसमें भारत तथा पाकिस्तान के क्षेत्र शामिल हैं। भारत में यह कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र, हरियाणा और राजस्थान को शामिल करती हैं।

[हिन्दी]

मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान से साढ़े तीन करोड़ लोगों ने, अपने विकास का रास्ता अवरुद्ध करके, इस भू-भाग को सरसब्ज करने की कोशिश की है। पश्चिमी राजस्थान पाकिस्तान की सीमा से लगता है। यदि आज आप हिन्दुस्तान का नक्शा उठाकर देखें तो जहां-जहां इसकी सीमाएं दूसरे देशों से लगी हुई हैं वहां फिरकापरस्त ताकतों ने इस देश को तोड़ने की साजिश की हैं, इस देश में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की है। इसलिए यह राजस्थान का हिस्सा, सन् 1927 से जो पानी उनको मिल रहा है उसमें यदि किसी तरह की कमी की गई तो राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहूंगा जब मन्त्री जी जवाब दें, उन्होंने राज्य सभा में भी कहा है लेकिन आप इसके टर्म्स आफ रेफेंन्स को देखें उसमें मैंने इसी सन्दर्भ में अमेन्डमेंट दिया है जो इस प्रकार है :

[अनुवाद]

अनुच्छेद 2, उपअनुच्छेद (3) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दीजिए :

"इस स्पष्ट निदेश के साथ कि 1955/दिसम्बर, 1981 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान को आवंटित किए गए हिस्से पर, जो कि 8.60 एम०ए०एफ० है, किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और न्यायाधिकरण के न्याय निर्णयाधीन नहीं होगा और यदि रावी-व्यास जल की पूर्ति में कोई वृद्धि होती है तो राजस्थान का हिस्सा भी कुल पूर्ति के अनुपात में बढ़ाया जाएगा।"

[हिन्दी]

इतनी बात और कहना चाहूंगा कि सन् 1955 का जो एग्रीमेंट है, 1981 का जो एग्रीमेंट है वह इस लोक सभा, इस आगस्ट हाउस से बाहर का है और मन्त्री जी इस एकार्ड को स्टेट्यूटरी बुक्स में लेकर आ रहे हैं इसलिए सन् 1955 और सन् 1981 के जो एग्रीमेंट हैं वह भी स्टैट्यटरी बुक्स में लाने के लिए ट्रिब्यूनल के टर्म्स आफ रेफेन्स में रखे जाने चाहिए। जहां तक अमेन्डमेन्ट का सवाल है, श्री चिरन्जी लाल शर्मा जी ने भी कहा है कि आपके इंटर स्टेट वाटर डिसप्यूट, 1956 का क्लाज (6) कहता है।

[अनुवाद]

"केन्द्र सरकार न्यायाधिकरण के निर्णय को शास्कीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और निर्णय अपरिवर्तनीय और विवाद में उलझे पक्षों पर बाध्यकारी होगा और उनके द्वारा लागू किया जाएगा।"

[हिन्दी]

यह जो इन्होंने कहा है, अगर आपका ट्रिब्यूनल भी बन जाए और एवार्ड भी हो जाएगा लेकिन आप चूंकि इस एक्ट को अमेन्ड कर रहे हैं इसलिए पहले वाला ऐक्ट ही रखते तो आपके पास एथारटी रहती और आप उसको बाइंडिंग कर सकते थे। लेकिन मैं आज भी आगाह करना चाहता हूं कि कोई भी फैसला होगा अगर इतिहास से आप कुछ सीखना चाहते हैं तो अकाली दल ने शुरू से लेकर आज तक किसी बात को नहीं माना है। वरनाला जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं लेकिन अकाली दल धड़ों में बंटा हुआ है और कल कोई तीसरा धड़ तीसरी मांग कर देगा और कह देगा कि वह इसको नहीं मानता इसलिए आप जो भी कुछ करना चाहें वह करके इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दें। आप अपने जवाब में कैटेगारिकली इस बात को बतायें कि राजस्थान का जो शेयर है उसपर इसके ऐक्शन 9(1) के यूसेज से किसी तरह का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ?

———

3.29 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 25 मार्च, 1986 को सभा में पेश किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 25 मार्च, 1986 को सभा में पेश किए गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

3.30 म० प०

चुनाव-सुधारों संबंधी संकल्प (—जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री डी०एन० रेड्डी द्वारा 28 फरवरी, 1986 को रखे गये

[उपाध्यक्ष महोदय]

निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :

"इस सभा की राय है कि चुनाव सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि लोक जीवन को परिमार्जित किया जा सके तथा स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें, जो इस समय शक्ति, धन, जाति, धर्म तथा अन्य प्रकार की भ्रष्ट प्रथाओं के भ्रष्ट तथा अस्वस्थ प्रभाव से दूषित हो गये हैं और सरकार से सिफारिश करती है कि वह सभी राजनैतिक दलों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श आरम्भ करे ताकि चुनाव सुधारों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए मतैक्य हो सके और जनता की सामान्य भावना सच्चे लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिबिम्बित हो सके।"

मैं डा० राज मंगल पांडे को अपना भाषण जारी रखने को कहने से पहले, मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस विषय के लिये सिर्फ चार मिनट बचे हैं। कई सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। क्या हम इस चर्चा के लिए समय बढ़ा सकते हैं।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, इस चर्चा के लिए समय बढ़ाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम समय बढ़ा सकते हैं ? क्या सभा सहमत है ?

एक माननीय सदस्य : समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम दो घंटे का समय बढ़ा सकते हैं ? क्या सभा सहमत है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : समय दो घंटे बढ़ाया जाता है। श्री राज मंगल पांडे अपना भाषण जारी रखें।

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं सभा को यह बता रहा था कि हमारे देश के कई भागों में कैसे हिंसा फैली है और वह दिन दूर नहीं है जब सारा देश पूर्णतया हिंसा की चपेट में न आ जाएगा और लोकतन्त्र खतम हो जाएगा। अगर हम इस हिंसा को यहीं और अभी नहीं रोकते तो हमारे लोकतन्त्र का असली अस्तित्व ही मिट जाएगा। हमने बहुत ज्यादा बलिदान के बाद आजादी पायी है। उतना बलिदान किसी और देश ने नहीं दिया है, क्या यह वास्तविकता नहीं है कि हमारी आजादी के साथ दूसरे कई देश भी आजाद हुए थे, लेकिन एक-एक करके उन्होंने इसे खो दिया क्योंकि उनकी चुनावी कार्य प्रणाली और न्याय प्रणाली असफल हो गई क्योंकि यह किसी न किसी तरह कमजोर पड़ गई थी। उन देशों की शक्तियों ने इनका इस ढंग से संचालन किया कि चुनाव प्रणाली तथा न्यायिक व्यवस्था से लोगों का पूर्णतया विश्वास ही उठ गया। यह सब हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मैं सभा को उन लोगों की याद दिलाता हूं जो इस सभा में चुनावी भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के बारे में पैगम्बरी ढंग में बोलते हैं लेकिन

सभा के बाहर भिन्न भूमिका निभाते हैं जब वे बाहर जाते हैं तो अपने फायदे के लिए हर स्थिति से लाभ उठाने का कोई भी मौका नहीं दशति, यह दर्शाता है कि बाहर उनकी कैसी भूमिका है, हमारा लोकतन्त्र विकासशील है और यह देखने के लिए कि यह परिपक्व हो। हमें अनेक बलिदान देने पड़ेंगे ताकि यह सभी आघात सह सके। जो विकसित लोकतन्त्रों ने सहे हैं। इस सभा के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि इस सम्बन्ध में एक हों और इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का समाधान ढूंढने में एक दूसरे से सहयोग करें। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने लोकतन्त्र को सफल बनाते हैं और महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा हमारे सामने रखे गए उद्देश्य को प्राप्त करें। जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु पर उनके महान विरोधी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खां ने टिप्पणी करते हुए कहा, "यद्यपि कई अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर हमारे विचार भिन्न थे, लेकिन फिर भी यह एक वास्तविकता है कि जवाहर लाल नेहरू ने भारत की भावी पीढ़ियों को एक सुदृढ़ लोकतंत्र दिया जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते।"

कितना अच्छा योगदान है और कितनी अच्छी उपलब्धि है जिसपर हम गर्व करते रहे हैं और अब हम यह देखकर पीड़ित हैं कि यह हिंसा हमारे सामाजिक और राजनैतिक जीवन में फैल रही है और सारे ढांचे को क्षति पहुंचा रही है। इस हिंसा को कैसे रोकें ? क्योंकि यह हिंसा यहां निर्वाचित होकर आये काफी लोगों के फायदे और लाभ के लिये है। इस प्रकार इसमें उनका स्वार्थ है और उनमें से अधिकांश का हिंसा करवाने में निहित स्वार्थ रहता है इसलिये अगर हिंसा रोकनी है तो यह सिर्फ सरकारी तंत्र से नहीं रोकी जा सकती, इसे लोग तथा लोगों के प्रतिनिधि रोक सकते हैं। हम देख चुके हैं कि फिलीपिन्स में क्या हुआ, चुनावों में कैसे धांधली की गई, कैसे धोखा-धड़ी की गई, कैसे संविधान को तिरस्कार से देखा गया और उसे पूरी तरह अपमानित किया गया जिसके यह योग्य था। लेकिन लोग सम्पूर्ण सैनिक शक्तियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। और उन्होंने सैन्य-टैंकों के आक्रमण के बावजूद भी सरकार बदलने का निश्चय कर लिया। लेकिन उन्होंने सत्ता की समर्थन शक्तियों और सत्ता के सामने समर्पण नहीं किया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लोगों का संकल्प प्रबल रहा और श्रीमती एक्विनो जो अधिकारियों द्वारा पराजित घोषित कर दी गयी थी, निर्वाचित घोषित की गई और अब वह फिलीपीन्स की राष्ट्रपति है। इससे क्या संकेत मिलता है ? अपने प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं, न कि कानून द्वारा। अत: इस महत्त्वपूर्ण विषय पर कभी-कभी बोलने वाले प्रतिनिधियों के रूप में, हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम यह देखें कि जो शरारती तत्व हमारे लोकतन्त्र को नष्ट करने पर तुले हुए हैं उन्हें खत्म किया जाए। यह हम सिर्फ तभी कर सकते हैं। यदि हम लोगों को एक प्रकार की नैतिक शिक्षा दें, उनको यह अनुभव करवायें कि इस लोकतन्त्र का न केवल बने रहना बल्कि उसका एक ऐसे लोकतन्त्र के रूप में फलना-फूलना उनके अपने हित में है जिसमें वे समृद्ध हो, आजाद हों, अपनी भावी पीढ़ियों के बारे में सोच सकें तथा अन्य राष्ट्रों की जमात में अपने देश पर गर्व कर सकें। इस तरह इस प्रकार की शिक्षा हमें अपने बच्चों को होगी और यह जिम्मेवारी सदस्यों की जो जनता के प्रतिनिधि हैं उतनी ही है।

उस दिन मैं बता रहा था कि नौकरशाही चुनावों में कैसे इस प्रकार की रुचि ले रही है।

[श्री राजमंगल पांडे]

इस नौकरशाही को बताना होगा कि उन्हें चुनावों में अपनी टांग नहीं फंसानी है क्योंकि यह उनका काम नहीं है। लेकिन जब नौकरशाही चुनावों में कुछ अनावश्यक रूचि लेती है तब वहां कुछ निहित स्वार्थ होते हैं। मैं यह कहते हुए नहीं हिचकिचाऊंगा कि इस नौकरशाही का सुधार करना पड़ेगा क्योंकि अगर नौकरशाही का सुधार नहीं हुआ तो लोकतन्त्र अवश्य भावी निष्फल हो जाएगा। अत्यधिक ताकतवर सरकार के लिए भी इसका सफलतापूर्वक सुधार करना मुश्किल होगा, लेकिन यह करना है।

अब मैं उन देशों पर आ रहा हूं जिनमें लोकतंत्र था और बाद में उन्होंने उसे खो दिया, और उन्होंने इसे इसलिए नहीं खोया कि लोग नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिये खोया कि लोग अपने अधिकारों के प्रति अज्ञान थे। लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं थे, लोगों को निहित उलझनों का पता नहीं था। अत: जब वहां तानाशाही आयी, तब उनको अपनी मूर्खता का अहसास हुआ। लेकिन तब वे क्या कर सकते थे ? उन्होंने सब कुछ खो दिया था।

इसलिए हमें अपने प्रजातन्त्र को बनाये रखना है। हमें देखना है कि यह अमूल्य स्वतन्त्रता जो हमने इतने अधिक बलिदानों के पश्चात प्राप्त की है उसका न तो किसी के साथ सौदा किया जाए और न ही किसी अन्य देश द्वारा हस्तक्षेप किया जाये। साथ ही साथ न ही इसे किसी और प्रकार से प्रभावित किया जा सके। हमें आत्म-निर्भर होना है और आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होना है। यह आवश्यक है कि हमारी आर्थिक नीतियां हमारी न्याय प्रणाली और वे सब बातें जिनका हम समर्थन करते हैं। संसार में हमारा नाम रोशन करें। हमें संसार को दिखाना चाहिए कि यह देश जिसने महात्मा गांधी और पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नैतिक शिक्षाओं को अपनाया है, उन शिक्षाओं को जिन्हें हमारे पूर्वजों ने काफी अधिक चर्चा और विचारविमर्श के उपरान्त विकसित किया है, नहीं भूला है। हम संविधान के प्रति समर्पित है। हम निदेशक सिद्धान्तों के प्रति कृत संकल्प है और उन लक्ष्यों के प्रति जिन्हें हम इतना अधिक चाहते हैं समर्पित है।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रजातन्त्र को बनाए रखने के लिए हमारी न्यायिक प्रणाली का भी अवलोकन करना पड़ेगा। जब हम उम्मिदवार कुछ ही मतों से चुनाव जीतता है मान लीजिये सौ मतों या कुछ हजार मतों से जीतता है और यदि याचिका प्रस्तुत की जाती है तो उसकी चुनाव याचिका उच्चन्यायालय में कई सालों तक पड़ी रहती है और कभी-कभी अगले चुनाव तक पड़ी रहती है। परिणाम यह होता है कि प्रत्याशी को वह लाभ मिल जाता है जो उसे नहीं मिलना चाहिए था। इस प्रकार न्यायालय की शरण लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति धोकाधड़ी या हेराफेरी से चुनाव जीतता है, यह समझता है कि वह चुनाव जीत गया है और कानून उसे रोकने से असमर्थ रहा है। अत: हमारी न्यायिक प्रणाली और न्यायिक अदालतों को इस प्रकार कार्य करना चाहिये कि चुनाव याचिकाओं पर कम से कम समय में निर्णय हो सके ताकि कोई भी व्यक्ति अपने निहित स्वार्थों के कारण चुनाव प्रक्रिया को इस प्रकार से अवरूद्ध न कर सके कि वह भविष्य में उससे लाभान्वित हो।

मैं कहना चाहूंगा कि इन सभी उपायों परिचय पत्र जारी करने इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों

को लागू करने आदि से कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला है। जब तक कि नैतिक मूल्यों को फिर से जीवित न किया जाये और लोकतन्त्र में आस्था को मजबूत न किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव प्रणाली पर काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं इसलिए मैं सर्वप्रथम रेड्डी साहब को जो प्रस्ताव लाए हैं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने का मौका सदन को दिया। चुनावों को लेकर आज एक गम्भीर समस्या हो गई है क्योंकि इसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। भ्रष्टाचार केवल पैसे का नहीं है, भ्रष्टचार का स्तर बहुत व्यापक हो गया है। अब तक देश में जो भी चुनाव हुए हैं, हमने देखा है, जहां पैसा अपना महत्व दिखा रहा है, वहीं पर देश में जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषावाद आदि भी अपना बहुत महत्वपूर्ण असर डाल रहे हैं, परिणामस्वरूप, निष्पक्ष चुनाव होने में बड़ी कठिनाइयां आ रही है। उत्तर प्रदेश में और देश के और भी कई राज्यों में हमें विभिन्न अवसरों पर चुनाव में भाग लेने का मौका मिला है। अगर देखा जाए तो पिछले तीस-चालीस सालों में जो चुनाव हुए हैं, उनका स्तर गिरता जा रहा है। कई बिहार के साथियों ने कहा कि वे तत्व जिनको जेल में रहना चाहिए था, आज वे कई असेम्बलियों में आ जा रहे हैं क्योंकि उसमें गुण्डागिरी भी चल रही है और धन भी काफी चल रहा है। जहां तक हमारे संविधान का प्रश्न है, हमने अपने संविधान में सैक्यूलरिज्म को अपनाया है, प्रमुख स्थान दिया है लेकिन उस समय देश में ऐसी बहुत सी पार्टियां जन्म ले रही थीं जो जातीयता के आधार पर, सम्प्रदाय के आधार पर क्षेत्रीयता के आधार पर और भाषा के सवाल को लेकर बनती जा रही थीं और वह राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए, खासकर डैमोक्रेसी की मूलभूत बातों के खिलाफ थां। अभी पिछले दिनों जो राष्ट्रीय पार्टी थीं, हमारे जंगा रेड्डी साहब थे, हमे याद है कि उधर बैठने वाले एक लीडर तो जातीयता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री तक बन गए और उन पार्टियों के भुलावे में आकर कभी कभी हमारा जनमानस भी विचलित हो जाता है। वे पार्टियां हमेशा सम्प्रदायवाद की बातें करती थीं और उन्होंने आपस में एका कर लिया। जब जातीयता और साम्प्रदायिक शक्तियां आपस में मिल जायें, तो मान्यवर, आप समझ सकते हैं, तो देश का भविष्य कैसा होगा। उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। उसी का परिणाम यह हुआ, जैसा आपने देखा कि इन थोड़े ही वर्षों में तमाम देश में गवर्नर्स रूल हुए और तमाम देश का जिस तरह से विकास होना चाहिए था, राज्यों का विकास होना चाहिए था, यह सारा काम अवरुद्ध हो गया। देश की जनता को अप्रत्याशित कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं कि जैसा हमारे चुनाव कमीशन ने भी समय-समय पर अपने सुझाव दिए हैं कि हम किस तरह से चुनावों में उत्तरोत्तर अच्छा रास्ता, साफ रास्ता अपनाते जायें, मैं मांग करता हूं कि जब हमारे सामने भ्रष्टाचार का प्रश्न है तो सबसे पहले हमें उससे निपटना होगा। यह बात सही है कि यह कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है और जब तक देश में नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार को कठोर नियम बनाने होंगे ताकि चुनावों में यदि कोई व्यक्ति पैसा देता हुआ, वोटरों को बहकाता हुआ, शराब बांटकर वोट लेता

[राम प्यारे पनिका]

हुआ पाया जाए तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके। वैसे तो आपने चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा बांध दी है, लेकिन आपको देखना होगा कि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है।

आपको कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ खर्च की सीमा बांध देने से ही काम नहीं चलेगा, यह कोई जायज बात नहीं हुई। हमें देखना चाहिए कि चुनावों के समय मित्र और पार्टियां जितना खर्चा करती हैं, वह कितना है। जीतने के बाद हम सब लोगों को वैसे तो एक एफीडेविट देना होता है कि चुनादों में हमने खर्च की सीमा से ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन क्या कोई अपने हृदय पर हाथ रखकर वह कह सकता है कि उसने सीमा को नहीं तोड़ा और उतना ही पैसा खर्च किया। जब यह स्थिति है तो सरकार को आगे आना पड़ेगा और चुनावों में पार्टियों की भूमिका के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमें निश्चित करना पड़ेगा कि केवल उन्हीं पार्टियों को मान्यता प्रदान की जाएगी जो पार्टियां हमारे संविधान की मूलभूत भावनाओं के अनुकूल कार्य करने वाली हों, जो सैक्यूलरिज्म में विश्वास करने वाली हों, धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांत को मानने याली हों। धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्रवाद की बातें करके चुनाव लड़ने वाली पार्टियों पर आज प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। इससे देश विघटन की ओर जाता है। हमें इसके लिग कानूनों में व्यवस्था करनी पड़ेगी और यह बहुत जरूरी है। सिर्फ नाम के लिए ही ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहार में भी वैसा हो, हमें इसकी व्यवस्था करनी होगी। यदि कोई पार्टी गलत प्रचार करते हुए पाई जाए तो निश्चित तरीके से उस पर रोक लगानी होगी। मुझे याद है 1967 के चुनावों में, कुछ ऐसी पार्टियां थीं, जो एक पोस्टर में गाय को खड़ा करके, दो आदमियों को उसकी गर्दन पर तलवार पकड़े हुए दिखाकर यह प्रचार करती थी कि कांग्रेस सरकार गाय की गर्दन कटवा रही है। इस तरीके से वोट लेने वालों के खिलाफ पूंछ पकड़कर वैतरिणी पार करने वालों के खिलाफ आपको सख्त कानून बनाने होंगे। बाद में वही पार्टियां जब गांधीवाद का प्रस्ताव पास करें तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा देश किधर जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें सैक्यूलरिज्म को अपने यहां प्रमुख स्थान देना होगा और निर्धारित करना होगा कि उसमें विभिन्न पार्टियों का क्या महत्व है। जो पार्टियां इस तरह के संकीर्ण विचारों से प्रेरित होकर विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं, उन्हें देश में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, नम्बर दो बात में यह कहना चाहता हूं कि अभी जो कांस्टीट्यूयेंसी की डीलिमिटेशन की बात आई थी, वह नहीं होनी चाहिए। यह निश्चित है कि अपने देश में अभी विशेष परिस्थिति के कारण शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन की बात कही है, उसके सम्बन्ध में सरकार से कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग असंतोष बात करते हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आपने एक रास्ता अपना लिया है कि जिस कांस्टीट्यूएंसी में ट्राइबल और शेडयूल्ड कास्ट्स की आबादी अधिक होगी, उसी कास्टीट्यूएंसी को आरक्षित कांस्टीट्एंसी घोषित किया जाएगा। अगर इसमें परिवर्तन की बात आती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन को अधिक दिन तक बनाए रखने के पक्ष में हम भी नहीं हैं,

लेकिन अगर आपने रिजर्वेशन दिया है, तो जिस समय तक के लिए आरक्षण दिया है, उसी समय तक से अन्दर-अन्दर इन कास्ट्स के लोगों को आप इस स्तर पर लाइए जिससे ऊपर आ सकें ताकि यह सारा का सारा मसला इस देश से सदा-सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। मैं नहीं समझता कि यह मसला बहुत वर्षों तक खींचा जाए, लेकिन महोदय, जो कांस्टीट्यूशन की मंशा है कि इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से आप ऊपर जब तक नहीं लाते हैं, तब तक आपको इस आरक्षण को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आप निश्चित रखें कि जहां जहां इनकी आबादी है वहां कांस्टीट्यूएंसी को आरक्षित कांस्टीट्यूएंसी आपने घोषित किया है, उस निर्णय को बदला नहीं जाएगा।

मान्यवर, इसके अलावा आपको यह देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो गरीबों को वोट नहीं देना चाहती हैं।

3.52 म० प०

[श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए]

हमारे यहां उत्तर प्रदेश में लोकदल के नेता, जो यहां अभी नहीं हैं, बीमार हैं और इलाज कराने बाहर गए हैं, हमारी भगवान से प्रार्थना है कि वे स्वस्थ होकर लौटें, ऐसे हैं, मान्यवर कि हरिजन और आदिवासी को वोट पड़ने नहीं देते हैं। मेरा सुझाव यह है कि ऐसे स्थानों पर जहां ऐसी बातें होती हैं, वहां पर एक ऐसा आफिसर हो, जो उसके घर पर जाकर उसका वोट प्राप्त करे। ऐसे लोगों की वजह से ही आज नतीजा यह हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सीटें ऐसी थीं, जो कांग्रेस को आनी चाहिए थीं, लेकिन उन लोगों ने जातियों के नाम पर उनको हड़प लिया। इसलिए मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर सवाल है कि कमजोर वर्ग के लोगों को, आदिवासियों और हरिजनों तथा आर्थिकरूप से विपन्न लोगों को अपना वोट न दिया जाए, यह बहुत खराब है, इसे बन्द करना चाहिए।

मान्यवर, हमें याद है जब कानून बनाया जा रहा था, उस जमाने में भी जो फिरकापरस्ती वाले लोग थे उन्होंने यह आवाज उठाई थी कि वोट देने का अधिकार सब को न हो, लेकिन यह देश का सौभाग्य था कि भेदभाव मिटाकर सबको मताधिकार एक समान रूप से दिया गया। डा० अम्बेडकर, पं० जवाहरलाल नेहरू, ऐसी हस्तियां थीं, जिन्होंने इस बात को समझकर सबको समान मत का अधिकार दिया। उसी समय कुछ ऐसे लोग भी थे जो महिलाओं को समान मत का अधिकार दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। किन्तु हमारे महान् नेताओं ने दूरदर्शिता से विचार कर सबको समान अधिकार मत देने का दिया। इसलिए हमको सबका मत लेने की व्यवस्था निश्चित तौर पर करनी चाहिए। इसलिए आप हर वोटर को परिचय-पत्र सरकारी खर्चे पर हिन्दुस्तान में दें और वोटर-लिस्ट दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होने के कारण आप कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हर साल करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई प्रदेश सरकारें ऐसी हैं कि जो कभी भी

[राम प्यारे पनिका]

व्यापक तौर पर वोटर लिस्टों को दुरुस्त नहीं करती हैं, इसलिए वोटर लिस्ट को सुधारने की जिम्मेदारी आप वहां के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को दे दें। यदि एक नाम भी उसमें छूट जाएं, तो उसकी जिम्मेदारी वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होनी चाहिए। मान्यवर क्या होता है कि गरीबों के हरिजनों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं होते हैं, वे इतने पढ़े-लिखे तो होते नहीं हैं कि तहसील में जाकर अपना नाम देख लें कि हमारा नाम है या कि नहीं है, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं, जब ये लोग वोट डालने जाते हैं, वहां अपना नाम नहीं पाते हैं, वे पार्टियां इनके नाम ही वहां से हटवा देती हैं। अल्पसंख्यक, आदिवासी और हरिजनों के वोटर-लिस्ट में नाम ही नहीं होते हैं, वहां से उनके नाम गायब कर दिए जाते हैं। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनके नाम वोटर-लिस्ट में से गायब न हों।

श्री सी० अंगा रेड्डी : आपकी सरकार ही कर रही है...।

श्री रामप्यारे पनिका : रेड्डी जी सरकार चाहे आपकी हो या हमारी हो। मैं अब आपकी ही बात कह रहा हूं कि जातीयता और साम्प्रदायिकता के आधार पर वोट लेकर आप लोग कैसे आते हैं, झगड़ा पैदा करके आप यहां आते हैं।

मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि यह काम सरकार का है कि वह वोटर लिस्ट में दुरुस्त करने का उत्तरदायित्व पूर्णतः रिटर्निन्ग आफिसर को सौंप दे और चुनाव डिक्लेयर करने के पहले हमारे देश का आयोग एक श्वेत-पत्र निकाले।

जितने भी सक्षम वोटर हैं, जब उनका नाम लिस्ट में आ जाये तभी चुनाव कराना चाहिए, न तो देश में उन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं आता जो गरीब हैं, जो वोट नहीं दे पाते हैं। कुछ फिरकापरस्त ताकतें अपने जाल-बट्टे करके किसी न किसी प्रकार आ जाती हैं।

चुनाव में खर्चे की बात भी आती है। आप जानते हैं कि दिन-प्रतिदिन कितने खर्चे बढ़ते जाते हैं। आप थोड़ा व्यावहारिक बनिए। आपने जो सीमा रखी है, उसमें यह नहीं होना चाहिए कि 5 साल पहले जो आपने चुनाव का खर्चा तय कर दिया दूसरी पंचवर्षीय में भी वही खर्चा रहे। जिस तरह से प्राइस राइज हो रहा है, जैसे 20 परसैंट हो रहा है, उसी के हिसाब से आपको चुनाव का खर्चा भी बढ़ाना पड़ेगा। जब पिछला चुनाव हुआ तो 300,300 कंडीडेट एक-एक जगह से आ रहे हैं। इससे वोटर को भी परेशानी हुई कि वह 300 का नाम कैसे पढ़े। इसको कम करने के लिए यही तरीका है कि शुद्ध वोटर लिस्ट बने और लोग अच्छे तरीके से वोट दें। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियों को ही चुनाव चिन्ह दिया जाए और तब अच्छे लोग राजनीति में आने लगेंगे। जो भ्रष्टाचार के द्वारा चुनकर आते हैं, ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षायें होती हैं। वह सोचते हैं कि जिसने डंडा लिया, पैसा लिया वह गलत तरीके से एम०एल०ए० बन गया। इस तरह के लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। इस पर आपको कोई न कोई रोक लगानी होगी। जब आप इस तरह के कदम उठायेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी।

मैंने पहले भी बोला था कि सैन्ट्रल और स्टेट का मामला है। क्षेत्रीय पार्टियां भी जन्म लेती हैं लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का जो आधार है, जो जन-मानस को आन्दोलित करता है, जैसे दक्षिण भारत में भाषा के नाम पर पार्टी है, कुछ तेलुगुदेशम की पार्टी हो गई, क्या है, इनका क्या अस्तित्व है ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : अन्ना डी०एम०के० को क्यों नहीं लेते, उनके साथ आप समझौता करते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : करना यह होगा कि जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनके मैनिफैस्टो के लिए आपको एक आचार संहिता लागू करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ेगा कि किन किन बातों के लिए मैनिफैस्टों में चर्चा हो सकती है। मैनिफैस्टो ऐसा न हो जिससे लोग आन्दोलित हों, जिसमें साम्प्रदायिकता बढ़े, जिसमें क्षेत्रियता की बात हो, भाषा वगैरह की बात से चुनाव करना हो। किसी भी दल को चाहे वह तेलुगूदेशम है या कांग्रेस पार्टी है या जनता पार्टी है, उसको यह व्यवस्था रखनी चाहिए कि जो घोषणा-पत्र निकले वह उन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निकले जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, जो हमारे कांस्टीट्यूशन में हैं। ऐसी पार्टियां जो संकीर्ण भावना को लेकर चुनाव प्रचार करती हैं उनपर रोक लगानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आज जो आप देख रहे हैं कि यत्र-तत्र छोटी-मोटी पार्टियां आती हैं, उनमें कमी होगी और उनके स्थान पर राष्ट्रीय पार्टियां आयेंगी। हम कांग्रेस या जनता की बात नहीं कहते, कोई भी पार्टी आये लेकिन वह राष्ट्रीय पार्टी आये जो समग्र राष्ट्र को, 75 करोड़ जनता को समान रूप से माने। हमने पिछले 40 सालों का इतिहास देखा है कहीं राम राज्य परिषद् है, कहीं जमायते इस्लामी है, कहीं मुस्लिम लीग है। यह क्या है ?

4.00 म०प०

हम एक प्रस्ताव लाए थे, उसमें उनसे निवेदन किया था कि देश की सबसे गम्भीर समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या की है। इसलिए कि आप देश के मुसलमानों से कहिए कि परिवार नियोजन के काम में अपने धर्म को न लाईये। मैं तो यह कहूंगा कि चाहे कोई सिख हो, ईसाई हो या कोई अन्य धर्म को मानने वाला हो, उसको परिवार नियोजन में अपने धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि जो मैंने बुनियादी और सैद्धान्तिक बातें उठाई हैं, उनपर मंत्री जी अपने जवाब में अवश्य प्रकाश डालेंगे। मैं रेड्डी साहब से यह कहूंगा कि हमारी सरकार निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में कानून ला रही है, इसलिए अपने इस बिल को वापस ले लें। मैं मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि वह इस तरह का कानून लाने से पहले हम से कुछ और सुझाव लेकर चर्चा कर लें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, एक राष्ट्र के रूप में हम बहुत बुद्धिमान और कभी-कभी महान हैं। जितने हम कानून बनाने के इच्छुक हैं उससे कहीं ज्यादा हम इनका उलंघन करने के लिए तत्पर रहते हैं और इनमें त्रुटि ढूंढ़ने का प्रयत्न करते हैं। चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में भी यही बात है।

गत वर्ष में मैं समझता हूं कि हमारा अनुभव यह बताता है कि हमारी चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है और चुनाव हिंसा और अधिक खर्च के पर्याय बन गए हैं और हमारा प्रजातन्त्र शायद अब वैसा प्रतिनिधित्व नहीं करता जैसे कि पहले करता था क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को विभिन्न प्रकार से तोड़ा-मरोड़ा गया है।

अब, लोकतन्त्र के सिद्धान्त रूप में लोगों द्वारा अपनी इच्छा व्यक्त करने का साधन है। इसे औपचारिक और सारपूर्ण होना चाहिए। यदि आप आज की स्थिति देखें तो निःसंदेह आवरण तो बरकरार है परन्तु सार समाप्त हो गया है। धन शक्ति, शारीरिक शक्ति और सत्ता की शक्ति ने चुनाव प्रक्रिया को इस तरह हिला दिया है कि लोगों को प्रजातांत्रिक प्रणाली की वैधता पर सन्देह होने लगा है। इस प्रणाली में एक अन्तर्भूत दोष है जिसे हमने अपनाया है। प्रत्येक चुनाव इसका साक्षी है और वह यह है कि जब हम एक व्यक्ति को बहुमत से चुनते हैं तो उसके लिए हमारे यहां एकता सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। यदि वहां किसी विधान मण्डल को ले लीजिए। जिस दल का विधान मण्डल में बहुमत है उस मामले में यह जरूरी नहीं होता है कि उसे मतदान में बहुमत प्राप्त हुआ है। लोगों द्वारा जो मत दिए जाते हैं और जो सीटें वह दल विधान मण्डल में प्राप्त करता है। उसके मध्य अन्तर है। इस अन्तर को कम करने के लिए कुछ रास्ता निकाला जाना चाहिए। इसके लिए चुनाव प्रणाली में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि क्या निर्वाचन सुधार के क्षेत्राधिकार में देश की निर्वाचन पद्धति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व जैसे मूलभूत परिवर्तन आ जायेंगे। परन्तु दूसरा पहलू यह है कि क्या वर्तमान कानूनी ढांचे के अन्तर्गत हम उन प्रशासनिक समस्याओं का जो आड़े आती है जिस तरीके से राजनीतिज्ञ सत्ता प्राप्त करने के लिए खाईयां खोदते हैं और विधि का उल्लंघन करते हैं, समाधान किया जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं 'जाना' शब्द से ही आराम करना चाहूंगा। जब हम मतदाताओं की सूची तैयार करते हैं तो हम इस अर्थ पर पहुंचते हैं कि देश के विभिन्न भागों में बहुत से लोग मताधिकार से बिलकुल वंचित हैं। समस्या का सार यह है कि अब हमने यह निर्णय लेने का अधिकार कि मतदाता सूची में शामिल होने वाला दावेदार नागरिक है या नहीं, उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो मतदाताओं की सूची को अन्तिम रूप देता है नागरिकता की वास्तविकता का निर्णय देश के उपयुक्त कानूनों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी

द्वारा किया जाना चाहिए न कि मतदाता सूची को अन्तिम रूप देने वाले व्यक्ति द्वारा यह मेरा पहला मुद्दा है। मेरा दूसरा मुद्दा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण से सम्बन्ध रखता है। चुनाव क्षेत्रों की वर्तमान सीमाओं के बारे में व्यापक असन्तोष हैं। सरकार पिछले वर्ष या उससे यह कार्य संविधान के अन्तर्गत निर्धारित संख्या के अन्दर चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण की योजना लाई थी। बाद में सरकार ने उसे वापस ले लिया। मैं नहीं जानता वह क्यों वापस ले लिया गया। वास्तविकता यह है कि चुनाव क्षेत्रों के आकार और मतदाताओं की संख्या में बहुत भिन्नता है। कभी-कभी एक निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक प्रशासनिक क्षेत्र आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उदाहरणतया मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन उपमण्डल आते हैं और तीनों उपमण्डल अधिकारी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। मुझे उन सभी के साथ सम्बन्ध रखना पड़ता है। वास्तव में यह समस्या चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण तक सीमित नहीं है। इसका जिलों की सीमा निर्धारण के साथ भी कुछ सम्बन्ध है। आदर्श स्थिति यह होगी कि भारत में जिलों की संख्या मोटे तौर से संसदीय चुनाव क्षेत्रों के बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक संसदीय चुनाव क्षेत्र एक प्रशासनिक जिले तक सीमित होनी चाहिए ताकि एक सटा हुआ क्षेत्र एक चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत आए। मैं चाहता हूं कि सीमा निर्धारण के प्रश्न पर शीघ्र विचार किया जाए। तीसरा मुद्दा आरक्षण के लिए चुनाव क्षेत्रों के चयन से संबंधित है। मैं आरक्षण के पक्ष में हूं। यह जारी रहनी चाहिए। संसद ने इस पर अपनी अनुमति की मोहर लगा दी है। मैं आरक्षण प्रणाली के बारे में आपत्ति नही कर रहा हूं लेकिन किस चुनाव क्षेत्र का आरक्षण होना चाहिए। इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। सदन के समक्ष जो साधारण सिद्धान्त मैं रखना चाहूंगा वह यह है कि चुनाव क्षेत्र के गठन को देखना चाहिए और दूसरे कमजोर वर्ग को वंचित करने की कोशिश नही की जानी चाहिए जिनका उस विशेष चुनाव क्षेत्र में बाहुल्य हो सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ मिलना चाहिए लेकिन ऐसा अन्य कमजोर वर्ग की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए।

चौथा मुद्दा चुनावों विशेषतया उपचुनाओं की तारीख से सम्बन्धित है। इनमें एक प्रकार से विलम्ब हो जाता है। मैं सोचता हूं कि जहां तक सम्भव हो संसद व विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए ताकि हमारी राजनैतिक शक्ति व संसाधन सुरक्षित रहे। जहां तक उप-चुनावों का सम्बन्ध है। आपके कार्यपालिका की इच्छा पर कोई नियन्त्रण नहीं है। वे उपचुनावों को जब चाहे करवा सकते हैं। चुनाव क्षेत्र का उपचुनाव करवाने के लिए कोई कानूनी समय-सीमा होनी चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा राजनैतिक दलों के व्यापक प्रश्न से सम्बन्धित है। राजनैतिक दल कानून में अज्ञात है। वास्तव में राजनैतिक दलों के प्रवेश का एक मात्र रास्ता चोर दरवाजा है। अर्थात भारतीय चुनाव आयोग द्वारा घोषित चिन्ह आदेशों के माध्यम से मैं राजनैतिक दलों के लिए उचित कानून चाहूंगा। ये काफी विस्तृत होने चाहिए। इसका अभिप्राय सैद्धान्तिक लक्ष्यों पर प्रतिबन्ध से नहीं है।

इसका अभिप्राय दलों के राजनैतिक व लोकतन्त्रात्मक अधिकारों पर प्रतिबन्ध नही हैं अपितु यकीनन जन हित में उनका कार्यकरण नियमित किया जाना चाहिए। उनके विधि की सार्वजनिक लेखा परीक्षा होनी चाहिये। उनके खाते और वार्षिक रिपोर्ट लोगों को उपलब्ध होनी

(सैयद शहाबुद्दीन]

चाहिए और उनका प्रबन्धक प्रजातान्त्रिक रूप से उनके अपने विधानानुसार होना चाहिए। जर्मन कानून का उदाहरण मेरे सामने है जो मैं माननीय मंत्री जी को सुझाना चाहूंगा। वह यह देखने के लिए इस कानून का अध्यन कर सकते हैं कि कैसे इसे रूपान्तरित करके भारतीय परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है।

महोदय, अब मैं उम्मीदवारों के चयन की बात पर आता हूं। हममें से प्रत्येक यह कहता है कि राजनीति धर्म, जाति, क्षेत्र या उपजाति आदि के विचारों से मुक्त होनी चाहिए। हममें से प्रत्येक अपने मन में जानता है कि सभी राजनैतिक दल चाहे वे दक्षिण पंथी हो या वामपंथी हो उसने उम्मीदवारों का चयन, चुनाव क्षेत्र के जातीय गठन, धर्म क्षेत्र की भाषा, उपजाति, जाति आदि को ध्यान में रखकर करते हैं। अभी मेरे मित्र ने लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के बारे में कहा। हम सब पाखंडी हैं। मैं इस तरह का इल्जाम नहीं लगाना चाहता।

एक माननीय सदस्य : हमारे नैतिक स्तर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

सैयद शहाबुद्दीन : इसे ऊंचा उठाया जाना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कैसे हम नैतिक स्तर ऊपर उठा सकते हैं और कैसे हम इसे शक्ति प्रदान कर सकते हैं। वास्तव में यह हमारी प्रणाली है जो हमारे नैतिक स्तर के प्रति दिन गिरते रहने के लिए जिम्मेदार हैं, सारी बात यह है। नैतिक स्तर को मजबूत और प्रबल बनाने के लिए बाह्य परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। जो कुछ मैं कह रहा हूं यह है हमारी जिन्दगी की वास्तविकता यह है कि यद्यपि हम सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि के विरोध में उपदेश देते हैं परन्तु यही वे चीजें हैं जिन्हें हम निर्णायक समझते हैं और जिन्हें हम अपनी राजनैतिक प्रणाली के आधार के रूप में अपनाते हैं। हम कैसे इस बारे में आगे बढ़ सकते हैं ? मैं तो केवल इस समस्या को सदन के सम्मुख रख रहा हूं।

जब तक चुनाव कराने की बात है, चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र दो कारणों से प्रतिबन्धित है। पहला यह है कि यह पूर्णत सरकार द्वारा दिए गये कर्मचारियों पर आश्रित है। इसका अपना स्थायी तंत्र क्यों नहीं हो सकता ? कम से कम इसका अपना कर्मचारी वर्ग क्यों नहीं हो सकता जो इसके प्रति उत्तरदायी हो और इसकी आज्ञा का पालन कर जो किसी सत्तारूढ़ दल या मंत्री की इच्छा पर निर्भर न करता हो। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय स्तर से तहसील स्तर तक स्थायी चुनाव तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए जो सीधे इसके नियन्त्रण में हो ताकि चुनाव के लिए आयोग स्वतन्त्र रूप से काम कर सके। इस तंत्र को अपने अधिकार व उत्तरदायित्व भारत के चुनाव आयोग से प्राप्त करने चाहिये और यह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों का दल नहीं होना चाहिये। ऐसा प्रतीत होना चाहिये कि चुनाव तंत्र सदैव अपने वास्तविक मालिकों के प्रति उत्तरदायी है, सरकार के प्रति नहीं।

दूसरा पहलू यह है कि यह कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये सुरक्षा बलों पर आधारित है। खैर, अब जो किया जा सकता है वह यह है। जब हम चुनावों में सुधार की बात कर रहे हैं तो चुनाव कराने व चुनाव प्रबन्धन के लिए जहां तक सम्भव हो राज्य से बाहर ने सुरक्षा बलों को तैनात किया जाना चाहिए। एक राज्य से दूसरे राज्य को सुरक्षा बलों का आदान-प्रदान क्यों नहीं हो सकता और जिन्हें केन्द्र के नियन्त्रण में रहने वाले अर्ध-सैनिक दलों की टुकड़ियों द्वारा मजबूत बनाया जा सकता है। सी०आर०पी०एफ० और बी०एस०एफ० की टुकड़ियां और पड़ोसी राज्यों से उधार लिए गए बलों को मिलाकर विश्वास का वातावरण बनेगा जिससे और अधिक निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराये जा सकेंगे। वास्तव में राज्य अपने बलों को इस ढंग से लगाते हैं कि सत्ताधारी सरकार अधिकतम लाभ उठाती है और दूसरे उम्मीदवारों को अधिकतम असुविधा पहुंचाती है। इन दोनों पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

अब मैं निर्वाचन अधिकारियों के विषय पर आता हूं। यह धारणा कम से कम बिहार में निर्वाचकीय अपराध की समानार्थी बन गई है। एक प्रदत्त निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी का चुनाव उस विभाग से करना जिसका अध्यक्ष वह मन्त्री है जो उस निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है, मुझे यह कहने पर खेद है। उदाहरण स्वरूप यदि वह मन्त्री उस निर्वाचन क्षेत्र से सिंचाई मन्त्री हैं तब निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त अधिकांश निर्वाचन अधिकारी सिंचाई विभाग से लेंगे ताकि वह विशिष्ट मन्त्री स्थिति पर पूर्ण नियन्त्रण रख सकें। महोदय, समस्त निर्वाचकीय कानून एक अलिखित बुनियादी मान्यता को ध्यान में रखकर लिखा गया है कि नौकरशाही का निर्वाचन अधिकारी तटस्थ है। आज ऐसा नहीं है चाहे कोई भी कारण हो और इसलिए इस धारणा को कम करने के लिए कुछ संस्थागत उपाय अवश्य खोजने चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि निर्वाचन अधिकारी सरकार के प्रत्येक विभाग से लिये जायें और कानूनी तौर पर भी उन क्षेत्र में नियुक्त केन्द्र सरकार अधिकारियों में से लिए जायें। राज्य सरकार के सभी विभाग अपने अधिकारियों को एक अनुपात में नियुक्त करें। एक व्यक्ति विशेष की एक खास बूथ पर एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति या निर्धारण एकतदर्थ आधार पर किसी की सुइच्छा से नहीं की जानी चाहिए, परन्तु बिना किसी सुनियोजित ढंग के पर्ची डालकर की जानी चाहिये। आप एक नाम और जगह लीजिये और इसे निश्चित कर दीजिये, ताकि एक व्यक्ति विशेष को एक खास आदमी के लिये काम करने के लिये विशेष बूथ दिये जाने की सम्भावना को पूर्णरूपेण दूर किया जा सके। यह एक विशेष सुझाव है जो मैं देना चाहता हूं।

दूसरा सुझाव यह है कि इलैक्ट्रानिक मतदान के मूल-प्रश्न को सरकार को गम्भीर रूप से लेना चाहिए। अब यह लागत का सवाल नहीं है अब क्षमता का प्रश्न नहीं है, अब यह सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है, समस्त देश इलैक्ट्रानिक मतदान के विचार को स्वीकार कर चुका है। जब कभी इसका व्यवहारिक प्रयोग हुआ और जहां कहीं इसको प्रयोग में लाया गया प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट था और सरकार जो 21वीं सदी में जाने का दावा करती हैं, को इलैक्ट्रानिक मतदान शुरू करने के

[संयद शहाबुद्दीन]

लिए कुछ करोड़ रुपये जुटाने के काबिल होना चाहिये। सभी राजनैतिक दल इस पर सहमत हो गए है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यह चुनावी साज सामान व काफी हद तक गोल माल को कम करेगा।

इसे लागू करने के लिए कृपया राजनीतिक हौंसला रखिये। इन मशीनों का निर्माण देश में किया जा सकता है। किसी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात की दृढ़ता पूर्वक वकालत करता हूँ कि मतदान सुधार की एक मूल मद बिना और देर किये इलैक्ट्रानिक मतदान की शुरूआत होनी चाहिये। मैं सभा के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने मात्र इतना कहा है कि कानून जिस रूप में लिखे गये हैं, इस तरह की भाषा में लिखे गये है जो इलैक्ट्रानिक मतदान को नहीं स्वीकार करती हैं। कानूनों को दुबारा लिखना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। मुझे विश्वास है कि विधि मंत्रालय कानून समूह लिखने में पूर्ण सक्षम है जो मतपत्रों की बात करने के बजाय इलैक्ट्रानिक की भाषा में बात करेगा, इलैक्ट्रानिक मशीन की बात और सिलीकॉन के टुकड़े की बात। विधि मंत्रालय के लिये इस बात को ध्यान में रखकर कि अब हम एक दस्तावेज तैयार करने नहीं जा रहे है किन्तु हम एक दस्ता तैयार करने जा रहे है, एक नया रिप्रेजेन्टेशन ऑव पिपुल्स एक्ट तैयार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए।

मतदान समाप्त होने के बाद जहां तक मतपत्रों को खोलने, मत पेटियों को खोलने और मतपेटियों को मुहरबन्द करने का सम्बन्ध है, ब्यौरेवार निर्देशों को उलटा कर दिया जाना चाहिए। यहपूर्ण रूप से निर्वाचन अधिकारियों की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। यहां मैं एक विशेष सुझाव लेना चाहता हूं। यहां तक कि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत भी ज्यों ही एक बूथ विशेष पर मतदान समाप्त होता है उसके तुरन्त बाद मतगणना शुरू होनी होती है मतगणना में कुछ घंटों से ज्यादा समय नहीं लगेगा और उस मतदान केन्द्र का परिणाम ठीक आपके सामने होगा उस परिणाम पत्र को मुहरबन्द किया जा सकता है और आखिर में एक केन्द्रित स्थान पर खोला जा सकता है। नियमानुसार आपको सभी मतपेटियों को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मतपेटियों को लाने-ले में जाने काफी गड़बड़ होती है, कई बार मतपेटियों को इकट्ठा करने में काफी गड़बड़ होती। अन्त में एक या दो दिर बाद, दो रातें बीत जाने के बाद आप उनको खोलते हैं, उनकी गिनती करते हैं और यही प्रक्रिया चलती है। यदि मतदान समाप्त होने के तुरन्त बाद आप घंटों में मतपत्रों की कर लेते हैं तो इन सबसे बचा जा सकता है। एक विशेश मतदान केन्द्र में गणना के लिए 500-600 मतपत्रों से अधिक नहीं होते हैं। यह काम शीघ्रतापूर्वक लगभग एक घंटे में हो सकता है और गणना के परिणाम पर वहां उपस्थित सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाएगे। इसे तालिका बद्ध किया जा सकता है, सूचीबद्ध किया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है और वहां मुहरबन्द किया जा सकता है।

जहां तक परिणामों की घोषणा का सम्बन्ध है मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा कानून के अन्तर्गत चुनाव अधिकारी के पास पूर्ण अधिकार है। आप उसे बताइये कि रिकार्ड में ये कमियां हैं, ये गणना परक गलतियां हैं तो वह कहता है कि "मुझे अफसोस है कि मैं इन्हें ठीक

नहीं करना चाहता, आप जाइए और एक चुनाव याचिका दायर कीजिए।" क्या मूर्खता है ? यदि रिकार्ड में कोई गलती है, इसमें शीघ्र सुधार होना चहिए परन्तु इसमें तत्काल सुधार नहीं होता है। वह व्यक्ति एक महाराजा की तरह कार्य करता है। उसकी कार्य प्रणाली पर नियंत्रण की आवश्यकता है और एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। वास्तव में वह महाराजा की तरह काम नहीं करता, महाराजा के प्रतिनिधि की तरह काम करता है। वह अपने स्वामी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और उसकी स्वेच्छाचारिता लोगों में अविश्वास और संदेह पैदा करती हैं। यह मतदान प्रक्रिया की वैधता को ही प्रश्नसूचक बना रही है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि एक प्रत्याशी विशेष ने अधिक मत प्राप्त किए हैं फिर भी गणना में दो हजार कम दिखाए जाते हैं और दूसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। मैं विविष्ट घटनाओं का उल्लेख करना न ही चाहता यह उपयुक्त समय नहीं है, परन्तु यदि मंत्री महोदय चाहते हैं, मैं उन्हें अनगिनत उदाहरण अवश्य दे सकता हूं।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : कृपया यह चुनाव आयोग को पेश कीजिए।

सैयद शहाबुद्दीन : हम कानून बनाने वाले हैं; हमें ज्ञात होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपको उपाय खोजना चाहिए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं आपके सुझावों का स्वागत करता हूं।

सैयद शहाबुद्दीन : जहां तक लागत का सम्बन्ध है, मैं, मेरे माननीय मित्र के साथ पूर्ण रूप से सहमत हूं कि लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक के अनुसार होनी चाहिए। मैं हर चीज के लिए शारी से लेकर चुनाव लागतों तक, मुद्रा स्फीति सूचकांक के पक्ष में हूं। परन्तु इसके अतिरिक्त मैं यह भी सुझाव देता हूं कि निर्वाचक कानूनों में बढ़ती हुई खामियों को रोक जाना चाहिए। लागत परिसीमा चाहे कितनी भी हो इसके कोई मायने नहीं हैं क्योंकि आपकी पार्टी, आपके समर्थक और आपके मित्रों को आपके लिए मनचाहा धन खर्च करने की स्वतन्त्रता है। यह त्रुटि हमारे सामने मुंह खोले खड़ी है और इसे बन्द करने के लिए हमारे पास नैतिक साहस नहीं है। आप 5 लाख रुपए की सीमा रख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो 10 लाख रुपए की सीमा भी रख सकते हैं, परन्तु इन त्रुटियों को मत पनपने दीजिए। आज एक निर्वाचन क्षेत्र पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यदि आप दृश्य खर्चों पर होने वाली लागत का हिसाब लगायें, एक निर्वाचन क्षेत्र में इस्तिहारों और विज्ञापनों की संख्या का हिसाब लगायें (मैं एक विशेष उदाहरण का जिक्र करना नहीं चाहता और एक विशेष मामले का जिक्र करने के लिये मुझे मना किया गया है।) परन्तु जहां हम बैठे हैं वहां से कुछ ही दूरी पर कुछ ही दिन पहले एक चुनाव हुआ था। वहां यदि आपने कुल इस्तहारों की गणना की होती, और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में पूरे पन्नों पर विज्ञापनों की गणना की होती तो आपने पाया होता कि आपकी सीमा बहुत पीछे छोड़ी जा चुकी थी। पहले भी कई बार इसका उल्लंघन किया जा चुका था, शायद दस बार, यहां तक कि सौ बार।

[सैयद शहाबुद्दीन]

अतः चुनावों से संबंधित सभी खर्चों को एक ही शीर्ष के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये अर्थात क्या उम्मीदवार ने खुद पैसा खर्च किया है या क्या उसके दल ने या उसके दोस्तों ने खर्च किया है, इन सभी खर्चों की एक अधिकतम सीमा होनी चाहिये ; यह एक मुद्दा है जिसको मैं सम्मानित सदन के सामने विचार करने के लिये सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं।

निस्सन्देह, मैं सरकार द्वारा धन दिये जाने के पक्ष में हूं और सभी दलों के लिये तथा बरसाती कीड़ों के लिये नहीं आप एक निश्चित सीमा रख सकते हैं परन्तु प्रमुख दलों के लिए, जिन्हें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दृष्टि से मान्यता प्राप्त हैं जिन्हें किसी भी चुनाव में लोगों के कम से कम एक प्रतिशत, वोट मिलते हैं उन्हें उनके वोट के अनुपात में आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और सरकार को कुछ अनिवार्य खर्चे पूरे करने चाहिए। यह अधिक खर्चों के लिए नहीं कहता है। यदि एक विमान की लागत लेते हैं तो शायद यह आपको मंहगा पड़ेगा मैं नहीं जानता कि कितने आम चुनावों के लिये यदि आपको सभी राजनैतिक दलों के लिये जिन्हें मान्यता प्राप्त हैं। धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ी हैं।

एक और अन्तिम सुझाव है। जहां तक चुनावों के बाद की जाने वाली याचिकाओं का संबंध है। मेरे माननीय मित्र ने भी तर्क किया है, हम सभी जानते हैं कि इसमें कितना समय लगता है। जब हमारे पास चुनाव सम्बन्धी नया कानून है तो हमारे पास न्यायाधिकरण होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय की अलग से एक न्याय पीठ होनी चाहिए जो तुरन्त और तेजी से चुनाव याचिकाओं पर विचार करे और हमें ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जिसमें हम याचिका पर उचित समय निर्णय ले सकें चाहे इसे स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार किया गया हो। एक चुनाव का मुद्दा क्या रहा है यदि सदन में सेवा करने की अवधि समाप्त होने पर भी आप यह निर्णय करें कि क्या चुनाव ठीक प्रकार से हुआ था या गलत रूप से ?

सभापति महोदय, मैं आपसे एक अन्तिम निवेदन करता हूं। मेरे ख्याल से चुनाव आयोग इस मामले में पीछे नहीं रहा है। समय-समय पिछले पांच वर्षों से ऊपर जैसा कि मुझे पता है, उन्होंने सरकार को विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किये है। और मैं दूसरे सदन के वे दिन याद करता हूं कि सरकार ने सदन को सूचित किया था कि वे सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं, कि सरकार ने मामले पर विचार करने आदि के लिये एक मन्त्रिमण्डल नियुक्त की थी। इसने चुनाव आयोग के सुझाव सदन के पटल पर रखे थे। लेकिन हमने कभी नहीं जाना कि अंतिम रूप से सरकार का क्या विचार है ? उन्होंने हमें कभी भी नहीं बताया कि इनके बारे में स्थिति क्या है। उन्होंने हमें इस पर कभी भी विश्वास में नहीं लिया।

मैं जानता हूं कि सरकार बहुत व्यस्त है। सरकार को एक बड़े देश का प्रबन्ध करना होता है। परन्तु यह मामल तात्कालिक है। हमारे लोकतंत्र के बने रहने के लिये यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें। कृपया उन सभी सुझावों पर तुरन्त विचार करें जो चुनाव आयोग ने आपको दिये हैं तथा तब इस सभा में इन्हें लाइएगा। हम आपके लिये तैयार हैं और हम आपका स्वागत करने के लिये तैयार हैं तथा उस समय जब आप चुनाव संबंधी सुधारों के

बारे में विचार किये गये सुझावों को हमें बतायेंगे तो हमारी प्रतिक्रिया भी उनके संबंध में अनुकूल ही होगी। हम इस पर एक है। यह हमारा सामूहिक उद्देश्य है कि हम अपने देश में लोकतंत्र में अधिक से अधिक प्रतिनिधि रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जिन लोगों की बड़ी आशाएं हैं, उनकी ये आशाएं संसदीय प्रणाली के माध्यम से, जिसे हमने अपनाया है, पूरी की जा सकें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, हमारे लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण पहलू अर्थात चुनाव संबंधी सुधार पर चर्चा में बोलने के लिए मुझे दिए गए अवसर का मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

महोदय, पिछले कुछ समय से सदन में यह वाद-विवाद चल रहा है और कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। उनमें से कुछ सदस्यों के सुझाव बहुत मूल्यवान हैं जिन पर इसके गुणों सहित सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, यह मामला इस सदन में प्रश्नकाल के दौरान भी समय-समय पर आया है और सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जहां तक चुनाव संबंधी सुधारों के मामले का संबंध है इसका विचार इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : एक मिनट। क्या मंत्री जी आज उत्तर देने जा रहे है ? महोदय, क्या आप आज उत्तर देने जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : जब तक आप अपना भाषण समाप्त नहीं करेंगे तब तक मैं जवाब नहीं दे सकता।

सभापति महोदय : समय के मुताबिक वह आज उत्तर दे सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं समझता हूं कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसे निरन्तर चलना चाहिए। वास्तव में आज पूरा सदन छुट्टी करने की स्थिति में है।

श्री डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा) : उनमें से कई लोग छुट्टी करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पांच छुट्टी आएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और यह अतर्गत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : आप जानते हैं कि कई सदस्यों को बोलना है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसे बढ़ाया जाना चाहिए। आखिरकार श्री बनातवाला के विधेयक पर भी कुछ समय तक चर्चा की गयी थी। मैं श्री बनातवाला के विधेयक को कम महत्व

नहीं दे रहा हूं । प्रत्येक विधेयक महत्वपूर्ण है ।

श्री डी० एन० रेड्डी : उन्हें बोलने का भी मौका दीजिए ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह एक ऐसा विषय है जिस पर कई सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं नहीं समझता कि आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं जबकि हम अधिक से अधिक सदस्यों का स्वागत कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : सभापति जी, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रस्ताव आज इंट्रोड्यूस करा दिया जाए और आप चाहें तो उस पर बाद में बहस हो जाएगी ।

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप या तो भाषण समाप्त करें या न करें, आप उत्तर नहीं टाल सकते हैं । नियमों के अन्तर्गत इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बीच में कोई चर्चा नहीं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कृपया आप इस मुद्दे पर विचार करें ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि सरकार ने इस सदन में स्पष्ट कहा है कि जहां तक चुनाव संबंधी सुधारों का संबंध है वह माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए किसी अच्छे सुझाव के विरुद्ध नहीं है । वास्तव में यह चुनाव आयोग इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है तथा इस मामले पर विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ एक या दो बार चर्चा भी हो चुकी है । सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय या संकल्प निस्संदेह लागू किया जाएगा । यदि मुझे ठीक याद है तो यही उत्तर दिया गया था । जहां मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों की प्रशंसा करता हूं वहां मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से कुछ माननीय सदस्यों ने एक भिन्न स्थिति पेश करने की कोशिश की है कि मानो हमारी चुनाव संबंधी प्रक्रिया या चुनाव संबंधी प्रणाली बहुत खराब है और यह देश में अच्छे चुनाव संचालित करने योग्य नहीं है । हमें नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व में हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है । हममें विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र चलाने की पूरी क्षमता है । और 1951 से जैसा कि आप जानते हैं हमने इस देश में आठ आम चुनाव सम्पन्न कराए हैं । मेरे विचार से सामान्यतः ये चुनाव स्वतन्त्र और निष्पक्ष हुए हैं यह एक विशाल देश है और आज लगभग 35 करोड़ मतदाता हैं जो आम चुनावों में अपने मत का प्रयोग करते हैं ।

इस प्रकार, निस्सन्देह यहां और वहां कुछ गलत काम हो सकता है। यह महत्वपूर्ण मामला नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं। हमें अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को बदनाम नहीं करना चाहिए। यह लोकतंत्र वह कुछ है जिस पर हमें नाज है। आप देखते हैं कि हमारे आस-पास के देशों में क्या हो रहा है। क्या उन देशों में कोई लोकतंत्र काम कर रहा है जिन्होंने हमारे साथ-साथ आजादी पायी थी ? लेकिन यहां भारत में लोकतन्त्र की ज्योति तेजी से चमक रही है। यहां लोकतन्त्र की जड़ें गहरी हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि कम से कम पाँच साल में एक बार, उनको चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार, यहां रक्त क्रान्तियां न होती हैं और न हो सकती हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने किया है उससे हमारी व्यवस्था का अवमान होता है। मैं इसकी कदर नहीं करता। आओ हम वह कुछ भी न कहें जो हमारी व्यवस्था को बदनाम करे।

निस्सन्देह प्रत्येक व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होती है। हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी बात नहीं है कि तुरन्त ही हमें सुधार करने हैं। यह प्रक्रिया जारी है। कुछ महीने पहले ही, अर्थात पिछले वर्ष हमने कई अधिनियमों में संसोधन किया है। हमने अपने देश में दल-बदल पर रोक लगाने का एक महत्वपूर्ण संसोधन किया है। क्या यह चुनावी सुधारों का एक अंग नहीं है ? हमने कम्पनी कानून में भी संसोधन किया है। एक विशेष प्रक्रिया को अपनाते हुए कम्पनियों को खुला दान देने की अनुमति दी गयी है। इस प्रकार, वे सफेद धन दे सकती हैं। काले धन का धन्धा कम हो जायेगा और चुनाव पर इसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। उस कानून में संशोधन कर दिया गया है। दूसरे प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं, जैसा कि विधिमन्त्री द्वारा भिन्न-भिन्न अवसरों पर दूसरे तथा इस सदन में बताया गया है। निस्सन्देह, यह एक सतत प्रक्रिया है।

कुछ सदस्यों ने विशेषरूप से आरोप लगाए हैं कि हमारे चुनावों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली तीन तरह की शक्तियां कार्य कर रही हैं, अर्थात (क) शारीरिक शक्ति का उपयोग, (ख) धन की ताकत का उपयोग तथा प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रचार माध्यमों की शक्ति के बारे में क्या विचार है ?

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : यह प्रशासनिक शक्ति के अन्तर्गत आ सकता है। यहां पर विचारों की भिन्नता हो सकती है। लेकि आप कुछ भी कहें, प्रचार माध्यम शक्ति भी प्रशासनिक शक्तियों के अन्तर्गत आती है। मैं नहीं कहता कि शारीरिक ताकत कुछ क्षेत्रों में काम नहीं करती है। भारत एक विशाल देश है। यहां पर एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 800 से लेकर 1000 तक मतदान केन्द्र होते हैं। इस संख्या को 542 से गुणा करना होगा। कुछ मतदान केन्द्रों में शारीरिक ताकत का प्रयोग हो सकता है। वहां पर, इधर-उधर कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं। लेकिन जब आप समग्र रूप से बात करते हैं, तो वह शारीरिक और अर्थ शक्ति कहां होती है ?

[श्री बल्लभ पाणिग्रही]

मैं नहीं कहता कि धन की आवश्यकता नहीं होती है और हमारे चुनावों में यह अपनी भूमिका अदा नहीं करता। लेकिन अगर आप यह कहने हैं कि धनशक्ति से साधारण तथा हमारे चुनावों में हेरफेर होती है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस हिसाब से जो बहुत से माननीय सदस्य यहां हैं, वे यहां नहीं होते। यह सदन व्यापारिके घरानों ले प्रतिनिधियों से भरा होता। 1971 के चुनावों में आप जानते हैं कि बड़े घरानों के मालक चुनाव में खड़े हुए थे। लेकिन क्या वे इस लोक सभा में आ सके ? मे नहीं आ सके। क्या टाटा और बिड़ला के प्रतिनिधि भिन्न-भिन्न चुनावों में उम्मीदवार नहीं थे ? हमारे मतदाता परिपक्व हैं। हमें अपने मतदाताओं को कम महत्व नहीं देना चाहिए। जब कोई गलतफहमी पैदा हो गयी तो 1977 के चुनावों में क्या हुआ था ? क्या हमारे मतदाता काफी परिपक्व नहीं हैं ? क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए ? चुनावों के दौरान शुरू से ही लोग तरह-तरह की बातें बनाने लगते हैं। मैं इसे नहीं मानता। फिर मैं यही कहता हूं कि यह प्रशासनिक शक्ति है ;

(व्यवधान)

आज, कांग्रेस केन्द्र में सर्वेसर्वा है। कितने राज्य कांग्रेस विरोधी भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों के अधीन हैं ? अभी-अभी दो या तीन महीने पहले या छः महीन से भी कम समय से पहले, हमारे यहां दो राज्यों में चुनाव हुए थे, पूर्व में आसाम में और पश्चिम में पंजाब में, परिणाम क्या रहा। क्या कारण हैं ? आज प्रशासनिक तथा प्रचार माध्यम दोनों व्यक्तियों का सत्तारूढ़ दल और सरकार के फायदे के लिए चुनावों में दुरुपयोग किया जा रहा है। यहां क्या हो गया है ?

(व्यवधान)

सिर्फ अभी नहीं, 1977 में और भिन्न-भिन्न समय पर भी 7 से 8 राज्यों में कांग्रेस के जो केन्द्र में शासन कर रही थी। विरोध करने वाले दलों ने शासन किया। इसे सभी जानते हैं। मैं चुनाव का मामला उठाकर ठीक कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह धन शक्ति है जो चुनावों में लगायी जा रही है, और जहां-जहां यह लगायी जा रही है, वहां इसको ठीक करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

अब मैं इस चुनाव सुधार के लिए कुछ सही-सही सुझाव दे रहा हूं। मैं इस पहलू को तीन दृष्टिकोणों से देखता हूं। यह तीन तरह से है : प्रशासनिक, राजनैतिक और वित्तीय प्रशासनिक पक्ष, सबसे पहले है मतदातासूचियां जितना संभव हो सके सही होनी चाहिए, दूसरे हम जानते हैं कि लोगों की प्रमुख भागीदारी होती है। लेकिन मैं नहीं जानता हम क्यों इसे होने देते हैं, लेकिन स्थानीय चुनावों के छः मास पहले वहां पर कोई और चुनाव होते हैं और उसके बाद कोई और चुनाव होते हैं संसदीय चुनावों और यदि चुनाव होता है, तो लोगों को उन चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना पड़ता है और फिर धनशक्ति का प्रयोग किया जाता है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : श्रीमान जब यहां पर गणपूर्ति ही नहीं है तो, इस पर चर्चा करने का क्या मजाक है ?

सभापति महोदय : कोई गिनती करे और अगर कोई गणपूर्ति नहीं है तो इसका पता चल जायेगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोई गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजा दीजिए।

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति हो गयी है, श्री पाणिग्रही अपने भाषण जारी रख सकतेहैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं इस चुनाव सुधार प्रश्न को तीन दृष्टिकोणों से देखता हूं—प्रशासनिक राजनैतिक और वित्तीय। प्रशासनिक शीर्ष के तहत हमारी मतदाता सूचियां भिन्न-भिन्न चुनावों के समय उतनी सही नहीं होती जितनी होनी चाहिए। कई बार कई वैध मतदाता छोड़ दिए जाते हैं। बिना वोट डालें वे मतदान केन्द्रों से हताश और निराश होकर चले जाते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, कि एक मतदाता, जो अपना वोट संसदीय चुनावों के समय डालता है, अपना नाम विधान सभाओं के चुनाव के समय जो कि छः मास बन्द होते है। इसलिए, मतदाता सूची को अद्यतन बनाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए और उस विशेष मतदान केन्द्र के सभी वैध मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाने चाहिए। स्थानीय अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए जिससे कि मतदाता सूची में गलतियां न हों। मतदाता सूचियों को तैयार करने का कार्य बहुत जल्दी में पूरा किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, कई नाम मतदाता सूची में नहीं होते हैं। जब वहां कोई असली मतदाता होता है जिसका नाम मददाता सूची में न हो और भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलो के अभिकर्ता यह प्रमाणित करें कि वही असली मतदाता है, तो उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमारे कानून में कुछ ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए। वास्तविक मतदाताओं की मत डालने की अनुमति देने के लिए निर्वाचन अधिकारी की कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं होते हैं।

मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। चुनाव अधिकारियों द्वारा हमें हमेशा यही बताया जाता है कि मतदाता को उसके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एक किलोमीटर से ज्यादा चलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए। इस प्रकार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाने में नहीं हिचकिचाएगें। कभी-कभी मतदान कम होने से हम क्षुब्ध हो जाते हैं। लेकिन यह संतोषजनक बात है कि यह प्रतिशत बढ़ रहा है। आसाम में, हाल ही में हमने पिछड़े दिसम्बर के विधानसभाई चुनावों के समय देखा है कि, कई निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिशत 60 से भी ऊपर था। पंजाब में उग्रवादियों की धमकियों के बावजूद भी, मतदाता भारी संख्या में बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए।

यह एक स्वागत योग्य कदम है। निस्सन्देह आज उस निर्णय का समुचित ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। पंजाब प्रशासन द्वारा समुचित मान्यता नहीं दी जा रहीं है। वहां पर फिर से हत्याएं जारी हैं। एक आम बात हो गयी है।

कई मित्रों ने सुझाव दिया है कि परिचय पत्र जारी किए जाने चाहिए। मैं उस सुझाव से सहमत हूं। इलेक्ट्रानिक व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए जिससे जाली सदस्यता धीरे-धीरे समाप्त हो जाए। इलेक्ट्रानिक तरीकों के प्रयोग से न केवल इन मामलों को निपटाने में तेजी आयेगी किन्तु इससे हमारी प्रणाली भी आधुनिक बनेगी।

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के मसले की जांच की जानी चाहिए। काफी समय से इसकी जांच नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि उचित समय है जबकि इस कार्य को करते हुए न केवल जनसंख्या को कसौटी माना जाना चाहिए बल्कि निर्वाचन क्षेत्र के आकार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र को लीजिए। मेरे अपने ही निर्वाचन क्षेत्र देवगढ़ में जो उड़ीसा में है, दो जिले हैं, यह सात राजस्व उप-मण्डलों, 21 नगरीय खण्डों, सात शहरी निकायों में फैला हुआ है और लम्बाई के हिसाब से यह 250 किलोमीटर से भी अधिक होगा। इसका कैसे प्रबन्ध किया जा सकता है ? यह बहुत मुश्किल है।

व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है और वास्तव में इस अधिकतम सीमा के अनुपालन की अपेक्षा उल्लंघन अधिक होता है। मैं देखता हूं कि इस पहलू पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है जिससे कि हमारा खर्च व्यय की निर्धारित सीमा तक रखा जाए। अतः यह अपव्यय है। मैं समझता हूं कि यदि यह करना व्यावहारिक न हो तो इसे समाप्त किया जाना चाहिए। हमारे चुनावों पर व्यय को न्यूनतम करने हेतु सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए।

हमारी हमेशा यह कोशिश होनी चाहिए कि चुनाव स्वतन्त्र और निष्पक्ष हो और साथ ही कम खर्चीले हों। जो पैसा हम खर्च करते हैं वह विभिन्न प्रकार से प्रतिबिम्बित होता है। इसका हमारी अर्थ व्यवस्था हमारे विकास और सामान्य अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

महोदय, साथ ही राजनैतिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ माननीय सदस्यों को यहां सुनते हुए मैं सोच रहा था कि हम कितने ढोंगी हैं। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप में दोष नहीं देता हूं पर मैं यह सामान्य रूप से अपनी राजनैतिक प्रणाली के सम्बन्ध में कह रहा हूं और जब मैं यह बात कहता हूं तो मैं पूरे सोच विचार से कहता हूं कि हमारा यह जो राजनैतिक पाखण्ड है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। राजनैतिक ढोंग का तात्पर्य राजनैतिक और चुनाव सभाओं में जो कुछ बोला जाता है। राजनैतिक जिन्दगी में तथा रोजाना की जिन्दगी में उससे भिन्न आचरण किया जाता है। उनमें समानता नहीं होती है और उससे हमारी राजनैतिक प्रणाली और राजनैतिक प्रत्याशियों को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हम देखते हैं कि जो संसद और विधान सभाओं में क्षेत्रीयवाद, साम्प्रदायिकता की कटु आलोचना करते हैं वे कुछ मामलों में खुद ही इनका नेतृत्व करते हैं वे अपने व्यक्तिगत राजनैतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विधान सभा या संसद में स्थान प्राप्त करने के लिए स्वयं इन्हें बढ़ावा देते हैं यह बहुत बुरी बात है। अतः हम लोगों को, जो राजनीति से सम्बन्धित हैं, अपने आपको सुधारना है हमें पुनः विश्वास प्राप्त करना है। हमें इस बात की हिमायत करनी है कि हम नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति में विश्वास रखते हैं न कि अवसरवादी राजनीति में जब तक कि हम नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति में विश्वास नहीं करेंगे और चुनावों का तद्नुसार सामना नहीं करेंगे तब तक हम चाहे कुछ भी कहें कितना भी संसद के अंदर और संसद के बाहर शोर मचायें तब तक हमारे चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और कम खर्चीले नहीं हो सकते।

स्वतंत्र उम्मीदवार बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं और उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि कुछ मामलों में तो मत पत्र इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें सभी उम्मीदवारों के नामों को नहीं लिखा जा सकता है। अतः इस पर विचार किया जाना चाहिए। कुछ उम्मीदवार तथा राजनीति से सम्बन्धित कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, प्रमुख राजनैतिक दलों द्वारा नामंजूर किया जाता है और उन्हें अन्य राजनैतिक दलों द्वारा टिकट देकर प्रोत्साहित किया जाता है। मेरे पास कुछ नाम हैं लेकिन मैं उन राजनैतिक दलों के नाम नहीं ले रहा हूं जो ऐसा काम करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अतः सिर्फ प्रशासन या सत्ताधारी दल को दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा। सभी राजनैतिक दलों को अपने आपको सुधारना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि कैसे राजनैतिक दलों की संख्या न्यूनतम की जाये, कैसे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम से कम हो सके और कैसे चुनाव कम खर्चीले हो सकें। चाहे कैसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति क्यों न हो हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए और हमें चुनाव में अपने व्यय को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त लेखा विवरणों के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने कहा है, जब तक यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये जाते कि क्या यह अधिकतम सीमा के अन्तर्गत सम्भव हैं, आदि, यह विचार किया जाये कि क्या इसे समाप्त किया जाना चाहिए अथवा नहीं। इस सीमा का किसी तरह से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि भारत के राष्ट्रपति से लेकर राजनैतिक कार्यकर्ता तक हर कोई जानता है कि इस विशेष पहलू का अधिकांशतः उल्लंघन किया जा रहा है।

हम हिसाब देते हैं। इसमें बहुत सी खामियां होती हैं। इस बात को कोई भी नहीं जनता कि क्या उम्मीदवार स्वयं पैसा लगाता है या उसके दोस्त पैसा लगाते हैं या कि राजनैतिक दल पैसा लगा रहे हैं। जैसी भी स्थिति हो इस बात की जांच की जानी चाहिए और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में चुनावों में धन की शक्ति तबाही मचा रही है। हमारे कानून इतने कड़े होने चाहिए कि इस प्रकार के मामलों से निपटा जा सके। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा प्रजातन्त्र संसार में सर्वोत्तम प्रजातन्त्र बने। हमारी चुनाव प्रणाली अधिकांशतः अच्छी है परन्तु इसे एक आदर्श प्रणाली बनाया जाना चाहिए। हमें अपनी प्रणाली का स्तर नहीं गिराना चाहिए। यह न केवल सत्ताधारी दल के लिए ही बल्कि सभी राजनैतिक दलों के लिए एक चुनौती है। देश के सभी दलों को एक हो जाना चाहिए और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति में आस्था रखनी चाहिए। उन्हें तद्नुसार अपना आचरण करना चाहिए। केवल तभी इसमें सुधार होगा।

इन शब्दों के साथ में संकल्प की भावना का समर्थन करता हूं। सरकार ने एक स्पष्ट धारणा अपनायी है और विधि आयोग इस संदर्भ में कई प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के संकल्प को इस सदन में जल्दी में यकायक

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही

पास करने का कोई फायदा नहीं है। इस पर शान्ति और ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी राजनैतिक दल और दलों के नेता एकमत हों। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि विधि आयोग द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। अभी कोई जल्दी नहीं है। मैं संकल्प की भावना का समर्थन करता हूं न कि स्वयं संकल्प का, इस शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा)। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि चुनाव प्रणाली में सुधार और संशोधन की बहस बहुधा चलती रहती है। जिस प्रकार का हमारा तन्त्र है, इसमें सुधार और संशोधन की गुंजाइश बनी रहती है। जब उसकी जरूरत पड़ती है, तो सरकार भी उस आवश्यकता की महसूस करती है और महसूस करके बराबर उसमें सुधार करने की कोशिश भी की गई है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, सुधारों की आवश्यकता नहीं है, यदि सुधार लागू किये जाते हैं तो दल हार जायेगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : महोदय, मित्रों ने इस बात को कहने की कोशिश की है कि वर्तमान प्रणाली, जो बहुदलीय लोकतन्त्र प्रणाली है, अपने आप में ठीक नहीं है। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि हम प्राकृतिक विरोध खड़ा करके, कानून द्वारा दलों का रोक कर बहुदलीय प्रणाली पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और न हमको करने की कोशिश करनी चाहिए। हमको यह काम लोकतंत्र में लोकशाही के विवेक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लोग किस तरह से अपनी लोकशाही को चलाना चाहते हैं।

हमारे बहुत सारे मित्र यह इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि लोकतन्त्र, हमारा जिस तरीके का चुनाव का कानून है, उससे वह खतरे में पड़ रहा है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। 1952 से लेकर आज तक भारत ने अपने विवेक से सरकार को चुना है। चुनाव कानून किसी भी प्रकार का रहा हो, लेकिन जनता ने जिस तरीके से अपने विवेक का उपयोग किया है, अपने मत का उपयोग किया है, उसके विषय में कभी दो रायें नहीं हो सकती हैं। कभी वह सत्तारूढ़ दल के खिलाफ भी गई है और कभी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में, चाहे 1977, 1980 और 1984 का चुनाव हो, भारत की जनता ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह अपने मत का किसी से भी बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। चाहे चुनाव कानून में किसी प्रकार की खामी क्यों न हों।

हमारे मित्रों ने इस बात को भी कहा है कि चुनाव में धांधली होती है, भ्रष्टाचार

होता है, लोकतन्त्र का सहारा लिया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि पैसा ही चुनाव में सब कुछ होता तो इस संसद में बजाय हम लोगों के आने के यह संसद बटी हुई होती। पैसे वालों के लोग बिरला के रिप्रजेंटेटिव होते, टाटा के रिप्रजेंटेटिव होते या दूसरे बड़े-बड़े घरानों के प्रतिनिधि होते या अमरीका के रॉकफैलर प्राक्सी के आधार पर लोग चुने हुए होते, यहां आप जैसे और हम जैसे लोग नहीं होते या पं० जवाहर लाल नेहरू के प्रति समर्पित, कांग्रेस की नीतियों के प्रति समर्पण रखने वाले, इंदिरा जी व राजीव गांधी के प्रति समर्पण रखने वाले लोग नहीं होते। यहां कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोग न होते। यहां हम लोगों की मौजूदगी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि धन बहुत कम हद तक हमारी चुनाव प्रणाली को प्रभावित कर पाता है। जो पब्लिक है, वह बहुत कम हद तक धन से, पैसे से प्रभावित की जा सकती है।

जहां तक पार्टियों को चुनाव खर्च देने की बात है, मैं इसका विरोध करना चाहूंगा क्योंकि जिस प्रकार की दलीय व्यवस्था हमारे यहां है, उसमें किस को किस आधार पर आप पैसा देंगे। इसको तय करने के लिए कोई मापदंड सरकार के पास नहीं हो सकता, चुनाव आयोग के पास नहीं हो सकता और विधि मंत्रालय के पास नही हो सकता। उसमें हमेशा किसी न किसी प्रकार की शिकायत और पार्शियेलिटि की बात बनी रहेगी। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं मन्त्री महोदय से यह आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि इस समय जो चुनाव खर्च की लिमिट है, इसको जरूर संशोधित किया जाना चाहिए और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। समय को देखते हुए उसमें संशोधन की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए चाहे लोक सभा का चुनाव हो और चाहे विधान सभाओं का चुनाव हो।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : एक तरफ तो आप संकल्प का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सुझाव दे रहे हैं। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं।

श्री हरीश रावत : मैं विरोध करके बैठ जाता, तो आपको कुछ कहने का मौका कैसे मिलता।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : यह तो वैसी ही बात है कि डागा जी कमीज पहने हुए हैं लेकिन बटन खुले रखते हैं।

श्री हरीश रावत बैरागी जी ने मेरी मदद कर दी।

चुनाव तंत्र लाठी के बल पर जो प्रभावित होने की बात है, भगवान चौधरी चरण सिंह जी को जल्दी स्वस्थ बनाए और उनको दीर्घायु प्रदान करे। लठतंत्र के इस्तेमाल के वे जनक रहे हैं, पितामह रहे हैं।···(**व्यवधान**)···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अमेठी में क्या हुआ ?

श्री हरीश रावत : वोट कहीं नहीं मिला, तो वहां पर ऐसा किया गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अमेठी में क्या हुआ ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : अभी हैदराबाद में क्या हुआ ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह मैं मानता हूं पर···(**व्यवधान**)···

श्री एच० आर० भारद्वाज : क्या मानते हो । हैदराबाद की बात नहीं करते ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं मानता हूं मगर जब बागपत की बात करते हैं, तो अमेठी की बात भी करनी चाहिए ।···(**व्यवधान**)

श्री सी० अंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : कंचिक चरली में क्या हुआ ?

श्री हरीश रावत : आपके साथ जो कुछ हुआ है, वह पता है । आप अकेले ही आए हैं ।···(**व्यवधान**)···

श्री घूलचन्द डागा : एक ही नुमायन्दा आया है, इसलिए आप बैठे रहिए ।

श्री सी० अंगा रेड्डी : आपकी पार्टी के 400 से ज्यादा हैं । तराजू में 400 को रख लीजिए और अकेले मुझे···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : भारतीय जनता पार्टी उपस्थित नहीं है क्योंकि गत चुनावों में कांग्रेस (आई) द्वारा इसकी विचारधारा को गलत ढंग से प्रस्तुत किया था ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : और आपने अपनी विचारधारा उन्हें दी ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हां जनता पार्टी ने अपनी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा भारतीय जनता पार्टी को दी । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मैं निवेदन कर रहा था कि बागपत में घटित जो पहले होता था या होता रहा है, आज दुर्भाग्य से उसका अनुसरण बहुत सारी जगहों पर होने लगा है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एटा, इटावा और मैनपुरी में और बिहार के कुछ इलाकों में ऐसा हो रहा है ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्हें न्यायिक जांच कराने दीजिए ।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : ऐसे लोग चुन कर आ गये हैं, मैं भारत की संसद् की बात नहीं कर रहा हूं, जो विधान सभाएं हैं, उनमें ऐसे लोग चुन कर आ गये हैं, जिनको माफिया लीडर के रूप में लोग जानते हैं और मैं समझता हूं कि यह सवाल अकेले चुनाव नियमों में संशोधन करने से हल होने वाला नहीं है। हमारे विद्वान मित्र श्री हंसराज भारद्वाज यदि चुनाव कानूनों में कुछ संशोधन कर भी देते हैं, तो भी मैं नहीं समझता कि चुनाव कानूनों में संशोधन करके, जो ताकत के आधार पर, लठों के आधार पर, हथियारों के आधार पर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उनको वे रोक पायेंगे। यह कोई कानून व व्यवस्था का सवाल नहीं है। यह हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें जब हम सुधार ले आयेंगे, तो यह चीज हल हो जायेंगी। जो लोग इसका उपयोग करते हैं, मात्र इस बात के लिए करते हैं कि सरकार के ऊपर आक्षेप लगा सकें और यह कह सकें कि सरकार इस तरह की धांधली नहीं रोकती। मैं अपने उन मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस
5.00 म० प० प्रकार की बात जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं, वहां ही नहीं होती हैं बल्कि दूसरे प्रांतों में भी होती हैं। इस प्रकार की बात जम्मू-काश्मीर में भी सुनाई दी है। वहां पर हमारी पार्टी के लोगों को किस तरह से डराया गया, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। पंजाब में और आन्ध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ, वह सबको पता है। लोगों ने सिनेमा ग्लैमर के नाम पर नौजवानों की भीड़ को इकट्ठा करके जो सिद्धान्त के आधार पर लड़ने वाले लोग थे उनको दबाकर चुनाव में अपना प्रभाव कायम किया···(**व्यवधान**)

श्री सी० अंगा रेड्डी : इसीलिए आप लोग अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त और वैजयन्तीमाला को यहां लाए हैं···(**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत : चुनाव आयोग की निष्पक्षता के संदर्भ में माननीय मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता रहा है। हमको उसकी निष्पक्षता पर कभी भी किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा है। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि दूसरों को भी इस बात का अहसास हो कि हमारा चुनाव आयोग और मतदान अधिकारी निष्पक्ष हैं। उनकी निष्पक्षता का अहसास केवल हमको या सरकार को हो यह जरूरी नहीं है बल्कि उसका अहसास दूसरे लोगों को भी होना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि चुनाव आयोग में जो बैठने वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से सेवा निवृत्त होने के बाद पद लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि पद लाभ देने के प्रलोभन में आकर उनकी निष्पक्षता प्रभावित होती है। लेकिन उससे सम्भावना दूसरे लोगों को हमारे ऊपर शंका जाहिर करने की हमेशा बनी रह सकती है। यहां पर अनुपातिक चुनाव प्रणाली का भी जिक्र किया गया। मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि अनुपातिक चुनाव प्रणाली हमेशा डिपेक्टिव होती है। उसके बजाय हमको यह देखना चाहिए कि किस तरीके से मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएं और मतदाता को कैसे इस बात के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए कि वे अधिक से अधिक संख्या में आएं। वे अधिक संख्या में आयेंगे तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव इस बात

[श्री हरीश रावत]

पर पड़ेगा कि उससे जो बात [कही जाती है कि वर्तमान सरकार या दूसरी या तीसरी सरकार के विषय में, उसको बहुमत का समर्थन नहीं है, वह बात अपने आप खुल जायेगी। मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि जो पार्टियां धर्म, जातीय और क्षेत्रीयता के आधार पर बनती हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इससे निश्चित तौर पर लोकतंत्र के कमजोर रहने की सम्भावना रहती है।···(**व्यवधान**) मैं किसी एक पार्टी से मुखातिब नहीं हूं। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जाति, धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर जो पार्टियां बनी हुई है, उनसे लोकतंत्र और हमारी चुनाव प्रणाली को कितना नुकसान हुआ है। उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। अन्त में तीन सुझाव माननीय मंत्री जी के निवेदनार्थ कहना चाहता हूं। कांस्टीच्युऐंसी की जो प्रेजेन्ट पोजीशन है उसको कमीशन गठित करके डी-लिमिटेशन किया जाना चाहिए। नेचर आफ कांस्टीच्युऐंसीज को भी जो तीन-चार बार से बराबर एक प्रकार से चली आई हैं, उसको भी बदला जाना चाहिए, जो एस० सी० एस० टी० की हैं, उनमें भी सुधार लाने पर विचार करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से विधान सभा के क्षेत्र हिमाचल में हैं, जम्मु-काश्मीर में हैं, हमारे उत्तर पूर्वी अंचल में हैं, उसी प्रकार से विधान सभा क्षेत्रों का निर्धारण उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी होना चाहिए। अभी एक मित्र संसद् सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के विशाल क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे। उसको सुनकर मुझे भी अपनी कांस्टीच्युऐंसी की याद आ रही थी। मेरे क्षेत्र में दो जिले हैं। उनमें से एक जिला ऐसा है पिथौरागढ़, जो हिन्दुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। ऐसे दो जिले हों तो मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि बीस साल तक भी हर इलाके में, हर गांव में जा सकूं। मैं समझता हूं, ऐसी स्थिति मेरे मित्र समझते होंगे। मैं माननीय विधि मन्त्री जी से आग्रह करूंगा, इस संकल्प पर अपने विचार प्रकट करते हुए और समय का सदुपयोग करते हुए उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने हिमाचल में विधान सभा क्षेत्रों का निर्धारण किया है, यदि संसद् की सीटों के बढ़ाने के विषय में आपके सामने कोई सांवैधानिक दिक्कत भी हो तो कम से कम आप हिमाचल की तरह, जम्मू-कश्मीर की तरह, हमारे उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों की तरह, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में भी विधान सभा क्षेत्रों का निर्धारण करें। उसमें जनसंख्या को ही मापदण्ड न मानकर क्षेत्रफल को भी मापदण्ड माना जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी० अंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति जी, अभी जब मैं इस विषय पर बोलने के लिए उठ रहा था तो हमारे मध्य प्रदेश के एक मित्र ने बोलते हुए कहा कि तेलगु देशम की वजह से आपको फायदा हुआ और आप यहां जीत कर आ गए, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको इन्दिरा जी की हत्या से फायदा नहीं हुआ क्या आप दिल पर हाथ रख कर इस बात को कह सकते हैं। यदि आज इन्दिरा जी जिन्दा होतीं तो चुनावों के परिणाम कुछ और ही होते और आप इधर बैठे होते और हम लोग उधर होते। उनकी सहानुभूति में ही आपको वोट मिले यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मैं आपको अपनी भी बताऊंगा और आपकी भी बताऊंगा। हम 1971 से देखते आ रहे हैं कि तूफान की तरह, हवा की तरह हमारे चुनाव चलते आ रहे हैं।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : सभापति जी, जब बेजू-बावरा गाता था तो हिरण आते थे और जब यहां जंगा रेड्डी जी बोलते हैं तो सैफुद्दीन साहब आ जाते हैं। यह कैसी अद्भुत विषमता है, विसंगति है कि जब यहां भाजपा का प्रतिनिधि बोले तो कम्युनिस्ट आ जाए।

श्री सी० जंगा रेड्डी : यह विरोधाभास अलंकार है, कवि जी को मालूम होना चाहिए। मैं कह रहा था कि हमारे देश में 1971 से चुनाव किसी न किसी तूफानों से प्रभावित होकर चलते आ रहे हैं। जिस वक्त 1977 में कांग्रेस सरकार ने तमाम विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में डालकर चुनाव लड़ा तो उस समय इन्होंने समझा था कि कांग्रेस सरकार फिर सत्ता में आ जाएगी लेकिन उस समय जनता लहर चली और लोगों का झुकाव जनता पार्टी की ओर गया। उसी तरह 1983 में इन्होंने समझा कि जिस तरह से नाटकीय ढंग से एन० टी० आर० साहब चल रहे हैं, उसके परिणामस्वरूप आंध्र में तेलगु देशम की सरकार नहीं आ पायेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन फिर उसके विपरीत परिणाम सामने आये और वहां तेलगु देशम की सरकार सत्ता में आ गई। फिर 1980 में जनता सरकार के खिलाफ एक हवा चली। सहानुभूति की लहर के कारण ही आप लोग 1983 के चूनावों में सत्ता में आये। उस सहानुभूति की लहर में हम पीछे पड़ गए मैं आपसे यह सही स्थिति का बयान कर रहा हूं। यह सही वोटों का परिणाम नहीं है।

आप पंजाब को देखिए।

(व्यवधान)

अब जवाहर लाल नेहरू जी की सरकार नहीं है, अब तो इन्दिरा जी की और राजीव जी की कांग्रेस है। मैं आपसे इस बात में बिल्कुल सहमत हूं कि देश में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होनी चाहिए मगर उसके साथ-साथ कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समझौता भी नहीं करना चाहिए, जैसा आपने त्रिपुरा में किया है, तमिलनाडु में किया है और केरल में करने वाले हैं।

एक माननीय सदस्य : केरल में कर रहे हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : कर रहे हैं या करने वाले हैं। मेरे कहने का तात्पर्य वही है।

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य कांग्रेस की सब बातें कर रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी तो बम्बई में शिव सेना से कम्प्रोमाइज किया था।

हमने शिव सेना से ही नहीं, बल्कि तेलगु-देशम से आंध्र प्रदेश में आपके खिलाफ

[श्री अनूपचन्द शाह]

समझौता किया है। आप हमारे बिलकुल कड़े शत्रु हैं। कड़े शत्रु को हराने के लिए दूसरे शत्रु से हाथ मिलाना पड़ता है। शत्रु का शत्रु हमारा मित्र है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : आपने तेलुगु-देशम को शत्रु तो माना।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हम तो रीजनल पार्टी के खिलाफ हैं।

श्री अनूपचन्द शाह : आपका कोई सिद्धांत नहीं है ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : हमारा कोई सिद्धांत है, तभी तो हम दो हैं।

श्री हरीश रावत : अगर ऐसा ही रहा, तो आगे आने वाले समय में आपका एक ही रह जाएगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी : सन् 1977 में कहां थे दिनेश सिंह जी, इधर आए, फिर उधर गए, अब उधर हैं। कितने मन्त्री जनता पार्टी में थे, कितने उधर गए। हमारे चोकाराव जी 77 के बाद 78 में विधान सभा के चुनाव में जनता में आ गए, फिर उधर चले गए।

श्री हरीश रावत : अरे, हमारी पार्टी तो गंगा है, आप भी उसमें आकर पवित्र हो जाइए।

श्री सी० जंगा रेड्डी : चेयरमैन साहब, हमारी चुनाव-प्रणाली में बिलकुल मूलभूत रूप से संशोधन होना चाहिए। अभी हाल ही में लोक सभा में डिफेक्शन बिल पेश किया। कांग्रेस के लोगों ने अपनी रक्षा के लिए यह अच्छा काम किया है, इसके लिए हम आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। हम जब ऐसे चुनाव-संशोधन लाने के लिए विरोधी-दलों के साथ-साथ प्रस्ताव पेश करते हैं तो कांग्रेस अपनी-अपनी माफिक जो अच्छे प्रस्ताव लगते हैं, उनको अपनाती जाती है। जब राजीव गांधी और कांग्रेस सरकार को धक्का लगने वाला था, उसी समय आप बिल ले आए और तुरन्त ही उसी समय वह बिल शासन ने पास कर दिया। फिर भी आप लोगों में डिफेक्शन होने वाला है। आप लोग बिल लाए, यह अच्छा काम है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अभी ट्रीटी होने वाली है···(**व्यवधान**)।

श्री सी० जंगा रेड्डी : 1967 में भजनलाल जी, चौधरी चरण सिंह जी हमारे उस डिफेक्शन के महान् नेता हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जब संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी।

श्री हरीश रावत : आज आपकी आत्मा कई बातों को कबूल कर रही है।

श्री सी० अंगा रेड्डी : हमारी आत्मा तो सच बोलने वाली है। दवा जो कड़वी होती है, वही बीमारी के लिए काम देती है और जो दवा मीठी होती है वह बीमारी के लिए काम नहीं देती है। हमारी जबान कड़वी है, इसीलिए लोग उसको पसन्द नहीं करते हैं। 1967 में हमने देखा, कांग्रेस को वोट ज्यादा मिले, लेकिन सरकार में नहीं आ पाए। इसलिए उस समय मिली-जुली सरकार संयुक्त विधायक दल की बनी। जैसा अभी बैरागी जी कह रहे थे कि कम्युनिस्ट और जनसंघ ने पुराने उस समय में मिल-जुल कर जो सरकार चलाई थी वह नहीं चल सकी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वह सी० पी० आई० थी, सी० पी० एम० नहीं थी। नहीं, हम नहीं थे।

श्री सी० अंगा रेड्डी : संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी।

श्री बालकवि बैरागी : जब मध्य प्रदेश में शाकिर अली साहब थे, तब कम्युनिस्ट भी उसमें थी।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : हां, उस समय मध्य प्रदेश में कम्युनिस्ट थी।

श्री बसुदेव आचार्य : हम नहीं थे।

श्री हरीश रावत : गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए थे, उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाहर से सपोर्ट कर रहे थे।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने कहा कि हम नहीं थे।

श्री अजय मुशरान : सी० पी० आई और सी० पी० आई० एम० में क्या फर्क है? अग्रवाल और गुप्ता में क्या फर्क है। आप सी० पी० आई० एम० लिखें, क्या फर्क पड़ता है? उसमें क्या फर्क है, कोई अग्रवाल लिखता है, कोई गुप्ता लिखता है, इसी प्रकार कोई सी० पी० आई० एम० लिखता है कोई सी० पी० आई० लिखता है।

श्री अंगा रेड्डी : पहले, जो सन् 1957 तक अपनी-अपनी पार्टियों के आधार पर सरकार बनीं, वे ठीक तरह से चलीं। 1967 में मिलीजुली सरकारों के बाद जनता के अनुभव में यह आ गया कि सरकार बनाने के लिए कई रास्ते निकल आए हैं और कई ऐसे रास्ते हमको निकालने पड़े हैं जिससे किसी न किसी रूप में सत्ता में आ कर बैठना चाहिए, इस प्रकार का भाव दलों में आ गया।

उसके परिणामस्वरूप मिली जुली सरकार चली और कुछ दिन के बाद मिली जुली सरकार गिर गई। इसी कारण जनता के मन में जनतंत्र के प्रति विश्वास बिगड़ने लगा। फिर भी हम उस लोकतन्त्र के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। 1967 में एक मर्तवा परसेंटेज आफ वोटर्स देखने से हमको पता चलता है। 1980 और 1977 के मतदाताओं की प्रतिशत और सीटों की प्रतिशत में बहुत अन्तर मिलता हैं। जिनको 51 परसेंट वोट नहीं मिले वह सरकार

[श्री सी० अंगा रेड्डी]

में आकर बैठते हैं और जिनको 51 परसेंट वोट मिले, वह विरोधी दल में बैठते हैं। इसलिए अपने को अनुपात के आधार पर सीटों को चुनना चाहिए। प्रपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए।

अभी अभी हमारे राजस्थान के साथी बोल रहे थे कि तमिलनाडु वाले को पंजाब के बारे में क्या मालूम है। हम राजस्थान के लोग नेशनल पार्टी के होने के नाते लोक-सभा सदस्य के नाते पंजाब वगैरह हर जगह की बात कर सकते हैं। यहां कुछ लोगों ने बता दिया कि तमिलनाडु वाले पंजाब कैनाल और राजस्थान कैनाल के बारे में क्या जानते हैं। उनकी पार्टी के लोग पंजाब से आ नहीं सकते क्योंकि उनकी पार्टी पंजाब में है नहीं। इस तरह से रीजनल पार्टी नहीं होनी चाहिए, नेशनल पार्टी होनी चाहिएं। हम रीजनल पार्टी ऐसा कदम उठा रहे हैं, केन्द्रीय सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार में गलत काम हुआ तो केन्द्रीय सरकार पैसा नहीं देगी। हमने आज ही पेपर में पढ़ा कि नेशनल पार्टियों को रिक्नाइज होना चाहिए उन्हीं को चुनाव में लड़ना चाहिए। मतों के अनुपात पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। सीटों का बंटवारा करने से पार्टियों की तानाशाही बढ़ती है। क्षेत्रीयवाद के कारण, कास्टिज्म के कारण पार्लियामेंटरी कांस्टीटुएन्सी को देखते समय यह देखा जाता है कि उसमें कितने परसेंटेज कास्ट के लोग हैं, किस किस रिलीजन के हैं। इसी के आधार हर हर पार्टी टिकट देती है। आज इस प्रकार की स्थिति पार्टियों में आ गई है। इसका निर्मूलन होना चाहिए और पार्टी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। अगर पार्टी के आधार पर सीटें होती हैं तो लोगों के मन में कास्टिज्म नहीं आयेगा। वहां के लोग इंडीविजुअल के बारे में वोट नहीं देंगे बल्कि पार्टी के सिद्धांत पर वोट देंगे। पार्टी के सिद्धांत पर अगर लड़ते हैं तो जितने हमारे मतदाता हैं वह सिद्धांत के प्रति कमिटमेंट करते हैं, मगर चुनाव में प्रणाली के कारण, सत्ता में आने के कारण किसी तरह के स्लोगन लगाकर सत्ता में आ सकते हैं। आज उस प्रकार के स्लोगन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से हम देश के हित को छोड़कर कानून बना रहे हैं। इसी प्रकार मुस्लिम मतदाताओं को अपना वोटर रखने के लिए कांग्रेस वाले मुस्लिम प्रोटेक्शन बिल लाये हैं वह मुस्लिम को अपने काबू में रखना चाहते हैं। हमारे सी० पी० एम० के मित्र भी मुस्लिम लीग को अपने साथ रखने के लिए मल्लमपुरम जिले को केरल में दिया है नम्बूदरीपाद सरकार ने।

एक माननीय सदस्य : अब छोड़ दिया है।

श्री सी० अंगा रेड्डी : जो कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था, उसको श्री नम्बूदरीपाद ने किया।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केवल उनका वोट है, उस बैलेंसिंग वोटों को लेने के लिए, अपने सिद्धांत के खिलाफ, अपने संविधान के खिलाफ, देश के हित के खिलाफ हर पार्टी जाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि अनुपात के आधार पर चुनाव लड़ना

चाहिए। ऐसा करने से ही हम देश के हित में कुछ काम कर सकते हैं। जैसेकि आंध्र प्रदेश में तेलगू देशम मित्रों के साथ हम भी थे, मगर उनका रवैया केन्द्र सरकार को बदनाम करके चुनाव जीतने का था। आज अन्ना डी० एम० के० भी वही कोशिश कर रही है। आज हर चीजे में क्षेत्रवाद बढ़ता जा रहा है। इस कारण अनुपात के आधार पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा।···(**व्यवधान**)···आज केरल में भी मध्यावधि चुनाव कराने के बारे में आप सोच रहे क्योंकि मुस्लिम लीग आपके साथ है। इन सब बुराइयो को दूर करने के लिए अनुपात के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए।···(**व्यवधान**)···

इन्दिरा कांग्रेस की हवा के कारण ही इन्दिरा कांग्रेस के लोग चुनाव जीतकर आ गए। हम देखते हैं कि अच्छे-अच्छे लोग चुनाव हार रहे हैं। 1977 में जब इन्दिरा जी चुनाव हार गईं तो राज्य सभा में आने की कोशिश की।

श्री अजय मुशरान : उन्होंने राज्य सभा से कभी आने की कोशिश नहीं की।

···(**व्यवधान**)···

श्री सी० जंगा रेड्डी : चिकमंगलूर से तो चुनाव लड़कर आई थीं। हम देखते हैं कि जो बड़े-बड़े अनुभवी लोग हैं, वह चुनाव हार जाते हैं और हम जैसे लोग जो कि विदेश के बारे में नहीं जानते, वह चुनाव जीतकर आ जाते हैं। अगर अनुपात के आधार पर यह चुनाव होते तो हमारी पार्टी के अनुभवी लोग जैसे अटल बिहारी जी आदि चुनाव जीतकर अवश्य आते।··· (**व्यवधान**)···

अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अपने शारीरिक बल पर इलेक्शन बूथों पर कब्जा करके वोट मांग रहे हैं। इस बारे में जैसा कि और सदस्यों ने भी कहा कि आइडेंटटी कार्ड होना चाहिए। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं।

1952 से आंध्र प्रदेश में चिन्नूर क्षेत्र रिजर्व कांस्टीच्युयेंसी में है। इससे लोगों के मन में आता है कि हम ओपन कम्पीटिशन में क्यों नहीं आ सकते। इस सिस्टम को आपको बदलना चाहिए। उसके स्थान पर दूसरी कांस्टीच्युसेंसी को रिजर्व बनाना चाहिए।

बाबू जगजीवन राम जी हमेशा एक ही कांस्टीच्युयेंसी से चुनकर यहां आ रहे हैं। इस लिए अगर एक बार एक कंडीडेट रिजर्व सीट से लड़कर आता है तो अगली बार उसको जनरल सीट से लड़कर आना चाहिए। इस प्रकार की शिफ्टिंग होती रहनी चाहिए।

इसी प्रकार से मेरा सुझाव है कि चुनाव का जो खर्चा है वह सरकार को कोमीट करना चाहिए। इसी तरह से डी-लिमिटेशन की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहनी चाहिए। सेन्सस के साथ साथ डी-लिमिटेशन की प्रक्रिया भी चलनी चाहिए। वरना जैसा हम देखते हैं आज बम्बई में एक असेम्बली सीट पर तीन-चार लाख वोट लेकर लोग सदन में आते हैं जबकि हमारे यहां 70 हजार वोटों से ही आ जाते हैं। इसी प्रकार से पार्लमेन्टरी कांस्टीच्युयेंसी में वहां पर 21 लाख

[श्री सी० अंगा रेड्डी]

वोट से और हमारे यहां 6 लाख वोट लेकर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इतना जो अन्तर पड़ जाता है इसको दूर करने के लिए कांस्टीच्युयेंसीज के डी-लिमिटेशन की कार्यवाही नियमित रूप से चलती रहनी चाहिए।

इसी तरह से जो वाई एलेक्शन्स होते हैं उनके बारे में मेरा सुझाव है कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर पैनल बनाकर बाई-एलेक्शन्स को एवायड किया जा सकता है। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या किसी न किसी रूप में कोई डेफेक्ट कर गया तो उसके स्थान पर उस सूची में से तुरन्त दूसरा आदमी लिया जा सकता है। इस प्रकार के चुनावों में जो अनावश्यक रूप से इतना खर्चा होता है उसको भी आप बचा सकते हैं। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : क्या आप यहां पर दो ही मेम्बर बने रहना चाहते हैं ?

श्री सी० अंगा रेड्डी : हमेशा हम दो ही नहीं रहे हैं और न आप ही हमेशा यहां पर 400 रहे हैं। (**व्यवधान**)

इसी के साथ-साथ मेरा सुझाव है कि पोस्टर्स पर भी रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए क्योंकि इस प्रकार से इण्डस्ट्रियल हाउसेज के ब्लैक-मनी का हमारे चुनावों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई-कोई उम्मीदवार बहुत अधिक पोस्टर्स लगाते हैं इसलिए इस पर भी कोई रोक होनी चाहिए। मैं समझता हूं कहीं पर आम सभा का ऐसा आयोजन करने की व्यवस्था हो जहां से प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवार भाषण दे सकें। कई उम्मीदवार तो सौ, दो सौ ट्रक लगाकर शोर मचवाते हैं और इस प्रकार से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस पर भी रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए।

इस प्रकार के संशोधन यदि हम चुनाव सम्बन्धी कानून में नहीं लाएंगे तो हमारे जनतंत्र के लिए यह बड़ा खतरनाक होगा। हम चाहते हैं कि चुनाव कमीशन ने जितने भी सुझाव दिए हैं, उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी बनी है, वहां उन पर विचार विमर्श करके यदि हो सके तो अगले सेशन में ही एक अच्छा सा संशोधन बिल लाकर लोकतन्त्र को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सदन के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि बढ़ाया हुआ समय 5.30 म० प० तक पूरा होगा। यदि आप इस विषय को आज समाप्त करना चाहते हैं तो मैं मंत्री महोदय को बुलाऊं लेकिन दूसरे बहुत से सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हम बोलना चाहते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : समय एक घन्टे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, मैं उत्तर देना चाहता हूं। पिछले सप्ताह इसे लिया गया था और कोई गम्भीर वाद-विवाद नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय : मैं सदन की राय जानना चाहता हूं कि क्या समय बढ़ाकर चर्चा को जारी रखा जाए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसे जारी रखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : तब हमें यह बताना चाहिए कि इस चर्चा को समाप्त करने के लिए सदन को कितना समय चाहिए।

श्री वसुदेव आचार्य : हमें कम से कम 2 घन्टे चाहिए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : तब इसे अभी समाप्त नहीं कर सकते। यह अगले सप्ताह होगा। इस पर दो सप्ताह से सदन में गम्भीर चर्चा हो चुकी है सभी दलों ने चर्चा में हिस्सा लिया है यहां कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर रोशनी डाली जाए। मैं इस तरह की बात से सहमत नहीं हूं कि आप कहते जाएं और समाप्त न करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें दो घन्टे चाहिए (**व्यवधान**)

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं इससे सहमत नहीं। (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसका अर्थ है कि सरकार इस विषय पर गम्भीर नहीं है। यह राजनैतिक महत्व का विषय है।

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : महोदय, आप पता लगा सकते हैं कि सदन के दूसरी ओर के कितने सदस्य बोलना चाहेंगे। यदि चार या पांच व्यक्ति बोलना चाहते हैं तो प्रत्येक माननीय सदस्य को पांच, छः या सात मिनट का समय इस विषय पर अपना मत प्रकट करने के लिए मिलेगा तब हम सदन का समय 6.30 म० प० तक बढ़ाकर इस विषय को समाप्त कर सकेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : नहीं, नहीं। इसे अगले सप्ताह में जारी रहने दीजिए।

सभापति महोदय : मैं आपके सामने यह कहता हूं कि किसी भी स्थिति में सदन का कार्यकाल 6.00 म० प० से अधिक नहीं बढ़ा सकते। (**व्यवधान**)

श्री बसन्त साठे : श्री रेड्डी, बात बस इतनी है कि अगले शुक्रवार को हम कोई दूसरा महत्वपूर्ण विषय ले सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आप इस चर्चा को अगले शुक्रवार के लिए स्थगित करते हैं तो आप दूसरे विषयों को सीमित करेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : एक वरिष्ठ मन्त्री होने के नाते आप समझ सकते हैं कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है।

श्री बसंत साठे : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि दूसरे विषय महत्वपूर्ण नहीं है ? इस विषय पर दो सप्ताह तक चर्चा हो चुकी है और दूसरे विषय विचाराधीन हैं। चर्चा करने के लिए केवल शुक्रवार का दिन ही उपलब्ध है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पहले आपने सदस्यों को आधे घन्टे तक बोलने दिया। मैं नहीं समझता कि इस तरह न्याय हो सकता है।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं समझता हूं कि हम पिछले दो सप्ताह से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। समय भी दो या तीन बार बढ़ा चुके हैं। इसलिए इस विषय के लिए समय बढ़ाने की अब आवश्यकता नहीं है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय, हमारी पार्टी नेशनल कान्फ्रेन्स को इस विषय पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। इस विषय पर बोलने के लिए मुझे कम से कम 10 मिनट का समय देना चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : विपक्ष के उन सदस्यों को समय दिया जाये जो अभी बोले नहीं हैं और तभी माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

सभापति महोदय : हां, श्री काबुली, आप पांच मिनट के लिए बोल सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, गणपूर्ति नहीं है। हम सरकारी पक्ष के इरादों को नाकाम कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : चेयरमैन साहब, पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो इलैक्शन के लॉज हैं, उसके मुताबिक जैसा और मेम्बरान ने इस पर जोर दिया है, कि मैन-पावर, मसल पावर और एडमिनिस्ट्रेशन—यह सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। जिसको हल करना हमारी सरकार का कर्त्तव्य है···(**व्यवधान**)···मैं आनरेबिल मिनिस्टर श्री भारद्वाज से कहूंगा कि मैनपावर, मसल पावर और एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत यह सबसे बड़ी समस्या है।

मैं समझता हूं कि इतना ही नहीं कि इलैक्शन में इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है बल्कि मैं समझता हूं कि हमारा पब्लिक के साथ, चाहे आपकी पार्टी हो और चाहे हमारा आर्गेनाइजेशन हो, एक कमिटमेंट है कि इस मुल्क में हम तरक्की के लिए, जो पिछड़ा तबका है, उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे और अमीर जो और ज्यादा अमीर बन रहा है और गरीब और

गरीब बन रहा है, उसके बीच के फासले को पाटने की जद्दोजहद करेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक रुपये की ताकत है, जब तक टाटा और बिरला और दूसरी बड़ी ताकतें हमारी इस इलेक्शन प्रोसेस में पदाखलत करती रहेंगी हमारे सामने इस तरह के मसाइल खड़े होते रहेंगे और जो हमारे सोशियो-इकोनोमिक प्रोग्राम हैं, उनको इम्पलीमेंट करने में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है···

(श्री عبد الرشید گابلی (سری نگر) : چیئرمین صاحب پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے الیکشن کے لازمیں اس کے مطابق جیسا اور ممبران نے اس پر زور دیا ہے کہ میں پاور مثل پاور اور ایڈمنسٹریشن۔ یہ سب سے بڑی سمسیا ہمارے سامنے ہے۔ جس کو حل کرنا ہماری سرکار کا کرتو یہ ہے۔ (انٹرریشن)۔۔۔۔

میں آنریبل منسٹر شری بھاردواج سے کہوں گا کہ میں پاور مثل پاور اور ایڈمنسٹریشن کی طاقت یہ سب سے بڑی سمسیا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی نہیں کہ الیکشن میں اس سے بڑا اسٹرنٹا چار ہو رہا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پبلک کے ساتھ چاہے آپ کی پارٹی ہو اور چاہے ہمارا آرگنائزیشن ہو ایک کمینمنٹ ہے کہ اس ملک میں ہم ترقی کے لئے جو پچھڑا طبقہ ہے اس کی بہتری کے لئے کام کریں گے اور امیر جو اور زیادہ امیر بن رہا ہے اور غریب اور غریب بن رہا ہے اس کے بیچ کے فاصلے کو پاٹنے کی جدوجہد کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک روپے کی طاقت ہے جب تک ٹاٹا اور برلا اور دوسری بڑی طاقتیں ہماری اس الیکشن پروسز میں مداخلت کرتی رہیں گی ہمارے سامنے اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے اور جو ہمارے سوشیو اکانومک پروگرامس ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں سپلتا نہیں مل پا رہی ہے۔۔۔۔۔۔)

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा) : महोदय, क्या मैं बता सकता हूं कि सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है—गणपूर्ति के लिए दूसरी बार घंटी बजाने के बाद भी सदन में गणपूर्ति नहीं है। सभा सोमवार, 31 मार्च, 1986 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

5.44 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 31 मार्च, 1986/10 चैत्र, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विध्यावासिनी पैकेजिग्स, दिल्ली-110053